वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और
जलमार्ग मंत्रालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

विषय-सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	09-11
2	वर्ष एक नजर में	12-26
3	सागरमाला	27-35
4	पत्तन	36-55
5	पोत परिवहन	56-70
6	संगठनों का कामकाज	71-100
7	अंतर्देशीय जल परिवहन	101-117
8	परिवहन अनुसंधान एवं विकास स्कंध	118-119
9	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	120-125
10	प्रशासन एवं वित्त	126-131
11	राजभाषा हिन्दी का प्रयोग	132-135
12	अनुबंधों की सूची	136-146

विज़न स्टेटमेंट

एक्जिम व्यापार को बढ़ावा देने और देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देने के लिए कुशल और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक प्रदान करने के लिए संधारणीय, विश्व स्तरीय समुद्री और अंतर्देशीय जलमार्ग अवसंरचना का निर्माण करना।

स्नैपशॉर्ट

पत्तन

कुल पत्तन
229

महापत्तन
12

अन्य पत्तन
217

स्थापित क्षमता
2,690 मिलियन मीट्रिक टन

कार्गो हैंडल करने वाले पत्तन
78

हैंडल किया गया कार्गो
1,540 मिलियन मीट्रिक टन

पोत परिवहन

भारतीय ध्वज वाले जलयान
1,526

नाविक
2.85 लाख

भारत में निर्मित जलयानों की संख्या
26,412 सकल टन भार

दीपस्तंभ
203

दीपपोत
1

4.71 लाख यात्रियों के साथ 227 समुद्रगामी क्रूज का आगमन

अंतर्देशीय जलमार्ग

अधिसूचित राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)
111

परिचालनात्मक राष्ट्रीय जलमार्ग
24

राष्ट्रीय जलमार्गों पर हैंडल किया गया कार्गो (रा.ज)
133 एमएमटीपीए

स्कोर कार्ड – पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

पूंजीगत व्यय – पिछले 5 वर्षों में 13% की सीएजीआर से वृद्धि हुई

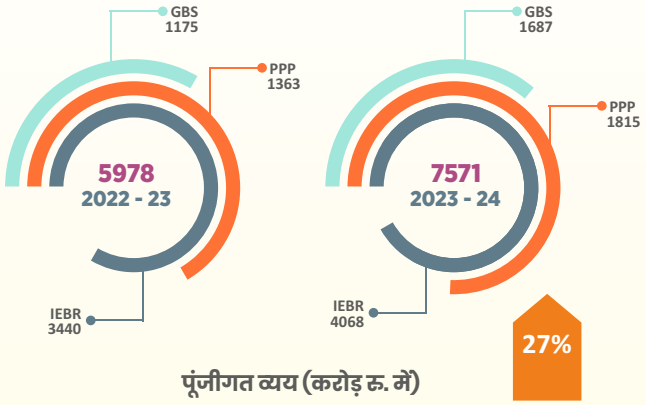

पूंजीगत व्यय (करोड़ रु. में)

महापत्तनों का कर पश्चात लाभ (पीएटी) - पिछले 5 वर्षों में 22% की सीएजीआर से वृद्धि हुई

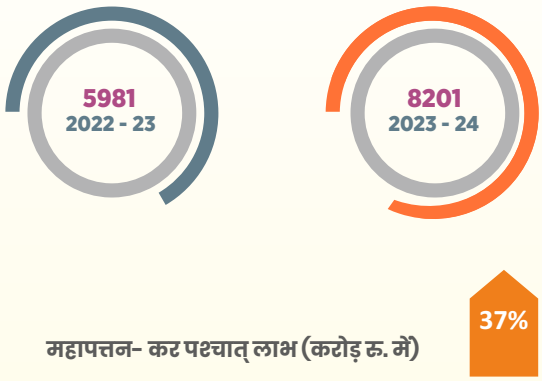

महापत्तन- कर पश्चात् लाभ (करोड़ रु. में)

स्कोर कार्ड – पत्तन

महापत्तनों पर जलयान का औसत टर्नअराउंड समय (घंटों में) 8%

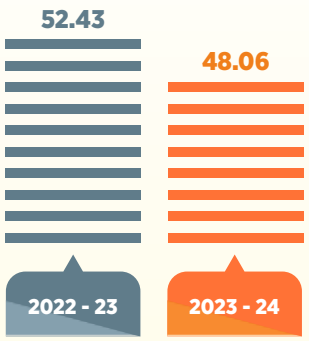

प्रति पोत बर्थ दिवस औसत आउटपुट (टन में) 8%

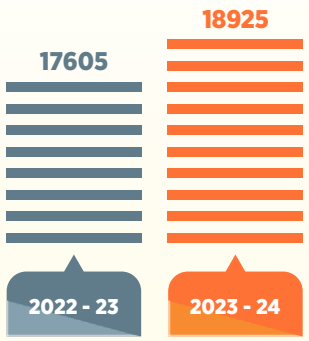

महापत्तनों पर कार्गो थ्रूपुट (एमएमटीपीए) 3%

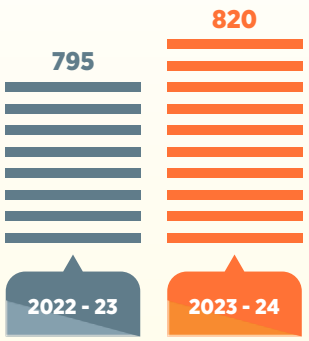

भारत के महापत्तनों की क्षमता (एमएमटीपीए) 2.4%

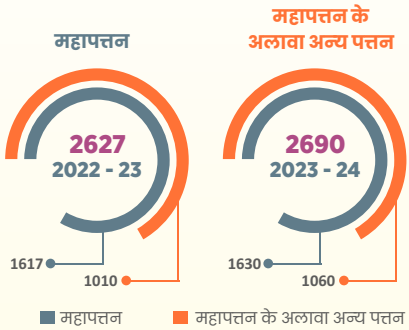

स्वीकृत पीपीपी परियोजनाओं का मूल्य (करोड़ रु. में) 9%

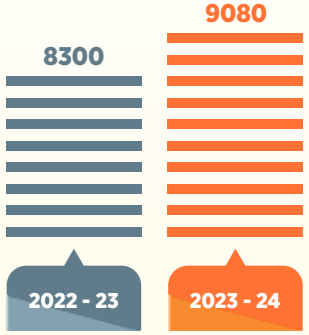

हैंडल किया गया तटीय कार्गो (एमएमटीपीए) 7%

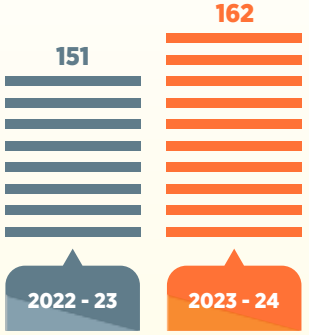

स्कोर कार्ड – शिपिंग

भारतीय ध्वज वाले पोतों/जलयानों की संख्या

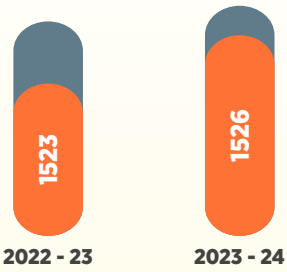

भारत में निर्मित पोतों की संख्या (जी.टी.) 19%

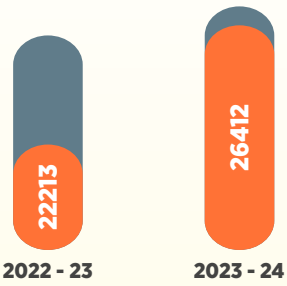

कार्यरत भारतीय नाविक (लाख में) 11%

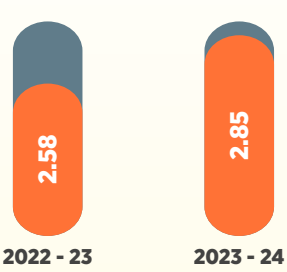

स्कोर कार्ड – अंतर्देशीय जलमार्ग

राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) पर हैंडल किया गया कार्गो (एमएमटीपीए) 6%

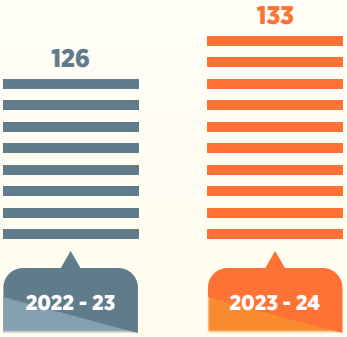

रा.ज. में निवेश (कैपेक्स) (करोड़ रु. में) 86%

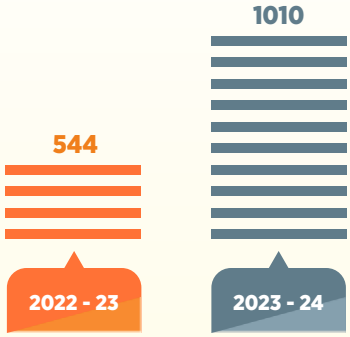

नदी क्रूज के लिए परिचालनात्मक रा.ज. 11%

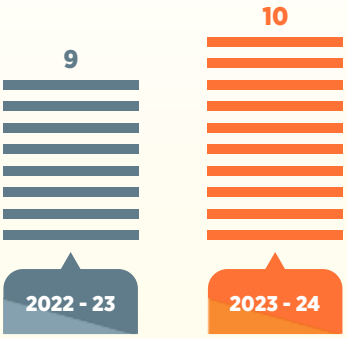

रात भर नदी क्रूज यात्री 19%

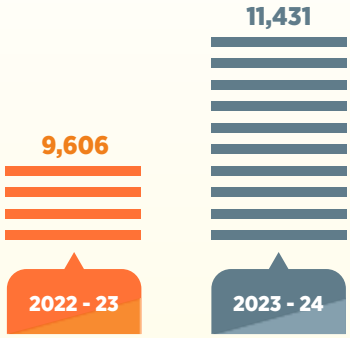

हरित पहल

पत्तन

- **शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य, 'हरित सागर' हरित पत्तन** दिशानिर्देश 10 मई 2023 को लॉन्च किए गए।
- **चार महापत्तन, दीनदयाल पत्तन, विशाखापट्टणम पत्तन, नव मंगलूर पत्तन और वीओसी पत्तन पहले से ही अपनी मांग से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं।**

पोत परिवहन

- **एलएनजीसी असीम** (एससीआई की संयुक्त उद्यम एलएनजी परिवहन कंपनी के स्वामित्व वाला पोत) ने **500वीं सफल यात्रा की दुर्लभ और असाधारण उपलब्धि का जश्न मनाया, जिसमें अटल शक्ति के साथ एलएनजी का परिवहन किया गया**

पोत निर्माण

- **माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल फेरी को हरी झंडी दिखाई।** इस परियोजना के उद्घाटन से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत यथा परिकल्पित समुद्री अनुप्रयोगों में हाइड्रोजन के उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा और समुद्री क्षेत्र में हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को शीघ्र अपनाने से इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलेगा, जिससे निवल शून्य उत्सर्जन के लिए हमारे राष्ट्र की स्थायी हरित ऊर्जा की आकांक्षा पूरी होगी।
- सैमस्किप ग्रुप, नॉर्वे के लिए बनाए जा रहे **शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर पोत** की स्टील कटिंग।
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने **कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए 5 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 100 पैक्स** वाटर मेट्रो बोट की आपूर्ति की। कोच्चि जल मेट्रो की योजना **78** जलयानों तक पहुंचने की है, जो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक फेरी बेड़ा होगा।
- भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सीएसएल की रेटिंग **"ग्रीनको सिल्वर"** से बढ़ाकर "ग्रीनको गोल्ड" कर दी गई।

जलमार्ग

- 8 जनवरी 2024 को आईडब्ल्यूडीसी की पहली बैठक में शुरू किए गए **हरित नौका दिशानिर्देश,** अंतर्देशीय जलयान परिचालन **(हरित जलयान)** के लिए **कम उत्सर्जन वाले ईंधन (सीएनजी/एलएनजी/इलेक्ट्रिक/हाइड्रोजन/मेथनॉल)** को अपनाने को बढ़ावा देकर पर्यावरण अनुकूल और संधारणीय तरीके से जलमार्गों के माध्यम से यात्री परिवहन को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मजबूत प्रतिबद्धता रखते हैं।

डिजीटल पहल

पत्तन

- राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (समुद्री) - **सागर-सेतु** का उद्घाटन 27 जनवरी 2023 को किया गया।
- आईटी के माध्यम से लॉजिस्टिक्स समुदाय के सभी हितधारकों को जोड़ने वाला वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म।
- इसका उद्देश्य लागत और समय में होने वाले विलंब को कम करते हुए दक्षता और पारदर्शिता में सुधार करना है।
- **व्यापार करने में आसानी (ईज ऑफ डूइंग) में सुधार करने** के उद्देश्य से 31 मार्च, 2023 को राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल (समुद्री) द्वारा **मोबाइल एप्लीकेशन** लॉन्च किया गया।

श्री सर्बानंद सोणोवाल केन्द्रीय मंत्री एमओपीएसएंडडब्ल्यू ड्रेजिंग मॉनीटरिंग सिस्टम की ऑनलाइन शुभारंभ करते हुए

- **सागरमंथन:**
  मंत्रालय द्वारा इन-हाउस विकसित सागर मंथन डैशबोर्ड एक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा हैं, जिससे संगठन वास्तविक समय में अपनी परियोजनाओं और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की प्रगति की निगरानी और उन्हें ट्रैक कर सकते हैं।
- **"महाराष्ट्र के मुंबई स्थित मरीन ऑयल टर्मिनल पर एससीएडीए और पीएलसी स्वचालन प्रणाली का कार्यान्वयन"।** इस परियोजना से जनशक्ति लागत में कमी आएगी, परिचालन गतिविधियों में सुधार आएगा, तथा मुंबई पत्तन के दोनों स्थानों पर दूरस्थ निगरानी संभव होगी।
- माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री द्वारा 09 जून 2023 को **ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग सिस्टम** लॉन्च किया गया है। इस पद्धति से ड्रेजिंग प्रदर्शन और डाउनटाइम मॉनिटरिंग के साथ दैनिक, साप्ताहिक और मासिक प्रगति को देखने और लोडिंग स्थिति के साथ डेटा प्रदर्शित करने में सहायता मिलने की उम्मीद है। यह प्रणाली ड्रेजर की उत्पादकता बढ़ाने और दैनिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि ड्रेजिंग परियोजना को समय पर पूरा किया जा सके।

पोत परिवहन

महानिदेशक (नौवहन) ने अपनी सेवाओं का डिजिटलीकरण लागू किया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- **समुद्री प्रशिक्षण संस्थान (एमटीआई)** के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल
- **नाविकों को तत्काल इनडीओज (INDoS) नंबर जारी** करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल
- स्वचालित **वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट** जारी होना
- **एमटीआई में छात्रों के लिए बायोमेट्रिक केंद्रीकृत उपस्थिति प्रणाली**
  (पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए)

मानव संसाधन विकास पहल

सागर में योग

नौवहन महानिदेशक द्वारा नाविकों के स्वास्थ्य के लिए योग संस्थान के साथ मिलकर पहल शुरू की गई है। योग संस्थान और नौवहन महानिदेशक के बीच एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ताकि नाविकों के स्वास्थ्य के लिए वे मिलकर कार्य कर सकें।

- **सागर में सम्मान** पहल 19 अक्तूबर 2023 को जीएमआईएस -2023 में शुरू हुई। यह भारत के समुद्री क्षेत्र में महिला नाविकों की भूमिका को बढ़ावा देने संबंधी एक अभियान है।
- एमओपीएसएंडडब्ल्यू **डीडीयू-जीकेवाई के तहत कौशल विकास पहलों को वित्तपोषित कर रहा है, ताकि अगले 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10,000 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जा सके** और वर्तमान में आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में प्रशिक्षण शुरू हो गए हैं।
- अप्रैल 2023 के दौरान मुंबई के बीवाईएल नायर अस्पताल में **स्वास्थ्य आहार परियोजना** का उद्घाटन किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य मुंबई के 4 सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के आश्रितों को पूरे एक साल तक गर्म भोजन (रात्रिभोज) परोसकर सहायता प्रदान करना है।
- मुंबई के कुर्ला और चेंबूर में दो सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में **एससीआई-सीएसआर सहायता के माध्यम से स्थापित 4 ई-लर्निंग कक्षाओं** का उद्घाटन 18 अगस्त 2023 को किया गया।
- एससीआई-सीएसआर पहल के माध्यम से कर्नाटक के विजयपुर और यादगीर के 12 सरकारी स्कूलों में **स्थापित 20 स्मार्ट क्लासरूम** का उद्घाटन 15 और 16 सितंबर 2023 को किया गया।
- उत्तरी गोवा में **सौर स्ट्रीट लैंप की स्थापना के लिए एससीआई सीएसआर परियोजना** का उद्घाटन 15 मार्च 2024 को श्री साईं बाबा मंदिर, कदंब पठार, पुराने गोवा में किया गया।
- 18 मार्च 2024 को ऋषिकुल राजकीय पी.जी. आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, हरिद्वार (आकांक्षी जिला) में आयोजित समारोह में, **एससीआई सीएसआर पहल के तहत अस्पताल को 15 जीवन रक्षक/महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण/यंत्र सौंपे गए।**
- 20 मार्च 2024 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के **पहाड़पुर गांव के 370 गरीब परिवारों को एससीआई सीएसआर पहल के तहत सोलर एलईडी लैंप** वितरित किए गए। इससे ग्रामीण उपभोक्ताओं की आजीविका में सुधार होगा।
- माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री ने सागर सेतु (राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पोर्टल मरीन) के साथ **पत्तन स्वास्थ्य संगठन (पीएचओ) मॉड्यूल** का एक कार्यक्रम शुरू किया है।

देशों और राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस), 2023 में समुद्री क्षेत्र के विभिन्न खंडों में **8.35 लाख करोड़ रु. की निवेश प्रतिबद्धता** के साथ 360 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए

जीएमआईएस 2023 के दौरान, एससीआई ने 2425 करोड़ रु. के कुल मूल्य के 7 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौता ज्ञापन लिनो लाइन्स (जापान), एचपीसीएल, एमआरपीएल, भारतीय नौसेना, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, टाटा एनवाईके शिपिंग और वार्टसिला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ किए गए।

सीएसएल ने आईआईएमके (लाइव) समर्थित यूएसएचयूएस मरीन स्टार्ट-अप सपोर्ट प्रोग्राम के माध्यम से **तीन स्टार्ट-अप्स** अर्थात फ्यूज़लेज इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, ज़ाल्टेन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एनसोवर्स प्राइवेट लिमिटेड को **30-30 लाख रु. की सीड फंडिंग प्रदान की।**

एक हाइब्रिड सर्विस ऑपरेशन वेसल (एसओवी) के डिजाइन और निर्माण के लिए एक यूरोपीय क्लांइट के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। फर्म ऑर्डर के लिए कुल परियोजना लागत ~ 500 करोड़ रु. है और जलयान 2026 में सुपुर्द किया जाना है। जलयान को यूरोपीय बाजार में अपतटीय पवन फार्म उद्योग की सेवा, रखरखाव और परिचालन आवश्यकताओं के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जहां संधारणीय ऊर्जा समाधानों की उच्च मांग है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) को नॉर्वे की मेसर्स विल्सन शिप के स्वामित्व वाली कंपनी से **6 नई जेनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक 3800 डीडब्ल्यूटी सामान्य कार्गो पोत के डिजाइन और निर्माण** के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर मिला है, जिसमें 8 और पोतों के विकल्प भी शामिल है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने जीकेएस मरीन एक्सपोर्ट्स को **न्यू-जेररेशन-पर्स-सीनर** दिया है। इस जलयान का डिज़ाइन और विकास, आधुनिक मशीनीकृत हाइड्रोलिक पर्स सीर्निंग उपकरण के साथ किया गया है। इसमें पावर ब्लॉक, फिश हैंडलिंग क्रेन, एडवांस्ड फिश फाइंडर, 10 व्यक्तियों के लिए वातानुकूलित आवास आदि जैसी सुविधाएँ हैं।

यूसीएसएल ने भारत के प्रमुख टग प्रचालक (ऑपरेटर) ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए बनाए जा रहे 62 टन बोलार्ड पुल टग की आपूर्ति की।

ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए निर्मित "ओशन स्प्लेंडर" 62टी बोलार्ड पुल टग को हरी झंडी दिखाई गई।

माननीय केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने अब तक के पहले एएसटीडीएस टग (ओशन ग्रेस) का उद्घाटन किया।

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) ने इंडस्ट्रियल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के लिए दो 40 टी बोलार्ड पुल एएसडी टगों के निर्माण का ऑर्डर प्राप्त किया, जिसकी कीमत लगभग 35 करोड़ रु. है।

179 करोड़ रु. की लागत से नौसेना गैलरी के कार्यान्वयन के लिए भारतीय नौसेना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

एनएमएचसी के विकास में सहयोग के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

नए विकास, योजनाएं और विजन दस्तावेज

पत्तन

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 27 जून 2023 को महापत्तन प्राधिकरणों के लिए **'सागर सामाजिक सहयोग' - संशोधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दिशानिर्देश** 2023 जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों के तहत महापत्तनों को सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी देने और अनुमोदित करने का अधिकार दिया गया है।

समुद्री अमृत काल विजन 2047, मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 पर आधारित है और इसमें भारतीय समुद्री क्षेत्र के सभी पहलुओं को कवर करते हुए 10 विषयों में 150 से अधिक पहलों की पहचान की गई है।

- विज़न एक्शन प्लान से भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की उम्मीद है, जिससे **70 लाख करोड़ रु. से अधिक का निवेश** आकर्षित होगा, जिससे भारत वैश्विक समुद्री केंद्र बनने की दिशा में लंबी छलांग लगा सकेगा।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसएंडडब्ल्यू), भारत सरकार **गैलेथिया खाड़ी में अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट (आईसीटीपी) विकसित** कर रही है।

- परियोजना की योजना चार चरणों में बनाई गई है, जिसमें प्रथम चरण का लक्ष्य 2028 तक 20 मीटर की ड्रेज्ड गहराई पर लगभग 4 मिलियन ट्वेंटी फुट समकक्ष यूनिट्स (एमटीईयू) की हैंडलिंग करना है।

पोत परिवहन

भारत की आईएमओ सदस्य राज्य लेखा परीक्षा योजना (आईएमएसएएस): समुद्री प्रशासन (डीजीएस) ने 24 फरवरी 2024 से 04 मार्च 2024 के बीच भारत की पहली आईएमओ सदस्य राज्य लेखा परीक्षा योजना (आईएमएसएएस) को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि यह यथा लागू संगत आईएमओ कन्वेंशनों, संहिताओं और दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन करता है।

भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ), की 2024-25 द्विवार्षिक परिषद में सर्वाधिक मतों के साथ पुनः निर्वाचित किया गया: भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ), लंदन की परिषद में 'अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि रखने वाले' 10 सदस्य देशों की श्रेणी में पुनः निर्वाचित किया गया है। चुनाव के दौरान भारत को 163 वैध मतों में से 157 मत मिले।

जलमार्ग

8 जनवरी 2024 को पहली आईडब्ल्यूडीसी की बैठक में **रिवर क्रूज टूरिज्म रोडमैप** 2047 लॉन्च किया गया, जो चार महत्वपूर्ण स्तंभों पर केंद्रित है, जिसमें नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा, एकीकरण, पहुंच और नीति शामिल है।

- आगे के विकास के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों पर **30 से अधिक संभावित मार्गों** और पर्यटन सर्किटों की पहचान की गई है।
- भारत में नदी क्रूज पर्यटन को विकसित करने के लिए 2047 तक **45,000 करोड़ रु.** का निवेश परिव्यय अनुमानित है, जिसमें क्रूज जलयानों के लिए 35,000 करोड़ रु. निर्धारित और क्रूज टर्मिनल बुनियादी ढांचे के लिए 10,000 करोड़ रु. अनुमानित हैं।

वर्ष 2014-15 की तुलना में 2022-23 में समुद्री क्रूज के लिए पर्यटकों की संख्या बढ़कर 3.08 लाख और दीपस्तंभों के लिए 12.3 लाख हो गई है।

नए संस्थान बनाए गए

राष्ट्रीय पत्तन, जलमार्ग और तटीय प्रौद्योगिकी (एनटीसीपीडब्ल्यूसी), आईआईटीएम - डिस्कवरी कैंपस का उद्घाटन 24 अप्रैल 2023 को चेन्नई में किया गया। एनटीसीपीडब्ल्यूसी, आईआईटीएम - की स्थापना, मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा के रूप में कार्य करने के लिए सागरमाला कार्यक्रम के तहत 77 करोड़ रु. की लागत से की गई है।

एनटीसीपीडब्ल्यूसी-डिस्कवरी कैंपस, आईआईटी मद्रास

अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) का गठन 1 अक्तूबर 2023 को किया गया, जिसके अध्यक्ष केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं और इसमें संबंधित केंद्रीय और राज्य मंत्रालयों के प्रतिनिधि होंगे।

- इसमें 10 सूत्री अधिदेश हैं, जो फेयरवे विकास, आईडब्ल्यूटी में माल और यात्री परिवहन को बढ़ाने, आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए नदी क्रूज पर्यटन की संभाव्यता, गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित जलयान परिचालन के संदर्भ में सतत प्रैक्टिस आदि पर केंद्रित हैं।

पहली आईडब्ल्यूडीसी बैठक 8 जनवरी 2024 को कोलकाता में आयोजित की गई थी।

नई सेवाएं

अंतर्राष्ट्रीय यात्री नौका सेवा (भारत और श्रीलंका): नागापट्टिनम (तमिलनाडु, भारत) और कांकेसंथुराई (जाफना, श्रीलंका) के बीच एचएससी चेरियापानी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय यात्री नौका सेवा 14 अक्तूबर 2023 को शुरू की गई।

भारत मालदीव शिपिंग सेवा:

भारत मालदीव शिपिंग सेवा 05 मई 2023 को माननीय राज्य मंत्री (पीएसएंडडब्ल्यू) द्वारा वीओसी पत्तन, तूतीकोरिन से एमवी एमएसएस गैलेना को हरी झंडी दिखाने के साथ शुरू हुई। तब से, पोत ने 39 यात्राएं पूरी की हैं और भारत से माले तक 2653 टीईयू ब्रेक-बल्क कार्गो और माले से भारत तक 2625 टीईयू माल वहन किया है। कार्गो में मुख्य रूप से निर्माण सामग्री, जैविक खाद, खाद्य पदार्थ, वस्त्र, प्लाईवुड, सीमेंट, वाहन, मालवाहक खाली सामान आदि शामिल थे।

अमेजन का पहला कार्गो शिपमेंट नवंबर 2023 में पटना से रा.ज.-1 के माध्यम से कोलकाता पहुंचा, जो ई-कॉमर्स क्षेत्र में संधारणीय लॉजिस्टिक्स प्रैक्टिस को बढ़ावा देने के लिए आईडब्ल्यूटी की क्षमता को दर्शाता है।

प्रस्तावना

75वां गणतंत्र दिवस परेड, 26 जनवरी, 2024 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की झांकी समुद्री क्षेत्र में नारी शक्ति और सागरमाला की सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हुए

1.1 पोत परिवहन मंत्रालय का गठन वर्ष 2009 में पूर्ववर्ती जहाजरानी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का दो स्वतंत्र मंत्रालयों में विभाजन करके किया गया। तत्पश्चात्, दिनांक 09 नवबंर, 2020 को मंत्रालय का नाम पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसएंडडब्ल्यू) में परिवर्तित कर दिया गया।

1.2 पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में नौवहन और पत्तन क्षेत्र आते हैं जिनमें पोतनिर्माण और पोत मरम्मत, महापत्तन और अन्तर्देशीय जल परिवहन शामिल हैं। मंत्रालय को इन क्षेत्रों के संबंध में नीतियां और कार्यक्रम तैयार करने और उनका कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

1.3 समुद्री क्षेत्र के समक्ष आने वाले विविध मुद्दों की ओर ध्यान देने के लिए एक विस्तृत नीति पैकेज की आवश्यकता है। विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बर्थों और कार्गो संभालने वाले उपस्करों के संबंध में पत्तनों की क्षमता में सुधार आवश्यक है।

1.4 ऐतिहासिक रूप से, समुद्री क्षेत्र में, विशेष रूप से पत्तनों में निवेश, राज्य द्वारा किया गया है जिसके प्रमुख कारण हैं: बड़े पैमाने पर संसाधनों की जरूरत, लम्बी गेस्टेशन अवधि, अनिश्चित लाभ तथा अवसंरचना क्षेत्र के साथ जुड़े हुए अनेक बाह्य तत्व। तथापि निरंतर बढ़ती हुई संसाधन आवश्यकताओं और प्रबंधकीय दक्षता तथा उपभोक्ताओं की संवेदनशीलता के सरोकारों से हाल ही में अवसंरचना सेवाओं में निजी क्षेत्र की सक्रिय सहभागिता हुई है। पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय ने निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए महापत्तनों में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए व्यापक नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं।

कार्य

1.5 पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय के लिए आबंटित विषयों की सूची **अनुबंध-I** में दी गई है।

संगठनात्मक ढाँचा

1.6 श्री सर्बानंद सोणोवाल, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री हैं। श्री श्रीपाद नाईक और श्री शांतनु ठाकुर, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग (पीएसएंडडब्ल्यू) राज्य मंत्री हैं।

1.7 सचिव (पीएसएंडडब्ल्यू) की सहायता अपर सचिव (पोत परिवहन), वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, संयुक्त सचिव (पत्तन, पीएचआरडी, पीपीपी), संयुक्त सचिव (सागरमाला), संयुक्त सचिव (आईडब्ल्यूटी, प्रशासन एवं समन्वय-I), संयुक्त सचिव (सामान्य एवं समन्वय-II), सलाहकार (सांख्यिकी), विकास सलाहकार (पत्तन), निदेशक, उप सचिव, अवर सचिव के स्तर के अधिकारी और अन्य सचिवालय/तकनीकी अधिकारियों द्वारा की जाती है।

1.8 वित्त स्कन्ध के प्रमुख अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार हैं जो वित्तीय प्रभाव वाली सभी नीतियों और अन्य प्रस्तावों को तैयार करने और प्रक्रियागत करने में सहायता करते हैं।

1.9 लेखा स्कन्ध के प्रमुख प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक हैं जो अन्य कार्यों के साथ-साथ लेखांकन, भुगतान, बजट, आंतरिक लेखापरीक्षा और रोकड़ प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हैं।

1.10 सलाहकार (सांख्यिकी) नीतिगत योजना बनाने, परिवहन समन्वय, परिवहन के विभिन्न साधनों जिनके साथ मंत्रालय जुड़ा हुआ है, के आर्थिक और सांख्यिकीय विश्लेषण के बारे में आवश्यक डाटा सहायता प्रदान करते हैं।

1.11 पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत निम्नलिखित अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त संगठन, सोसायटी/ संघ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि कार्य कर रहे हैं:-

अधीनस्थ कार्यालय

- नौवहन महानिदेशालय, मुंबई
- अंडमान और लक्षद्वीप बंदरगाह निर्माण कार्य, पोर्ट ब्लेयर
- दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा

स्वायत्त निकाय

- दीनदयाल (कंडला), मुंबई, जवाहरलाल नेहरू (न्हावा शेवा), मुरगांव, नव मंगलूर, कोचिन, वी.ओ.चिदंबरनार (तूत्तुक्कुडि), चेन्नै, विशाखापट्टणम, पारादीप और श्यामा प्रसाद मुखर्जी (कोलकाता) में महापत्तन प्राधिकरण
- एसएमपी, कोलकाता के अंतर्गत हल्दिया डॉक परिसर और कोलकाता डॉक प्रणाली
- कामराजर पोर्ट लिमिटेड, चेन्नै (चेन्नै पत्तन की कंपनी)
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा
- नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई
- महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, मुंबई
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू), चेन्नै

सोसाइटियां/संघ (एसोसिएशन)

- राष्ट्रीय पत्तन प्रबंधन संस्थान, चेन्नै
- राष्ट्रीय पोत डिजाइन और अनुसंधान केन्द्र, विशाखापट्टणम
- नाविक कल्याण निधि सोसायटी, मुंबई
- भारतीय पत्तन संघ, नई दिल्ली

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड, मुंबई
- शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लैंड एंड एसेट्स लिमिटेड, मुंबई
- इन्लैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड, कोलकाता (एससीआई की सहायक कंपनी)
- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि
- हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोलकाता
- उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मालपे
- केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कोलकाता
- हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता
- सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड, नई दिल्ली
- भारत पत्तन ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (मुंबई)

एसपीवी एवं अन्य:

- सेतु समुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, चेन्नै
- इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल), मुंबई
- ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, विशाखापट्टणम
- कन्याकुमारी पोर्ट लिमिटेड, तूतीकोरिन

न्यास

- समुद्री प्रशिक्षण न्यास, मुंबई

उत्कृष्टता केन्द्र

- नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्ट्स
- समुद्री एवं पोत निर्माण में उत्कृष्टता केन्द्र
- सेंटर फॉर इनलैंड एंड कोस्टल मैरीटाइम टेक्नोलॉजी

अंतर्राष्ट्रीय पहलू:

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, यूनाइटेड किंगडम
- बहु-क्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक)

1.12 पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा **अनुबंध-।।** में दिया गया है।

वर्ष एक नजर में

प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक्स, अवसंरचना और पोत परिवहन में भारत की 'ब्लू इकोनॉमी' को समर्थन देने की महत्वकांक्षाओं को शामिल करते हुए 'मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047' का शुभारंभ किया, जीएमआईएस – मुंबई 17 अक्तूबर, 2023

पृष्ठभूमि

2.1 भारत के समुद्री क्षेत्र में पत्तन, पोत परिवहन, पोत-निर्माण तथा पोत मरम्मत और अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणाली शामिल हैं। भारत में सरकारी स्वामित्व के 12 महापत्तन और लगभग 217 लघु और मध्यवर्ती पत्तन हैं। इन सभी को क्रमशः केंद्र और राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है। भारतीय पोत परिवहन उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था के समुद्री क्षेत्र में वर्षों से एक निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। देश का लगभग 95% व्यापार मात्रात्मक रुप में तथा 68% व्यापार मूल्य के रूप में, समुद्री परिवहन से संचालित होता हैं। अतएव, नौवहन तथा समुद्री संसाधन, पोत डिजाइन और निर्माण, पत्तन और बन्दरगाह, मानव संसाधन विकास संबंधी मामले, वित्त, आनुषंगी और नई प्रौद्योगिकियों को उभरते हुए परिदृश्य के संदर्भ में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। विश्व के सबसे कुशल परिवहन साधनों में से एक के रूप में पोत परिवहन हमेशा से गैर चुनौती पूर्ण रहा है और हमें इस उद्योग को मान्यता देने, पुरस्कृत करने और गुणवत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए जो भी मुमकिन हो, वह करने की आवश्यकता है।

2.2 भारत के पास करीब 7517 किमी लम्बी तटरेखा है जो मुख्यभूमि के पश्चिमी और पूर्वी छोरों सहित द्वीपों की दिशा में भी फैली हई है। यह देश के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है।

2023-24 के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) और आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) परिव्यय

2.3 मंत्रालय के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का बजट अनुमान 2,218.74 करोड़ रु. था। हालांकि, संशोधित अनुमान (आरई) के स्तर पर, इसे बढ़ाकर 2,395.12 करोड़ रु. किया गया है। 2,395.12 करोड़ रु. के आरई आबंटन के सापेक्ष दिनांक 31मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार वास्तविक व्यय 2,316.47 करोड़ रु. था। वर्ष 2023-24 के लिए जीबीएस और आंतरिक एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर) परिव्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	बीई 2023-24		आरई 2023-24		शुद्ध आधार पर वास्तविक व्यय*	
	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस	आईईबीआर	जीबीएस (2023-24)	आईईबीआर (2023-24)
पत्तन एवं दीपस्तंभ	643.16	3253.21	719.64	3344.36	668.67	3047.71
पोत परिवहन	238.02	380.00	244.85	975.00	227.19	1020.70
आईडब्ल्यूएआई	1007.46	0.00	1092.00	0.00	1087.00	0.00
अन्य	330.10	0.00	338.63	0.00	333.61	0.00
कुल	2218.74	3633.21	2395.12	4319.36	2316.47	4068.41

*31 मार्च, 2024 तक

2024-25 के लिए परिव्यय

2.4 2024-2025 के लिए जीबीएस और आईईबीआर परिव्यय के विवरण नीचे दिए गए हैं:

(करोड़ रु. में)

क्षेत्र	2024-25 (बीई)	
	जीबीएस	आईईबीआर
पत्तन एवं दीपस्तंभ	881.01	4650.07
पोत परिवहन	293.54	568.00
आईडब्ल्यूएआई	1091.50	0.00
अन्य	79.50	0.00
कुल	2345.55	5218.07

ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस), 2023

2.5 17-19 अक्तूबर, 2023 को मुंबई में एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023 बेहद सफल रहा। माननीय प्रधानमंत्री ने 17 अक्तूबर, 2023 को इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह अब तक का सबसे बड़ा शिखर सम्मेलन था और इसे सभी क्षेत्रों से व्यापक सराहना मिली। शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

- माननीय प्रधान मंत्री ने शिखर सम्मेलन के उद्घाटन के दिन 'मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047' का शुभारंभ किया। यह परिवर्तनकारी रोडमैप अगले 25 वर्षों में भारत के समुद्री क्षेत्र के लिए मार्ग प्रशस्त करता है और इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि और विकास प्राप्त करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- माननीय प्रधानमंत्री ने कुल 14,440 करोड़ रु. की ग्यारह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके अतिरिक्त, 8,924 करोड़ रु. मूल्य की ग्यारह परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं।
- 14 केंद्रीय मंत्रियों, 13 राज्यों के 22 मंत्रियों और 14 राज्यों के 36 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति ने शिखर सम्मेलन को महत्वपूर्ण बना दिया, जिससे समुद्री क्षेत्र के लिए सरकार के मजबूत समर्थन का पता चला।
- जीएमआईएस 2023 में 10 बाहरी देशों के मंत्रियों ने भाग लिया। इस आयोजन में अन्य 42 देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों और प्रदर्शकों ने भाग लिया।
- जीएमआईएस, 2023 में 8.35 लाख करोड़ रु. की निवेश प्रतिबद्धता के साथ 360 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए और 1.68 लाख करोड़ रु. की अतिरिक्त निवेश योग्य परियोजनाओं की घोषणा की गई।
- कुल मिलाकर, 297 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और 1,467 भारतीय कंपनियों ने जीएमआईएस 2023 में भाग लिया, जिससे भारत के समुद्री क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय रुचि और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन हुआ। उल्लेखनीय रूप से, जीएमआईएस 2023 के तत्वावधान में आयोजित वैश्विक सीईओ फोरम में 33 अंतर्राष्ट्रीय और 17 भारतीय सीईओ ने भाग लिया।
- इस कार्यक्रम में 3 दिनों में कुल 28,950 लोग शामिल हुए और 51,579 यूट्यूब लाइव दर्शक थे।
- जीएमआईएस 2023 में 13 तकनीकी सत्रों, 9 राज्य सत्रों और 9 गोलमेज सम्मेलनों सहित 31 सत्रों की मेजबानी की गई, जिसमें वैश्विक सीईओ फोरम भी शामिल था, जिसमें चर्चाओं और ज्ञान साझा करने के लिए मंच के रूप में काम किया।

15,000 वर्ग मीटर में आयोजित इस प्रदर्शनी में लगभग 10 देशों की 200 से अधिक कंपनियों/प्रदर्शकों ने भाग लिया। शिखर सम्मेलन में 2,460 बी2बी बैठकें और 500 से अधिक जी2बी/जी2जी बैठकें आयोजित की गईं, जिससे नेटवर्किंग और सहयोग के लिए पर्याप्त अवसर उपलब्ध हुए।

सागरमाला कार्यक्रम

2.6 सागरमाला का विज़न न्यूनतम बुनियादी ढांचा निवेश के साथ घरेलू और एक्जिम दोनों कार्गो के लिए रसद लागत को कम करना है। सागरमाला कार्यक्रम के तहत अध्ययन ने समग्र रसद लागत को कम करने के अवसरों की पहचान की है, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता में सुधार और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है। इस ढांचे के शीर्ष पर, समग्र नीति मार्गदर्शन और उच्च स्तरीय समन्वय, और योजना और परियोजनाओं की नियोजन और कार्यान्वयन पहलू की समीक्षा हेतु एक राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति का गठन किया गया है। इस स्मिति को इस पहल के कार्यान्वयन हेतु नीति-निर्देश, दिशा-निर्देश, मार्गदर्शन प्रदान करने और मैरीटाइम योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने हेतु समर्थ बनाया गया है।

सागरमाला की परियोजनाएं

2.7 सागरमाला कार्यक्रम के तहत, वर्ष 2035 तक कार्यान्वयन के लिए 5.79 लाख करोड़ रु. की 839 परियोजनाओं की पहचान की गई है। 839 परियोजनाओं में से 1.4 लाख करोड़ रु. की 262 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 1.65 लाख करोड़ रु. की 217 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं। उपरोक्त के अलावा, 2.74 लाख करोड़ रु. की 360 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, महापत्तन प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। परियोजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग और परियोजना प्रस्तावकों, विभिन्न लाइन मंत्रालयों और कार्यान्वयन एजेंसियों से एक एमआईएस टूल के माध्यम से संपर्क किया जा रहा है।

कौशल विकास

2.8 सागरमाला दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयूजीकेवाई) के दूसरे चरण के अंतर्गत गुजरात, केरल, आंध्र

सीईएमएस

प्रदेश और तमिलनाडु पत्तन और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास अच्छी तरह से प्रगतिशील है। कार्यक्रम के दूसरे चरण के दौरान 4317 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से लगभग 2813 उम्मीदवारों को रसद, शिप ब्रेकिंग पर्यटन और आतिथ्य उद्योगों में रखा गया है। सभी महापत्तनों में बहु-कौशल विकास केंद्र (एमएसडीसी) स्थापित किए जा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू पत्तन से जुड़े एमएसडीसी प्रचालनरत हैं। इसके अलावा, अलंग शिप ब्रेकिंग यार्ड के सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में 39,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

2.9 1997 में महापत्तनों में पहली सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजना शुरू होने के बाद से देश के पत्तन क्षेत्र में पीपीपी माहौल में भारी प्रगति हुई है। शुरुआत से लेकर अब तक पीपीपी के तहत 60,200 करोड़ रु. से अधिक की 97 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में, 37,200 करोड़ रु. से अधिक की 52 परियोजनाएं चालू हैं और 14,400 करोड़ रु. से अधिक की 21 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं, जबकि 5,500 करोड़ रु. से अधिक की 15 परियोजनाएं निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। शेष परियोजनाएं विकास या पुनर्गठन के चरण में हैं। कार्यशील परियोजनाओं ने ~ 550 मिलियन टन प्रतिवर्ष (एमटीपीए) की क्षमता वृद्धि में योगदान दिया है। कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं से ~ 115 एमटीपीए की अतिरिक्त वृद्धि होने की संभावना है।

राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी)

2.10 पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय के पास 44670 करोड़ रु. से अधिक की 81 परियोजनाओं की एक स्पष्ट और मजबूत पाइपलाइन है (पहले मूल्य 42,400 करोड़ रु. था) जो वित्त वर्ष 2025 तक पीपीपी पर प्रदान की जाएंगी।

- वित्त वर्ष 2019-20 से, 20780 करोड़ रु. मूल्य की कुल 25 पीपीपी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और इनमें से, अब तक 11230 करोड़ रु. मूल्य की 19 पीपीपी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक सौंप दिया गया है।
- वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, 9080 करोड़ रु. मूल्य की 5 पीपीपी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और 700 करोड़ रु. मूल्य की 8 पीपीपी परियोजनाओं को सौंपा गया है।
- वर्तमान में, 37,200 करोड़ रु. से अधिक की 52 परियोजनाएं कार्यशील हैं।
- वर्ष 2030 तक कार्गो की मात्रा 1.7 से 2 गुना (2020 के) के बीच बढ़ने की उम्मीद है, पीपीपी या अन्य प्रचालकों द्वारा

महापत्तनों पर हैंडल किए गए कार्गो का प्रतिशत वर्ष 2030 तक 85% तक पहुंचने की उम्मीद है।

- कुछ उच्च मूल्य की परियोजनाएं जैसे 7,055 करोड़ रु. की लागत से तूतीकोरिन पत्तन पर बाहरी बंदरगाह का विकास और 865 करोड़ रु. की लागत से श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन पर बर्थ 7 और 8 के विकास और मशीनीकरण को वित्त वर्ष 2023-24 में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई है।

माननीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर
पत्तन क्षेत्र के अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए

भारतीय पत्तनों में कार्गो यातायात

2.11 भारत में महापत्तनों और गैर-महापत्तनों ने वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 1434.19 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तथा 2023-24 के दौरान 1540 एमएमटी का कुल कार्गो थ्रूपुट हैंडल किया। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में यातायात में 7.38% की वृद्धि हुई। 2023-24 के दौरान 12 महापत्तनों ने 819.23 एमएमटी का यातायात संभाला, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के दौरान 784.31 एमएमटी के मुकाबले लगभग 4.45% की वृद्धि दर्शाता है। 2023-24 के दौरान 12 महापत्तनों में से केवल दीनदयाल पत्तन ने 3.77% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की।

महापत्तनों पर वस्तु-वार कार्गो यातायात

2.12 कार्गो की संरचना नीचे दी गई है:

(मिलियन टन में)

वर्ष	पीओएल	लौह अयस्क	एफएंड एफआरएम	कोयला	कंटेनर (मिलियन टीईयू में)	अन्य कार्गो	कुल
2017-18	224.82	41.17	15.05	141.23	133.73 (9.14)	123.37	679.37
2018-19	233.70	38.81	15.41	163.67	145.52 (9.88)	101.99	699.10
2019-20	234.86	55.68	16.15	149.04	146.86 (8.79)	102.34	704.93
2020-21	206.77	64.28	17.67	126.75	143.77 (9.61)	113.44	672.68
2021-22	221.27	51.71	15.93	146.80	166.90 (11.22)	117.44	720.05
2022-23	234.17	46.51	16.68	188.24	170.29 (11.45)	128.42	784.31
2023-24	245.99	61.03	17.68	191.98	181.57 (12.31)	120.98	819.23
	स्रोतः इंडियन पोर्ट सेक्टर और पोर्ट डेटा मैनेजमेंट पोर्टल पर अपडेट पीओएल में पीओएल क्रूड, उत्पाद और एलपीजी/एलएनजी शामिल हैं लौह अयस्क में फाइन और पेलेट्स शामिल हैं एफएंडएफआरएम (शुष्क) में उर्वरक, उर्वरक कच्चा माल (शुष्क और तरल) शामिल हैं कोयले में थर्मल, कोर्किंग और अन्य कोयला शामिल हैं।						

2.13 जहां पीओएल, लौह अयस्क, कोयला, एफएंडएफआरएम, कोयला और कंटेनर जैसी वस्तुओं में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, वहीं पिछले वर्षों के दौरान अन्य कार्गो के यातायात में कमी आई है।

डिजिटलीकरण

2.14 पीसीएस 1एक्स को सागरसेतु - राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल-मरीन (एनएलपी-एम) में बूटस्ट्रैप करने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, जो सभी समुद्री हितधारकों के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। एनएलपी मरीन + पीसीएस 1एक्स प्लेटफॉर्म की परिकल्पना विभिन्न हितधारकों जैसे पत्तन टर्मिनल, शिपिंग लाइन्स/एजेंट, सीएफएस और सीमा शुल्क ब्रोकर, आयातक/निर्यातक आदि के साथ सभी तरह के संपर्कों के लिए केंद्रीय हब के रूप में की गई है। सागरसेतु भारत के सभी 12 महापत्तनों के साथ-साथ 22 गैर-महापत्तनों और 28 निजी टर्मिनलों के साथ एकीकृत है और पत्तन क्षेत्र दिन-प्रतिदिन के पोत और कार्गो परिचालन गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने के लिए सागरसेतु एप्लिकेशन का उपयोग कर रहा है। पोर्ट मॉड्यूल शिपिंग एजेंटों और पत्तन अधिकारियों के बीच सूचनाओं के वास्तविक समय के आदान-प्रदान के माध्यम से समुद्री परिचालन की योजना बनाने में मदद करता है। सीमाशुल्क-आइसगेट प्रणाली को व्यापार की सुगमता हेतु सीमाशुल्क संबंधित सूचना के आदान-प्रदान के लिए सागरसेतु के साथ एकीकृत किया गया है। पत्तन स्वास्थ्य संगठन (पीएचओ) मॉड्यूल का प्रयोग करते हुए पीएचओ प्रमाण-पत्रों को अनुमोदित और जारी कर सकता है, तथा पत्तन प्राधिकारियों को सूचनाएं भेजी जाएंगी। पत्तनों पर पीएचओ को निःशुल्क प्रैक्टिस और स्वास्थ्य घोषणा प्रमाणपत्र के लिए अनुरोध सागरसेतु के माध्यम से उपलब्ध हैं। वाणिज्यिक समुद्री विभाग (एमएमडी) मॉड्यूल एमएमडी निरीक्षकों, बंदरगाह अधिकारियों और अन्य हितधारकों को जलयान के डिटेंशन और रिहाई पर वास्तविक समय और ऑनलाइन सूचना विनिमय की सुविधा प्रदान करता है। सागरसेतु (एनएलपी-एम) के साथ एकीकृत अन्य एजेंसियां हैं – दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशलय (डीजीएलएल) और यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (यूएलआईपी)। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई), माल परिचालन सूचना प्रणाली - भारतीय रेल (एफओआईएस), राज्य समुद्री बोर्डों और, भाग लेने वाली सरकारी एजेंसियों (पीजीए), निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) और अन्य पहचाने गए हितधारक प्रणालियों जैसी एजेंसियों के लिए एकीकरण प्रक्रिया में है, ताकि व्यापार द्वारा आयात/निर्यात प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।

2.15 पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय द्वारा परिकल्पित "समुद्री एजेंडा 2010-2020" को प्राप्त करने के प्रयास में, भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) ने सहयोगात्मक परिवर्तन की यात्रा की शुरुआत की, जिसमें भारत के 5 महापत्तनों को व्यापार प्रक्रिया पुनर्रचना के अभ्यास में शामिल किया गया, जिसके बाद एक एकीकृत सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन किया गया। 5 महापत्तनों (मुंबई, चेन्नै, दीनदयाल, पारादीप और कोलकाता (हल्दिया पत्तन सहित)) पर लगभग 327.43 करोड़ रु. की परियोजना लागत से एक उद्यम व्यवसाय प्रणाली (ईबीएस) लागू की जा रही है, ताकि एक डिजिटल पत्तन पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान किया जा सके, जो मौजूदा स्थानीय जरूरतों के साथ अपने संरेखण को खोए बिना अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं को अपनाएगा। कुल 2474 प्रक्रियाओं (चेन्नै - 671, दीनदयाल - 376, कोलकाता - 501, हल्दिया - 374, मुंबई - 278 और पारादीप - 274) को युक्तिसंगत, सुसंगत, इष्टतमीकृत और मानकीकृत किया गया, जिससे 162 प्रक्रियाओं की अंतिम पुनर्रचना प्रक्रिया संख्या प्राप्त हुई।

2.16 पत्तन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत, सुसंगत, इष्टतमीकृत, मानकीकृत किया गया और अंतिम पुनर्रचना प्रक्रियाओं तक पहुंचाया गया। इन व्यावसायिक प्रक्रियाओं का उद्देश्य परिचालन दक्षता और व्यापार करने में सुगमता में सुधार करना है। पत्तन उद्यम व्यापार प्रणाली (ईबीएस) पत्तन प्रचालन प्रणाली (पीओएस), मानक ईआरपी मॉड्यूल, ई-ऑफिस, अस्पताल प्रबंधन प्रणाली आदि के लिए साझा अवसंरचना पर सामान्य एप्लिकेशन प्लेटफॉर्म पर कार्यान्वित होता है। पत्तन ईबीएस परियोजना कागज रहित संपर्क, विविध डेटा प्रविष्टि में कमी, वास्तविक समय की जानकारी और पत्तन स्तर पर बेहतर निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित करके स्मार्ट पोर्ट की ओर बदलाव को चिह्नित करती है।

महापत्तनों हेतु समाधान और समझौता समिति

2.17 महापत्तनों जैसी वाणिज्यिक संस्थाओं में मध्यस्थता या न्यायालयों के माध्यम से व्यावसायिक विवाद समाधान को अत्यधिक समय लेने वाला और वित्तीय रूप से बोझिल पाया गया है। अक्तूबर, 2021 में समाधान और समझौता समिति (सीएससी) की नियुक्ति के माध्यम से महापत्तनों हेतु एक वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र स्थापित किया गया था, जिसमें सफलता के आधार पर सुलहकर्ताओं को शुल्क जैसी नवीन सुविधाओं के साथ और विवाद के समाधान के लिए 6 महीने की निर्दिष्ट समय सीमा स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल थे। यह विवाद समाधान तंत्र, विवाद को अंतिम रूप देगा जिससे पार्टियां एक समझौते पर पहुंचेगी इस प्रकार मध्यस्थता या न्यायालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.18 दिसंबर, 2023 तक, 54 मामले सीएससी को भेजे गए हैं, जिनमें से 17 मामलों में निपटान समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 17 मामले निपटान के अनुमोदन के चरण में हैं और शेष 20 मामले चर्चा के अधीन हैं।

हरित पत्तन पहल

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला मेड-इन-इंडिया एएसटीडीएस टग 'ओशन ग्रेस' आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा दे रहा है

2.19 पत्तन क्षेत्र ने भविष्य में देश के शुद्ध शून्य होने के लक्ष्य में एक प्रमुख भागीदार बनने के लिए कई पहल और उपाय किए हैं। पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय ने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए कार्बन तीव्रता को कम करने और महापत्तनों पर पर्यावरण के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए "हरितसागर" हरित हरित दिशा-निर्देश शुरू किए। "हरितसागर" दिशानिर्देश देश के महापत्तनों के लिए सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ पत्तनों हेतु लचीली अवसंरचना के विकास के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रदान करते हैं और हितधारकों साथ ही बड़े पैमाने पर समुदाय की भलाई के लिए पर्यावरणीय रूप से अच्छे व्यवहार का संचार करने के साधन के रूप में पर्यावरण रिपोर्टिंग को बढ़ावा देते हैं। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत देश में हरित हाइड्रोजन/हरित अमोनिया और इसके व्युत्पन्नों के लिए हरित हाइड्रोजन हब और निर्यात टर्मिनल के रूप में विकसित करने के लिए तीन महापत्तनों, नामत: दीनदयाल, पारादीप और वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरणों की पहचान की गई है। इसके अलावा, अपतटीय पवन ऊर्जा उद्योगों की स्थापना की सुविधा के लिए अवसंरचना विकसित करने के लिए वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन प्राधिकरण और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की पहचान की गई है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व दिशा-निर्देश

2.20 महापत्तन प्राधिकरणों के लिए 27 जून, 2023 को पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय द्वारा 'सागर सामाजिक सहयोग' - संशोधित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) दिशा-निर्देश 2023 जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों के तहत, महापत्तनों को सीएसआर परियोजनाओं को मंजूरी देने और अनुमोदित करने का अधिकार दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और सामुदायिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए हमारे समाज की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करके एक स्थायी प्रभाव डालना है।

सागरमंथन डैशबोर्ड

2.21 मंत्रालय द्वारा आंतरिक रूप से विकसित सागरमंथन डैशबोर्ड एक वास्तविक समय प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड है। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा हैं, जो संगठनों को वास्तविक समय में अपनी परियोजनाओं और प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों की प्रगति की निगरानी और ट्रैकिंग करने में सक्षम बनाते हैं। डैशबोर्ड की विशेषताओं में डेटा विज़ुअलाइज़ेशन, वास्तविक समय की निगरानी, बेहतर संचार, डेटा-संचालित निर्णय लेना और बढ़ी हुई जवाबदेही शामिल हैं। 'सागरमंथन' डैशबोर्ड का शुभारंभ समुद्री परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में किया जा रहा एक विकास है।

पत्तन क्षेत्र में सुगम्यता मानकों के लिए दिशा-निर्देश

2.22 मंत्रालय ने कार्गो और यात्रियों के परिवहन से जुड़े निर्मित वातावरण और सेवाओं के संदर्भ में दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य उपयोगकर्ता समूहों की सुगम्यता आवश्यकताओं को संबोधित करने के इरादे से 09 नवंबर, 2023 को भारत के राजपत्र में "पत्तन क्षेत्र में सुगम्यता मानकों के लिए दिशा-निर्देश" अधिसूचित किए हैं।

महाराष्ट्र के वधावन में महापत्तन का विकास

2.23 भारत सरकार ने 05 फरवरी, 2020 को महाराष्ट्र के दहानू तालुका के वधावन में गहरे डुबाव वाले एक आधुनिक बारामासी पत्तन के विकास के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए पत्तन की सीमा 19 फरवरी, 2020 को अधिसूचित की गई है। पत्तन को "भू-स्वामी मॉडल" पर विकसित किया जाएगा और इसकी क्षमता लगभग 300 एमएमटीपीए होने का अनुमान है। जीएसटी, पूर्व-प्रचालन खर्च, आकस्मिकता आदि सहित परियोजना की कुल लागत 76,220 करोड़ रु. है। इसमें से, अवसंरचना के निर्माण में एसपीवी (जेएनपीए और एमएमबी) द्वारा इक्विटी फंडिंग 11,693 करोड़ रु. होगी।

2.24 पालघर जिले के दहानु तालुका में वधावन में पत्तन विकसित करने के लिए दहानु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (डीटीईपीए) से 31 जुलाई, 2023 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ है। वधावन में हरित पत्तन के प्रस्तावित विकास हेतु पुनर्ग्रहण उद्देश्य से अपतटीय से रेत खनन हेतु जेएनपीए के पक्ष में समग्र लाइसेंस देने के लिए ओएएमडीआर अधिनियम, 2002 की धारा 8 के तहत, खान मंत्रालय ने 21 दिसंबर, 2023 को भारत के असाधारण राजपत्र सीजी-डीआई-ई-22122023-250813 के जरिए प्रस्तावित क्षेत्र की खदानें आरक्षित कर ली हैं। महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने एमओईएफएंडसीसी को 06 फरवरी, 2024 के पत्र के माध्यम से प्रस्ताव की सिफारिश की। एमओईएफएंडसीसी ने 16 फरवरी, 2024 को पर्यावरण और सीआरजेड मंजूरी प्रदान की है। पीआईबी ने 21 फरवरी, 2024 को परियोजना की सिफारिश की और वित्त मंत्रालय ने 06 मार्च, 2024 को "महाराष्ट्र राज्य में बारामासी वधावन पत्तन के विकास" परियोजना के लिए अपनी "अनापत्ति" व्यक्त की। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार, मंत्रिमंडल टिप्पणी का मसौदा 08 मार्च, 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय को प्रस्तुत किया गया था।

चाबहार पत्तन

2.25 भारत द्वारा चाबहार पत्तन का विकास करने के लिए भारत और ईरान द्वारा दिनांक 6 मई, 2015 को भारत की ओर से

शाहिद बेहेश्ती पत्तन टर्मिनल चाबहार के विकास के लिए दीर्घकालिक मुख्य अनुबंध पर इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) और ईरान के पोर्ट्स एंड मैरीटाइम अर्गनाईजेशन (पीएमओ) के बीच हस्ताक्षर किए गए, 13 मई 2024 ईरान

माननीय पोत परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा ईरान की ओर से मंत्री डा. अब्बास अक्खोंडी द्वारा तेहरान में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए तथा बाद में माननीय प्रधानमंत्री की ईरान यात्रा के दौरान तेहरान (ईरान) में दिनांक 23 मई, 2016 को एक संविदा निष्पादित की गई। यह संविदा शाहिद-बेहेश्ती-चाबहार पत्तन के पहले विकास चरण में दो टर्मिनलों को सुसज्जित करने और प्रचालित करने के लिए ईरान की ''अरिया बनाडेर ईरानियन पोर्ट एंड मैरीन सर्विस कम्पनी (एबीआई)'' तथा भारत की ''इंडिया पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल)'' के बीच हस्ताक्षरित की गई। ईरान इस्लामिक गणराज्य के पत्तन एवं मैरीटाइम संगठन (पीएमओ) तथा पीएसएंडडबल्यू मंत्रालय, भारत सरकार, इस संविदा की पुष्टि करने वाले पक्ष थे।

2.26 24 दिसंबर, 2018 को एक ईरानी एसपीवी "इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन" (आईपीजीसीएफजेड), जो कि आईपीजीएल की एक सहायक कंपनी है, ने शाहिद बेहेश्ती पत्तन, चाबहार, ईरान के दो बर्थ पर परिचालन शुरू किया और उसके बाद से सफलतापूर्वक परिचालन कर रही है। आईपीजीसीएफजेड में 5 बर्थ हैं, जिनमें से बर्थ 1, 2 और 3 बहुउद्देशीय टर्मिनल हैं, जिनकी कुल लंबाई 600 मीटर है तथा 4 और 5 कंटेनर टर्मिनल हैं, जिनकी कुल लंबाई 600 मीटर है। कंटेनर बर्थ का रेल स्पैन 35 मीटर है, बर्थ और एक्सेस चैनल का डुबाव 16.5 मीटर है, अधिकतम कंटेनर जलयान क्षमता 8000 टीईयू है और अधिकतम जलयान हैंडलिंग क्षमता 90000 डीडब्ल्यूटी है। अपनी स्थापना के बाद से, चाबहार पत्तन ने मार्च, 2024 तक कुल 84,809 टीईयू कंटेनर और 8.21 एमएमटी बल्क और सामान्य कार्गो की हैंडलिंग की है। पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय ने 18 अक्तूबर, 2023 को मुंबई में ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 के दौरान "चाबहार पोर्ट-आईएनएसटीसी कॉरिडोर: मध्य एशिया का प्रवेश द्वार" पर एक विशेष सत्र आयोजित किया, ताकि आईपीजीएल द्वारा संचालित चाबहार पत्तन को अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (आईएनएसटीसी) - जो मध्य एशियाई बाजारों को जोड़ता है, के लिंक के रूप में बढ़ावा दिया जा सके। इस आयोजन के दौरान, कई मध्य एशियाई और आईएनएसटीसी देशों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

सागरश्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार प्रदान किए गए

2.27 2022-23 के दौरान चुनिंदा परिचालन और वित्तीय मापदंडों पर उनके सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए महमहापत्तनों को पुरस्कार प्रदान किए गए। जिन पत्तनों ने उच्चतम वृद्धिशील सुधार दर्ज किए हैं, उन्हें भी सम्मानित किया गया और 2022-23 के दौरान उनके समग्र प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक दी गई। इन पुरस्कारों का उद्देश्य महापत्तनों के बीच निष्पक्ष और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना और उन्हें आने वाले वर्ष में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करना है। कार्गो हैंडलिंग, औसत टर्नअराउंड समय, शिपबर्थडे आउटपुट, बर्थ पर निष्क्रिय समय, परिचालन अनुपात और बर्थिंग से पहले की रोक के आधार पर समग्र वार्षिक प्रदर्शन के लिए पारादीप पत्तन को सर्वश्रेष्ठ पत्तन का पुरस्कार दिया गया।

सागर आंकलन दिशा-निर्देश

2.28 पीएसडब्ल्यू मंत्रालय ने अखिल भारतीय आधार पर अंतर-पत्तन तुलना के लिए लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (एलपीपीआई) की मैपिंग और आकलन के लिए वैश्विक रूप से अपनाई गई प्रक्रियाओं के आधार पर एक बेंचमार्किंग पद्धति विकसित की है। भारतीय पत्तनों की राष्ट्रीय बेंचमार्किंग के लिए "सागर आंकलन" पत्तनों की वार्षिक प्रदर्शन रैंकिंग के लिए दिशा-निर्देश फरवरी, 2024 में जारी किए गए थे।

अंतर्देशीय जल परिवहन

2.29 भारत विभिन्न अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) विकल्पों से संपन्न है, जिसमें नदियां, नहरें, बैकवाटर, खाड़ियां और ज्वारीय प्रवेश द्वार शामिल हैं। ये न केवल कम प्रचालन लागत (मैरीटाइम इंडिया विजन 2023 के अनुसार रेलवे से 30% कम और सड़क से 60% कम) के साथ परिवहन का एक प्रतिस्पर्धी वैकल्पिक माध्यम बनाते हैं, बल्कि माल ढुलाई और यात्री परिवहन का पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ माध्यम भी हैं। एक देशव्यापी जलमार्ग नेटवर्क बनाने के लिए और देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को रेल और सड़क परिवहन के एक किफायती, पर्यावरण अनुकूल पूरक माध्यम के रूप में बढ़ावा देने के लिए, 111 अंतर्देशीय जलमार्गों (पहले घोषित किए गए 5 राष्ट्रीय जलमार्गों सहित) को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) घोषित किया गया था।

M.V. Adishankara

2.30 रा. ज.-1, 2, 3 का विकास किया जा चुका है और इन राष्ट्रीय जलमार्गों पर जलयान चल रहे हैं। कृष्णा नदी के विजयवाड़ा-मुक्तयाला खंड (रा.ज.-4 का हिस्सा) में फेयरवे रखरखाव के साथ विकास कार्य शुरू किए गए हैं और चार फ्लोटिंग जेटी/पोंटून पूरे हो चुके हैं, जबकि तीन स्थायी टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण का काम आंध्र प्रदेश सरकार के साथ किया जा रहा है। ओडिशा में रा.ज.--5 के विकास के लिए जलीय सर्वेक्षण और इंजीनियरिंग अध्ययन शुरू किए गए हैं। रा.ज.--5 के लिए प्रासंगिक तकनीकी अध्ययन करने के लिए एनटीसीपीडब्ल्यूसी (आईआईटी, मद्रास) को लगाया गया है। इसके अलावा, ओडिशा में पीपीपी मोड पर रा.ज.--5 और रा.ज.--64 के विकास और संचालन के लिए एक लेनदेन सलाहकार भी लगाया गया है। इन 5 रा.ज. के अलावा 10 नए रा.ज. पर विकास गतिविधियाँ प्रगति पर हैं।

अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021

2.31 संसद ने दिनांक 02 अगस्त, 2021 को अंतर्देशीय जलयान विधेयक 2021 पारित किया, जिसका उद्देश्य 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 (1917 का 1) को प्रतिस्थापित करना और अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना है ताकि विधायी ढांचे को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाया जा सके और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जा सके। 12 अगस्त, 2021 को अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) अधिसूचित किया गया है। अधिनियम की धारा 1 और धारा 106, दिनांक 16 फरवरी, 2022 से प्रभावी हो गई हैं। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 2 से धारा 105 और धारा 107 से धारा 114 दिनांक 7 जून, 2022 से प्रभावी हो गई हैं।

2.32 पिछले अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के तहत राज्य-वार विनियमों के बजाय, पूरे देश में अंतर्देशीय जलयान पंजीकरण, प्रमाणन और विशिष्टताओं की एकीकृत व्यवस्था प्रभावकारी बनाने के लिए अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत नौ (09) नियम तैयार और अधिसूचित किए गए।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी)।

2.33 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) रा.ज.-1 (हल्दिया-वाराणसी जलखंड) पर नौचालन की क्षमता वृद्धि के लिए जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) कार्यान्वित कर रहा है, जिसकी अनुमानित लागत 5,369 करोड़ रु. है। जेएमवीपी को 3 जनवरी, 2018 को सीसीईए द्वारा अनुमोदित किया गया था। जेएमवीपी भारत में आईडब्ल्यूटी क्षेत्र के विकास की पहली अवसंरचना परियोजना है और इसे 5,061 करोड़ रु. की संशोधित लागत पर कार्यान्वित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जलमार्ग -1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) की क्षमता वृद्धि तथा 1500 से 2000 डीडब्ल्यूटी बार्जों के नौवहन के लिए परियोजना को वाराणसी से हल्दिया (1,390 किमी) तक कार्यान्वित किया जा रहा है।

Intermodal Terminal, Kalughat, Bihar

2.34 इस परियोजना के अंतर्गत वाराणसी (उत्तर प्रदेश), साहिबगंज (झारखंड) और हल्दिया (पश्चिम बंगाल) में नवीनतम तकनीकों और कार्गो हैंडलिंग उपकरण के साथ मल्टी मोडल टर्मिनल (एमएमटी) पूरे किए गए हैं। इस परियोजना के अंतर्गत कालूघाट (बिहार) में एक इंटरमोडल टर्मिनल भी बनाया गया है, जिसका उद्घाटन 15 फरवरी, 2024 को माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, फरक्का (पश्चिम बंगाल) में एक अत्याधुनिक नया नौचालन लॉक पूरा हो गया है और जलयानों के सुचारू और तीव्र निकासी को सक्षम करने के लिए चालू है। आईडब्ल्यूएआई ने राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में फेयरवे रखरखाव के लिए ड्रेजिंग प्रबंधन योजना विकसित की है और फेयरवे रखरखाव कार्य फरक्का से बाढ़ तक न्यूनतम सुनिश्चित गहराई (एलएडी) के आधार पर प्रगति पर है। योजना के अनुसार, इस खंड में 3 मीटर की गहराई बनाए रखी जा रही है। त्रिबेनी और फरक्का के बीच एलएडी आधार पर फेयरवे रखरखाव के करार सौंपे गए हैं। दीघा और मझुआ के जलखंड के बीच मात्रा आधारित ड्रेजिंग पर फेयरवे रखरखाव करार सौंपा गया है।

2.35 बाढ़-दीघा, मझुआ-गाजीपुर और गाजीपुर-वाराणसी के खंडों के लिए फेयरवे रखरखाव करार उन्नत निविदा चरण में हैं। जेएमवीपी के तहत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर कुशल जलयान आवागमन के लिए सूचना प्रसार हेतु नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) भी सौंपी गई है।

2.36 जेएमवीपी पूरी होने पर परिवहन का एक पूरक, लागत प्रभावी, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल साधन प्रदान करेगी, जिससे हितधारकों को परिवहन का एक बहुविध विकल्प मिलेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम किया जा सकेगा।

जल मार्ग विकास परियोजना -II (अर्थ गंगा)

2.37 जेएमवीपी का अर्थ गंगा कार्यक्रम दीर्घकालिक विकास मॉडल के सिद्धांतों के आधार पर विकसित किया जा रहा है जो रा.ज.-1 के पश्चभागों में और उसके आसपास आर्थिक कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करता है। तदनुसार, जेएमवीपी-II (अर्थ गंगा) की परिकल्पना 746 करोड़ रु. की अनुमानित लागत के साथ की गई थी, जिसे अब संशोधित करके 607.70 करोड़ रु. कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश (15), बिहार (21), झारखंड (03) और पश्चिम बंगाल (23) राज्यों में वाराणसी और हल्दिया के बीच गंगा नदी पर तीन समूहों में 150 करोड़ रु. की लागत पर कुल 62 सामुदायिक जेट्टियों का कार्य शुरू किया गया है जो नदी पार परिवहन हेतु नदी के निकट रहने वाली आबादी तक पहुंच प्रदान करेगी। उपरोक्त के अलावा जेएमवीपी (अर्थ-गंगा) की मुख्य उप-परियोजनाओं में नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) के प्रचालन और रखरखाव सहित फेयरवे और नेविगेशन सहायता, 17 स्थानों पर चैनल स्थिरीकरण कार्य और फरक्का पर मौजूदा नेविगेशन लॉक का आधुनिकीकरण शामिल है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए परियोजनाएं

2.38 सरकार द्वारा एनईआर में 1010 करोड़ रु. की कुल लागत पर आईडब्ल्यूटी अवसंरचना के विकास के लिए एक नए सिरे से प्रयास किया गया है। रा.ज.--2 के समग्र विकास के लिए वर्ष 2020-21 से 2024-25 हेतु एफएससी द्वारा अनुमोदित 461 करोड़ रु. की लागत को बढ़ाकर 474 करोड़ रु. कर दिया गया। रा.ज.--16 (बराक नदी) और आईबीपी मार्गों के समग्र विकास के लिए वर्ष 2020-21 से 2024-25 हेतु एफएससी द्वारा अनुमोदित 145 करोड़ रु. की लागत को भी बढ़ाकर 148 करोड़ रु. कर दिया गया। असम सरकार द्वारा पांडु पत्तन टर्मिनल से रा.ज.-27 (लागत 180 करोड़ रु.) तक एलिवेटेड एप्रोच रोड के विकास और पांडु, गुवाहाटी में पोत मरम्मत सुविधा के विकास (लागत 208 करोड़ रु.) के लिए नए डीआईबी मेमो को मंजूरी दी गई है।

नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

2.39 नए राष्ट्रीय जलमार्ग:

- 106 राष्ट्रीय जलमार्गों के लिए आयोजित तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता के परिणाम के आधार पर, 43 राष्ट्रीय जलमार्गों (कार्गो, यात्री और पर्यटन क्षमता वाले) को तकनीकी रूप से व्यवहार्य पाया गया है और इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार की जा रही हैं।

- 15 सर्वाधिक व्यवहार्य नए राष्ट्रीय जलमार्गों, अर्थात् बराक नदी (रा.ज.-16), कंबरजुआ नदी (रा.ज.-27), मंडोवी नदी (रा.ज.-68), जुआरी नदी (रा.ज.-111), काली नदी (रा.ज.-52), अलपुझा - कोट्टायम - अथिरमपुझा नहर (रा.ज.-9), अलपुझा - चंगनास्सेरी नहर (रा.ज.-8), घाघरा नदी (रा.ज.-40), रूपनारायण नदी (रा.ज.-86), सुंदरबन जलमार्ग (रा.ज.-97), धनसिरी नदी (रा.ज.-31), कोपली नदी (रा.ज.-57), अंबा नदी (रा.ज.-10), दाभोल क्रीक वसिस्ती नदी (रा.ज.-28) और इच्छामती नदी (रा.ज.-44)पर विकास गतिविधियां शुरू की गई हैं।

- क, ख और ग के वर्गीकरण के अनुसार विकास के लिए संभावित जलमार्गों पर विचार करते हुए, वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (4 वर्ष) के दौरान 267 करोड़ रु. की लागत से 23 के विकास (चरण-I) के लिए डीआईबी मेमो को मंत्रालय द्वारा 07 नवंबर, 2022 को अनुमोदित किया गया और 12 दिसंबर, 2022 को परिचालित किया गया। अनुमोदित डीआईबी मेमो के

अनुसार व्यवहार्य नए रा.ज. पर विकासात्मक गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है, जिसमें अप्रैल, 2022 से फेयरवे, टर्मिनल और नौचालन सहायता का वार्षिक रखरखाव; जलयानों का संचालन और रखरखाव, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण आदि शामिल हैं और मार्च, 2026 तक जारी / पूरा हो जाएगा।

- गुजरात के राष्ट्रीय जलमार्गों में आईडब्ल्यूटी यातायात का 24% हिस्सा है, जिसमें से अधिकांश रा.ज.-100 से निकलता है। गुजरात में नए राष्ट्रीय जलमार्गों (2 रा.ज. अर्थात रा.ज.-73 और रा.ज.-100) के विकास का प्रस्ताव किया गया है। आईडब्ल्यूएआई ने इन रा. ज. के पीपीपी मोड पर विकास के लिए ईओआई आमंत्रित किया है। आईडब्ल्यूएआई को इस ईओआई के लिए 4 बोलियाँ प्राप्त हुई हैं, बोलियों का विश्लेषण किया जा रहा है। इसके अलावा, नर्मदा नदी में 2 फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टी स्थापित करने के लिए निविदा भी जारी की गई है।

- महाराष्ट्र के राष्ट्रीय जलमार्ग आईडब्ल्यूटी यातायात में 52% का योगदान देते हैं। आईडब्ल्यूएआई ने महाराष्ट्र के राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.-10, रा.ज.-28, रा.ज.-91 और रा.ज.-53) के विकास की पहल की है और एक लेनदेन सलाहकार नियुक्त किया है। लेनदेन सलाहकार द्वारा प्रस्तुत मांग मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर, आईडब्ल्यूएआई ने रा.ज.-10 और रा.ज.-28 पर ओएमएम आधार पर रखरखाव ड्रेजिंग के लिए आरएफपी जारी किया है। रा.ज.-53 के लिए बोलियां भी जल्द ही जारी की जाएंगी।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो की आवाजाही

2.40 पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में जलमार्गों पर कुल यातायात 126.15 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) था, जो 2023-24 में बढ़कर 133.03 एमएमटी हो गया, जोकि पिछले वर्ष की तुलना में 5.45% की वृद्धि दर्ज करता है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 6.89 एमएमटी की आवाजाही की तुलना में यह वृद्धि 1830.77% है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किए गए कई मध्यवर्ती कार्यों और कार्गो प्रचार प्रयासों के परिणामस्वरूप, 24 राष्ट्रीय जलमार्ग प्रचालनरत किए गए हैं। भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गंगा नदी को असम में ब्रह्मपुत्र नदी से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण जमीनी प्रयास चल रहे हैं, जिससे लगभग 3,500 किलोमीटर का नौगम्य चैनल बन जाएगा। इससे न केवल भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के अंदरूनी इलाकों को शेष भारत से जोड़ा जा सकेगा, बल्कि हमारे पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ पारगमन और व्यापार को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी, जिससे हमारे माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लागू की गई भारत की एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती मिलेगी। भारत सरकार द्वारा गेहूं और गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध और फ्लाई ऐश के अलावा अन्य कार्गो के लिए बांग्लादेश द्वारा लेटर ऑफ क्रेडिट (एलओसी) जारी करने पर प्रतिबंध के कारण भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट पर यातायात 2022-23 में 5.20 एमएमटी से घटकर 2023-24 में 4.68 एमएमटी हो गया है।

भारतीय नौवहन निगम (एससीआई)

2.41 एससीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी "इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड" (आईसीएसएल) की स्थापना 29 सितंबर, 2016 को अंतर्देशीय जलमार्ग, तटीय नौवहन और एक छोर से आखिरी छोर तक लॉजिस्टिक्स के माध्यम से परिवहन सेवाएं प्रदान करने/शुरू करने के लिए की गई थी। बेयरबोट चार्टर के आधार पर अपने 3 मालवाहक जलयानों के संचालन और प्रबंधन के लिए आईसीएसएल द्वारा आईडब्ल्यूएआई के साथ 22 जनवरी 2021 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये जलयान राष्ट्रीय जलमार्गों पर चलेंगे और भारत के भीतरी इलाकों में सेवाएं देंगे। दो मालवाहक जलयानों को आईसीएसएल द्वारा क्रमशः जनवरी और फरवरी, 2021 में अपने अधीन कर लिया गया और आईडब्ल्यूएआई द्वारा तीसरे जलयान की मरम्मत का काम पूरा होने के बाद आईसीएसएल अपने अधीन कर लेगा। आईसीएसएल रा.ज.-1 (हल्दिया/कोलकाता से वाराणसी) और रा.ज.-2 (कोलकाता से ढुबरी/पांडु) में निर्धारित लाइनर सेवाएं स्थापित करने की प्रक्रिया में है।

2.42 एससीआई और आईडब्ल्यूएआई ने 11 मार्च, 2022 को आईडब्ल्यूएआई के स्वामित्व वाले 2 रो-रो जलयानों को अपने अधीन लेने के लिए एमओयू अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से रो-रो परिवहन को बढ़ावा देना है। सूचना के अनुसार, एक रो-रो जलयान एम.वी. गोपीनाथ बोरदोई को आईसीएसएल ने अपने अधीन ले लिया

और 29 अगस्त, 2023 को मैसर्स जीरिया कॉरपोरेशन को किराए पर दे दिया तथा दूसरे जलयान एम.वी. शंकर देव को जल्द ही आईसीएसएल द्वारा अपने अधीन ले लिया जाएगा।

2.43 राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की अपेक्षा है कि एससीआई, या इसका विनिवेश होने के मामले में, इसकी उत्तराधिकारी निजी संस्था द्वारा वर्ष 2027 तक कम से कम दो जलयानों को हरित हाइड्रोजन या किसी अन्य हरित हाइड्रोजन व्युत्पन्न ईंधन पर चलाने के लिए इनके पुर्जों का पुनः संयोजन (रेट्रोफिट) किया जाय। तदनुसार, एससीआई ने अपने बेड़े से 2 जलयानों को चिन्हित किया है, जिन्हें हरित हाइड्रोजन या हरित अमोनिया/ग्रीन मेथनॉल जैसे इसके व्युत्पन्न पर चलाने के लिए रेट्रोफिट किया जाना है। इस क्षेत्र में विकसित हो रही तकनीक के बारे में विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा चल रही है और हरित जलयानों के लिए कार्रवाई शुरू की जा रही है।

2.44 एससीआई ने नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) के समन्वय में दुनिया भर के हितधारकों को शामिल करते हुए तीन हाइब्रिड रोड शो आयोजित करके भारत के सबसे बड़े समुद्री कार्यक्रम जीएमआईएस के प्रचार और संगठन में सक्रिय रूप से भाग लिया। जीएमआईएस 2023 के दौरान, एससीआई ने लिनो लाइन्स, जापान, एचपीसीएल, एमआरपीएल, भारतीय नौसेना, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, टाटा एनवाईके शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर और वार्टसिला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रतिष्ठित व्यापार भागीदारों के साथ कुल 2425 करोड़ रु. के 07 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा, सीएमडी एससीआई ने जीएमआईएस 2023 के दौरान नाविकों के लिए एक विशेष सत्र भी बुलाया था, जो 19 अक्तूबर, 2023 को आयोजित किया गया था। इस सत्र की अध्यक्षता श्री धर्मेंद्र प्रधान, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री; और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री, भारत सरकार ने की।

एससीआई , सीएमडी द्वारा बुलाया गया जीएमआइएस नाविक सत्र

2.45 भारत सरकार के एक उन्नत समुद्री राष्ट्र बनने के विजन के अनुरूप, समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, पवई ने 2023-24 में निम्नलिखित श्रेणियों के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 314 पाठ्यक्रम आयोजित किए हैं:

समुद्री प्रशिक्षण संस्थान, पवई का हवाई दृश्य

क. नौवहन अधिकारियों के लिए 77 डीएनएस (टीएनओसी), पूर्व-समुद्री प्रशिक्षण;

ख. समुद्री इंजीनियर अधिकारियों के लिए 40 जीएमई (टीएमई) पूर्व-समुद्री प्रशिक्षण;

ग. विद्युत/इलेक्ट्रो-तकनीकी अधिकारियों के लिए 40 ईटीओ, पूर्व-समुद्री प्रशिक्षण; और

घ. विभिन्न एसटीसीडब्ल्यू/मॉड्यूलर और उद्योग की आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों में 4393 नाविक।

1988 में अपनी स्थापना के बाद से एमटीआई, पवई ने लगभग 1,86,984 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित किया है।

दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल)

2.46 डीजीएलएल एक आत्मनिर्भर संगठन होने के कारण यह भारत सरकार पर कोई बजटीय बोझ नहीं डालता है। संगठन प्रकाश प्रभार लगाकर अपना राजस्व एकत्र करता है। विकास संबंधी कार्यक्रमों (योजनागत और गैर-योजनागत) पर होने वाला डीजीएलएल का व्यय प्रकाश प्रभारों से पूरा किया जाता है। केंद्र सरकार, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता (एमएटूएन) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत में किसी भी पत्तन पर आने या वहां से जाने वाले सभी विदेशगामी पोतों पर एमएटूएन प्रभार लगाती है। प्रकाश प्रभार के संग्रह को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से प्रकाश प्रभारों के ऑनलाइन संग्रह हेतु एक नया ई-पोर्टल 24 जुलाई, 2020 को लॉन्च किया गया था, जिसे सीजीए, वित्त मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की सभी गैर-कर प्रकृति की ऑनलाइन प्राप्तियों के संग्रह के लिए विकसित किए गए एक केंद्रीय प्राप्ति गैर-कर रसीद पोर्टल (एनटीआरपी) "भारत कोष" के साथ एकीकृत किया गया है।

2.47 डीजीएलएल, प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 के अनुसार भारत के समुद्र तट के साथ नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायतायें स्थापित करता है और उनका रखरखाव करता है, जिसे नव अधिनियमित नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम, 2021 द्वारा निरस्त और प्रतिस्थापित किया गया है। नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, 2021 को लोकसभा ने 22 मार्च, 2021 को और राज्यसभा ने 27 जुलाई, 2021 को पारित किया था। राष्ट्रपति द्वारा 31 जुलाई, 2021 को सहमति देने के बाद इस अधिनियम को 02 अगस्त, 2021 को भारत के सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम 31 मार्च, 2022 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम पुराने प्रकाशस्तंभ अधिनियम, 1927 को प्रतिस्थापित करता है और इसमें नौचालन के लिए समुद्री सहायता के क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं, तकनीकी विकास और भारत के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को शामिल किया गया है। नया अधिनियम भारतीय तटरेखा के साथ समुद्री नौचालन और पोत यातायात सेवाओं के सामंजस्यपूर्ण और प्रभावी कामकाज की सुविधा प्रदान करेगा।

सरकारी ई-मार्केट प्लेस (जेम):

2.48 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, जेम पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय और उसके संगठनों द्वारा कुल खरीद लगभग 2754 करोड़ रु. रही है, जबकि लक्षित राशि 1624 करोड़ रु. थी। जब इसकी तुलना 2022-23 के दौरान 577 करोड़ रु. की खरीद से की जाती है, तो यह वृद्धि 377% होती है।

सागरमाला

माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल की अध्यक्षता में 18-19 अगस्त, 2023 को केवडिया, गुजरात में 19वीं समुद्री राज्य विकास परिषद (एमएसडीसी) की बैठक

परिचय- सागरमाला कार्यक्रम

3.1 भारत में समुद्री क्षेत्र देश के व्यापार की रीढ़ रहा है और पिछले कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ गया है। भारत की 7,517 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्गों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान का दोहन करने के लिए, भारत सरकार ने महत्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम शुरू किया है जिसका उद्देश्य देश में पत्तन आधारित विकास को बढ़ावा देना है। सागरमाला की अवधारणा को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 मार्च, 2015 को मंजूरी दी थी।

3.2 सागरमाला का विजन घरेलू और एक्जिम कार्गो दोनों के लिए न्यूनतम अवसंरचना ढांचा निवेश के साथ रसद लागत को कम करना है। सागरमाला के तहत किए गए अध्ययनों में समग्र रसद लागत को कम करने के अवसरों की पहचान की गई है, जिससे अर्थव्यवस्था की समग्र दक्षता में सुधार और निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि हुई है।

सागरमाला
पत्तन-आधारित समृद्धि

सागरमाला के तहत परियोजनाओं का सारांश

3.3 वर्ष 2035 तक सागरमाला कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए ~ 5.79 लाख करोड़ रुपए के निवेश की 839 परियोजनाएं हैं। इनमें से ~1.4 लाख करोड़ रुपए की लागत की 262 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 1.65 लाख करोड़ रुपए के मूल्य की 217 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। उपरोक्त के अलावा, ~2.74 लाख करोड़ रुपए की 360 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों, महापत्तनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। एमआईएस टूल से परियोजनाओं की नियमित निगरानी और परियोजना प्रस्तावकों, विभिन्न मुख्य मंत्रालयों और कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बातचीत की जा रही है। इन परियोजनाओं को पांच स्तंभों में वर्गीकृत किया गया है - पत्तन आधुनिकीकरण, पत्तन संपर्कता, पत्तन आधारित औद्योगीकरण, तटीय सामुदायिक विकास और तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन। तटीय जिलों के समग्र विकास के अधीन लगभग ~58,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की कुल 567 परियोजनाओं की पहचान की गई है।

पूरी की गई			कार्यान्वयन के अधीन		विकास के अधीन		कुल योग	
स्तंभ	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
पत्तन आधुनिकीकरण	98	32,066	62	76,561	74	1,82,652	234	2,91,279
पत्तन संपर्कता	91	57,997	57	68,010	131	80,366	279	2,06,373
पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण	9	45,865	3	9,247	2	625	14	55,737
तटीय समुदाय विकास	21	1,559	32	6,166	28	3,847	81	11,572
तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन	43	2,956	63	4,665	125	6,980	231	14,601
कुल योग	**262**	**1,40,443**	**217**	**1,64,649**	**360**	**2,74,470**	**839**	**5,79,562**

3.4 पिछले कुछ वर्षों में, सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लागत और समय को कम करने और व्यापार करने को आसान बनाने के लिए कई आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और डिजिटल परिवर्तन के उपाय किए हैं। मंत्रालय सुविचारित अवसंरचना ढांचा विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन, समय और लागत में कटौती के लिए सिफारिशों के पैकेज के कार्यान्वयन के माध्यम से पत्तन संचालन की दक्षता में वृद्धि करने, मानव इंटरफेस को कम करने और अंततः खत्म करने हेतु प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और पर्यावरण से संबंधित चिंताओं का दृढ़ता से समाधान करने के माध्यम से पत्तन क्षमता के विस्तार की योजना बना रहा है।

3.5 सागरमाला के बजट शीर्ष के अंतर्गत ~11,700 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 176 परियोजनाएं ~4,770 करोड़ की वित्तीय सहायता के साथ स्वीकृत की गई हैं। सागरमाला के तहत स्वीकृत कुल 176 परियोजनाओं में से ~3,965.86 करोड़ रुपए के मूल्य वाली 61 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और ~5,300 करोड़ रुपए की 62 परियोजनाएं सौंपी गई है और ये कार्यान्वित की

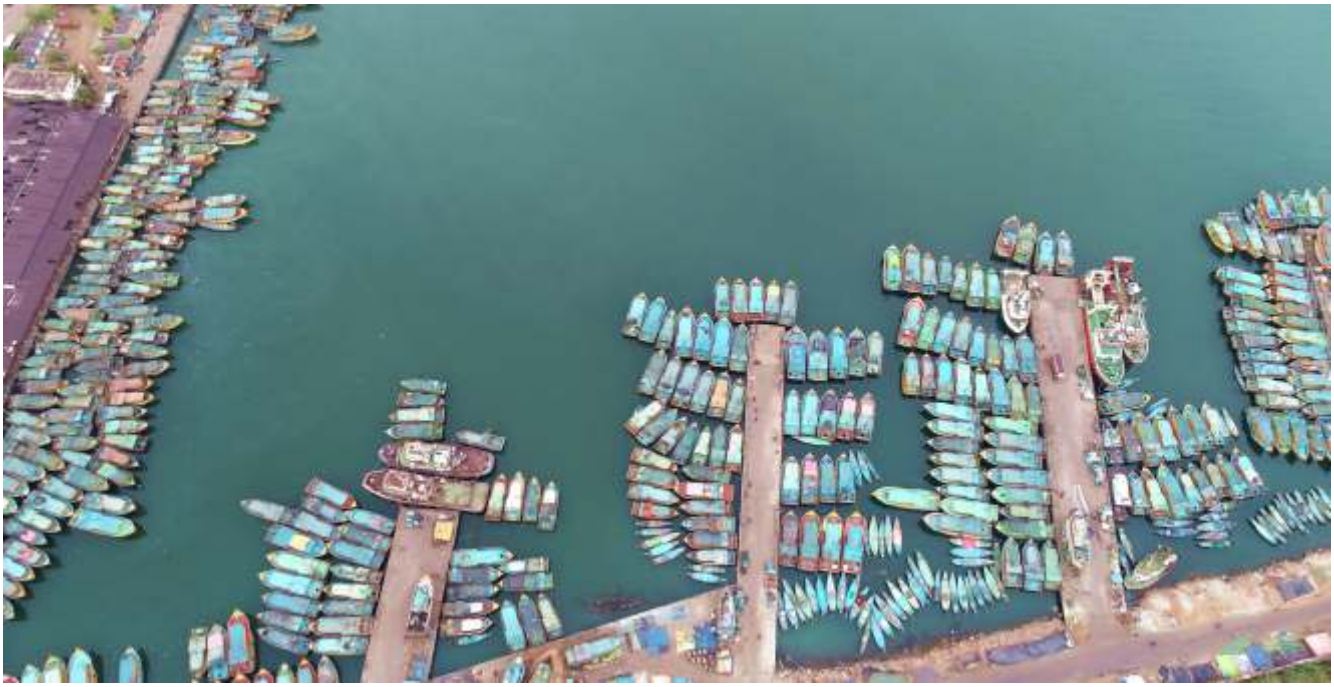

चिन्नामुत्तोम मछली पकड़ने का पत्तन, कन्याकुमारी

जा रही हैं। शेष परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। ये परियोजनाएं शहरी जल परिवहन, मछली पकड़ने के पत्तन और तटीय समुदाय के कौशल विकास के साथ-साथ भारतीय पत्तनों पर क्षमता वृद्धि, संपर्कता अवसंरचना में सुधार, रो-रो और पर्यटन जेट्टियों जैसे समुद्री क्षेत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं।

3.6 वर्ष 2023-24 में पूरी की गई प्रमुख परियोजनाओं में चेन्नै पत्तन में भराथी डॉक पर बंकर बर्थ, कुडालोर पत्तन पर प्रवेश चैनल के उत्तर और दक्षिण में ब्रेकवॉटर तथा कैपिटल ड्रेजिंग, पुदुच्चेरी पत्तन के लिए कैपिटल ड्रेजिंग, हजीरा में रो-पैक्स सुविधा, बर्थ 5, 6, 7, 8 और 9 को मुरगांव पत्तन पर नए प्रवेश/ निकास सड़क के साथ जोड़ने वाली 12 मीटर चौड़ी पक्की सड़क और कोलकात्ता डॉक में व्यापार और पत्तन प्रयोक्ताओं की सुविधा के लिए सड़क संपर्कता में सुधार चरण-2 शामिल है।

चेन्नै पत्तन में भराथी डॉक पर बंकर बर्थ

पत्तन आधुनिकीकरण

3.7 सागरमाला के तहत भारतीय पत्तनों के आधुनिकीकरण पर विशेष जोर देते हुए, 2035 तक क्रियान्वित किए जाने के लिए ~2.91 लाख करोड़ रुपए की लागत से कुल 234 परियोजनाओं को शुरू किया गया है। जिनमें से, 32,066 करोड़ रुपए की 98 परियोजनाएं पूरी की गई हैं, 76,561 करोड़ रुपए के मूल्य की 62 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त, 1,82,652 करोड़ रुपए के मूल्य की 74 परियोजनाएं विकास के अधीन हैं। आधुनिकीकरण स्तंभ के तहत इन परियोजनाओं को आगे 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है - नए पत्तन, पत्तन आधुनिकीकरण - महापत्तन, पत्तन आधुनिकीकरण - गैर-महापत्तन और पोत मरम्मत परियोजनाएं।

3.8 भारत में महापत्तनों पर ~1.63 लाख करोड़ रुपए की 170 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। सागरमाला कार्यक्रम के तहत किए गए विस्तृत मास्टर प्लानिंग प्रक्रिया के माध्यम से इस श्रेणी के तहत परियोजनाओं की बड़े पैमाने पर पहचान की गई है। 170 परियोजनाओं में से ~26,500 करोड़ रुपए की 93 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा, ~22,000 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाएं सौंपी गई हैं और कार्यान्वित की जा रही हैं। ~1.14 लाख करोड़ मूल्य वाली शेष 41 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

3.9 गैर-महापत्तनों पर कार्यान्वयन के लिए सागरमाला कार्यक्रम के तहत ~80,500 करोड़ रुपए की 57 परियोजनाओं की पहचान की गई है। अब तक ~5,500 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि ~52,000 करोड़ रुपए की 23 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। ~23,000 करोड़ रुपए की शेष 29 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। गैर-महापत्तनों पर कई परियोजनाओं को संचालन के दौरान उनकी क्षमता और दक्षता बढ़ाने के लिए मंत्रालय भी वित्तीय सहायता दे रहा है। कुड्डालोर पत्तन पर ब्रेकवाटर के निर्माण और ड्रेजिंग की परियोजना पूरी हो गई है। पुदुच्चेरी पत्तन पर ड्रेजिंग कार्य 100 प्रतिशत सागरमाला के तहत समर्थित है और पुराने मंगलुरु पत्तन, कारवार और दीव में तटीय बर्थों की योजना बनाई गई है।

शांति सागर 17 – हजीरा पत्तन पर ड्रेजर

पत्तन संपर्कता

3.10 सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत पत्तन संपर्कता के समर्पित स्तंभ के तहत रेल, सड़क, पाइपलाइन, एमएमएलपी के माध्यम से पत्तनों और घरेलू उत्पादन और खपत केंद्रों के बीच संपर्कता की पहचान की गई है और यह कुल ~2.06 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 279 परियोजनाओं से युक्त एक समर्पित स्तंभ है, और इसका कार्यान्वयन, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। इनमें से 57,977 करोड़ रुपए मूल्य की 91 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं और 68,010 करोड़ रुपए मूल्य की 57 परियोजनाएं सौंपी गई हैं और कार्यान्वयन के स्तर पर हैं। 80,366 करोड़ रुपए मूल्य की शेष 131 परियोजनाएं विकास के अधीन हैं। इन परियोजनाओं में ऐसी नई अवसंरचना अंतर परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें एमओपीएसडब्ल्यू, एमओआर, एमओआरटीएच और राज्य मैरीटाइम बोर्डों के परामर्श से पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के तहत तैयार व्यापक पत्तन संपर्कता प्लान (सीपीसीपी) के एक हिस्से के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है। सीपीसीपी के अंतर्गत कुल 100+ नई सड़क और रेल संपर्कता अवसंरचना अंतरालों की पहचान की गई है।

पत्तन संपर्कता के लिए अंतिम मील रेल अवसंरचना

3.11 सागरमाला के अंतर्गत 114 रेल संपर्कता परियोजनाएं हैं, जिन्हें भारतीय रेल, महापत्तनों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इनमें से ~2,900 कि.मी. के रेलमार्ग को जोड़ते हुए ~43,000 करोड़ रुपए की लागत की 58 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और ~25,000 करोड़ रुपए की लागत की 18 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ~33,000 करोड़ रुपए की 38 परियोजनाएं विकास के अधीन है। इन परियोजनाओं से पत्तन, रेल और सड़क संपर्क को एकीकृत करने में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप एक्जिम व्यापार के लिए रसद लागत में कमी आएगी।

3.12 सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 152 पत्तन-सड़क संपर्कता परियोजनाओं की पहचान की गई है। जिनका कार्यान्वयन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, महापत्तनों और राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है। इनमें से ~9,600 करोड़ रुपए के मूल्य की 26 परियोजनाएं ~500 कि.मी. के सड़क मार्ग को जोड़ते हुए पूरी हो चुकी हैं और ~42,000 करोड़ रुपए की 36 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त ~46,000 करोड़ रुपए मूल्य की 90 परियोजनाएं विकास के अधीन हैं।

3.13 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा 'पत्तनों की औद्योगिक नोडों के साथ संपर्कता पर रिपोर्ट' तैयार की गई है जिसमें पत्तनों की तुलना में एनआईसीडीआईटी के तहत विभिन्न औद्योगिक कॉरीडोरों के अंतर्गत मौजूदा और भावी नोडों की कनेक्टिविटी का आकलन और अंतर विश्लेषण किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रस्तावित परियोजनाओं के संबंध में आगे की कार्रवाई के अनुरोध के साथ अक्तूबर, 2023 में इस रिपोर्ट को रेल मंत्रालय और सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ साझा किया गया था।

पत्तन आधारित औद्योगीकरण

3.14 पत्तन आधारित औद्योगीकरण, पत्तनों पर उद्योगों को स्थापित कर रसद लागत को कम करने पर केंद्रित है। सागरमाला के तहत कार्यान्वयन के लिए 55,737 करोड़ रुपए की कुल 14 परियोजनाओं की पहचान की गई है। जिनमें से 45,865 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 9872 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के चरणों में हैं। इन परियोजनाओं को आगे 3 श्रेणियों में बांटा गया है - औद्योगिक क्लस्टर, स्मार्ट औद्योगिक पोर्ट सिटी (एसआईपीसी), विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और थर्मल पावर प्लांट।

तटीय सामुदायिक विकास

3.15 तटीय समुदाय को सागरमाला कार्यक्रम के प्रमुख हितधारकों में से एक माना जाता है और इसलिए उनकी सामाजिक-आर्थिक भलाई सुनिश्चित करने पर विचार करना प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। 11,572 करोड़ रुपए की लागत से कार्यान्वयन के लिए 81 परियोजनाएं शुरू की गई हैं। जिनमें से 1,559 करोड़ रुपए लागत वाली 21 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 10,013 करोड़ रुपए की 60 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

3.16 ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) और एमओपीएसडब्ल्यू ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) सागरमाला सहयोग कार्यक्रम के तहत तटीय आबादी के कौशल विकास के लिए हुए एक समझौता ज्ञापन का नवीकरण किया है। इस सहयोग के तहत मंत्रालय द्वारा संपूर्ण वित्तपोषण सहायता प्रदान की जा रही है जबकि कार्यान्वयन और प्रबंधन एमओआरडी द्वारा किया जा रहा है। इस अभिसरण के तहत 5900 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर (एमएसडीसी) पहले से ही जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपी) में काम कर रहा है। इस केंद्र में 2300 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मैरीटाइम एंड शिपबिल्डिंग (सीईएमएस), एशिया में अपनी तरह का पहला, कुल 24 प्रयोगशालाओं (आईआरएस मुंबई में 6 प्रयोगशालाएं और विशाखापट्टणम में भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय परिसर में 18) के साथ दो परिसर वाला संस्थान है। यह संस्थान इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और स्नातक छात्रों के लिए अपने परिसरों में 50 पाठ्यक्रम प्रदान करता है। संस्थान ने 13,000 से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है।

3.17 सागरमाला कार्यक्रम के तहत 6,540 करोड़ रुपए मूल्य की 37 मत्स्यपालन पत्तन परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। एमओपीएसडब्ल्यू, 3,700 करोड़ रुपए की 26 मछली पकड़ने वाली बंदरगाह परियोजनाओं का आंशिक वित्तपोषण कर रहा है

और 960 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। 144.5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वाली 26 परियोजनाओं में से 9 पूरी हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, कोच्चि, चेन्नै, विशाखापट्टणम, पारादीप और मैलेट बंदर जैसे महापत्तनों से सटे 5 मछली पकड़ने के पत्तनों को आधुनिकीकरण और उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई है। 37 फिशिंग हार्बर परियोजनाओं में से 640 करोड़ रुपए की 10 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 5,900 करोड़ रुपए की लागत वाली 27 परियोजनाएं कार्यान्वयन और विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी, कर्नाटक और केरल में फ्लोटिंग जेट्टी के पहले चरण के कार्यान्वयन के लिए 50 स्थानों की पहचान की गई।

विशाखापट्टणम, आंध्र प्रदेश में मछली पकड़ने का बंदरगाह

राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय, लोथल

3.18 भारत की एक समृद्ध समुदी विरासत है और प्रारंभिक समुद्री साक्ष्य लगभग 4,500 वर्षों का है। भारत की समृद्ध और विविधता पूर्ण समुद्री विरासत को प्रदर्शित करने के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने अहमदाबाद के निकट लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास की परिकल्पना की है। लोथल, गुजरात में 2400 ई. पूर्व पारंपरिक हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक है। एनएमएचसी, न केवल भारत के प्राचीन से आधुनिक समय तक के सभी विविध और जीवंत कलाकृतियों को संरक्षित करेगा बल्कि जनता को भी प्रेरित और जागरूक करेगा और हमारी विख्यात समुद्री विरासत के बारे में उनको जानकारी प्रदान करेगा।

3.19 एनएमएचसी परियोजना की परिकल्पना विश्व के एक विशालत्तम परिसर के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य इसे एक विश्व-स्तरीय और अनूठे परिसर के रूप में विकसित करना है जिसमें विगत, वर्तमान और भविष्य की समुद्री गतिविधियों का एकीकरण, संवादमूलक और अनुभवजन्य सम्यक शिक्षा के माध्यम से शिक्षाप्रद मनोरंजन, लोथल की वास्तुकला के यथार्थ आकार का प्रदर्शन होगा। एनएमएचसी परियोजना के संघटकों में 14 दीर्घाओं के साथ एनएमएचसी संग्रहालय, लोथल शहर और ओपन अक्वैटिक गैलरी, दीपस्तंभ संग्रहालय, बागीचा परिसर, तटीय राज्य पेवेलियन और रिक्रिएशन ऑफ लोथल सिटी, ईको-रिसोर्टस और संग्रहालय, थीम आधारित पार्क, समुद्री अनुसंधान संस्थान और छात्रावास इत्यादि शामिल हैं। एनएमएचसी परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी अपितु इससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजन होगा और क्षेत्र के स्थानीय व्यापारों को भी बढ़ावा मिलेगा।

3.20 परियोजना की आधारशिला, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा मार्च, 2019 में रखी गई थी। एमओपीएसडब्ल्यू ने भारतीय पत्तन संघ को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है, वहीं भारतीय पत्तन रेल निगम लि. (आईपीआरसीएल) को परियोजना की कार्यकरण एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। परियोजना का मास्टर प्लान विख्यात वास्तुकार फर्म आर्किटेक्ट हफीज़ कंट्रेक्टर द्वारा तैयार किया गया है और चरण-1ए का निर्माण कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लि. को सौंपा गया है। गुजरात सरकार ने परियोजना विकास के लिए 400 एकड़ का भूखंड प्रदान किया है और साथ ही परियोजना की बाह्य संरचना तथा आधारभूत आंतरिक अवसंरचना के हिस्से का विकास कार्य शुरू कर दिया है। वर्तमान में, एनएमएचसी के चरण-1ए का कार्य लगभग 50% पूरा हो गया है और सितंबर, 2025 तक इसे पूरा किए जाने की योजना है।

तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन

3.21 सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत एमओपीएसडब्ल्यू का उद्देश्य देश में शहरी जलमार्ग यात्री परिवहन (रो-पैक्स/ यात्री फेरी सेवा) ईको पद्धति को बढ़ावा देना है। यह परिवहन पद्धति अन्य परिवहन माध्यमों के लिए भी अनेक प्रकार से लाभदायक सिद्ध हुई है जैसे कि कार्गो डिलीवरी में सुधार और यात्री यात्रा-समय में कमी, दुर्घटना जोखिम में कमी, संचालन गति में सुधार, कम लागत परिवहन, न्यूनतर ईंधन खपत, सड़कों और रेल पर कम यातायात, वायु, शोर और भूमि प्रदूषण में कमी के साथ-साथ यात्रियों और वाहनों को निर्बाध यात्रा का लाभ प्रदान करना।

3.22 सागरमाला के अंतर्गत 57 विभिन्न स्थानों पर 2,066 करोड़ रुपए के मूल्य की 63 परियोजनाएं हैं जिनमें से 9 स्थानों पर 527 करोड़ रुपए के मूल्य की 13 परियोजनाएं पहले ही पूरी हो गई हैं। उनमें से चार (04) लोकेशन प्रचालनात्मक हैं नामत: गुजरात राज्य में हजीरा और महाराष्ट्र में मांडवा, कन्होजी आंग्रे द्वीप तथा बेलापुर। महाराष्ट्र राज्य में प्रचालनात्मक टर्मिनलों से एलीफेंटा द्वीपों, नवी मुंबई, जेएनपीए और डीसीटी मुंबई तक के मार्ग सुगम हो गए हैं।

घोघा-हजीरा फेरी सेवा

3.23 रो-पैक्स और यात्री फेरी सेवा के संचालन से यात्रा समय घट कर मुबंई-मांडवा मार्ग पर 3 घंटे से 45 मिनट तथा, बेलापुर-एलीफेंटा द्वीप मार्ग पर 2:15 घंटे से 30 मिनट, बेलापुर- जेएनपीए पर 45 मिनट से 30 मिनट, बेलापुर-मुंबई पर 1:30 घंटे से 20 मिनट, बेलापुर-मांडवा पर 2 घंटे से 45 मिनट तथा हाजिरा-घोघा पर 10 घंटे से 4 घंटे हो गया है। इस सेवा से 30 लाख से अधिक यात्रियों को लाभ पहुंचा है, 5 लाख से अधिक यात्री वाहनों और एक लाख कार्गो वहन करने वाले ट्रकों का यातायात हुआ और परिणामस्वरूप, 2 करोड़ लीटर ईंधन तथा लगभग 44 एमटी कार्बन उत्सर्जन की बचत हुई। इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं से क्षेत्र में पक्षी-दर्शन (फ्लैमिंगो) और वॉटर सपोर्टस जैसी गतिविधियां होने से पर्यटन को मौका मिला है।

3.24 इसके अलावा, 2,139 करोड़ रुपए की 18 परियोजनाएं हैं जो कार्गो के तटीय संचालन के लिए अवसंरचना ढांचा प्रदान करने पर केंद्रित हैं। 321 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, वर्तमान में पांच परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और 8 और परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान

3.25 पीएम गति शक्ति के तहत, पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय ने 2025 तक कार्यान्वयन के लिए 61,000 करोड़ रुपए की 101 परियोजनाओं की पहचान की है। इनमें से 14,000 करोड़ रुपए की 35 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, 35,000 करोड़ रुपए की 29 परियोजनाएं कार्यान्वयन के चरण में हैं और 12,000 करोड़ रुपए की शेष 37 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में हैं। 101 एमओपीएसडब्ल्यू गति शक्ति परियोजनाओं में से 57 परियोजनाएं महापत्तनों से हैं और 44 परियोजनाएं राज्यों से हैं। इन परियोजनाओं ने कार्गो की तेज और कुशल आवाजाही में सहायता प्रदान की है, जिससे रसद लागत में समग्र रूप से कमी आई है।

चेन्नै पत्तन

द्वीप विकास

3.26 एमओपीएसडब्ल्यू ने लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 4246 करोड़ रुपए के मूल्य की 26 परियोजनाएं शुरू की है। इन 26 परियोजनाओं में से 13 करोड़ रुपए के मूल्य की 1 परियोजना पूरी हो गई है और 149 करोड़ रुपए के मूल्य की 2 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं और 4102 करोड़ रुपए के मूल्य की शेष 23 परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों के अंतर्गत हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय समुदायों को अनेक प्रकार के सामाजिक-आर्थिक लाभ होंगे और इससे आर्थिक प्रगति, पर्यटन को बढ़ावा, आजीविका में सुधार, संपर्कता में विस्तार, स्थायी विकास और सांस्कृतिक संरक्षण मिलेगा। समग्रत: द्वीप विकास पहलों से अधिक लचीले, समावेशी और समृद्ध समाज के सृजन की संभावनाएं हैं जो निवासियों और पर्यटकों दोंनो के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी।

3.27 गलाथिया खाड़ी, ग्रेट निकोबार द्वीप पर आईसीटीपी - नीति आयोग द्वारा किए जाने वाले समग्र विकास की पहल का एक हिस्सा है, जिसमें चार परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिसमें आईसीटीपी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, टाउनशिप और पॉवर प्लांट शामिल है। इस टर्मिनल की अनूठी विशेषता इसकी नैसर्गिक जल गहराई है जो बिना गहन ड्रेजिंग के बड़े कंटेनर पोतों के लिए उपयुक्त है। मलाक्का स्ट्रेट के निकट स्थित आईसीटीपी का उद्देश्य बंगाल की खाड़ी के पत्तनों को पड़ोसी देशों के साथ कनेक्ट करते हुए एक क्षेत्रीय हब के रूप में सेवा प्रदान करता है। नवंबर, 2022 में पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त हो गई थी और एक उच्च स्तरीय समिति इसके कार्यान्वयन का अवलोकन करती है।

3.28 आईसीटीपी को महापत्तनों और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड (एएनआईआईडीसीओ) के एक विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) के माध्यम से एक महापत्तन के रूप में प्रस्तावित किया गया है। परियोजना की अनुमानित लागत 43,797 करोड़ रुपए है और इसे चार (04) चरणों में विकसित किया जाएगा जिसमें चरण-1 में वर्ष 2028 तक 4 मिलियन 20 फुट समकक्ष यूनिट (एमटीईयू) का लक्ष्य रखा गया है। डीपीआर पहले ही तैयार कर ली गई है और परियोजना, मूल्यांकन की प्रक्रिया में है। वर्ष, 2024 में प्रत्याशित ईपीसी निविदाओं के चलते पत्तन भू-स्वामी पद्धति में प्रचालन के लिए तैयार है जिसमें अपफ्रंट अवसंरचना निवेश एसपीवी द्वारा और कार्गो हैंडलिंग अवसंरचना पीपीपी प्रचालकों द्वारा की जाएगी।

प्रस्तावित आईसीटीपी का मास्टर प्लान

पत्तन

विशाखापट्टणम पत्तन

परिचय

4.1 पत्तन समुद्री परिवहन और भूमि आधारित परिवहन के बीच एक इंटरफेस प्रदान करते हैं। भारत में 12 सरकारी स्वामित्व वाले महापत्तन हैं जिनमें से 6 पूर्वी तट पर और 6 पश्चिमी तट पर स्थित हैं।

भारत के 12 महापत्तन दर्शाते हुए मानचित्र

भारत के महापत्तन

दीनदयाल पत्तन (कांडला)

4.2 वर्ष 1950 में, केंद्र सरकार ने कंडला के छोटे पत्तन को औपचारिक रूप से भारत के एक महापत्तन के रूप में विकसित करने के लिए अपने कब्जे में ले लिया। कंडला के नए महापत्तन की नींव भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 10 जनवरी, 1952 को रखी थी। कंडला पत्तन को 8 अप्रैल, 1955 को तत्कालीन परिवहन मंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा भारत का महापत्तन घोषित किया गया था। भारत सरकार ने 25 सितंबर, 2017 से इसका नाम बदलकर दीनदयाल पत्तन कर दिया।

4.3 कंडला से सड़क मार्ग से लगभग 300 किलोमीटर और समुद्र से 50 समुद्री मील की दूरी पर देव भूमि द्वारका जिले में स्थित वाडीनार में अपतटीय तेल टर्मिनल के उल्लेख के बिना पत्तन का इतिहास अधूरा होगा।

4.4 दीनदयाल पत्तन बहु-कार्गो पत्तन है। इसमें सीधी रेखा में 3.718 (लगभग) किलोमीटर की कुल लंबाई के साथ 16 ड्राई कार्गो बर्थें हैं और पीओएल और रसायनों के संचालन के लिए 7 ऑयल जेट्टी और 2 कंटेनर टर्मिनल हैं। वाडिनार में तीन एकल बोया मूरिंग हैं जो प्रति घंटे 10,000 टन की अधिकतम पम्पिंग क्षमता वाले बहुत बड़े कच्चे तेल के जलयानों को संभाल सकते हैं। पत्तन ने 2022-23 के दौरान 137.56 एमएमटी और वर्ष 2023-24 के दौरान 132.37 एमएमटी का यातायात हैंडल किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- **टूना टेकरा में कंटेनर टर्मिनल का विकास :** 4,539.84 करोड़ रु. की लागत से "टूना-टेकरा, दीदयाल पत्तन में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (पीपीपी) मोड के तहत निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बीओटी) आधार पर कंटेनर टर्मिनल के विकास" और 2.19 एमटीईयू की डिजाइन क्षमता के लिए 25 अगस्त, 2023 को दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण और मैसर्स हिन्दुस्तान गेटवे कंटेनर टर्मिनल कांडला प्राइवेट लिमिटेड के बीच रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना

माननीय प्रधानमंत्री ने 17 अक्तूबर, 2023 को टूना-टेकरा में कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला रखी

शुरू होने पर, यह कंटेनर कार्गो यातायात में भविष्य की वृद्धि को पूरा करेगा। इस कंटेनर टर्मिनल का निर्माण न केवल समुद्री अवसंरचना में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि सतत विकास, आर्थिक विकास और वैश्विक संपर्कता के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है। यह राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का हिस्सा है और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जैसी भारत सरकार की पहलों का पूरक होगा।

- दीनदयाल पत्तन ने 30 मई, 2023 को कांडला के कच्छ साल्ट जंक्शन (एलसी236) में 272.69 करोड़ रु. के रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस परियोजना को लेवल क्रॉसिंग पर वाहनों का यातायात अवरुद्ध जाने की समस्या को दूर करने के लिए विकसित किया गया था। इंटरचेंज सह रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण एनएच 141 पर एलसी 236 (कच्छ साल्ट जंक्शन) में किया गया है, जिसकी कुल लंबाई 14.892 कि.मी. है।

- कांडला में 2 एमएमटीपीए की डिजाइन क्षमता के साथ तेल जेट्टी 7 का पूरा होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो पत्तन को दक्षता, स्थिरता और आर्थिक समृद्धि के नए युग में ले जाती है। जैसे-जैसे हम भविष्य में आगे बढ़ेंगे, यह माइलस्टोन परियोजना समुद्री अवसंरचना में उत्कृष्टता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। पीएसएंडडब्ल्यू के माननीय मंत्री ने 23 जनवरी, 2023 को 72 करोड़ रु. की "ओल्ड कांडला में तेल जेट्टी नंबर 7" परियोजना का उद्घाटन किया।

- 14 नवंबर, 2023 को 27.76 करोड़ रु. की कार्गो जेट्टी के अंदर 66 हेक्टेयर क्षेत्र में प्लॉट नंबर सी1 से सी6 और एसडब्ल्यूडी का उन्नयन सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। यह उचित कैम्बर देकर कार्गो भंडारण/ हैंडलिंग के लिए एक स्तर का प्लैटफ़ार्म प्रदान करेगा जो भूखंडों में पानी जमा होने से रोकेगा और भूखंडों से ढाल के अनुसार वांछित ढाल का पालन करते हुए इसे खाली करने का रास्ता देगा।
- जून, 2023 में 7.27 करोड़ रु. के मूल्य की कार्गो बर्थ सं. 8 और 9 की रीट्रोफिटिंग (पैनेल सं. 66 से 76) सफलतापूर्वक पूरी की गई। यह संरचना के जीवनकाल को 15 से 20 वर्षों तक बढ़ाएगा, डेक लाइव लोड को 35 केपीए से बढ़ाकर 50 केपीए करेगा, जिससे इसे 75,000 डीडब्ल्यूटी तक के बड़े जलयानों को समायोजित करने और भारी मोबाइल क्रेन (120टी) के निर्बाध संचालन की सुविधा मिलेगी।
- डीपीए को इंडिया मैरीटाइम अवार्ड्स 2023 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पत्तन (गैर-कंटेनरीकृत) का पुरस्कार दिया गया।

मुंबई पत्तन

4.5 मुंबई पत्तन, भारत में कोलकाता के बाद दूसरा सबसे प्राचीन महापत्तन है। यह पत्तन काफी लम्बे समय तक भारत का मुख्य प्रवेश द्वार रहा है। सामरिक अवस्थिति इसके पक्ष में एक महत्वपूर्ण कारक है। यह भारत के पश्चिमी तट के साथ इसके मध्य में स्थित है और यहां प्रकृति के उपहार स्वरूप 400 वर्ग कि.मी. का एक प्राकृतिक गहरे जल वाला पत्तन है जो इसके पूर्व में कोंकण मुख्य भूमि तथा पश्चिम में मुंबई की मुख्य भूमि से संरक्षित है। पत्तन में गहरा जल पूरे वर्ष के दौरान नौवहन के लिए सुरक्षित एवं प्रचुर अवसर प्रदान करता है।

4.6 मूल रूप से एक सामान्य कार्गो पत्तन, आज मुंबई पत्तन बहुउद्देश्यीय पत्तन है जो सभी प्रकार के कार्गो जैसे ब्रेक बल्क, ड्राई बल्क, लिक्विड बल्क और कंटेनरों को संभालता है। पत्तन का उपयोग करने वाले जलयानों की सामान्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पत्तन में व्यापक गीला और सूखा डॉक स्थान है। पत्तन पायलटेज से लेकर बर्थिंग, भंडारण से लेकर कार्गो की डिलीवरी तक और कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस) चलाने की सहायक सेवाएं, पत्तन रेलवे के साथ-साथ शिल्प, उपकरण और भवन के रखरखाव की सेवाएं/ सुविधाएं प्रदान करता है।

4.7 पत्तन में 83.85 एमएमटीपीए की प्रभावी रेटेड क्षमता के साथ 33 बर्थ (ओसीटी सहित) हैं। पत्तन ने 2022-23 के दौरान 63.61 एमएमटी और 2023-24 के दौरान 67.26 एमएमटी का यातायात हैंडल किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

मुंबई पत्तन

- मुंबई पत्तन ने वर्ष 2023-24 में 67.26 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) का अपना अब तक का सबसे अधिक यातायात हैंडल किया, जो पिछले वित्त वर्ष के 63.61 एमएमटी की तुलना में 5.74% की वृद्धि दर्ज करता है।
- जवाहर द्वीप में कच्चे तेल का अब तक का उच्चतम टन भार 23.35 एमएमटी (2022-23 में 21.87 एमएमटी) दर्ज किया गया।

- स्टील कार्गो (5.39 एमएमटी) में पिछले वर्ष की तुलना में 36.55% की वृद्धि दर्ज की गई।
- एंकोरेज पर हैंडल किए गए ट्रांसशिपमेंट कार्गो (लौह अयस्क, कोयला आदि) ने अब तक का उच्चतम 15.30 एमएमटी दर्ज किया।
- 2023-24 में मुंबई पत्तन ने 27 अंतर्राष्ट्रीय और 91 घरेलू क्रूज कॉल हैंडल किए।
- कोस्टा क्रूज़ का कोस्टा सेरेना, एम्प्रेस ऑफ कॉर्डेलिया क्रूज़ के बाद दूसरा जलयान है जो घरेलू यात्रा कार्यक्रम जैसे मुंबई-गोवा-मुंबई, मुंबई-कोचीन-लक्षद्वीप-मुंबई, मुंबई-गोवा-लक्षद्वीप-मुंबई आदि के लिए मुंबई पत्तन पर पहुंचा है। जलयान ने क्रूज सीजन 2023-2024 में मुंबई पत्तन पर 20 दौरे पूरे किए।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन

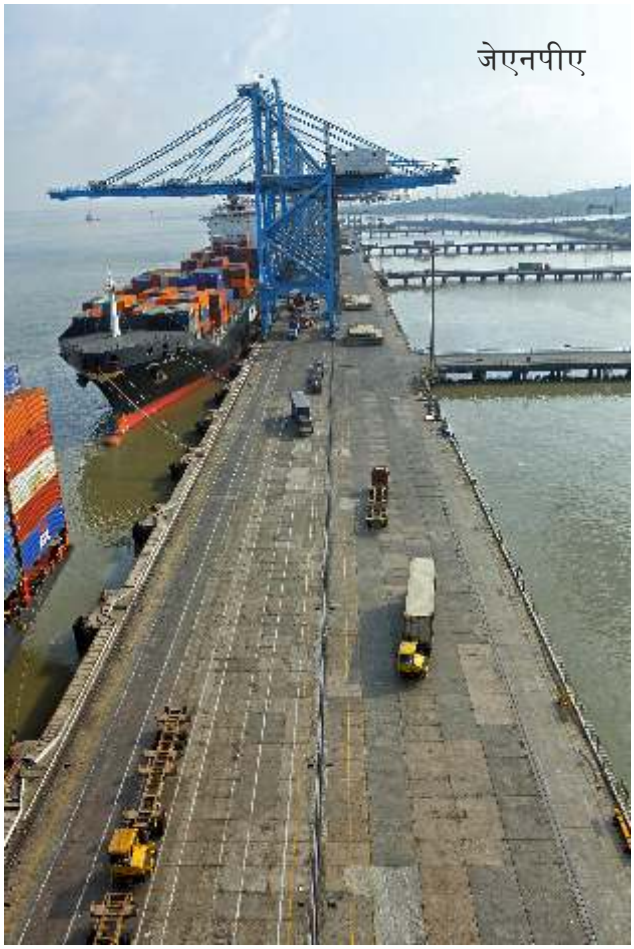
जेएनपीए

4.8 1980 के दशक के मध्य में निर्मित तथा दिनांक 26 मई 1989 से शुरू किया गया जवाहरलाल नेहरू पत्तन विश्व स्तर का अन्तर्राष्ट्रीय कंटेनर संभालने वाला पत्तन बन गया है। यह एंलीफेंटा द्वीप से दूर मुम्बई पत्तन के पूर्वी छोर के साथ-साथ 18 56'43" उत्तरी अक्षांश और 72 56'24" पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यह नई पहलों जैसे निजी क्षेत्र की भागीदारी और ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के माध्यम से भारत के पत्तन विकास में एक ट्रेंड सेटर है। जेएनपीए भारत के महापत्तनों में से पहला 100% भू-स्वामी पत्तन है।

4.9 जेएनपीए 125.30 एमटीपीए की प्रभावी रेटेड क्षमता के साथ 17 बर्थ वाला एक बारहमासी ज्वारीय पत्तन है। पत्तन ने 2022-23 के दौरान 83.86 एमएमटी और 2023-24 के दौरान 85.82 एमएमटी का यातायात हैंडल किया। वर्तमान में जेएनपीए में 7.7 मिलियन टीईयू की कुल कंटेनर हैंडलिंग क्षमता के साथ 5 पूरी तरह से स्वचालित कंटेनर टर्मिनल प्रचालन में है। प्रमुख वैश्विक टर्मिनल प्रचालकों, अर्थात् डीपी वर्ल्ड (2 टर्मिनल), एपी मोलर टर्मिनल (एपीएम टर्मिनल), और पोर्ट ऑफ सिंगापुर अथॉरिटी (पीएसए) और मैसर्स जे एन बक्शी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स (एनएसएफटी) के साथ साझेदारी से पीपीपी मोड में काम कर रहे हैं। भारत मुंबई कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. (बीएमसीटीपीएल), एसपीवी ऑफ पोर्ट ऑफ सिंगापुर (पीएसए) द्वारा 60 एमएमटी (4.8 मिलियन टीईयू) की कुल परियोजना क्षमता के साथ 18 फरवरी 2018 को चरण-1 (2.4 मिलियन टीईयू) के तहत प्रचालन शुरू किया गया था। चरण-।। (2.4 मिलियन टीईयू) 2025 में शुरू होने की उम्मीद है।

4.10 न्हावा शेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल (एनएसएफ़टी) ने 14 फरवरी, 2023 से पीपीपी मोड पर परिचालन शुरू कर दिया है। 7.2 एमएमटी क्षमता का लिक्विड टर्मिनल बीपीसीएल/आईओसीएल द्वारा संयुक्त रूप से पीपीपी पर प्रचालित किया जाता है। 4.5 एमएमटी क्षमता वाले उथले पानी के बर्थ का उपयोग कंटेनर, ब्रेक बल्क, ड्राई बल्क और लिक्विड कार्गो की हैंडलिंग के लिए किया जाता है, जबकि 2.5 एमएमटी क्षमता वाले तटीय बर्थ पर ब्रेक बल्क, ड्राई बल्क और लिक्विड कार्गो को हैंडल किया जाता है। ये दोनों बर्थ 26 मई, 2023 से मैसर्स जे एम बैक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एसपीवी द्वारा न्हावा शेवा

डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनल (एनएसडीटी) द्वारा पीपीपी मोड पर प्रचालित किए जाते हैं। अतिरिक्त लिक्विड कार्गो बर्थ (4.5 एमएमटीपीए) मई, 2023 में पूरा हो जाएगा।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण (जेएनपीए) ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 85.82 मिलियन टन कार्गो का अब तक का सबसे अधिक थ्रूपुट दर्ज किया। कंटेनरों में, जेएन पत्तन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 6,430,443 टीईयू हैंडल किया, जो किसी वित्तीय वर्ष में कंटेनरों की अब तक की सबसे अधिक हैंडलिंग है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, जेएनपीए ने 1,589,545 टन सीमेंट हैंडल किया, जो किसी वित्तीय वर्ष में सीमेंट की अब तक की सबसे अधिक हैंडलिंग है।
- जेएनपीए और समुद्री उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को चिह्नित करते हुए, एमएससी हैम्बर्ग, जो किसी भारतीय पत्तन पर आने वाला अब तक का सबसे लंबा जलयान है, 17 जून, 2023 को सुरक्षित रूप से बीएमसीटी टर्मिनल पर पहुंचा। एमएससी हैम्बर्ग 2015 में निर्मित 399 मीटर लंबा, 54 मीटर चौड़ा और पनामा के ध्वज के तहत नौकायन करने वाला कंटेनर जलयान है, जिसकी वहन क्षमता 16,652 टीईयू है।
- 98.24 करोड़ रु. की लागत से कंटेनर टर्मिनल के लिए निकासी सड़क और डीपीडब्ल्यू टर्मिनल तक 330 मीटर विस्तार का कार्य पूरा हो गया है, जिससे डीपीडब्ल्यू टर्मिनल पर कंटेनरयुक्त कार्गो की तेजी से निकासी में मदद मिलेगी और टर्न-अराउंड-टाइम कम होगा।
- 'द इंडिया मैरीटाइम अवार्ड्स' के 7वें संस्करण में जेएनपोर्ट को 'वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पत्तन' (कंटेनरयुक्त) का पुरस्कार दिया गया।
- विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के अवसर पर, जेएनपीए के अध्यक्ष ने पोर्ट ऑपरेशन सेंटर (पीओसी) में 100 केएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। जेएनपीए और एचपीसीएल ने जेएनपीए एसईजेड और पोर्ट ऑपरेशन सेंटर (पीओसी) में वृक्षारोपण अभियान शुरू करने के लिए सहयोग किया।
- 4.5 एमएमटीपीए क्षमता के अतिरिक्त लिक्विड टर्मिनल के विकास का कार्य पूरा हो चुका है और अंतरिम व्यवस्था के रूप में, निविदा के अंतिम रूप दिए जाने तक जेट्टी के संचालन का कार्य मैसर्स बीपीसीएल को सौंपा गया है। पत्तन ने राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़े सभी संपर्क मार्गों को 6/8 लेन तक चौड़ा कर दिया है और इस संबंध में कार्य पूरा हो चुका है।
- पत्तन ने अवसंरचना में सुधार, प्रक्रिया को सरल बनाने और डिजिटलीकरण के स्तर को बढ़ाने के लिए 'ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस' के तहत बड़े कदम उठाए थे और इसके परिणामों ने विश्व बैंक की 2020 की रिपोर्ट में 'सीमा पार व्यापार' के मूल्यांकन के तहत भारत की रैंक को 80 से 68 तक लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

मुरगांव पत्तन

4.11 भारत के पश्चिमी तट पर स्थित यह पत्तन 135 वर्ष से अधिक पुराना पत्तन है। इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचा है जो विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालने में सक्षम है। यह एक प्राकृतिक पत्तन है जो एक ब्रेकवाटर और मोल द्वारा संरक्षित है। पत्तन के पास 14.4 मीटर गहराई का एक अप्रोच चौनल है। मौजूदा रेल और सड़क संपर्क देश के बाकी हिस्सों को निर्बाध रसद नेटवर्क प्रदान करता है। विश्वसनीय आधुनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक आधुनिक पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। मौजूदा वीटीएमएस सिस्टम को नए सिस्टम से बदला जा रहा है।

मुरगांव पत्तन

4.12 पत्तन में कार्गो की हैंडलिंग के लिए 2 नॉन कार्गो बर्थ, 7 कार्गो बर्थ और 3 मूरिंग डॉल्फिन हैं। पत्तन की प्रभावी रेटेड क्षमता 63.40 एमएमटीपीए है। क्रूज जलयानों के लिए और इसका उपयोग नौसेना और तटरक्षक बल के उपयोग के लिए ब्रेकवाटर के साथ-साथ 450 मीटर लंबाई की एक समर्पित क्रूज बर्थ है। पत्तन ने 2022-23 के दौरान 17.33 एमएमटी और 2023-24 के दौरान 20.62 एमएमटी का यातायात हैंडल किया।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- 21 सितंबर, 2023 को मुरगांव पत्तन प्राधिकरण और मैसर्स गोवा आईसीटी प्राइवेट लिमिटेड के बीच 30 वर्ष की अवधि के लिए ओएंडएम-पीपीपी मोड पर अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्रूज टर्मिनलों के प्रचालन और रखरखाव और अन्य संबद्ध गतिविधियों के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना लागत - 21.00 करोड़ रु.।

- 14 दिसंबर, 2023 को मुरगांव पत्तन प्राधिकरण और मैसर्स डेल्टा पोर्ट्स मुरगांव टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के बीच "30 वर्षों की अवधि के लिए पी.पी.पी. मोड पर बर्थ सं. 10 और 11 का प्रचालन और रखरखाव" परियोजना के लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। परियोजना लागत 139.63 करोड़ रु. है।

- यातायात की सुचारू आवाजाही के लिए बर्थ संख्या 5, 6, 7, 8 और 9 को प्रस्तावित प्रवेश/निकास द्वारों से जोड़ने वाली 12 मीटर चौड़ी कंक्रीट सड़क का निर्माण 04 नवंबर, 2023 को पूरा कर लिया गया।

- मुरगांव ने ग्रीन शिप इंसेंटिव हरित श्रेय योजना शुरू की। यह योजना अनुकूल ईएसआई (पर्यावरण जहाज सूचकांक) स्कोर वाले जलयानों को टैरिफ और पोर्ट ड्यू इंसेंटिव प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य शिपिंग लाइनों द्वारा डीकार्बोनाइजेशन और हरित पहल को बढ़ावा देना है जो भारतीय समुद्री क्षेत्र को पंचामृत लक्ष्यों को प्राप्त करने और पत्तन प्रचालन की स्थिरता में सुधार करने में मदद करेगा। हरित श्रेय योजना के तहत ग्रीन इंसेंटिव पाने वाला पहला जलयान 31 अक्तूबर, 2023 को एमवी अगस्त ओल्डेनडॉर्फ था। और इसके साथ, एमपीए अपनी हरित श्रेय योजना के तहत पर्यावरणीय रूप से संधारणीय पोत परिवहन को बढ़ावा देने वाला भारत का पहला पत्तन बन गया।

- एमपीए ने 05 दिसंबर, 2023 को इस सीजन में पहली बार एक साथ 3 क्रूज जलयानों की मेजबानी की और उन्हें बर्थ दिया। क्रूज बर्थ पर निम्नलिखित जलयान थे अर्थात एमवी वास्को डी गामा, एमवी मारेला डिस्कवरी और एमवी कोस्टा सेरेना, जिनमें कुल 4158 यात्री और 2159 चालक दल के सदस्य थे।

- 06 दिसंबर, 2023 को डॉ. प्रमोद सावंत, माननीय मुख्यमंत्री/जीईडीए के अध्यक्ष की उपस्थिति में 3एमडबल्यूपी ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्र के निष्पादन के लिए एमपीए और गोवा ऊर्जा विकास एजेंसी (जीईडीए) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

- पोत एमवी एक्सप्लोरर अफ्रीका ने 27 दिसंबर, 2023 को बर्थ संख्या 10 पर 24 घंटे में 29,150 मीट्रिक टन लौह अयस्क छर्रों का कार्गो लोड किया, जो कि पत्तन के प्रमुख स्टीवडोर मैसर्स डेल्टा इंफ्रा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक दिन में 28,008 मीट्रिक टन के पिछले सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को पार करते हुए किया गया उच्चतम लोडिंग प्रदर्शन है।

नव मंगलूर पत्तन

4.13 नव मंगलूर पत्तन (एनएमपी) को 4 मई 1974 को 9वें महापत्तन के रूप में घोषित किया गया था और 11 जनवरी 1975 को औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया था। पत्तन में 105 एमटीपीए की रेटेड क्षमता के साथ 16 बर्थ और 1 एसपीएम (सिंगल पॉइंट मूरिंग) हैं। पत्तन ने 2022-23 के दौरान 41.42 एमएमटी और वर्ष 2023-24 के दौरान 45.71 एमएमटी यातायात हैंडल किया। एनएमपीए ने सामान्य ब्रेक बल्क कार्गो और रो-रो खेपों को संभालने के लिए मौजूदा बर्थ संख्या 8 के निकट एक और गहरे डुबाव वाले बहुउद्देशीय सामान्य कार्गो बर्थ (बर्थ नंबर 17) का विकास करने की योजना बनाई है। परियोजना को वर्ष 2026 तक शुरू किए जाने की उम्मीद है।

बर्थ सं. 16 (पीपीपी) पर मशीनीकृत कोयला हैंडलिंग

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- अगस्त, 2023 में 3.20 लाख टन एलपीजी की रिकॉर्ड मात्रा हैंडल की गई, जो एक महीने में हैंडल की गई एलपीजी की सबसे अधिक मात्रा है, जिसने अक्तूबर, 2020 में संभाले गए 2.83 लाख टन के पिछले रिकॉर्ड को पार किया।
- पत्तन के परिचालन क्षेत्रों में 100% एलईडी प्रकाश व्यवस्था हासिल की गई।
- हरित पहल के एक भाग के रूप में पत्तन ने इलेक्ट्रिक बसों और कारों को शामिल किया है।
- 01 नवंबर, 2023 से लौह अयस्क का निर्यात पुनः शुरू किया गया।
- पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए लगातार 7वें वर्ष ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2023 प्राप्त किया।
- यह पत्तन 100% सौर ऊर्जा संचालित पत्तन बना रहा।

कोचिन पत्तन

4.14 कोचिन के आधुनिक पत्तन का विकास 1920-1940 के दौरान सर रार्बट ब्रिस्टो के अथक प्रयासों के कारण हुआ। कोचिन का पत्तन विलिंग्डन द्वीप पर 9'58" के उत्तरी और 76'14" पूर्वी अक्षांश पर भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर अवस्थित है। यह मुंबई से लगभग 930 किमी दक्षिण और कन्याकुमारी के 320 किमी उत्तर में है। भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट पर अपनी सामरिक महत्व की स्थिति के साथ-साथ पूर्व-पश्चिम समुद्र व्यापार के चौराहे पर बहुत अनुकूल स्थिति होने के कारण यह पत्तन दक्षिण-पश्चिम भारत के विशाल औद्योगिक और कृषि उत्पाद बाजारों का प्राकृतिक प्रवेश द्वार है। पत्तन के पश्च प्रदेश में सम्पूर्ण केरल राज्य और तमिलनाडु तथा कर्नाटक राज्यों के हिस्से शामिल हैं। कोचिन, यूरोप और सुदूर पूर्व तथा आस्ट्रेलिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्र मार्ग से अपनी नजदीकी के कारण प्रचुर व्यासायिक अवसर देकर अनेक कंटेनर लाइनों को आकर्षित कर सकता है।

कोचीन पत्तन

4.15 कोचिन पत्तन में 79.90 एमएमटीपीए की प्रभावी रेटेड क्षमता के साथ 1 एसपीएम सहित 22 बर्थ हैं। पत्तन ने 2022-23 के दौरान 35.26 एमएमटी और 2023-24 के दौरान 36.32 एमएमटी कार्गो यातायात हैंडल किया। पत्तन द्वारा हैंडल किए जाने वाले कार्गो में पीओएल, कंटेनर, सीमेंट, उर्वरक, उर्वरक का कच्चा माल (सूखा) और अन्य शामिल हैं।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- कोचिन पत्तन ने 2023-24 में 36.32 एमएमटी का कुल थ्रूपुट दर्ज किया, जो 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में 3.01% की वृद्धि है। पीओएल थ्रूपुट 23.05 एमएमटी दर्ज किया गया, जो 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में 8.39% की वृद्धि है। 2023-24 में 7.54 लाख टीईयू के कंटेनर थ्रूपुट ने 2022-23 की इसी अवधि की तुलना में 8.49% की वृद्धि दिखाई। डीपी वर्ल्ड द्वारा 2023-24 में आईसीटीटी में 7.54 लाख टीईयू की कंटेनर मात्रा एक वर्ष में अब तक का अधिकतम है। बीपीसीएल-केआर द्वारा कच्चे तेल की मात्रा 2023-24 में एक वर्ष में अब तक की सबसे अधिक 17.20 एमएमटी दर्ज की गई।
- श्री पुरुषोत्तम रूपाला, माननीय केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने 11 जून, 2023 को थोप्पुमपडी में कोचिन फिशिंग हार्बर के आधुनिकीकरण और उन्नयन कार्यों की आधारशिला रखी।
- कोचिन पत्तन ने 15 अप्रैल, 2023 को पुथुवाइपीन में एमयूएलटी बेसिन का कैपिटल ड्रेजिंग कार्य पूरा किया।

वी.ओ. चिदम्बरनार पत्तन (वीओसीपी)

4.16 वी.ओ.सी पत्तन, भारत का 10वां महापत्तन रणनीतिक रूप से भारत के दक्षिण पूर्वी तट पर पूर्व-पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग के करीब चेन्नै से 540 कि.मी. दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। 15 बर्थों, 8.60 मीटर से लेकर 14.20 मीटर तक के डुबाव और 81.5 एमएमटीपीए क्षमता के साथ गेटवे पत्तन के रूप में यह पत्तन बल्क, कंटेनर, ड्राई, लिक्विड और ब्रेक बल्क कार्गो के व्यापक स्पेक्ट्रम को हैंडल करने के लिए सुसज्जित है। पत्तन, तूफानों और चक्रवाती हवाओं के प्रकोप से अच्छी तरह से सुरक्षित है और वर्ष भर चौबीसों घंटे चालू रहता है।

4.17 अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे, समर्पित टर्मिनल प्रचालकों, पत्तन उपयोगकर्ता समुदाय और कुशल मानव संसाधन की सहायता से, यह पत्तन दक्षिणी तमिलनाडु क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास का अग्रदूत रहा है। यह पत्तन बेहतरीन रेल और सड़क संपर्क प्रदान करता है।

4.18 पत्तन ने 2022-23 के दौरान 38.04 एमएमटी और 2023-24 के दौरान 41.40 एमएमटी यातायात की हैंडलिंग की।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- 05 मई, 2023 को माननीय पीएसएंडडब्ल्यू राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने तूतीकोरिन में वीओसी पत्तन को माले से जोड़ने वाली सीधी पोत परिवहन सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा का उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार को मजबूत करना और भारत की "पड़ोसी पहले" नीति को कायम रखना है।

- 05 सितंबर, 2023 को, श्री टी.के. रामचंद्रन, भा.प्र.से., सचिव, पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय ने पोर्ट में डिस्पेंसरी, विस्तारित वार्ड और फार्मेसी पांच ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन, हार्बर एस्टेट में पुनर्निर्मित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) भवन और हार्बर प्राथमिक विद्यालय के लिए एक नए भवन का उद्घाटन किया।
- 23 सितंबर, 2023 को वीओसी पत्तन ने मैसर्स तूतीकोरिन अल्कली केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (टीएफएल) के लिए मिस्र के डेमिएटा पत्तन से 37.4 टन ग्रीन अमोनिया वजन वाले 3x20 आईएसओ ग्रीन अमोनिया कंटेनरों को सफलतापूर्वक हैंडल किया और ग्रीन अमोनिया को हैंडल करने वाला भारत का पहला पत्तन बन गया।

- ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट के दौरान, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बर्थ सं. 9 को कंटेनर टर्मिनल के रूप में परिवर्तित करने की आधारशिला रखी और 2 मेगावाट पवन टरबाइन जनरेटर और 5 मेगावाट सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया।
- अक्तूबर, 2023 के महीने के दौरान पत्तन ने 38.67 लाख टन यातायात को हैंडल किया, जो पत्तन में एक महीने में हैंडल किया गया अब तक का सबसे अधिक टन भार था, जो जनवरी, 2023 के महीने के दौरान हैंडल किए गए 36.81 लाख टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।
- 20 अक्तूबर, 2023 को वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन ने 82.5 मीटर लंबे पवन ब्लेड हैंडल किए, जो वीओसी पत्तन द्वारा हैंडल किए गए इस तरह के सबसे लंबे पवन ब्लेड थे। 179.5 मीटर की कुल लंबाई (एलओए) वाले पोत 'आरयू यी सॉन्ग' को 19 अक्तूबर, 2023 को पत्तन पर लाया गया और इस पर इस प्रकार के 12 पवन ब्लेड लोड किए गए।

चेन्नै पत्तन

4.19 चेन्नै पत्तन न्यास एक बाहरी हार्बर और एक इनर हार्बर के साथ गीले डॉक और चौबीसों घंटे नेविगेशन सुविधाओं से साथ एक नाव बेसिन से युक्त सभी मौसम का कृत्रिम बंदरगाह है। 1875 में स्थापित यह पत्तन बंगाल की खाड़ी पर 130 06' उत्तरी अक्षांश और 80018' पूर्वी देशांतर पर स्थित है।

4.20 चेन्नै पत्तन ने 2022-2023 के दौरान 48.95 एमएमटी का कार्गो टन भार हैंडल किया। 2023-24 के दौरान, हैंडल किया गया टन भार 51.60 एमएमटी है जिसमें 33.34 एमएमटी का आयात और 18.26 एमएमटी का निर्यात शामिल है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- चेन्नै पत्तन ने 16 अप्रैल, 2023 को भाराथी डॉक 3 पर पोत एम.टी. कासोस द्वारा एक दिन में 1,26,500 टन कच्चे तेल की हैंडलिंग का सर्वकालिक रिकॉर्ड हासिल किया, जो 14 अप्रैल, 2022 को पोत एम.टी. मराठी द्वारा बनाए गए 1,23,300 टन के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया।
- 23 अप्रैल, 2023 को एम.वी. अमाडिया, बहामास ध्वज वाला क्रूज जलयान 310 चालक दल और 385 यात्रियों के साथ थाईलैंड के पटोंग बे से चेन्नै पत्तन पर आया और उसी दिन हंबनटोटा, श्रीलंका के लिए रवाना हुआ।
- 05 जून, 2023 को, माननीय केंद्रीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने चेन्नै पत्तन से श्रीलंकाई पत्तनों तक भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय सेवा, कॉर्डेलिया क्रूज़ को हरी झंडी दिखाई और चेन्नै पत्तन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भागीदारों और हितधारकों को सम्मानित किया।
- 07 नवंबर, 2023 को चेन्नै पत्तन ने डबल्यूक्यू III में एम.वी. नागुअल द्वारा एक ही दिन में 20,100 टन स्टील कार्गो (एचआर कॉइल्स) आयात करने का सर्वकालिक रिकॉर्ड हासिल किया, जिसने 31 अगस्त, 2023 को एम.वी. आईवीएस स्पैरो हॉक से 19,906 टन उतारने के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।
- चेन्नै पत्तन प्राधिकरण ने 9 नवंबर, 2023 को भारत में क्रूज शिपिंग को सहयोग, विकसित और बढ़ावा देने के इरादे से मैसर्स लिटोरल क्रूज़ लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मैसर्स लिटोरल क्रूज़ लिमिटेड ने क्रूज़ सर्किट यानी चेन्नै-तूत्तुक्कुडि- त्रिंकोमाली- कोलंबो - मालदीव और चेन्नै - विशाखापट्टणम - सिंगापुर सेक्टर के लिए प्रतिबद्धता जताई है, जिसमें दो बड़े जलयानों (800/1200 यात्री क्षमता) और 22/30 यात्री क्षमता वाली दो लक्जरी नौकाओं को प्रचालित करने की योजना है, जिनके निकट भविष्य में शुरू होने की उम्मीद है।

कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल)

4.21 12वें महापत्तन कामराजार पत्तन लिमिटेड (केपीएल) को 2001 में मुख्यतः एक कोयला पत्तन के रूप में शुरू किया गया था, जो तमिलनाडु इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड (टीएनईबी) की थर्मल कोयला जरूरतों की हैंडलिंग के लिए समर्पित है। केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रशासित महापत्तनों में से केपीएल एकमात्र ऐसा महापत्तन है जो कि एक निगमित पत्तन है। यह पत्तन बीओटी या कैप्टिव मॉडलों के माध्यम से कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों के साथ भू-स्वामी मॉडल पर कार्य कर रहा है। विनिवेश प्रक्रिया के भाग के रूप में, भारत सरकार की सभी हिस्सेदारियों को दिनांक 27 मार्च, 2020 को चेन्नै पत्तन प्राधिकरण को अंतरित कर दिया गया है। केपीएल चेन्नै पत्तन प्राधिकरण का सहायक कार्यालय बन गया है।

4.22 पिछले कुछ वर्षों में, पत्तन एक मल्टी कार्गो पत्तन के रूप में विकसित हुआ है और अब इसमें कोयला, पीओएल, एलपीजी, एलएनजी, ऑटोमोबाइल यूनिट, कंटेनर, ब्रेक बल्क और सामान्य कार्गो की हैंडलिंग के लिए 57.44 एमएमटीपीए की क्षमता वाली 9 बर्थ हैं। पत्तन ने 2022-23 के दौरान 43.51 एमएमटी और 2023-24 के दौरान 45.28 एमएमटी का यातायात हैंडल किया।

कामराजर पत्तन

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- 21 जनवरी, 2023 को, श्री सुधांश पंत, आईएएस, सचिव, पीएस एंड डब्ल्यू मंत्रालय ने केपीएल के अंदर एलएनजी री-गैसिफिकेशन टर्मिनल से सटे सैटेलाइट पीएचओ कार्यालय, 300 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र और नवनिर्मित 2 लेन कंक्रीट सड़क का उद्घाटन किया।
- केपीएल ने वर्ष 2022-23 के दौरान पहली बार 1000 करोड़ रु. की आय का आंकड़ा पार किया, जो वर्ष 2021-22 की 850.84 करोड़ रु. की आय से 17.82% अधिक है।
- केपीएल ने वर्ष 2021-22 में 1,35,702 ऑटोमोबाइल इकाइयों की तुलना में वर्ष 2022-23 में 1,48,307 ऑटोमोबाइल इकाइयों को हैंडल किया, जिसमे 9.29% की वृद्धि हुई।
- पीसीए ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने 30 मार्च, 2023 को केपीएल के माध्यम से नई सिट्रोन सी3 कारों की अपनी पहली शिपमेंट शुरू की।
- सीएमए सीजीएम और एमएससी द्वारा साझेदारों के रूप में एनईएमओ (उत्तरी यूरोप मेड ओशिनिया) / ऑस्ट्रेलियाई एक्सप्रेस मेनलाइन कंटेनर सेवा, जो वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई पत्तनों से सिंगापुर और कोलंबो के माध्यम से भूमध्य सागर और यूरोप तक संचालित होती है, 15 जून 2023 को इस सेवा में कामराजार पत्तन को शामिल किया गया, ताकि ग्राहकों के लिए सीधे यूरोप कॉल के रूप में सेवा दी जा सके।
- केपीएल ने 23 अक्तूबर, 2023 को कंटेनर टर्मिनल पर लाए गए पोत एम.वी. डब्ल्यू कायरेनिया में रिकॉर्ड 7,119 टीईयू कंटेनर हैंडल किए। यह कंटेनर सेवा (एमई7) मैरस्क लाइन द्वारा संचालित है जो केपीएल को साप्ताहिक आधार पर यूरोप से जोड़ती है।
- केपीएल ने 27 दिसंबर, 2023 को कोयला बर्थ 1 पर 24 घंटे में 61,940 मीट्रिक टन थर्मल कोयले की उच्चतम कार्गो अनलोडिंग हासिल की। 92,500 मीट्रिक टन थर्मल कोयले को ले जाने वाला पोत एम.वी. इलावारा फॉर्च्यून कोल बर्थ 1 पर हैंडल किया गया सबसे अधिक आकार का पार्सल है।
- 04 सितंबर, 2023 को, माननीय केंद्रीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्रालय के मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने कामराजार पत्तन पर निर्मित सीआईएसएफ बैरकों का उद्घाटन किया। यह 15 करोड़ रु. की लागत से 3400 वर्ग मीटर के निर्मित क्षेत्र के साथ ग्यारह एकड़ भूमि पर स्थित है।
- केपीएल ने नवंबर, 2023 के महीने में 62,242 टीईयू का उच्चतम कंटेनर वॉल्यूम हैंडल किया, 27 दिसंबर, 2023 को कोयला बर्थ 1 पर 24 घंटे में 61,940 मीट्रिक टन थर्मल कोयले की उच्चतम कार्गो अनलोडिंग हासिल की, 01 मार्च, 2024 को कंटेनर टर्मिनल पर 16,550 टीईयू क्षमता वाले सबसे बड़े कंटेनर पोत एमवी एमएससी जीआईयूएसवाई को हैंडल किया, 22 मार्च, 2024 को एक दिन में 2.68 लाख टन की उच्चतम कार्गो मात्रा को हैंडल किया, मार्च, 2024 में 4.39 एमएमटी का उच्चतम मासिक कार्गो थ्रूपुट हैंडल किया, वित्तीय वर्ष 2023-24 में 45.28 एमएमटी का उच्चतम कार्गो थ्रूपुट हैंडल किया और वित्त वर्ष

2023-24 में 6, 71, 393 टीईयू की उच्चतम कंटेनर मात्रा हैंडल की।

- 02 जनवरी, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जनरल कार्गो बर्थ-II (ऑटोमोबाइल निर्यात/आयात टर्मिनल-II और कैपिटल ड्रेजिंग फेज-V) का उद्घाटन किया गया। इस बर्थ विकास की परियोजना लागत 341 करोड़ रु. थी।
- मैसर्स सिमा मरीन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 02 जनवरी, 2024 को कंटेनर टर्मिनल से एक नई तटीय कंटेनर सेवा (सीसीजी) शुरू की गई है। सीसीजी सेवा भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट के बीच कोलंबो पत्तन होते हुए संचालित होती है।.
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने 05 जनवरी, 2024 के राजपत्र अधिसूचना के तहत केपीएल को सभी श्रेणी के यात्रियों के लिए वैध यात्रा दस्तावेजों के साथ भारत में प्रवेश/भारत से निकास के लिए अधिकृत आव्रजन चेक पोस्ट घोषित किया है।
- 31 मार्च, 2024 को, नवनिर्मित सामान्य कार्गो बर्थ सं. 2 को बर्थिंग मेडेन रोरो पोत एम.वी. आईआरआईएस एसीई के माध्यम से निसान, रेनॉल्ट, टोयोटा, मारुति, सिट्रोन के ऑटोमोबाइल और कोबेल्को और कोमात्सु के भारी उपकरणों की कुल 2,422 इकाइयों को लोड करने के लिए चालू किया गया था।

विशाखापट्टणम पत्तन

4.23 विशाखापट्टणम पत्तन भारत के पूर्वी तट पर 170 41‘ अक्षांश और 830 17‘ देशांतर पर कोलकाता और चेन्नै के लगभग बीच में स्थित है जिसे वाणिज्यिक नौवहन के लिये दिनांक 7 अक्तूबर 1933 में खोला गया था ओर तब से यह विस्तृत पश्च भूमि की सेवा कर रहा है। विशाखापट्टणम पत्तन की री-रेटेड क्षमता 136.39 एमएमटीपीए है। पत्तन द्वारा वर्ष 2022-23 में 73.75 एमएमटी और वर्ष 2023-24 में 81.09 एमएमटी यातायात की हैंडलिंग की गई है।

4.24 पत्तन में दो हार्बर हैं, अर्थात आंतरिक हार्बर जिसमें 21 बर्थ हैं और बाहरी हार्बर जिसमें 7 बर्थ हैं। बाहरी हार्बर में सिंगल पॉइंट मूरिंग (एसपीएम) पर कच्चे तेल की हैंडलिंग के लिए एक विशेष सुविधा भी है। आंतरिक हार्बर 14.5 मीटर तक ड्राफ्ट के साथ पूरी तरह से लदे पैनामैक्स जलयानों को स्थान दे सकता है और बाहरी हार्बर 18.10 मीटर तक के ड्राफ्ट के साथ 200,000 डीडब्ल्यूटी तक के जलयानों को स्थान दे सकता है और महापत्तनों में सबसे गहरा कंटेनर टर्मिनल है।

विशाखापट्टणम पत्तन

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री श्री सर्बानंद सोणोवाल ने 04 सितंबर, 2023 को विशाखापट्टणम पत्तन परिसर में पर्यटक आकर्षण परियोजना विशाखापट्टणम अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल (वीआईसीटी) और तीन अन्य प्रमुख परियोजनाओं अर्थात् कवर्ड शेड स्टोरेज, पार्किंग टर्मिनल और ओआर-आई परियोजना का उद्घाटन किया।
- विशाखापट्टणम पत्तन को सुरक्षा में उत्कृष्टता की प्रमुख उपलब्धियों के लिए "सुरक्षा पुरस्कार 2023" प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 29 मई, 2023 को नई दिल्ली में मैसर्स ग्रीनटेक फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया।
- वीपीए के बीओटी ऑपरेटर नामत: मैसर्स विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ने 08 जुलाई, 2023 को एमएससी गैडा के माध्यम से एकल यात्रा में लाए गए 4,035 टीईयू कंटेनरों के उच्चतम पार्सल आकार को हैंडल किया। यह एकल यात्रा में सबसे अधिक टीईयू रिकॉर्ड था, जिसने दिसंबर, 2021 में एमवी एमएससी एल्डी III जलयान से 3,921 टीईयू के पिछले सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया।

- विशाखापट्टणम पत्तन ने 2023-24 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 81.09 एमएमटी की रिकॉर्ड मात्रा को हैंडल किया, जिसमें कार्गो मात्रा में 10%, प्री बर्थिंग प्रतीक्षा समय में 65%, टर्न राउंड टाइम में 10%, ओएसबीडी में 10% और बर्थ पर निष्क्रिय समय में 8% का सुधार दर्ज किया गया।

पारादीप पत्तन

4.25 भारत सरकार ने 1 जून 1965 को राज्य सरकार से पारादीप पत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया और 18 अप्रैल 1966 को पत्तन को भारत में आठवां महापत्तन घोषित कर दिया, जिससे यह स्वतंत्र भारत में स्थापित पूर्वी तट पर पहला महापत्तन बन गया। यह पत्तन कोलकाता के दक्षिण में 210 समुद्री मील और विशाखापट्टणम के उत्तर में 260 समुद्री मील अक्षांश 20 - 15‘58.63 एन और देशांतर 86‘ - 40-27 “34 ई पर स्थित है।

पारादीप पत्तन

4.26 पत्तन ने 2022-23 में 135.36 एमएमटी और 2023-24 में 145.38 एमएमटी यातायात की हैंडलिंग की। पत्तन में 289.55 एमएमटीपीए की रेटेड क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के कार्गो को संभालने के लिए अठारह (18) बर्थ/जेट्टी, तीन (3) एसपीएम और एक (1) रो-रो जेट्टी है।

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- पारादीप पत्तन की उल्लेखनीय यात्रा हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में अविश्वसनीय 145.38 एमएमटी कार्गो थ्रूपुट की रिकॉर्ड-तोड़ उपलब्धि के साथ नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है और इस प्रकार यह दीनदयाल पत्तन, कांडला को पीछे छोड़ते हुए देश के सबसे अधिक कार्गो हैंडलिंग करने वाले प्रमुख पत्तन के रूप में उभरा है। प्रचालन के 56 वर्षों के इतिहास में पहली बार पारादीप पत्तन ने दीनदयाल पत्तन द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पारादीप पत्तन ने साल-दर-साल आधार पर 10.02 मिलियन मीट्रिक टन (7.4%) यातायात की वृद्धि भी दर्ज की है।
- पारादीप पत्तन द्वारा प्राप्त कार्गो थ्रूपुट वृद्धि, महापत्तन क्षेत्र में कुल वृद्धि का 29% है।
- पारादीप पत्तन अपनी बर्थ उत्पादकता को पिछले वित्त वर्ष के 31,050 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 33,014 मीट्रिक टन करने में सफल रहा है, इस प्रकार 6.33% की वृद्धि दर्ज की गई है। पारादीप पत्तन द्वारा प्राप्त बर्थ उत्पादकता देश के सभी पत्तनों में सबसे अधिक है।
- पारादीप पत्तन ने अपने व्यापार विकास पहल के एक भाग के रूप में कार्गो हैंडलिंग के लिए अपने टैरिफ को अगले 3 वर्षों के लिए 2022 के स्तर पर स्थिर कर दिया है, जिससे यह देश के सभी पत्तनों के बीच टैरिफ के मामले में सबसे सस्ता पत्तन बन गया है।
- जनवरी 2023 में, एससीएडीए प्रणाली शुरू की गई, जो बिना किसी जनशक्ति की आवश्यकता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ड्रेन कनेक्टिविटी और सेप्टिक टैंक संचालित करती है।

- तटीय पोत परिवहन के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में, पारादीप पत्तन भारतीय पत्तनों में नंबर 1 स्थान पर है, जो देश के सभी पत्तनों के बीच तटीय पोत परिवहन द्वारा सबसे अधिक कार्गो की हैंडलिंग करता है। परंपरागत रूप से, दक्षिणी जेनकोस को थर्मल कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। एक अग्रणी विपणन पहल के रूप में, पीपीए ने पश्चिमी राज्यों की बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने के लिए पश्चिमी तट पर स्थित जेनकोस को एमसीएल से थर्मल कोयले की आवाजाही शुरू की है।
- हरित पहलों की दिशा में, पत्तन ने पिछले वर्ष 1 लाख पौधे लगाए हैं और 2026 तक 1 मिलियन पौधे लगाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता (एसएमपीके)

4.27 एसएमपीके भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय पत्तन है जिसका अस्तित्व 153 वर्षों से है। इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्यों और बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के पड़ोसी देशों सहित पूरे पूर्वी भारत का एक विशाल भीतरी भाग है, अंतिम दो भूमि से घिरे हुए हैं। पत्तन में दोहरी डॉक प्रणाली हैं। पूर्वी तट पर कोलकाता डॉक प्रणाली (केडीएस) और हुगली नदी के पश्चिमी तट पर हल्दिया डॉक परिसर (एचडीसी)।

4.28 एसएमपीके ने 2022-23 के दौरान वर्ष 2019-20 में हैंडल किए गए उच्चतम 63.983 एमएमटी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए, पत्तन के 153 वर्ष के इतिहास में हर समय के रिकॉर्ड के साथ 65.660 एमएमटी कार्गो यातायात हैंडल किया।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन

वर्ष के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां

- अच्छे मौसम के दौरान सैंड हेड्स पर और खराब मौसम के दौरान सागर में किए जा रहे शिप-टू-शिप (एसटीएस) प्रचालन ने ट्रांसशिपमेंट कार्गो में उल्लेखनीय सुधार किया है। 2021-22 में एसटीएस मोड के माध्यम से हैंडल किए गए 13 जलयानों की तुलना में, 2022-23 में एलपीजी, प्रोपेन और ब्यूटेन के 30 जलयानों को हैंडल किया गया है, जिससे औसतन प्रति यात्रा 3 करोड़ रु. की लागत में कमी आई है।
- 27 सितंबर, 2023 को, एनटीपीसी लिमिटेड की हरित ऊर्जा सहायक कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन एनजीईएल ने कोलकाता में ग्रीन हाइड्रोजन हब के विकास के लिए एसएमपी, कोलकाता के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

महापत्तनों का कार्य-निष्पादन

(I) महापत्तनों में हैंडल किया गया यातायात

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	पत्तन	वास्तविक 2022-23	अनंतिम 2023-24
1	कोलकाता	17.052	16.856
2	हल्दिया	48.608	49.536
3	पारादीप	135.362	145.379
4	विशाखापट्टणम	73.750	81.090
5	चेन्नै	48.949	51.598
6	वी.ओ. चिदंबरनार	38.041	41.402
7	कोचिन	35.255	36.315
8	नव मंगलूर	41.417	45.707
9	मुरगांव	17.334	20.615
10	जवाहरलाल नेहरू	83.861	85.817
11	मुंबई	63.608	67.261
12	दीनदयाल (कांडला)	137.561	132.374
13	कामराजर (एन्नोर)	43.507	45.277
कुल		**784.305**	**819.227**

(ii) महापत्तनों में हैंडल किया गया कार्गो

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	वस्तु	वास्तविक 2022-23	अनंतिम 2023-24
1	पीओएल	234.171	245.990
2	लौह अयस्क	46.506	61.031
3	उर्वरक एवं उर्वरक कच्चा माल	16.678	17.675
4	कोयला	188.237	191.982
5	कंटेनरयुक्त कार्गो	170.286	181.569
6	अन्य	128.427	120.980
कुल		**784.305**	**819.227**

(iii) महापत्तनों में क्षमता

(मिलियन टन में)

क्र. सं.	वर्ष	पत्तन क्षमता	हैंडल किया गया कार्गो
1	2001-02	343.95	287.58
2	2002-03	362.75	313.55
3	2003-04	389.50	344.80
4	2004-05	397.50	383.75
5	2005-06	456.20	423.41
6	2006-07	504.75	463.78
7	2007-08	532.07	519.31
8	2008-09	574.77	530.53
9	2009-10	616.73	561.09
10	2010-11	670.13	570.03
11	2011-12	689.83	560.14
12	2012-13	744.91	545.68
13	2013-14	800.52	555.50
14	2014-15	871.52	581.34
15	2015-16	965.36	606.47
16	2016-17	1065.83	648.40
	पुन: रेटेड क्षमता 2016-17	1359.00*	
17	2017-18	1451.19	679.37
18	2018-19	1514.09	699.10
19	2019-20	1534.91	704.93
20	2020-21	1560.61	672.68
21	2021-22	1597.59	720.05
22	2022-23	1617.39	784.31
23	2023-24	1629.86	819.23

(*) बर्थिंग नीति 2016 के अनुसार महापत्तनों की क्षमताओं को पुन:रेटेड किया गया है।

पत्तनों के मुख्य कार्य- निष्पादन सूचकांक का विवरण निम्नानुसार है:

(iv) औसत टर्न अराउंड टाइम

क्र. सं.	पत्तन	औसत टर्न अराउंड टाइम /(घंटे)#	
		2022-23	2023-24 (*)
1	एसएमपी, कोलकाता	68.16	82.61
2	हल्दिया	50.10	50.12
3	पारादीप	46.27	41.61
4	विशाखापट्टणम	73.19	65.86
5	चेन्नै	48.22	44.92
6	वी.ओ. चिदंबरनार	46.80	51.36
7	कोचिन	33.41	33.40
8	नव मंगलूर	43.09	40.44
9	मुरगांव	61.47	65.61

10	जवाहरलाल नेहरू	28.47	26.00
11	मुंबई	67.42	62.97
12	दीनदयाल (कांडला)	77.28	54.24
13	कामराजर (एन्नोर)	45.40	44.37
	कुल (सभी पत्तन)	**52.90**	**48.06**

(*)अनंतिम (#)पायलट के बोर्डिंग से लेकर डीबोर्डिंग तक की गणना

प्रमुख समुद्री पत्तनों के कंटेनर जलयान के लिए औसत टर्नअराउंड समय 2022-23 में 30.10 घंटे और 2023-24 में 30.12 घंटे है।

(v) औसत आउटपुट प्रति पोत बर्थ दिवस

(टन में)

क्र. सं.	**पत्तन**	**औसत आउटपुट प्रति पोत बर्थ दिवस**	
		2022-23	**2023-24***
1	एसएमपी, कोलकाता	5223	5365
2	हल्दिया	13787	13698
3	पारादीप	31050	33014
4	विशाखापट्टणम	12421	13687
5	चेन्नै	15648	18728
6	वी.ओ. चिदंबरनार	15852	15401
7	कोचिन	24517	25963
8	नव मंगलूर	18489	19218
9	मुरगांव	15699	17772
10	जवाहरलाल नेहरू	27643	28648
11	मुंबई	10035	11152
12	दीनदयाल (कांडला)	16074	18217
13	कामराजर (एन्नोर)	26075	27197
	कुल (सभी पत्तन)	**17605**	**18925**

(*)अनंतिम

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी)

4.29 जवाहरलाल नेहरू पत्तन पहला 100% स्वामित्व वाला महापत्तन बना

पिछले 25 वर्षों में भारतीय पत्तनों में निवेश के पीपीपी मोड ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसकी शुरुआत जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपी) से हुई, जिसके परिणामस्वरूप क्षमता वृद्धि और उत्पादकता में सुधार हुआ है। अब, जेएनपी 100% भू-स्वामित्व वाला देश का पहला महापत्तन बन गया है, जिसमें सभी बर्थ पीपीपी मॉडल पर संचालित किए जा रहे हैं। जेएनपीए ने 28 जून 2022 को जेएम बक्सी पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड और कंसोर्टियम के सदस्य सीएमए टर्मिनल्स को लेटर ऑफ अवार्ड (एलओए) दिया है और 29 जुलाई, 2022 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल (जेएनपीसीटी) में 680 मीटर की कुल लंबाई और 15 मीटर ड्राफ्ट वाली 2 बर्थ हैं, जिन्हें इस पीपीपी अनुबंध के तहत 30 वर्षों के लिए 54.74 हेक्टेयर के बैकअप क्षेत्र के साथ सौंप दिया जाएगा। रियायतप्राप्तकर्ता को इस टर्मिनल को पीपीपी आधार पर उन्नत करना, प्रचालित करना, रखरखाव करना और स्थानांतरित करना होगा।

4.30 कुछ उच्च मूल्य परियोजनाएं: -

➢ पीपीपी मोड के तहत डीबीएफओटी आधार पर वी.ओ. चिदंबरनार पत्तन पर ड्रेजिंग और ब्रेकवाटर के निर्माण सहित आउटर हार्बर कंटेनर टर्मिनल का विकास: 7,055.95 करोड़ रु. की अनुमानित लागत वाली परियोजना का प्रस्ताव जिसमें व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता शामिल है, का मूल्यांकन किया गया है और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है। परियोजना के शुरू होने पर, यह अधिकतम ड्राफ्ट क्षमता प्राप्त करने में सहायता करेगा, जो 18 मीटर तक पहुँचेगी, जिससे 22,000 टीईयू तक के गहरे ड्राफ्ट वाले जलयानों को हैंडल करने में सक्षम बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, यह 4 मिलियन टीईयू तक की क्षमता बढ़ाएगा, विशेष रूप से मेनलाइन जलयानों और गेटवे कार्गो की जरूरतों को पूरा करेगा। यह विकास इनर हार्बर की अवसंरचनात्मक चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य की तत्परता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह ट्रांसशिपमेंट और गेटवे कंटेनर ट्रैफ़िक दोनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए रणनीतिक

रूप से स्थित है। परियोजना निर्माण चरण के दौरान प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 750 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने की क्षमता रखती है। इसके बाद, परिचालन चरण के दौरान, यह रोजगार क्षमता बढ़कर लगभग 800 व्यक्तियों तक पहुँचने की उम्मीद है।

- कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन के केडीएस के एनएसडी में बर्थ संख्या 8 के पुनर्निर्माण तथा बर्थ संख्या 7 और 8 के मशीनीकरण की प्रस्तावित परियोजना को पीपीपी मोड के माध्यम से डीबीएफओटी आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 809.18 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से अनुमोदन प्रदान किया गया है। परियोजना का संक्षिप्त विवरण/लाभ:

  - डेवलपर, पीपीपी मोड के माध्यम से डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी) के आधार पर केडीएस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता के एनएसडी में बर्थ संख्या 8 का पुनर्निर्माण और बर्थ संख्या 7 और 8 का मशीनीकरण करेगा।.
  - वित्तीय व्यवस्था : वित्त की व्यवस्था रियायतप्राप्तकर्ता द्वारा की जाएगी।
  - संभावित निर्माण अवधि: 2 वर्ष की निर्माण अवधि
  - रियायत अवधि: 30 वर्ष रियायत अवधि (निर्माण अवधि सहित)).
  - मशीनीकरण के माध्यम से या बर्थ के विस्तार के अन्य तरीकों से एक प्रभावी, कुशल, त्वरित/तेज और पर्यावरण अनुकूल एकीकृत कार्गो हैंडलिंग प्रणाली और इस प्रकार एसएमपीए में कार्गो हैंडलिंग क्षमता में सुधार।
  - एनएसडी के इंपाउंड डॉक के अंदर अतिरिक्त बर्थिंग/कार्गो हैंडलिंग सुविधाएं (आयात और निर्यात)।

4.31 ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस) 2023

जीएमआईएस 2023 का आयोजन 17-19 अक्तूबर, 2023 तक मुंबई में एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा किया गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने 17 अक्तूबर, 2023 को समिट का उद्घाटन किया। जीएमआईएस, 2023 में 8.35 लाख करोड़ रु. की निवेश प्रतिबद्धता के साथ 360 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए और 1.68 लाख करोड़ रु. की अतिरिक्त निवेश योग्य परियोजनाओं की घोषणा की गई। माननीय प्रधानमंत्री ने कुल 14,440 करोड़ रु. की ग्यारह परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसके अतिरिक्त, 8,924 करोड़ रु. की ग्यारह (11) परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गईं। ये समझौता ज्ञापन समुद्री क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पत्तन विकास और आधुनिकीकरण, हरित हाइड्रोजन और अमोनिया, पत्तन आधारित विकास, व्यापार और वाणिज्य, पोत निर्माण, ज्ञान साझाकरण और पत्तन संपर्कता पर केंद्रित हैं। इसके अतिरिक्त, समिट में भारत के क्रूज क्षेत्र में अवसरों पर प्रकाश डाला गया। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 (जीएमआईएस 2023) के दौरान हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन पर हितधारकों की बैठक 16 फरवरी, 2024 को सफलतापूर्वक आयोजित की गई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों को एक साथ लाना और समझौता ज्ञापनों के सुचारू कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना था।

पोत परिवहन

प्रस्तावना

5.1 देश के आर्थिक विकास में, विशेष तौर पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नौवहन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारतीय नौवहन उद्योग देश की ऊर्जा सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस जैसे ऊर्जा संसाधनों का परिवहन मुख्यतः पोतों द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा, संकट की परिस्थिति के दौरान, भारतीय नौवहन अनिवार्य वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने में योगदान करता है और रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में काम करता है।

5.2 भारत की नौवहन नीति की मुख्य विशेषताएं देश के विदेशी व्यापार की वाहक व्यवस्था में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय नौवहन को बढ़ावा देना और एक्जिम व्यापार में हितधारकों के हितों की सुरक्षा करना हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वजपोत, कच्चे तेल और पैट्रोलियम उत्पाद आयातों के परिवहन के लिए जरूरी साधन उपलब्ध कराते हैं। राष्ट्रीय नौवहन देश के विदेशी मुद्रा अर्जन में भी महत्वपूर्ण योगदान करता हैं।

5.3 भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्रीय संगठन (आई एम ओ) का एक संस्थापक सदस्य देश है, जो समुद्री सुरक्षा से संबंधित नौवहन के तकनीकी पहलुओं, सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा, प्रशिक्षण के मानकों और संबंधित विधिक मामलों के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ के तहत गठित एक विशेषीकृत एजेंसी है। भारत आईएमओ समितियों, उप-समितियों, परिषद और सभा की विभिन्न बैठकों में भाग लेता रहा है और इसने आईएमओ द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार के कन्वेंशनों, प्रोटोकॉल, संहिता और दिशा-निर्देशों को तैयार करने की दिशा में सक्रिय रूप से योगदान किया है।

5.4 भारतीय टनभार को बढ़ावा देने और कीमती विदेशी मुद्रा बचाने के लिए मंत्रिमंडल ने दिनांक 10 दिसम्बर 1957 को यह निर्णय लिया था कि बड़ी संविदाओं, जिनमें केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकार के विभागों और उनके अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नौवहन व्यवस्था करना शामिल है, के लिए सभी प्रकार के मोलभाव करने में तत्कालीन परिवहन विभाग से अनिवार्य रूप से परामर्श करना होगा और ऐसी सभी आयात संविदाओं को एफओबी/एफएएस (फ्री ऑन

बोर्ड/फ्री एलांगसाइड शिप) आधार पर तथा निर्यात के लिए सीएण्डएफ/सीआईएफ (लागत और भाड़ा/लागत, बीमा और मालभाड़ा) आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। ऐसा न होने पर, मामला-दर-मामला आधार पर, परिवहन विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी।

5.5 आर्थिक उदारीकरण के बदले हुए परिप्रेक्ष्य में और लोक उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मकता और निष्पादन सुधार पर नए सिरे से जोर दिए जाने के कारण सरकार ने 15 नवम्बर 2001 को निर्णय लिया कि जहां एफओबी/एफएएस आधार पर आयात संविदा करने की मौजूदा नीति जारी रहेगी, वहीं निर्यात के मामले में इस नीति को शिथिल किया गया। सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को मंत्रालय की पूर्व-अनापत्ति प्राप्त किए बगैर एफओबी/एफएएस आधार पर निर्यात संविदाओं को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई थी।

5.6 विभिन्न सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उन्हें अपने स्वयं के पोत परिवहन प्रबंध करने की बढ़ती मांग की अनुमति देने, ताकि वे अपने कार्गो आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स श्रृंखला संचालन को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने में त्वरित निर्णय ले सकें, तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय ने सितंबर 2015 में निर्णय लिया था कि सभी आयातक सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी आवश्यकताओं को पोत परिवहन मंत्रालय के माध्यम से भेजे बिना अपने स्वयं के पोत परिवहन प्रबंध करेंगे, जो निम्नलिखित के अधीन होगा:

- बल्क कार्गो, सूखे और तरल दोनों, का आयात आयातक सरकारी विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) / एफएएस (फ्री अलोंग शिप) के आधार पर किया जाना जारी रहेगा और मौजूदा सरकारी नीति के अधीन रहेगा और इससे किसी भी विचलन के मामले में, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग की मंजूरी के साथ मामले के आधार पर तत्कालीन पोत परिवहन मंत्रालय से पूर्व अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

- सरकारी विभाग/एफओबी पर पीएसयू (फ्री ऑन बोर्ड)/एफएएस (फ्री अलोंगसाइड शिप) या सीएंडएफ (लागत और माल ढुलाई)/सीआईएफ (लागत, बीमा और माल ढुलाई) के आधार पर सामान्य लाइनर कार्गो (प्रोजेक्ट कार्गो, हेवी लिफ्ट कंटेनर, ब्रेक बल्क कार्गो आदि) के आयात की भी अनुमति दी गई थी, जो मौजूदा सरकारी नीति के अधीन है। सीएंडएफ/सीआईएफ आयात के मामले में पोत परिवहन मंत्रालय से एनओसी प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

5.7 व्यापार (निर्यात और आयात) बढ़ाने की संभावना वाले उभरते क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किए जाने की आवश्यकता है और इन क्षेत्रों पर समुद्री मार्ग खोलने के तरीकों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (आईएनएसटीसी) मार्ग, जो ईरानी पत्तनों से होते हुए भारत से स्वतंत्र देशों के राष्ट्रमंडल (सीआईएस) तक की दूरी को काफी हद तक कम करेगा, बांग्लादेश और म्यांमार के लिए खोले गए समुद्री मार्गों (सरकार की पूर्वोन्मुखी नीति के भाग के रूप में) के सदृश दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे थाईलैंड, वियतनाम इत्यादि को जाने वाले मार्ग में विकास के लिए अब भी गुंजाइश है।

5.8 वर्षों के दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही निर्यात संवर्धन की नीति के कारण भारत का समुद्रपार व्यापार, संरचना और दिशा दोनों दृष्टियों से काफी अधिक बढ़ गया है। साथ ही, यातायात की आवाजाही को और अधिक कारगर तरीके से आसान बनाने हेतु व्यापार से संबधित अवसंरचना, विशेषकर परिवहन, को मुहैया कराने और उसे बेहतर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक जलयानों द्वारा समुद्रपार गंतव्यों तक यातायात के आवागमन का संबंध है, कन्सोर्टियम लाइनर नौवहन सेवाएं प्रदान करने वाले भारत और विदेशी ध्वजपोत दोनों द्वारा ब्रेक-बल्क अथवा कंटेनरीकृत रूप में सामान्य कार्गो के लिए प्रत्यक्ष अथवा यानांतरण व्यवस्था के जरिए सेवाएं मुहैया की जाती रही हैं। इसी प्रकार आयात अथवा निर्यात के रूप में बल्क कार्गो के आवागमन के लिए भारतीय और विदेशी, दोनों यानांतरण सेवाएं, जिन्हें आमतौर पर चार्टर आधार पर लिया जाता है, सभी गंतव्यों के लिए उपलब्ध हैं।

5.9 निर्यात बढ़ाने के लिए निर्यात से संबंधित अवसंरचना बेहतर करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। सड़क, रेल, पत्तनों और विमान पत्तनों के जरिए बाधा रहित परिवहन में खामियां निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए अवसंरचना विकास में आने वाली

बाधाएं हैं। तथापि, तथ्य यह है कि परिवहन क्षेत्र में, हमारे देश में अधिकांश वित्तपोषण रेलवे, सड़क तथा राजमार्ग क्षेत्रों के लिए होता है। हालांकि अर्थव्यवस्था में सड़कों और रेलवे के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है, सामुद्रिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किए जाने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सके। इस प्रकार, जलमार्ग परिवहन को बढ़ावा दिए जाने का प्रबल मामला बनता है।

5.10 परिणामस्वरूप भारतीय टन भार और पोत स्वामित्व पारिस्थितिकी तंत्र में हाल के वर्षों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रयासों और रणनीतिक पहलों को दर्शाता है। 2022-23 से 2023-24 की अवधि में पोतों/जलयानों की संख्या 1,523 से बढ़कर 1,526 हो गई। यह वृद्धि एक दीर्घकालिक प्रवृत्ति का हिस्सा है जो 2014-15 में शुरू हुई थी, जब पोतों की संख्या 1,250 थी। 2023-24 तक इसमें 22% की वृद्धि हुई। भारतीय पोत परिवहन उद्योग के बेड़े का आकार 2018 से 2023 तक 1.74% की वार्षिक दर से बढ़ा। 31 दिसंबर 2023 तक, उद्योग में 1,526 पोतों का बेड़ा है, जिसमें 13.74 मिलियन सकल टन भार (जीटी) और 20.83 मिलियन डेडवेट टन भार (डीडब्ल्यूटी) शामिल हैं। यह प्रगति भारतीय पोत परिवहन क्षेत्र के गतिशील विस्तार और बढ़ी हुई क्षमता को प्रदर्शित करती है।

पोतनिर्माण और पोत मरम्मत

5.11 एमओपीएसएंडडब्ल्यू भारतीय पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपायों को तैयार करने के लिए नोडल मंत्रालय है। देश में 53 शिपयार्ड हैं जिनमें से 7 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन, 2 राज्य सरकारों के अधीन तथा 44 निजी क्षेत्र के अधीन हैं। सरकार के स्वामित्व वाले, नियंत्रणाधीन शिपयार्डों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(क) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

- कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोच्चि
- हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल), नजीरगंज - सीएसएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी
- उडुपी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल), मालपे - सीएसएल के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी
- हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता (बंद हो गया है)

(ख) रक्षा मंत्रालय

- मझगांव डॉक लिमिटेड, मुंबई
- गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता
- गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा

- हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापट्टणम

(ग) राज्य सरकार

- गुजरात सरकार के अधीन - एलकॉक ऐशडाउन कं. लि. (प्रचालन बंद)
- पश्चिम बंगाल सरकार के अधीन - शालीमार वर्क्स लिमिटेड, कोलकाता

भारतीय पोतनिर्माण उद्योग

5.12 वर्तमान में, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए जाने वाले जलयानों का अधिकतम आकार 1,10,000 डीडब्ल्यूटी है, जिसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बढ़ाकर 3,00,000 डीडब्ल्यूटी तक किया जा रहा है। निजी क्षेत्र के शिपयार्ड केप आकार तक के जलयानों का निर्माण कर सकते हैं, जिसकी तुलना दुनिया के कुछ प्रमुख शिपयार्डों से की जा सकती है। रिलायंस नेवल इंजी. लिमिटेड के पास 400,000 डीडब्ल्यूटी और एलएंडटी शिपबिल्डिंग-कट्टुपल्ली में 300,000 डीडब्ल्यूटी तक के जलयानों के निर्माण की क्षमता है, जिसमें बड़े एलएनजी वाहक शामिल हैं। छोटे आकार के एलएनजी वाहक, ड्रेजर्स और अन्य विशेष जलयानों का निर्माण निजी क्षेत्र के अन्य शिपयार्ड जैसे शॉफ्ट शिपयार्ड प्राइवेट लिमिटेड, चौगुले एंड कंपनी लिमिटेड, टीटागढ़ वैगन्स लिमिटेड, विजय मरीन सर्विसेज, मंडोवी ड्राई डॉक्स लिमिटेड, एसी रॉय एंड कंपनी, डेम्पो शिपबिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग प्रा. लि. द्वारा किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर सकारात्मक दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप भी रुचि उत्पन्न हुई है और इस प्रकार अधिक रुचि के कारण भारतीय यार्डों में पूछताछ में वृद्धि हुई है। लेकिन कई निजी शिपयार्डों के धराशायी होने के कारण देश में अवसंरचना की कमी के परिणामस्वरूप क्षमता का क्षरण हुआ और प्रमुख पोत मालिकों और बाजार के प्रतिस्पर्धियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कोई उचित वित्तपोषण तंत्र न होना एक बड़ी बाधा बन गया।

एक भारतीय शिपयार्ड में पोतनिर्माण

पोत निर्माण में संभावनाएं

5.13 बाजार की मंदी के आज के हालातों में, इस उद्योग की वृद्धि में भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के तहत "आत्मनिर्भर भारत" के माध्यम से तेजी आने की संभावना है। एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा सभी महापत्तनों में सेवाओं के लिए स्थानीय रूप से निर्मित टगों को प्राथमिकता देने जैसी कई समर्थन पहलें की गई हैं। तटीय नौवहन और अंतर्देशीय जल के लिए उपर्युक्त योजनाओं से भारत में पोत निर्माण की मांग में वृद्धि होने की संभावना है। संभावना का दूसरा क्षेत्र रक्षा बाजार और गहरे समुद्र का मस्त्यन है। एक प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय नौसेना की परिप्रेक्ष्य योजना का उद्देश्य नौसेना के बेड़े को मौजूदा 137 से बढ़ाकर वर्ष 2027 तक 200 तक करना है। हाल ही में परिचालित रक्षा उत्पादन नीति के अनुसार भारत सरकार की संकल्पना आत्मनिर्भरता के उद्देश्य के साथ-साथ अन्य मित्र देशों की मांग को पूरा करते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की सक्रिय भागीदारी के साथ "भारत को एरोस्पेस और रक्षा उद्योगों में दुनिया के शीर्ष पांच देशों में शामिल करना" है। रुचि का दूसरा क्षेत्र शहरी परिवहन और शॉर्ट-सी नौवहन बाजार है, जहां पर्यावरण अनुकूल इलैक्ट्रिक प्रौद्योगिकी तेजी से बढ रही है और भारतीय पोतनिर्माताओं के लिए नए अवसर दे रही है। इस क्षेत्र में बड़े अवसर की परिकल्पना करते हुए, निजी शिपयार्ड हाइब्रिड जलयानों के निर्माण के लिए अपनी क्षमताओं को उन्नत कर रहे हैं, ताकि वे भी सरकार की सहायता से ऐसे जलयानों के निर्माण के लिए विचार करने योग्य हो सकें।

5.14 पोत निर्माण और मरम्मत उद्योग की वृद्धि के लिए समुद्री क्लस्टर महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये इस उद्योग के लिए सहायक सेवाएं, सहायक उत्पादों का विनिर्माण, समुद्री सेवाएं एवं वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए अध्ययन के आधार पर, तमिलनाडु को सागरमाला कार्यक्रम के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के भाग के रूप में समुद्री क्लस्टर के विकास हेतु पहचाना गया है। एशिया और यूरोप के बीच मुख्य नौवहन मार्गों की निकटता, आस-पास के क्षेत्रों में इस्पात उद्योग, शिपयार्ड और पत्तनों की उपस्थिति जैसे कारक तमिलनाडु में समुद्री क्लस्टर के विकास के लिए अनुकूल हैं। गुजरात मेरीटाइम बोर्ड (जीएमबी) अहमदाबाद में समुद्री सेवा क्लस्टर अथवा गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (जीआईएफटी) के साथ-साथ भावनगर में एक समुद्री पोतनिर्माण पार्क के विकास पर कार्य कर रहा है।

भारतीय पोत निर्माण उद्योग के लक्ष्य

- भारत में नदी-समुद्री जलयानों, अंतर्देशीय जलयानों, बार्जों और मत्स्ययन जलयानों के निर्माण को सुकर करना।
- नई प्रौद्योगिकी के उपयोग को प्रोत्साहित करना, विशेषकर ऐसे जलयानों के निर्माण में, जो वैकल्पिक इंधनों का इस्तेमाल करते हों।
- यह सुनिश्चित करना कि उन्नत उपस्कर के शीर्ष वैश्विक आपूर्तिकार भारत में अपने उत्पाद का भंडारण और/या एकत्रीकरण करें।
- यह सुनिश्चित करना कि समस्त सरकारी/पीएसयू स्वामित्व वाले जलयानों का निर्माण भारत में किया जाए।

5.15 विजन 2030 में भारतीय पोतनिर्माण को 2025 तक मात्राओं की दहलीज तक पहुंचने के साथ प्रतिस्पर्धी बनने, और फिर "मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड" स्तर तक पहुंचने और दुनिया के शीर्ष 10 पोतनिर्माण देशों में से एक होने के लिए उच्च मात्रा में गति को तीव्र करने की परिकल्पना की गई है। प्रमुख पहलों में, मांग में सुधार के लिए कार्गो को चैनलाइज करना, सहायक उद्योगों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र, उपयुक्त सरकारी हस्तक्षेपों के साथ बेहतर उत्पादकता के लिए मानकीकृत डिजाइन तैयार करना शामिल हैं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समान अवसर पैदा किए जा सकें।

5.16 मैरीटाइम इंडिया विजन दस्तावेज भी समुद्री क्षेत्रों में कार्यशील पूंजी और दीर्घकालिक वित्त जरूरतों तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एक समुद्री विकास निधि के निर्माण की वकालत करता है, लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, जो अन्यथा भारतीय पोत मालिकों को अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए और शिपयार्ड में अवसंरचनामें सुधार करने के लिए

पहुंच प्रदान कर सकता है। हालांकि, एमओपीएसडब्ल्यू के रोड मैप, जिसे विजन दस्तावेज 'मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 (एमआईवी 2030)' के अनुरूप तैयार और प्रकाशित किया गया है, के अनुसार भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने का उद्देश्य तय किया गया है। यह अगले दशक में भारत के समुद्री क्षेत्र के समन्वय और त्वरित विकास को दर्शाता है। नीचे सूचीबद्ध विभिन्न सरकारी नीतियां इस क्षेत्र में सकारात्मक प्रभाव दिखा रही हैं और ये इस क्षेत्र के विकास के लिए सहायक के रूप में कार्य करेंगी:

(क) पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016):

भारतीय शिपयार्डों में पोतनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर 2015 को भारतीय शिपयार्डों के लिए दस साल की अवधि, अर्थात् वर्ष 2016-2026 के दौरान हस्ताक्षरित अनुबंधों के लिए नई पोतनिर्माण वित्तीय सहायता नीति (एसबीएफएपी) को मंजूरी दी। एसबीएफएपी के लिए दिशा-निर्देश अक्तूबर 2017 में संशोधित किए गए और शिपयार्डों द्वारा ऑनलाइन जमा किए गए आवेदनों को नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) द्वारा ऑनलाइन संसोधित करने के उद्देश्य से वेब पोर्टल को 2017 के दौरान अपडेट किया गया। वर्ष 2016-17 से शुरू होने वाले कम से कम 10 वर्षों की अवधि के लिए भारतीय शिपयार्डों को "अनुबंध मूल्य" या "उचित मूल्य" या उनके द्वारा बनाए गए प्रत्येक जलयान के लिए किए गए वास्तविक भुगतान के 20% के बराबर वित्तीय सहायता दी जा रही है। 20% की इस दर को हर तीन साल में 3% कम किया जाएगा। इन दिशा-निर्देशों को अप्रैल 2022 और अगस्त 2023 में संशोधित किया गया है। यह नीति इन दिशानिर्देशों में दर्शाई गई वित्तीय सहायता की दर के अनुसार मानक, विशेषीकृत और अन्य जलयानों को सहायता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हरित पहल की घोषणाओं के साथ, भारत सरकार एसबीएफएपी के तहत हरित ईंधन वाले जलयानों के निर्माण की पहल को बढ़ावा दे रही है, जिसमें उन जलयानों के लिए 30% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जहां मुख्य प्रणोदन मेथनॉल/अमोनिया/हाइड्रोजन ईंधन सेल्स जैसे हरित ईंधन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है और प्रणोदन के विद्युत साधनों वाले जलयानों या हाइब्रिड प्रणोदन प्रणाली से सुसज्जित जलयानों के लिए 20% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि इस प्रकार है:

वर्ष	जारी की गई वित्तीय सहायता की राशि (करोड़ रु. में)	जलयानों की संख्या
2018-19	29	12
2019-20	27	7
2020-21	58	15
2021-22	65	17
2022-23	58	32
2023-24	90	50

(ख) भारतीय शिपयार्डों को अस्वीकार करने का अधिकार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 09 दिसंबर 2015 को यह भी अनुमोदित किया कि सी.पी.एस.यू. सहित सभी सरकारी विभागों अथवा अभिकरणों को वर्ष 2025 तक सरकारी अथवा अपने उपयोग के लिए जलयानों की खरीद अथवा मरम्मत के संबंध में पहले अस्वीकार करने का अधिकार भारतीय शिपयार्डों को देना होगा और उसके बाद केवल भारतीय शिपयार्ड ही इन संगठनों के जलयानों का निर्माण और मरम्मत करेंगे। दिनांक 31 मई 2016 को मंत्रालय की वेबसाइट पर दिशा-निर्देश अपलोड किए गए थे। उसके बाद, क्रे लेंग्थ एवं नॉन-डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग सुविधाओं से संबंधित कुछ प्रावधान मंत्रालय द्वारा संशोधित किए गए हैं ताकि छोटे शिपयार्डों सहित अधिक से अधिक भारतीय शिपयार्ड इस नीति का लाभ उठा सकें। संशोधित दिशा-निर्देश मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं।

(ग) अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना (2016)

आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 13 अप्रैल 2016 को अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अनुरूपित मास्टर सूची में पूर्णतया पृथक 'शिपयार्डों' के शामिल किए जाने को अधिसूचित किया है। इस समावेशन के साथ, शिपयार्ड दीर्घकालिक परियोजना ऋणों के लचीले निर्धारण, ब्याज की कम दरों पर बुनियादी निधियों से दीर्घकालिक वित्तपोषण तथा उनकी परिसंपत्तियों के आर्थिक काल के समकक्ष दीर्घकालिक अवधि निधीयन, शिथिल ईसीबी मापदंड, कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अवसंरचना बांड के निर्गमन का फायदा उठा पाएंगे। एक प्लवमान या भू-आधारित सुविधा केन्द्र जिसके साथ वाटरफ्रंट, टर्निंग बेसिन, बर्थिंग और डॉकिंग सुविधा, स्लिपवे तथा/अथवा शिपलिफ्ट जैसी आवश्यक विशेषताएं हों, एवं जो पोतनिर्माण/मरम्मत/ब्रेकिंग गतिविधियों को चलाने में आत्मनिर्भर हो, को स्टेण्डलोन शिपयार्ड के रूप में परिभाषित किया गया है।

(घ) टगों को चार्टर करने/खरीद के लिए एसओपी (2020)

लघु और मध्यम शिपयार्डों को प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय ने सितंबर, 2020 में महापत्तनों द्वारा पत्तन क्रॉफ्टों की खरीद/चार्टरिंग से संबंधित मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। स्थायी विनिर्देश समिति (एसएससी) द्वारा अंतिम रूप दिए गए टगों के 5 स्वरूप/प्रकार आईपीए के पास भेजे गए हैं।

(ङ) प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत डीप-सी फिशिंग वैसल्स (डीएसएफवी) की खरीद के लिए एसओपी (पीएमएमएसवाई)

मंत्रालय ने पीएमएमएसवाई के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए राज्य मत्स्यन विभागों की सहायता के लिए डीप-सी फिशिंग वैसल्स की खरीद हेतु वर्ष 2021 में मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) जारी की थी। इस्पात और एफआरपी के लिए डीप-सी फिशिंग वैसल्स की खरीद के लिए मानक प्रचालन पद्धति (एसओपी) दिनांक 31 जनवरी 2022 को जारी की गई थी। इसके बाद, नोडल प्राधिकरण द्वारा फिशिंग जलयानों हेतु अनुमोदित मानकीकृत डीएसएफवी डिजाइन एवं विनिर्देश के तीन स्वरूप आवश्यक कार्रवाई हेतु मत्स्यन विभाग को भेजे गए हैं।

(च) जलयानों की चार्टरिंग में पहले अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करना

भारत में पंजीकरण के अंतर्गत टनभार तथा भारत में पोतनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए निविदा प्रक्रिया के माध्यम से जलयानों की चार्टरिंग हेतु पहले अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान करने का मापदंड संशोधित किया गया है, जिससे टनभार और भारत में पोतनिर्माण के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। आरओएफआर के लिए संशोधित अनुक्रम निम्नानुसार है:

(1) भारत में निर्मित, भारत में पंजीकृत और भारतीय स्वामित्व वाले

(2) भारत में निर्मित, भारत में पंजीकृत और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व वाले

(3) विदेश में निर्मित, भारत में पंजीकृत और भारतीय स्वामित्व वाले

(4) विदेश में निर्मित, भारत में पंजीकृत और भारतीय आईएफएससीए स्वामित्व वाले

(5) भारत में निर्मित, विदेशी पंजीकृत और विदेशी स्वामित्व वाले

(छ) सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2017, वर्ष 2020 में संशोधित

डीपीआईआईटी द्वारा सितंबर, 2020 में जारी किए गए संशोधित मेक इंडिया आदेश में यह अनुबंध किया गया है कि 200 करोड़ रु. से कम की अनुमानित खरीदों सहित वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद के लिए, वैश्विक निविदा पूछताछ जारी नहीं की जाएगी। इससे भारतीय शिपयार्डों को और अधिक पोत मरम्मत ऑर्डर मिलने में मदद मिलेगी।

पोत मरम्मत उद्योग

5.17 वैश्विक पोत मरम्मत बाजार लगभग 12 बिलियन यूएसडी का है। कुशल कार्यबल और नवीनतम प्रौद्योगिकी की उपलब्धता के कारण चीन, सिंगापुर, बहरीन, दुबई और मध्य पूर्व के शिपयार्डों का इस वैश्विक पोत मरम्मत बाजार में प्रमुख हिस्सा है। दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत के बाजारों में होने वाले विकास के सहारे पोत मरम्मत और अनुरक्षण सेवाओं के बाजार के वर्ष 2030 तक 40 बिलियन यूएसडी तक पहुंचने की संभावना है। हालाँकि पोत मरम्मत के वैश्विक बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1% से कम है, फिर भी देश का स्थिति अनुकूल है, क्योंकि 7-9% वैश्विक व्यापार तटरेखा के 300 समुद्री मील(एनएम) के भीतर से होकर गुजरता है।

5.18 इसके अतिरिक्त, भारत हिंद महासागर और अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना और सहयोगी अमेरिकी नौसेना को इसके 5वें और 7वें बेड़े के लिए मरम्मत सेवाएं प्रदान करने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। पोत मरम्मत उद्योग के श्रम प्रधान होने के कारण, भारत को यह आवश्यकता पूरा करने के लिए अपने पास मजबूत कार्यबल होने का लाभ मिला है। हालांकि, भारतीय पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का कारण प्रमुख व्यापार मार्गों पर प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के पोतों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता में कमी कहा जा सकता है।

5.19 लागत नुकसान के अन्य कारणों में वित्तपोषण की उच्च लागत, भारत में पोत के पुर्जों की आपूर्ति में कमी, सहायक सहायता और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों में पोत मरम्मत निष्पादन चक्र समय में वृद्धि शामिल है। उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए, भारत सरकार घरेलू मांगों को चैनलाइज करने सहित एमआईवी 2030 के तहत, सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को वरीयता), आदेश 2020, वित्तीय साधनों की बेहतर पहुंच के माध्यम से अवसंरचना ढांचे के विकास, मुक्त व्यापार डिपो, समुद्री क्लस्टर आदि बनाकर उद्योग में समग्र विकास और व्यापार के लिए बेहतर अवसर प्रदान करने आदि लाभ उठाने वाली कई पहलों के साथ उद्योग को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। कोविड-19 महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाला था और इस प्रकार, वैश्विक व्यापार और संबद्ध पोत मरम्मत और रखरखाव सेवाओं के उद्योग को बाधित किया था। पोत मरम्मत और रखरखाव सेवा गतिविधियों को कई महीनों के लिए काफी कम या निलंबित कर दिया गया था। नए सुरक्षा उपायों के साथ विश्व स्तर पर संचालन धीरे-धीरे फिर से शुरू हो गया। इन कारकों ने वैश्विक पोत मरम्मत और रखरखाव बाजार में वृद्धि को सामूहिक रूप से बाधित किया है।

भारतीय पोत मरम्मत क्षमता

5.20 भारतीय पोत मरम्मत बाजार में अप्रयुक्त क्षमता का कारण प्रमुख व्यापार मार्गों पर सिंगापुर, मध्य पूर्व (दुबई, बहरीन) और कोलंबो में प्रतिस्पर्धी अंतरराष्ट्रीय पोत मरम्मत यार्डों की उपस्थिति और कुछ प्रकार के जलयानों की मरम्मत में भारतीय यार्डों की क्षमता की कमी को दिया जा सकता है। इन कमियों के कारण, देश के कुल 53 शिपयार्डों में से केवल 5-6 शिपयार्ड ही कोई महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य करते हैं। पोत की मरम्मत में प्रमुख बाधाओं में से एक जीएसटी है, जो एक अतिरिक्त कर बोझ है और विदेशी पोत मरम्मतकर्ताओं की तुलना में भारतीय पोत मरम्मतकर्ताओं को अप्रतिस्पर्धी बनाता है। लागत नुकसान के अन्य कारणों में वित्तपोषण की उच्च लागत, भारत में पोत के पुर्जों की आपूर्ति में कमी और प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों के कारण बढ़ा हुआ पोत मरम्मत निष्पादन समय चक्र शामिल हैं।

5.21 भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग पर महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है जिसके द्वारा यह व्यापार मार्ग में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाले पोतों को, उनके पोत-मरम्मत कार्यों के लिए आकर्षित कर सकता है। यह पोत-मरम्मत व्यवसाय के लिए बढ़ती बाजार संभावना को दर्शाता है क्योंकि पोतस्वामी जहां तक संभव हो सके अपने व्यवसाय मार्ग को बदले बिना अपने पोतों की मरम्मत को तरजीह देते हैं। पोत मरम्मत सेवा, एक अनुपूरक सेवा है जो अधिकांश शिपयार्डों द्वारा प्रदान की जाती है, यह एक श्रम-प्रधान गतिविधि भी है जोकि मौजूदा पोत निर्माण अवसंरचना का उपयोग करती है ताकि निवेश की गई पूंजी पर अतिरिक्त प्रतिलाभ अर्जित किया जा सके।

5.22 **प्रमुख उपलब्धियां:** 17 जनवरी 2024 को श्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में 2700 करोड़ रु. की परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जो भारतीय पोत परिवहन उद्योग के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पोतमरम्मत सुविधा का उद्घाटन भी शामिल था, जिससे कोचीन शिपयार्ड की परिचालन क्षमताओं और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होने की उम्मीद है। यह पर्याप्त निवेश समुद्री अवसंरचना के आधुनिकीकरण और विस्तार के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो भारत को वैश्विक पोत परिवहन क्षेत्र में अग्रणी देश बनाने के व्यापक दृष्टिकोण में योगदान देता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा

पोतों का पुनर्चक्रण

अलंग में पोत पुनर्चक्रण

5.23 भारत जीवनकाल समाप्त हो चुके पोतों के पुनर्चक्रण के लिए एक प्रमुख गंतव्य है। भारत में 98% पोत पुनर्चक्रण गुजरात के अलंग-सोसिया में होता है, जो अलंग-सोसिया गाँवों से सटे कैम्बे की खाड़ी के पश्चिमी तट पर 10 किमी लंबे समुद्र के सामने स्थित है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए बिना अलंग में प्रति वर्ष लगभग 3.50 एमएमटी स्टील का उत्पादन किया जाता है, जहां लगभग 100 पुनर्चक्रण प्लॉटों ने हांगकांग कन्वेंशन के अनुरूप अनुपालन दर्जा हासिल कर लिया है। किडरपोर डॉक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता और मुंबई पत्तन पर भी सीमित तरीके से पोत पुनर्चक्रण कया जाता है। केरल में स्टील इंडस्ट्रियल्स लिमिटेड भी सीमित पैमाने पर छोटे पोतों का पुनर्चक्रण करता है।

5.24 पोतों का पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पुनर्चक्रण के समय पोत मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के लिए जोखिम पैदा नहीं करते हैं। यह अधिनियम अभी लागू नहीं हुआ है। इसे, हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी), जिसके आधार पर इसका अधिनियमन किया गया है, लागू होने के बाद प्रभावी किया जाएगा। पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 28 नवंबर, 2019 को भारत ने पोतों के सुरक्षित और पर्यावरण की दृष्टि से स्वस्थ पुनर्चक्रण के लिए हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, 2009 का अनुसमर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करने हेतु पोत पुनर्चक्रण को विनियमित करने की दृष्टि से, भारत ने कन्वेंशन के आधार पर पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 अधिनियमित किया है। इसे 16 दिसंबर 2019 को अधिसूचित किया गया था। पोत पुनर्चक्रण नियमावली , 2021 को भी 26 फरवरी 2021 को अधिसूचित किया गया है, ताकि पोत पुनर्चक्रण यार्ड हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी) के लागू होने से पहले पोत पुनर्चक्रण में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक अवसंरचना से खुद को लैस कर सकें। वर्तमान में एचकेसी को 26 जून 2025 तक लागू होना है।

5.25 हरित पोत पुनर्चक्रण और स्क्रैपिंग नीति पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 12 सितंबर 2022 को गांधीनगर, गुजरात में आयोजित किया गया था, साथ ही 13 सितंबर 2022 को अलंग शिपयार्ड का दौरा भी किया गया था। यूरोपीय संघ के प्रमुख सदस्य राष्ट्रों के राजदूतों को भी अलंग में स्थापित की गई हरित पुनर्चक्रण अवसंरचना से अवगत कराने के लिए आमंत्रित किया गया था। मौजूदा पोत पुनर्चक्रण क्षमता को बढ़ाने के साथ-साथ इसे एलडीटी के मौजूदा 4.50 एमएमटीपीए से बढ़ाकर वर्ष 2024 तक एलडीटी के 9.0 एमएमटीपीए तक करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

अलंग में पोत भंजन

सुधार

वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 को प्रतिस्थापित करने हेतु वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, और तटीय नौवहन विधेयक

5.26 वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत मौजूदा नियामक ढांचा बेमेल साबित हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत भारत द्वारा अपनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दायित्वों को पूरा नहीं करता है। समुद्री उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने, समुद्री संधियों और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों के तहत भारत के दायित्वों का अनुपालन सुनिश्चित करने और अनुपालन बोझ को कम करके तटीय नौवहन और व्यापार को गति देने के लिए सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए ईज ऑफ डूईंग बिजनेस सुनिश्चित करने तथा भारतीय पोत परिवहन के विकास को बढ़ावा देने हेतु वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम,1958 को दो कानून, अर्थात वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम और तटीय नौवहन अधिनियम लाने के लिए समकालीन प्रावधानों के साथ नया रूप दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल को प्रस्तुत करने हेतु वाणिज्यिक पोत परिवहन विधेयक, 2024 और तटीय नौवहन विधेयक, 2024 की मसौदा टिप्पणियाँ जांच के लिए विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग को भेज दी गई हैं।

क्रूज नौवहन

माननीय एमओपीएसएंडडब्ल्यू मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज जलयान को चेन्नै से श्रीलंका के लिए हरी झंडी दिखाते हुए

घरेलू पोत :

5.27 इन पोतों को भारतीय पत्तनों पर आना होता है और भारत सीमा के भीतर विभिन्न छोटे पत्तनों/द्वीपों आदि से होते हुए घरेलू यात्रा कार्यक्रम में चलना होता है। यदि कोई विदेशी पोत घरेलू यात्रा कार्यक्रम के तहत चलना चाहता है, तो उस पोत को घरेलू यात्रा कार्यक्रम शुरू होने से पहले तटीय यात्रा में परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है।

5.28 पोतों को अपने नौवहन एजेंटों के माध्यम से अपने निर्धारित यात्रा कार्यक्रम की घोषणा पहले ही करना आवश्यक है, ताकि पत्तन सुगमता से पोत को अपने क्रूज बर्थों, जहां पोत चाहता है, पर ठहरा सकें। पोत अपने समुद्री और यात्री हैंडलिंग संचालन क्रमशः नौवहन एजेंटों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंटों के माध्यम से करता है।

5.29 नौवहन एजेंटों को पत्तन प्राधिकरण के साथ संपर्क स्थापित करना होता है और पोत को ठहराने, गैंगवे की व्यवस्था करने, बंकरों और ताजे पानी की आपूर्ति करने, खाद्य सामग्री लोड करने आदि कार्य करने होते हैं। ग्राउंड हैंडलिंग एजेंटों को चेक-इन स्टाफ, बैगेज हैंडलर आदि उपलब्ध कराकर यात्री हैंडलिंग का प्रबंधन करना होता है।

अंतर्राष्ट्रीय पोत:

5.30 ये पोत अपने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न भारतीय पत्तनों पर रुकते हैं। पोतों को अपने नौवहन एजेंटों के माध्यम से अपने कार्यक्रम की घोषणा पहले से ही करनी होती है, ताकि पत्तन को पोत की इच्छानुसार क्रूज बर्थ पर अपने पोत की योजना बनाने में सक्षम बनाया जा सके। पोत अपने समुद्री और यात्री संचालन कार्य क्रमशः नौवहन एजेंटों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंटों के माध्यम से करता है।

5.31 अंतर्राष्ट्रीय पोत होने के कारण यात्रियों को आप्रवासन निकासी, सीमाशुल्क द्वारा सामान की जांच आदि प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पोत के एजेंटों को दिन-प्रतिदिन के संचालन के दौरान विभिन्न प्राधिकरणों जैसे आप्रवासन, सीमाशुल्क, पीएचओ, सीआईएसएफ, पत्तन आदि के साथ संपर्क बनाए रखना पड़ता है। पोत पर यात्रा कर रहे अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को तटीय भ्रमण की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें यात्रा प्रचालकों के साथ भी संपर्क बनाए रखना पड़ता है।

विगत वर्षों में की गई पहलें

5.32 सरकार ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पिछले 8-9 वर्षों के दौरान अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनों तरह की कई पहलें की हैं। ये निम्नलिखित हैं:

- सरकार ने भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 23 नवंबर 2015 को सह-अध्यक्ष, सचिव, एमओपीएसएंडडब्ल्यू की अध्यक्षता में क्रूज पर्यटन पर एक कार्य बल गठित किया था।
- मालवाहक पोतों की तुलना में क्रूज पोतों के लिए गारंटीकृत बर्थ का प्रावधान किया गया है।
- क्रूज़ को आकर्षित करने के लिए निष्कासन (आउस्टिंग) शुल्क हटा दिया गया है। (निष्कासन - क्रूज पोत को बर्थ करते समय, कभी-कभी काम कर रहे मालवाहक पोत को हटाकर प्राथमिकता के आधार पर क्रूज पोत को बर्थ करना होता है, जिसके लिए शुल्क देय होते हैं। क्रूज को आकर्षित करने के लिए इन शुल्कों को माफ कर दिया जाता है।)
- घरेलू क्रूज जहाजों के लिए क्रूज टैरिफ में 20% तक की छूट बढ़ा दी गई है।
- ई-वीजा और ऑन-एराइवल वीजा सुविधाएं बढ़ाई गई हैं।
- एकल ई-लैंडिंग कार्ड शुरू किया गया है, जो क्रूज यात्रा कार्यक्रम में सभी पत्तनों के लिए वैध है।(एक बार बायोमेट्रिक्स कैप्चर हो जाने और आप्रवासन निकासी मिल जाने के बाद, यात्री को सिंगल ई-लैंडिंग कार्ड के आधार पर विभिन्न भारतीय पत्तनों पर पोत में प्रवेश करने और बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है। यह पहले पत्तन से लेकर पोत के भारतीय पत्तन से रवाना होने तक वैध रहता है।)

- विदेशी क्रूज जलयानों के लिए कैबोटेज में छूट दी गई है। इस छूट से विदेशी क्रूज पोतों को अपने घरेलू भ्रमण के दौरान भारतीय नागरिकों को एक भारतीय पत्तन से दूसरे भारतीय पत्तन तक ले जाने की अनुमति मिलती है।(भारत सरकार ने वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 की धारा 407 के प्रावधान में छूट देने पर विचार किया है, तथा 6 फरवरी 2009 के आदेश के माध्यम से यात्रियों को ले जाने वाले विदेशी क्रूज पोतों/जलयानों को नौवहन महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना एक से अधिक भारतीय पत्तनों पर रुकने की अनुमति दी गई है।)
- यात्रियों को ले जाने वाले विदेशी ध्वज जलयानों को नौवहन महानिदेशालय से लाइसेंस प्राप्त किए बिना फरवरी 2025 तक भारतीय पत्तनों पर आने की अनुमति दी गई।
- सीमा शुल्क, आप्रवासन, सीआईएसएफ, पत्तनों आदि के लिए एक समान एसओपी शुरू किए गए हैं।
- क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर अग्रणी वैश्विक क्रूज लाइनों सहित अन्य बातों के साथ-साथ जानकारी प्राप्त करने के लिए एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है।
- पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 में मुंबई में सफलतापूर्वक आयोजित किया गया, जिसमें वैश्विक क्रूज लाइनों की सक्रिय भागीदारी देखी गई।
- महापत्तनों में 42% से 67% तक की छूट के साथ सभी महापत्तनों के लिए एक समान एकल दर शुरू की गई है।
- बर्थ पर रहने के पहले 12 घंटों के लिए एमओपीएसएंडडब्ल्यू द्वारा अगस्त 2020 में लागू किए गए 0.085यूएसडी/जीआरटी के तर्कसंगत क्रूज प्रशुल्क को वसूला जा रहा है। 6 यूएसडी का मामूली यात्री हेड टैक्स वसूला जाता है।

2023-24 के दौरान शुरू की गईं पहलें

- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने विदेशी ध्वज वाले विदेशगामी जलयान को तटीय मार्ग में परिवर्तित होने पर सशर्त आईजीएसटी छूट की मंजूरी दी है, बशर्ते कि उसे छह महीने के भीतर विदेशी पोत में पुनः परिवर्तित किया जा सके।
- पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज कोस्टा सेरेना 2 नवंबर 2023 को मुंबई पहुंचा।

- **ग्लोबल मैरिटाइम इंडिया समिट 2023:** यह आयोजन मुंबई में किया गया था और इसे भारत के समुद्री उद्योग में एक महत्वपूर्ण क्षण माना गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। इस कार्यक्रम के दौरान, "2047 तक भारत में 50 मिलियन क्रूज़ यात्रियों को आकर्षित करने के लिए यात्रा शुरू करें" पर एक समर्पित सत्र आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर के प्रतिष्ठित क्रूज़ लाइन्स के अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया। इस सत्र के दौरान, वक्ताओं ने निम्नलिखित विनियामक मुद्दों पर प्रकाश डाला, जिन पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है, जिससे वर्ष 2047 तक 50 मिलियन यात्रियों का लक्ष्य हासिल किया जा सके।

घरेलू यात्रा पर अंतर्राष्ट्रीय क्रूज पोत

- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विदेश जाने वाले जलयान को तटीय मार्ग में परिवर्तित होने पर सशर्त आईजीएसटी छूट की मंजूरी दी है, बशर्ते कि यह छह महीने के भीतर पुनः विदेश जाने वाले जलयान में परिवर्तित हो जाता है।
- कोचीन, विशाखापट्टणम और नव मंगलूर पत्तनों पर समर्पित क्रूज टर्मिनल विकसित किए गए हैं।
- मुरगांव पत्तन में नवंबर 2023 के दौरान क्रूज बर्थ पर दो क्रूज जलयान पहली बार एक साथ बर्थ किए गए।

गोवा में क्रूज जलयान

5.33 भारतीय तटरेखा पर क्रूज की मांग को आरंभ में गति प्रदान करने के लिए चार(4) थीम आधारित तटीय गंतव्य सर्किटों को प्राथमिकता दी गई है। तदनुरुप, क्रूज की मांग को सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित 4 तटीय गंतव्य थीम आधारित सर्किटों के विकास के लिए चार(4) उप समूह बनाए गए हैं:

गुजरात – तीर्थयात्रा पर्यटन

5.34 पर्यटन और स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से, गुजरात को तीर्थ पर्यटन के लिए एक समर्पित सर्किट के रूप में विकसित किया जा सकता है, ताकि द्वारका, वेरावल, सोमनाथ, पोरबंदर और दीव आने वाले ~ 4 मिलियन पर्यटकों के मौजूदा विशाल बाजार का लाभ उठाया जा सके। राज्य के तटीय क्षेत्रों के साथ मौजूदा पत्तनों पर समुद्र को भूमि से जोड़ने के लिए अवसंरचना सुविधाएँ

विकसित की जा सकती हैं। कार किराए पर देने वालों, होटलों और दिन के यात्रा प्रचालकों के साथ स्थानीय सहयोग के अवसरों का पता लगाया जा सकता है।

पश्चिमी तट

5.35 पश्चिमी तट पर सांस्कृतिक और दर्शनीय पर्यटन, इतिहास और संस्कृति सर्किट विकसित किया जा सकता है, जिसमें सिंधुदुर्ग और अन्य किले, ऐतिहासिक, व्यापारिक, मंदिर और समुद्र तटीय स्थल तथा केरल के बैकवाटर जैसे आकर्षण शामिल होंगे, जिनका छोटी क्रूज नौकाओं पर लघु-मध्यम अवधि की यात्राएं करने के लिए उपयोग किया जा सकता है।

दक्षिणी तट – आयुर्वेदिक स्वास्थ्य पर्यटन

5.36 पर्यटन और स्थानीय अधिकारियों के सहयोग से केरल की समुद्ररेखा का उपयोग आयुर्वेदिक स्वास्थ्य और दर्शनीय पर्यटन के लिए किया जा सकता है। राज्य के मौजूदा पत्तनों, सांस्कृतिक विरासत और जैव विविधता का लाभ उठाकर सर्किट बनाया जा सकता है। 50 से अधिक आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्रों, कार किराए पर देने वालों, होटल मालिकों आदि के साथ स्थानीय सहयोग के अवसरों का पता लगाया जा सकता है।

पूर्वी तट - विरासत पर्यटन

5.37 घरेलू और विदेशी, दोनों तरह के पर्यटकों की महत्वपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए पूर्वी तट पर स्थित विरासत स्थलों जैसे महाबलीपुरम, श्री भवानरायण स्वामी मंदिर आदि का लाभ उठाया जा सकता है।

5.38 क्रूज पोत परिवहन/पर्यटन पर आंकड़े

वित्त वर्ष	पत्तनों के नाम	अंतर्राष्ट्रीय		घरेलू		कुल	
		जलयानों की संख्या	यात्रियों की संख्या	जलयानों की संख्या	यात्रियों की संख्या	जलयानों की संख्या	यात्रियों की संख्या
अप्रैल 2022 - मार्च 2023	मुंबई	20	12,058	71	1,78,378	91	1,90,436
	मुरगांव	15	6,945	31	81,426	46	88,371
	नव मंगलूर	6	2,635	0	0	6	2,635
	कोचीन	16	6,345	15	30,058	31	36,403
	चेन्नै	3	1,043	35	85,499	38	86,542
	विजाग	0	0	15	22,459	15	22,459
	कुल	**60**	**29,026**	**167**	**3,97,820**	**227**	**4,26,846**
अप्रैल 2023 - मार्च 2024	मुंबई	27	36,874	91	2,47,020	118	2,83,894
	मुरगांव	18	15,700	35	62,804	53	78,504
	नव मंगलूर	8	4,285	0	0	8	4,285
	कोचीन	25	20,843	17	32,072	42	52,915
	चेन्नै	12	20,642	20	31,445	32	52,087
	विजाग	0	0	0	0	0	0
	कुल	**90**	**98,344**	**163**	**3,73,341**	**253**	**4,71,685**

5.39 भारतीय नाविक क्षेत्र में परिवर्तनकारी वृद्धि:

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने प्रभावशाली प्रयास किए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय समुद्री नाविकों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

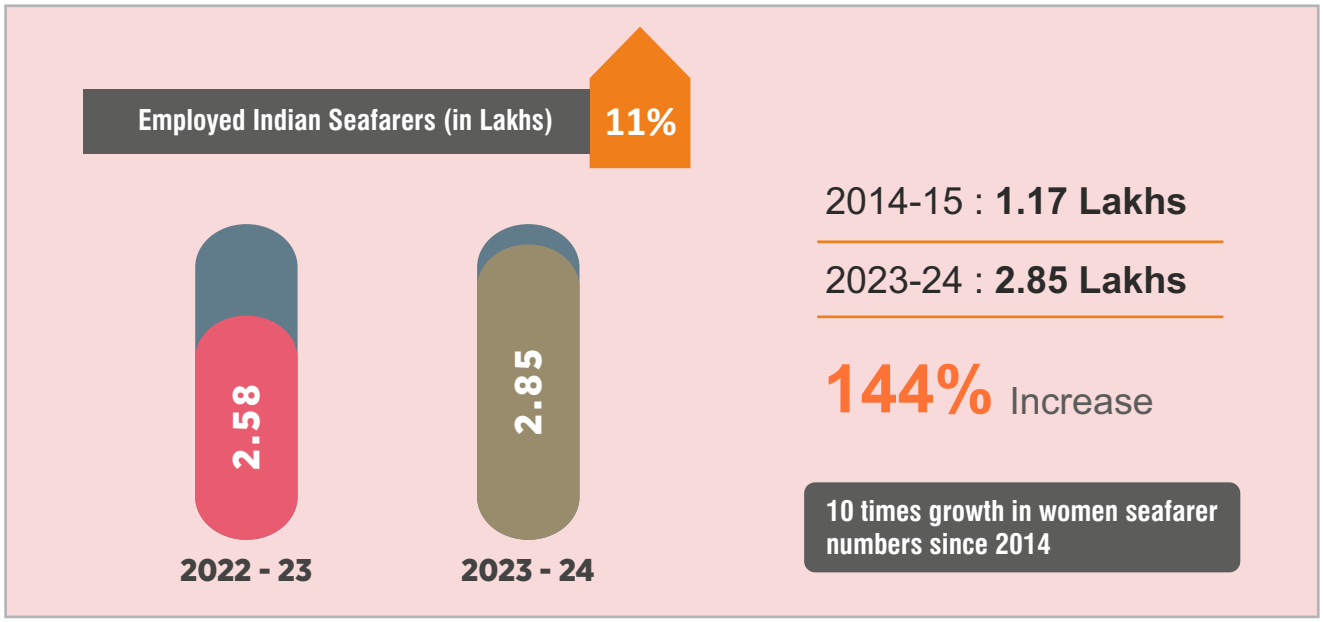

2022-23 से 2023-24 की अवधि के दौरान, नियोजित भारतीय नाविकों की संख्या 2.58 लाख से बढ़कर 2.85 लाख हो गई। यह वृद्धि 2014-15 से देखी गई व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जब नियोजित नाविकों की संख्या 1.17 लाख थी। 2023-24 तक, यह संख्या बढ़कर 2.85 लाख हो गई, जो 144% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय की पहलों से महिला नाविकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि को बढ़ावा मिला है, जिससे 2014 की तुलना में उनकी संख्या में दस गुना वृद्धि हासिल हुई है। यह प्रगति समुद्री उद्योग को आगे बढ़ाने और क्षेत्र के भीतर लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

संगठनों का कार्य

दिनांक 17 जनवरी, 2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कोचीन शिपयार्ड में दुनिया का पहला सीढ़ी नुमा ड्राई डॉक का उद्घाटन

नौवहन महानिदेशालय

6.1 नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस), मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय को1949 में स्थापित किया गया था।यह समुद्री प्रशासन, समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण, शिपिंग उद्योग के विकास और अन्य संबंधित विषयों से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है।डीजीएस समुद्र में जीवन और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, समुद्री प्रदूषण को रोकने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा निर्धारित अनिवार्य नियमों को लागू करने के लिए शिपिंग नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।इसमें समुद्री शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, नाविकों के लिए परीक्षाएं और प्रमाणन आयोजित करना, तथा अधीनस्थ कार्यालयों का पर्यवेक्षण करना, ताकि उनका प्रभावी संचालन सुनिश्चित हो सके, शामिल है।शिपिंग महानिदेशक की नियुक्ति वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 7 के तहत की जाती है।

6.2 नौवहन महानिदेशालय के प्रशासनिक सचिवालय में नौवहन महानिदेशक, अपर नौवहन महानिदेशक और उप नौवहन महानिदेशक शामिल हैं। तकनीकी क्षेत्र में नौचालन संबंधी मामलों में नॉटिकल सलाहकार द्वारा, समुद्री इंजीनियरिंग मामलों में प्रधान सर्वेक्षक द्वारा तथा समुद्री वास्तुकला मामले में प्रधान पोत सर्वेक्षक द्वारा महानिदेशक की सहायता की जाती है। नौवहन महानिदेशालय के क्षेत्रीय (फील्ड) कार्यालयों के अध्यक्ष प्रधान अधिकारी हैं जिनकी सहायता के लिए इंजीनियरिंग, समुद्री वास्तुकला और नॉटिकल क्षेत्र के सर्वेक्षक है। संबद्ध कार्यालयों के प्रमुखों को उनके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा सहायता की जाती है और वे नौवहन महानिदेशक को विभिन्न सांविधिक कार्यों को करने में मदद भी करते हैं।

नौवहन महानिदेशालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यालयों का कामकाज

6.3 वाणिज्यिक समुद्री विभाग (एमएमडी) की स्थापना 1929 में हुई थी, जिसका मुख्यालय मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में है। 2005 में, एमएमडी कोच्चि को जिला-स्तरीय कार्यालय में बदल दिया गया और कांडला में एक नया जिला-स्तरीय कार्यालय खोला गया। प्रारंभ में ये विभाग सीधे मंत्रालय के अधीन थे, जब तक कि 1949 में मुंबई में नौवहन महानिदेशालय की स्थापना नहीं हो गई।

एमएमडी के प्राथमिक कार्यों में समुद्र में पोतों और जीवन की सुरक्षा, प्रदूषण की रोकथाम, जलयानों का पंजीकरण, टनभार को मापना, चालक दल के लिए आवास सुनिश्चित करना, तथा लोड लाइनों और सुरक्षा निर्माण के लिए सर्वेक्षण आयोजित करने से संबंधित विभिन्न व्यापारिक शिपिंग कानूनों और नियमों का प्रशासन करना शामिल है। वे जहाज़ों में होने वाली दुर्घटनाओं और मलबे की जांच भी करते हैं, यात्री जहाज़ों और उन पर लगे रेडियो उपकरणों की जांच करते हैं, तथा जीवन रक्षक और अग्निशमन उपकरणों, वायरलेस टेलीग्राफ़ी, वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणालियों, नौवहन सहायता और प्रदूषण निवारण उपकरणों के लिए वैधानिक तंत्रोंकी जांच और अनुमोदन करते हैं।इसके अतिरिक्त, वे केंद्र सरकार के संगठनों की ओर से पोत की मरम्मत और निर्माण का पर्यवेक्षण करते हैं, ध्वज राज्य के विनियमों को लागू करते हैं, पत्तन राज्य नियंत्रण निरीक्षण करते हैं, और वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के तहत प्रासंगिक परीक्षा नियमों के अनुसार योग्यता प्रमाणपत्रों के विभिन्न ग्रेडों की परीक्षा और प्रमाणन की देखरेख करते हैं।

6.4 समय के साथ नौवहन महानिदेशालय (डीजीएस) को नए कानूनों के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जैसे कि मल्टी-मॉडल माल परिवहन अधिनियम, एडमिरल्टी अधिनियम, तथा नाविकों की भर्ती एवं नियुक्ति नियम। पोत सुरक्षा और प्रदूषण रोकथाम से संबंधित भारत द्वारा अनुमोदित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के तहत आवश्यक कई सर्वेक्षण, निरीक्षण और प्रमाणन, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सोसायटी संघ (आईएसीएस) की कुछ वर्गीकरण सोसायटियों को सौंपे गए हैं।ये समितियां सरकार के मान्यता प्राप्त संगठनों के रूप में कार्य करती हैं, तथा डीजीएसमहत्वपूर्ण सर्वेक्षणों के लिए चयनात्मक पर्यवेक्षी भूमिका निभाता है।

यात्री पोत सर्वेक्षण

6.5 सभी यात्री पोतों का निर्माण के दौरान और तत्पश्चात् वार्षिक रूप से हल, उपस्कर आदि का सर्वेक्षण किया जाना होता है। सर्वेक्षण पूरा हो जाने पर यात्री पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र, स्थान प्रमाण पत्र, विशेष व्यापार पोत सुरक्षा प्रमाण पत्र, छूट प्रमाण पत्र, 'ए' प्रमाणप त्र और सर्वेक्षण प्रमाण पत्र जैसे प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं। प्रशासन सुरक्षा निर्माण (सीएसएससी) कार्गो पोत विभिन्न प्रकार के निर्माणाधीन कार्गो पोतों का सर्वेक्षण और उसके बाद आवधिक और वार्षिक सर्वेक्षणों को करवाने के लिए उत्तरदायी है। विदेशों में निर्माणाधीन/ पुनर्निर्माणाधीन कार्गो पोतों के सर्वेक्षण और तत्पश्चात् आवधिक/वार्षिक सर्वेक्षण तथा प्रमाण पत्र जारी करने का कार्य मान्यता प्राप्त वर्गीकरण सोसाइटियों को सौंपा गया है। समय-समय यथा संशोधित एम.एस. (सीडीएसआरसी) रेडियो नियम, 1995 तथा एसओएलएएस 74 के अध्याय IV के अनुपालन में समुद्र में जाने वाले 300 जी.टी. से अधिक के सभी जलयानों का सर्वेक्षण किया जाना तथा सुरक्षा रेडियो प्रमाण-पत्र जारी किया जाना अपेक्षित है। सर्वेक्षण में ऑन बोर्ड संकट, सुरक्षा और सामान्य संचार के लिए रेडियो उपस्कर की जांच शामिल है। सर्वेक्षण का उद्देश्य आवश्यक प्रमाणपत्रों के दस्तावेज, उपकरणों के प्रकार का अनुमोदन, सभी रेडियों संचार उपकरणों की स्थिति की जांच करना है। सुरक्षा रेडियो प्रमाणपत्र का अन्य सांविधिक प्रमाणपत्रों के साथ मिलान किया जाता है।

नाविक की परीक्षा एवं प्रमाणीकरण

6.6 डीजीएस और एमएमडी कार्यालय, यथा संशोधित एसटीसीडब्ल्यू 78 कोड और एम.एस. एसटीसीडब्ल्यू नियम (2014) के अनुसार विभिन्न ग्रेडों के लिए योग्यता प्रमाण-पत्र हेतु परीक्षाएं आयोजित करते हैं। एसटीसीडब्ल्यू के तहत प्रदान किए गए योग्यता प्रमाण-पत्रों में प्रमाणीकरण के विभिन्न स्तर शामिल हैं, जो जलयान पर नाविक की रैंक और जिम्मेदारियों पर निर्भर करता है। कुछ प्रमुख प्रमाण-पत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- योग्यता प्रमाणपत्र (सीओसी): यह उन अधिकारियों को जारी किया जाने वाला एक उच्च- स्तरीय प्रमाणपत्र है, जिन्होंने आवश्यक प्रशिक्षण पूरा कर लिया है और अधिकारी के विभिन्न रैंकों, जैसे कि तीसरे इंजीनियर, दूसरे इंजीनियर, मुख्य अभियंता, आदि के रूप में कार्य करते हुए योग्यता का प्रदर्शन किया है।
- प्रवीणता प्रमाणपत्र: ये प्रमाणपत्र पुष्टि करते हैं कि नाविक ने विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त किया है और विभिन्न सुरक्षा-संबंधी क्षेत्रों, जैसे अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीक और अन्य में दक्षता का प्रदर्शन किया है।
- निगरानी प्रमाण पत्र: ये प्रमाण पत्र नाविक की इंजन कक्ष में खड़े होकर निगरानी करने की क्षमता को प्रमाणित करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उनके ड्यूटी घंटों के दौरान जलयान की देखरेख उचित तरीके से की जाएगी।

6.7 परीक्षाएं प्रतिमाह आयोजित की जाती हैं और मरीन इंजीनियर्स (एमईओ श्रेणी I, एमईओ श्रेणी II और एमईओ श्रेणी IV, एमईओ सीएल-III (एनसीवी-सीईओ), एमईओ सीएल-III (एनएससी-एसईओ), एमईओ सीएल-IV (एनसीवी) और इलेक्ट्रो तकनीकी अधिकारी), स्ट्रीम (मास्टर (एफजी), चीफ मेट (एफजी), सेकेंड मेट (एफजी), मास्टर (होम ट्रेड), मेट (होम ट्रेड), एनडब्ल्यूकेओ, आदि के विभिन्न योग्यता स्तरों को कवर करती हैं। ये परीक्षाएं देश भर में मुंबई, कोलकाता, कोचीन, नोएडा, चेन्नई, कांडला और विशाखापत्तनम में स्थित मर्केंटाइल मरीन डिपार्टमेंट्स (एमएमडी) में आयोजित की जाती हैं।

6.8 नाविक योग्यता प्रमाणन, प्रशिक्षण, प्रमाणन और निगरानी मानकों (एसटीसीडब्ल्यू) कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों द्वारा शासित है, जो यह सुनिश्चित करता है कि जो लोग समुद्र में अपना कैरियर बनाते हैं, उनके पास पोतों को सुरक्षित और कुशलतापूर्वक चलाने, संचालित करने और रखरखाव संबंधी आवश्यक ज्ञान, कौशल और क्षमताएं हैं। प्रमाणन प्रक्रिया में विभिन्न समुद्री विषयों में नाविक की दक्षता का आकलन और सत्यापन करने के लिए कठोर प्रशिक्षण, व्यावहारिक अनुभव और परीक्षाएं शामिल हैं। डीजी (एस) भारतीय नागरिकों और नाविकों को सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जो शिपिंग उद्योग में अपना कैरियर बनाने की इच्छा रखते हैं। यह भारतीय नाविकों के प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों में सहायता करता है और एसटीसीडब्ल्यू 1978 कन्वेंशन (यथा संशोधित) और वाणिज्यिक पोत परिवहन (एमएस) अधिनियम, 1958 के तहत विकसित नियमों के अनुपालन में इंजीनियरिंग और समुद्री विषयों में नाविकों के लिए परीक्षाएं और प्रमाणन आयोजित करता है।

नौवहन महानिदेशालय द्वारा समुद्री अभियंताओं और नौचालन अधिकारियों को जारी किए गए दक्षता प्रमाण-पत्र

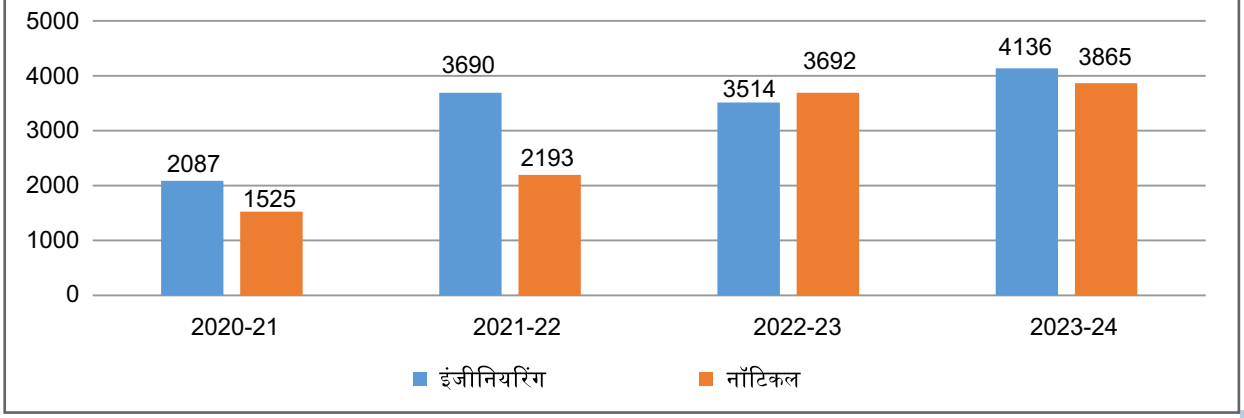

परीक्षा सुधार

6.9 मैरीटाइम इंडिया विज़न 2030 ने 10 विषयों में 150 से अधिक पहलों की पहचान की, जिनमें से दसवें विषय का लक्ष्य भारत को विश्व स्तरीय शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण के साथ एक अग्रणी समुद्री यात्रा वाला राष्ट्र बनाना है। पहल 10.9 मूल्यांकन, आकलन और प्रमाणन प्रक्रिया का शुरू से आखिर तक डिजिटलीकरण से संबंधित है, जिसकी कल्पना डीजीएस ने परीक्षा प्रणाली में सुधारों की शुरुआत से की है जिससे कई चरणों में लागू किया जाएगा।

नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई

6.10 नाविक भविष्य निधि योजना, भारतीय मर्चेंट नेवी के नाविकों के लिए बनाई गई पहली सामाजिक सुरक्षा योजना, जिसे नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4) के अधिनियमन द्वारा बनाया गया था, को दिनांक 01 जुलाई 1964 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया गया ताकि नाविकों के लिए वृद्धावस्था सेवानिवृत्त लाभ के रूप में तथा नाविक सदस्यों की मौत होने की स्थिति में उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक भविष्य निधि संस्था की व्यवस्था की जा सके। नाविक भविष्य निधि, न्यासी बोर्ड में निहित होती है तथा उनके द्वारा प्रशासित की जाती है जिनमें अध्यक्ष और तीन प्रतिनिधि जिसमें सरकार, नियोक्ताओं और कर्मचारियों से एक-एक प्रतिनिधि होते हैं। नौवहन महानिदेशक न्यासी बोर्ड के पदेन अध्यक्ष हैं और आयुक्त, बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और बोर्ड के सचिव भी हैं। वर्तमान में, एसपीएफओ लगभग 1,10,329 भारतीय नाविकों के भविष्यनिधि खातों का रखरखाव कर रहा है।

नाविकों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड

6.11 वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 218 के अंतर्गत भारत सरकार को तट अथवा समुद्र पर रहने वाले नाविकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किए जाने वाले उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में नाविकों के लिए एक राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड का गठन करने के संबंधी अधिकार दिए गए हैं। यह बोर्ड पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करता है। नौवहन महानिदेशक राष्ट्रीय नाविक कल्याण बोर्ड के पदेन सदस्य होते हैं।

नाविक कल्याण निधि सोसाइटी (एसडब्ल्यूएफएस)

6.12 नाविक कल्याण निधि सोसाइटी का गठन भारतीय नाविकों और उनके परिवारों के कल्याणार्थ केन्द्रीय संगठन के रूप में किया गया था। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 और बम्बई लोक न्यास अधिनियम 1950 के अंतर्गत एक न्यास के रूप में पंजीकृत है। यह सोसाइटी भारतीय नौवहन के साथ जुड़े विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करती है जिनमें भारतीय और विदेशी पोत स्वामियों के प्रतिनिधि और साथ ही नाविकों व अधिकारियों के अलग-अलग दोनों के नाविक यूनियन के प्रतिनिधि शामिल हैं। सोसाइटी के कार्यों और मामलों का नियंत्रण प्रबंधन समिति के पास है जिसके पदेन अध्यक्ष नौवहन महानिदेशक हैं। एसडब्ल्यूएफएस लगभग 80,000 भारतीय नाविकों के उपदान का प्रबंधन करती है। एसडब्ल्यूएफएस, भारत सरकार का केंद्रीय संगठन है जो मैरीटाइम लेबर कन्वेंशन, 2006 के विनियम 4.5 के अनुपालन को सुनिश्चित करता है इसके अनुपालन के लिए एसडब्ल्यूएफएस द्वारा नाविकों और उनके परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर पहले ही कदम उठाए गए हैं। एसडब्ल्यूएफएस द्वारा अब तक लागू की गई कल्याण योजनाएं हैं; (i) उत्तरजीवी हितलाभ योजना; (ii) अशक्तता हितलाभ योजना; (iii) मातृत्व हितलाभ योजना (केवल महिला नाविकों के लिए); (iv) वृद्धावस्था हितलाभ योजना और; (v) परिवार हितलाभ योजना।

राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड

6.13 राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की स्थापना वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अनुसार भारतीय नौवहन से संबंधित मामलों और वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम से उत्पन्न होने वाले ऐसे मामलों पर केन्द्र सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी, जिन्हें केन्द्र सरकार सलाह के लिए भेज सकती है।

दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय (डीजीएलएल)

6.14 दीपस्तंभ अधिनियम, 1927 के अनुसार, दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय भारत की तटरेखा के साथ समुद्री नौचालन में सहायता एवं अनुरक्षण करता है जिसे अब निरस्त कर दिया गया है और इसे अधिनियमित नए समुद्री नौचालन सहायता अधिनियम, 2021 से प्रतिस्थापित किया गया है।

6.15 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज (आईएएलए), जिसका मुख्यालय सेंट-जर्मेन- एन- ले (फ्रांस) में है, जो समुद्री नौचालन सहायताओं के प्रावधान और रखरखाव के लिए जिम्मेदार संगठनों को एक साथ लाता है। एसोसिएशन का उद्देश्य इन सहायकों में निरंतर सुधार को प्रोत्साहित करना है। आईएएलए, समुद्री नौवहन सहायता संबंधी एकमात्र विश्व निकाय है, जिसमें 100 से अधिक राष्ट्रीय सदस्य हैं जो अपने संबंधित देशों के भीतर नौचालन सहायकों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, भारत का प्रतिनिधित्व करता है। आईएएलए सूचना संग्रहण और प्रसार द्वारा विभिन्न सदस्य देशों के बीच सहयोग और सहायता को बढ़ावा देता है ताकि समुद्री सुरक्षा में वृद्धि के लिए बहुउद्देशीय नौवहन प्रणालियों का विकास किया जा सके।

संगठनात्मक ढांचा

6.16 डीजीएलएल का नेतृत्व नोएडा स्थित मुख्यालय में महानिदेशक द्वारा किया जाता है और गांधीधाम, जामनगर, मुंबई, गोवा, कोचिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में 09 निदेशालय हैं।

नौचालन के लिए सहायता

6.17 स्वतंत्रता के समय 17 दीपस्तंभ थे। आज की तिथि में, डीजीएलएल द्वारा अनुरक्षित नौचालन के लिए सहायकों के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	नौचालन के लिए सहायक	संख्या
1.	दीपस्तंभ	203
2.	दीपपोत	01
3.	डीजीपीएस स्टेशन	23
4.	रेकॉन्स	64
5.	गहन समुद्र में प्रदीप्त बॉयज	22
6.	राष्ट्रीय स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) 87 फिजीकल शोर स्टेशन (पीएसएस)	1
7.	जलयान यातायात सेवा- कच्छ की खाड़ी (9 रडार और 4 एआईएस बेस स्टेशन एवं 2 डायरेक्शन फाइंडर)	01
8.	दीपस्तंभ टेंडर जलयान	02
9.	नेशनल नैवटेक्स चेन मुंबई और वाइजैग पर 7 टीएक्स स्टेशन, 7 मॉनीटरिंग स्टेशन और नैवटेक्स कंट्रोल सैंटर)	01

दीपस्तंभ

दीपस्तंभ

6.18 दीपस्तंभ भूमि पर, तटरेखा के नजदीक अथवा पानी में बनी एक संरचना होती है। यह दिन के समय अपने रंग संयोजन के साथ एक निशानी के रूप में और समुद्र यात्रियों द्वारा रात के समय पहचान हेतु विशिष्ट चरित्र वाले एक शक्तिशाली प्रकाश पुंज के रूप में कार्य करता है। एक दीपस्तंभ का उपयोग उपयुक्त स्थान पर जाने के उद्देश्य से खतरनाक भवर, रेतीला तट, चट्टान आदि को इंगित करने हेतु और नदीमुख/ पत्तनों में प्रवेश करने के लिए भूस्खलन, हेडलैंड आदि को इंगित करने के लिए किया जा सकता है।

दीपपोत

दीपपोत

6.19 एक दीपपोत वही काम करता है जो एक दीपस्तंभ करता है और यह समुद्र में ऐसी जगह अवस्थित होता है, जहाँ दीपस्तंभ का निर्माण करना व्यवहार्य नहीं है। दीपस्तंभ एवं दीपपोत महानिदेशालय, गुजरात के भावनगर तट से दूर पर दीपपोत "पैरीजी" का रखरखाव करता है।

6.20 राष्ट्रीय नैवटेक्स नेटवर्क

डीजीएलएल ने पश्चिमी तट, पूर्वी तट और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 07 संचारण स्टेशनों की स्थापना करके अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ), वैश्विक समुद्री संकट और सुरक्षा प्रणाली (जीएमडीएसएस) की आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत के समुद्र तट के साथ एक राष्ट्रीय नैवटेक्स नेटवर्क की स्थापना की है।

नैवटेक्स नेटवर्क समुद्री सुरक्षा सूचना (अर्थात मौसम पूर्वानुमान, मौसम चेतावनी, नेविगेशन चेतावनी और एसएआर संदेश) प्रसारित करता है। आंकड़े, भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालय, भारतीय रक्षक (आईसीजी) और मुंबई में नौवहन महानिदेशालय द्वारा नैवटेक्स सेंटर में उपलब्ध कराया जाता है, जहां से इसे विभिन्न ट्रांसमिटिंग स्टेशनों पर प्रसारित किया जाता है।

राष्ट्रीय एआईएस नेटवर्क

6.21 स्वचालित पहचान प्रणाली (एआईएस) समुद्री सुरक्षा और टकराव से बचने के लिए पोत से पोत और पोत से समुद्र तट पर डेटा प्रसारण प्रणाली है। डीजीएलएल ने 87 भौतिक समुद्र तट स्टेशनों (पीएसएस) के साथ राष्ट्रीय एआईएस नेटवर्क स्थापित किया है, जो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के द्वीपों सहित तट से 25 समुद्री मील की न्यूनतम दूरी तक निर्बाध रूप से रेडियो कवरेज प्रदान करता है, इस

एनएआईएस कवरेज को दर्शाता मानचित्र भौतिक तट स्टेशन

प्रकार सभी सोलास और एआईएस ट्रांसपोंडर से लैस अन्य जलयान ट्रैक किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मुंबई में एक राष्ट्रीय डेटा केंद्र के साथ मुंबई और विशाखापत्तनम में दो तटीय नियंत्रण केंद्र स्थापित किए गए हैं, तटीय सुरक्षा और संरक्षा में वृद्धि करने के लिए, नौवहन महानिदेशालय, संयुक्त संचालन केंद्र (जेओसी) मुंबई तथा विशाखापत्तनम, भारतीय नौसेना दिल्ली और भारतीय तटरक्षक दिल्ली में भी एआईएस टर्मिनल उपलब्ध कराए गए हैं।

दीपस्तंभ टेन्डर जलयान

6.22 द्वीपों में दीपस्तंभों के रखरखाव की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी में चैनल मार्किंग ब्वॉअ के रखरखाव के लिए, निदेशालय समुद्र में जाने वाले दो जलयानों, (1) एम.वी. सागरदीप-II और (2) इंदिरा पॉइंट का अनुरक्षण करता है। इन जलयानों का उपयोग महानिदेशालय द्वारा स्थापित नौचालन सहायकों (एटूएन्स) के कार्य निष्पादन की निगरानी के लिए भी किया जाता है।

एमवी सागरदीप II

एमवी इंदिरा पॉइंट

कलवान रीफ और सैय्यद राजपारा में नए लाइटहाउस की स्थापना

6.23 नाविकों और मछुआरों की सुरक्षा बढ़ाने और भारतीय तट पर निर्बाध कवरेज प्रदान करने के लिए, कलवान रीफ और सैय्यद राजपारा (गुजरात) में दो नए दीपस्तंभ स्थापित किए गए हैं।

कलवान दीपस्तंभ

सैय्यद राजपारा दीपस्तंभ

डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (डीजीपीएस) का पुनर्पूंजीकरण

6.24 डीजीएलएल ने पहले 23 डीजीपीएस स्टेशनों की एक श्रृंखला स्थापित की थी, जो नाविकों को 5 मीटर से बेहतर सटीकता प्रदान करने के लिए एक सैटेलाइट व्युत्पन्न पोजिशनिंग प्रणाली थी। 16 डीजीपीएस स्टेशनों पर उपकरणों को उनके उपयोगी अवधि के पूरा होने पर बदल दिया गया है। पहले डीजीपीएस केवल एक सैटेलाइट समूह नामत: नवस्टार के आधार पर सुधार करता था। हालाँकि, वर्तमान परिदृश्य में स्थिति निर्धारण के लिए अन्य सैटेलाइट समूह नामत: ग्लोनास, गैलेलियो, बेडियू और भारत के क्षेत्रीय समूह क्यूज़ेडएसएस और एनएवीएलसी प्रचालनरत हैं। रिकैपिटलाइज़ेशन के तहत उन्नत प्रणाली में एनएवीएलसी सहित सभी समूहों से सिग्नल प्राप्त करने और संसाधित करने की क्षमता है और यह डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (डीजीएनएसएस) के रूप में काम करती है। 22 स्टेशनों का रिकैपिटलाइज़ेशन पूरा हो चुका है और जो डीजीएनएसएस के रूप में काम कर रहे हैं। डीजीएनएसएस (सागरसंपर्क) का उद्घाटन 12 जुलाई, 2023 को माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री द्वारा किया गया था।

भारतीय दीपस्तंभ उत्सव

6.25 डीजीएलएल ने दीपस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 23 सितंबर, 2023 को फोर्ट अगुआड़ा, गोवा में पहला दीपस्तंभ उत्सव 2023 और 25 सितंबर, 2023 को सेंट बेडे हायर सेकेंडरी स्कूल, चेन्नै के खेल के मैदान में दूसरे सैटेलाइट कार्यक्रम का आयोजन किया। इस महोत्सव में भारत की समुद्री विरासत और तटीय संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। भारतीय दीपस्तंभ उत्सव का उद्घाटन पीएसएंडडब्ल्यू के माननीय मंत्री द्वारा पीएसएंडडब्ल्यू राज्य मंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों और बॉलीवुड हस्तियों की उपस्थिति में किया गया।

पहले भारतीय दीपस्तंभ फेस्टिवल ने भारत के तटीय इतिहास में दीपस्तंभ के महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा देते हुए समुद्री विरासत, पर्यटन और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य किया।

कोलकाता में समुद्री नेविगेशन प्रशिक्षण संस्थान में लेवल-1 एटूएन प्रबंधक पाठ्यक्रम

6.26 भारत, सार्क और उत्तर हिंद महासागर क्षेत्र (एनआईओआर) के देशों में समुद्री बिरादरी के ए से एन तक के कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में डीजीएलएल के इन-हाउस प्रशिक्षण केंद्र को समुद्री नेविगेशन प्रशिक्षण संस्थान (एमएनटीआई) में अपग्रेड किया गया है। एटूएन प्रशिक्षण के अलावा, आईएएलए के सहयोग से एमएनटीआई में आईएएलए मॉडल पाठ्यक्रम के अनुसार वेसल ट्रैफिक सर्विस (वीटीएस) पर प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं विकसित की गई हैं।

डीजीएलएल ने 30 अक्टूबर, 2023 से 24 नवंबर, 2023 तक एमएनटीआई कोलकाता में एटीओएन प्रबंधक पाठ्यक्रम लेवल-1 का आयोजन किया है, जिसमें भारत और अन्य देशों नामत: मलेशिया, सोमालिया, बांग्लादेश, यमन, मिस्र आदि के प्रतिभागियों ने भाग लिया। डीजीएलएल ने वीटीएस ऑपरेटर कोर्स वी103/1 भी आयोजित किया है।

- संस्थान समुद्री पेशेवरों की क्षमता और व्यावसायिकता को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसे पाठ्यक्रम पेश करता है जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रतिभागियों के लिए अत्यधिक महत्व रखते हैं।
- इसका महत्व समुद्री सुरक्षा बढ़ाने, अंतरराष्ट्रीय मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने और कुशल और प्रतिस्पर्धी कार्यबल को बढ़ावा देने में इसके योगदान में निहित है।
- संस्थान प्रतिभागियों को नेविगेशन प्रक्रियाओं और नेविगेशन प्रौद्योगिकियों में नवीनतम प्रगति का व्यापक ज्ञान प्रदान करते हैं।

आईएएलए के उपाध्यक्ष के रूप में भारत का चयन

6.27 रियो डी जनेरियो में 20वें आईएएलए सम्मेलन में 29 मई, 2023 से 03 जून, 2023 तक सचिव (पीएसएंडडब्ल्यू) के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने समुद्री क्षेत्र, दीपस्तंभ पर्यटन, पत्तन आधारित विकास, ब्लू इकोनॉमी, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, बुनियादी ढांचे का विकास आदि में भारत के योगदान को प्रस्तुत किया। भारत को 2023 से 2027 तक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड दीपस्तंभ अथॉरिटीज (आईएएलए) के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है और 2027 में भारत में होने वाले अगले आईएएलए सम्मेलन जो मुंबई में आयोजित होगा की मेजबानी करने का सम्मान और विशेषाधिकार प्राप्त होगा।

रियो डी जनेरियो में आईएएलए सम्मेलन

75 दीपस्तंभों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास

6.28 दीपस्तंभ न केवल सुरक्षित नेविगेशन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बल्कि इनमें पर्यटन की भी जबरदस्त संभावनाएं हैं। भारत के माननीय प्रधान मंत्री के विज़न के अनुरूप एमओपीएसएंडडब्ल्यू द्वारा दीपस्तंभ के समुद्री महत्व पर जागरूकता फैलाने, विरासत संरचनाओं को संरक्षित करने और भारत को एक अद्वितीय दीपस्तंभ आधारित पर्यटन के रूप में पेशकश करने के उद्देश्य से; 'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए देश के समुद्र तट पर 75 दीपस्तंभों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। पर्यटन सुविधा 75 दीपस्तंभों में विकसित की जाएगी जिसमें पर्यटन सुविधाओं में संग्रहालय, एम्फीथिएटर, ओपन एयर थिएटर, कैफेटेरिया, बच्चों के पार्क, गज़ेबो, लैंडस्केपिंग आदि जैसे घटक शामिल हैं। 28 फरवरी, 2024 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने 75 दीपस्तंभों पर विकसित पर्यटन सुविधाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। उद्घाटन समारोह तमिलनाडु के तूतीकोरिन पत्तन पर हुआ, जो पर्यटन को बढ़ावा देने और तटीय बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के देश के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत के विशिष्ट दीपस्तंभों को मनोरम पर्यटन स्थलों में बदलने के लिए यह प्रधानमंत्री का दूरदर्शी दृष्टिकोण था। इस पहल का उद्देश्य इन शानदार संरचनाओं की समृद्ध संस्कृति, महत्व और आकर्षण को प्रदर्शित करना है, जिससे वे पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा दे सकें और स्थानीय अर्थव्यवस्था को शक्ति प्रदान कर सकें। यह उल्लेखनीय है कि 2023-24 में दीपस्तंभों के फुटकॉल में 16.19 लाख तक की वृद्धि हुई जो वर्ष 2013-14 में केवल 4.34 लाख था।

एमआईवी 2030 पहल के अंतर्गत, डीजीएलएल भारत भर में दीपस्तंभ सुविधाओं को पुनर्जीवित कर रहा है, तथा विरासत और समुद्री संग्रहालयों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।इस परियोजना में चेन्नै, अलेप्पी, कन्नूर, विझिनजाम, थंगासेरी, वाइपिन और चंद्रभागा के दीपस्तंभों को पर्यटक आकर्षण में परिवर्तित करना शामिल है। आगंतुक समकालीन फोटोग्राफी प्रदर्शनियों के माध्यम से इन दीपस्तंभों के सांस्कृतिक, स्थापत्य और नौवहन संबंधी महत्व को देख सकते हैं, जहां सभी के लिए प्रवेश निःशुल्क है।

कॉफी टेबल बुक

6.29 भारत के माननीय प्रधान मंत्री ने पाठकों को इन प्रतिष्ठित समुद्री संरचनाओं की व्यापक खोज की पेशकश करने के लिए आश्चर्यजनक कल्पना, मनोरम कहानियों और शैक्षिक सामग्री को प्रदर्शित करते हुए "साइलेंट सेंटिनल्स ऑफ द सी" नामक कॉफी टेबल बुक जारी की।

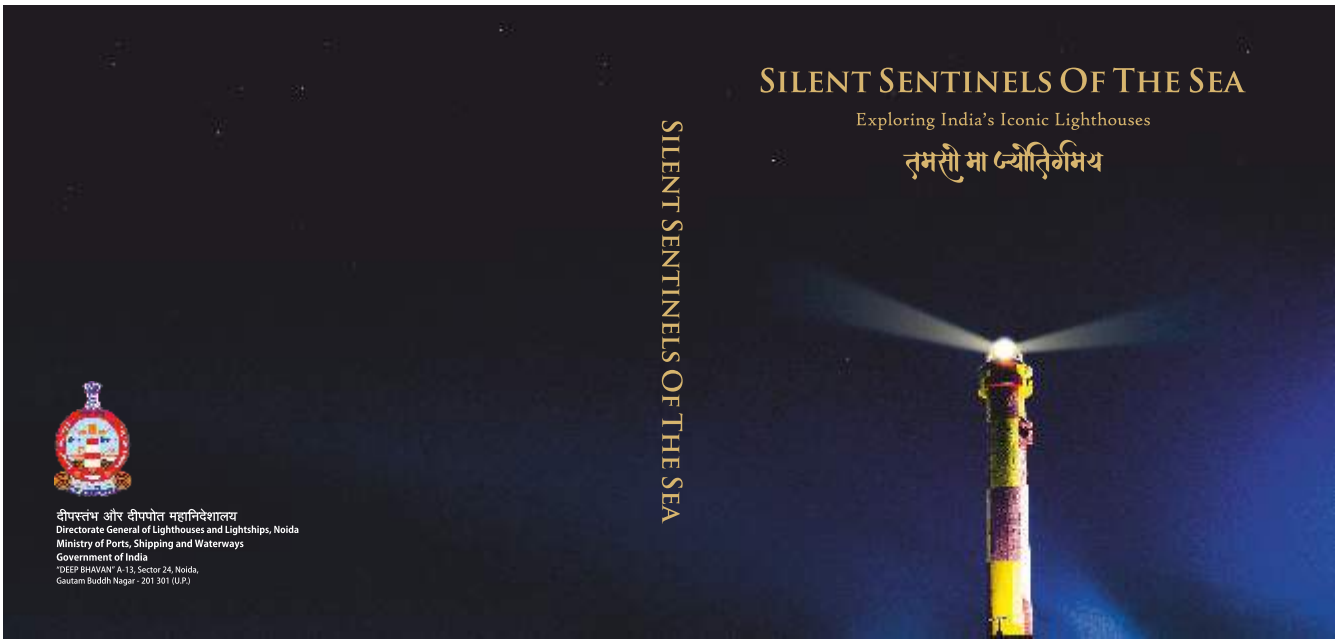

एआईएफएसीएस, नई दिल्ली में 3-7 मार्च, 2024 तक दीपस्तंभ पर्यटन फोटो प्रदर्शनी।

6.30 डीजीएलएल ने 3-7 मार्च, 2024 तक दीपस्तंभ फोटो प्रदर्शनी का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत के विशाल समुद्र तट पर बिखरे हुए दीपस्तंभों की सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हुए 100 तस्वीरों का एक आकर्षक संग्रह प्रदर्शित किया गया। दीपस्तंभ फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य दीपस्तंभ पर्यटन को बढ़ावा देना है। एमओपीएसएंडडब्ल्यू देश के सभी दीपस्तंभों को पर्यटन स्थलों के रूप में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट- 2023

6.31 डीजीएलएल ने जीएमआईएस 2023 में सफलतापूर्वक भाग लिया और नेविगेशन सहायता के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं का प्रदर्शन किया।राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने डीजीएलएल के कार्यों के बारे में जानने के लिए इसके स्टॉल का दौरा किया।स्टॉल के मुख्य आकर्षणों में एक दीपस्तंभ मॉडल और दीपस्तंभ पर्यटन पर रचनात्मक सामग्री प्रदर्शित करने वाला एक प्रदर्शन क्षेत्र शामिल था।

जीएमआईएस 2023 के दौरान, कई गणमान्य व्यक्तियों ने डीजीएलएल स्टॉल का दौरा किया, जिनमें माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल; माननीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री श्री श्रीपद नायक और श्री शांतनु ठाकुर; गोवा के मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत; पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग सचिव श्री टी.के. रामचंद्रन; आईएएलए अध्यक्ष; और कई अन्य वीआईपी शामिल थे।

डीजीएलएल स्टॉल, जीएमआईएस 2023

कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड

6.32 कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने 31 दिसंबर, 2022 को समाप्त नौ महीनों के भीतर 287.14 करोड़ रुपए की तुलना में 31 दिसंबर 2023 को समाप्त नौ महीनों की अवधि में 548.43 करोड़ रुपए का निवल लाभ प्राप्त किया। कंपनी ने दिसंबर, 2022 को समाप्त नौ महीनों के लिए 1753.49 करोड़ रुपए की तुलना में 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त नौ महीनों के लिए 2419.79 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल किया।

ऑर्डर बुक स्थिति

6.33 31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार, सीएसएल के पास ऑर्डर पर 47 जलयान हैं, जिनमें भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी विमान वाहक के तीसरे चरण के डिलीवरी के उपरांत के कार्य शामिल हैं। जिनमें अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के लिए 1200 पैक्स सह 1000 टन के 2 मालवाहक जलयान, भारतीय नौसेना के लिए 8 पनडुब्बी रोधी युद्ध शैलो वॉटर क्राफ्ट (एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी) भारतीय नौसेना के लिए 6, अगली जेनरेशन के मिसाइल जलयान (एनजीएमवी) कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के

सीएसएल ने कोच्चि जल मेट्रो परियोजना के लिए
कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड को बैटरी चालित यात्री नौका सुपुर्द की

लिए 10, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन हल वेसल भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए 6, हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरन यात्री जलयान, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (डीसीआई) के लिए एक (1) ड्रेजर 8, 7के बहुउद्देशीय पोत (एचएस इको फ्रेटर), 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल्स, 2 शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर वेसलनग और विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के लिए 1 सेवा संचालन जलयान शामिल हैं।

6.34 हरित जलयानों के क्षेत्र में, सीएसएल ने हाइब्रिड बैटरी चालित प्रणोदन का उपयोग करने वाली 23 यात्री नावों के निर्माण के लिए कोच्चि मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। जिनमें से 13 जलयानों की डिलीवरी 31 मार्च, 2024 तक हो चुकी है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल आईडब्ल्यूएआई के लिए 8 हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामरैन पैसेंजर वेसल जलयानों का निर्माण कर रहा है और जिसमें से 2 जलयानों की डिलीवरी पहले ही हो चुकी है। इसके अलावा, सीएसएल विभिन्न यूरोपीय ग्राहकों के लिए 2 कमीशनिंग सर्विस ऑपरेशन वेसल्स, 2 शून्य उत्सर्जन फीडर कंटेनर वेसल का निर्माण और 1 सेवा संचालन जलयान का भी निर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, सीएसएल ने देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल कैटामरैन पैसेंजर वेसल (100 पैक्स) बनाया है, जिसके पायलट प्रोजेक्ट को 28 फरवरी, 2024 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी।

सीएसएल और डीसीआई ने माननीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री की उपस्थिति में पहली बार ट्रेलिंग सक्शन हॉपर ड्रेजर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए।

भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ईंधन सेल फ़ेरी

6.35 सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में सीएसएल की पोत मरम्मत क्षमता सबसे अधिक 125,000 डीडब्ल्यूटी है। निजी क्षेत्र में एलएंडटी शिपबिल्डिंग लिमिटेड की पोत मरम्मत क्षमता सबसे अधिक 300,000 डीडब्ल्यूटी है। सीएसएल ने 970 करोड़ रुपये की लागत से 6 वर्कस्टेशन और संबद्ध सुविधाओं के साथ 130 मीटर x 25 मीटर x 6000 टी क्षमता की शिप लिफ्ट सुविधा स्थापित करके कोचीन पत्तन के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा (आईएसआरएफ) विकसित की है। सीएसएल ने कोचीन पत्तन परिसर में पट्टे पर दिए गए क्षेत्र (प्रथम चरण) में ड्राई-डॉक और मौजूदा सुविधाओं का संचालन जारी रखा।

मैसर्स सिंक्रोलिफ्ट, नॉर्वे ने 18 सितंबर, 2023 को सीएसएल की आईएसआरएफ साइट पर लगभग 130*27 मीटर आकार और 2000 टी का शिप लिफ्ट प्लेटफॉर्म वितरित किया।

16 अक्तूबर, 2023 को सीएसएल में मैसर्स हुंदई सैमहो हेवी इंडस्ट्रीज, दक्षिण कोरिया द्वारा 600टी गैन्ट्री क्रेन के संरचनात्मक और अन्य घटकों को वितरित किया गया था।

6.36 सीएसएल ने कंपनी के मौजूदा परिसर के उत्तरी छोर पर 310 x 75/60 x 13 मीटर मापने वाले नए ड्राई डॉक का सिविल निर्माण भी पूरा कर लिया है। नई गोदी, कंपनी की पोत निर्माण और पोत मरम्मत क्षमता को बढ़ाएगी, जो अनिवार्य रूप से एलएनजी वाहक, उच्च क्षमता के विमान वाहक, जैक अप रिग्स, ड्रिल जलयान, बड़े ड्रेजर और ऑफशोर की मरम्मत प्लेटफार्म और बड़े जलयान जैसे विशेष और तकनीकी रूप से उन्नत जहाजों के निर्माण की बाजार क्षमता का दोहन करने के लिए आवश्यक है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में न्यू ड्राई-डॉक का डॉक फ्लोर

माननीय प्रधान मंत्री द्वारा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में अंतर्राष्ट्रीय पोत मरम्मत सुविधा का उद्घाटन

6.37 इसके सिविल निर्माण के पूरा होने के बाद, आईएसआरएफ और दुनिया के पहले स्टेप्ड ड्राई-डॉक का उद्घाटन 17 जनवरी, 2024 को माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, जो भारत की समुद्री क्षमता संवर्धन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सीएसएल ने 2024 के मध्य तक आईएसआरएफ और न्यू ड्राई-डॉक को पूर्ण रूप से चालू करने की योजना बनाई है। समुद्री उद्योग में विश्व स्तर पर प्रसिद्ध दस कंपनियां पहले चरण में मैरीटाइम पार्क में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए सीएसएल के साथ पहले ही साझेदारी कर चुकी हैं। सीएसएल को उम्मीद है कि वर्तमान पोत मरम्मत गोदी में प्रमुख संचालन के साथ-साथ बढ़ी हुई क्षमताओं के साथ कोच्चि को एक प्रमुख पोत मरम्मत केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा जो आईएसआरएफ के चालू होने पर उपलब्ध होगा।

हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल)

6.38 हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) की स्थापना शुरुआत में 23 अक्टूबर, 2017 को सीएसएल और हुगली डॉक

एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में की गई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुसार, सीएसएल ने एचडीपीईएल द्वारा रखे गए शेयरों का अधिग्रहण किया और 01 नवंबर, 2019 से एचसीएसएल सीएसएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बन गई।

6.39 नजीरगंज में नए अत्याधुनिक पोत निर्माण और मरम्मत सुविधा के साथ यार्ड का निर्माण पूरा हो गया और यह सुविधा 16 अगस्त, 2022 को पीएसएंडडब्ल्यू के माननीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा राष्ट्र को समर्पित की गई। अंतर्देशीय और तटीय जहाजों के लिए भारत के पूर्वी तट में एक प्रमुख पोत निर्माण/मरम्मत यार्ड के रूप में खुद को स्थापित करने के इरादे से 175.20 करोड़ रुपए की लागत से हुगली नदी के तट पर 15.76 एकड़ क्षेत्र में सुविधा स्थापित की गई है।

6.40 एचसीएसएल ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के लिए 6 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामारन जलयान के निर्माण के लिए 23 मार्च, 2024 को सीएसएल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैटामारन खंड में प्रवेश किया। एचसीएसएल को इंडस्ट्रियल हैंडलिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ 40टी के 2 एएसडी बोलार्ड पुल टग के लिए एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर करने का विशेषाधिकार भी मिला। इसके अलावा, कंपनी जेएके मैरीटाइम एंड लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के लिए 1 एमपीवी (2200टी) का निर्माण कर रही है और असम के पांडु में एक नया पोत मरम्मत सुविधा स्थापित करने के लिए आईडब्ल्यूएआई के साथ परामर्शक के रूप में भी काम कर रही है। यार्ड सीएसएल से बॉक्स कैसन गेट के डिजाइन, निर्माण, स्थापना और कमीशनिंग के आदेश को पूरा करने की दिशा में भी काम कर रहा है जिसे नेताजी सुभाष डॉक, एसएमपी कोलकाता पर स्थापित और चालू किया जाएगा।

6.41 एचसीएसएल गुणवत्ता वाले अंतर्देशीय और तटीय जलयानों के निर्माण के लिए खुद को पूर्वी तट में अग्रणी पोत निर्माण यार्डों में से एक के रूप में स्थापित करने की इच्छा रखता है। सीएसएल समूह की दीर्घकालिक रणनीति क्रूज 2030 में योगदान करने के लिए विशेष रूप से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे जलयानों, विशेष रूप से अंतर्देशीय बार्ज और जलयानों के खंडों, यात्री जेट्टियों, रो-रो/रो-पैक्स, पोत मरम्मत में विशाल अवसर को भुनाने के लिए बहुत अच्छी तरह से तैयार यह यार्ड पूरी तरह से तैयार है। एचसीएसएल के भारत सरकार द्वारा परिकल्पित, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 तक अपनी पहुंच वाले यार्ड होने के नाते, कम से कम संभव लागत पर लघु जलयानों के निर्माण के लिए इसका सबसे अच्छी तरह से उपयोग किया जा सकता है। इससे कंपनी को घरेलू और साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उच्च मात्रा - कम मार्जिन वाले छोटे जलयान सेगमेंट में प्रवेश करने में मदद मिलेगी।

माननीय मंत्री और माननीय राज्य मंत्री ने
हुगली कोचिन शिपयपार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) का उद्घाटन किया

उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल)

6.42 वैधानिक दिवाला समाधान प्रक्रिया के माध्यम से, सितंबर 2020 में कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) द्वारा टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, कंपनी की बुनियादी सुविधाओं को पुनर्जीवित करने के लिए विभिन्न गतिविधियां की गई थीं। यूसीएसएल की दो सुविधाएं हैं; एक उडुपी, कर्नाटक में और दूसरी चेंगलपेट, तमिलनाडु में। उडुपी में सुविधाएं तीन इकाइयों अर्थात मालपे हार्बर कॉम्प्लेक्स, हैंगरकट्टा और बाबूथोट्टा में फैली हुई हैं। सीएसएल द्वारा अधिग्रहण के परिणामस्वरूप, 22 अप्रैल, 2022 को कंपनी का नाम टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड से बदलकर उडुपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (यूसीएसएल) कर दिया गया।

6.43 यूसीएसएल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में ग्राहकों की संतुष्टि के लिए विभिन्न जलयानों की डिलीवरी पूरी करके और निर्माणाधीन जलयानों के संबंध में महत्वपूर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के साथ-साथ प्रमुख ऑर्डर हासिल करके अच्छा प्रदर्शन किया। 2023-24 के दौरान, कंपनी को मेसर्स विल्सन ग्रुप, नॉर्वे से 6 नए जेनरेशन डीजल इलेक्ट्रिक 3800 डीडब्ल्यूटी सामान्य कार्गो जलयान तथा साथ ही ऐसे जलयानों के 8 अतिरिक्त विकल्प के डिजाइन और निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर मिला। यूसीएसएल को भी "प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई)" के तहत ट्यूना लॉन्गलाइनर सह गिलनेट्टर मछली पकड़ने वाली नौकाओं के मौजूदा ऑर्डर के अलावा केरल राज्य से इसी जलयान के 05 ऑर्डर प्राप्त हुए।

6.44 2023-24 के दौरान, कंपनी ने केरल राज्य के लाभर्थियों के लिए 6 ट्यूना लॉन्ग लाइनर कम गिल नेटर मछली पकड़ने वाली नौका जीकेएस मरीन एक्सपोर्ट्स के लिए 1, न्यू-जेनरेशन-पर्स-सीनेर, ओशन स्पार्कल लिमिटेड के लिए निर्मित 62 टन के 2 बोलार्ड पुल टग, वितरित किए। 03 मार्च, 2024 को, माननीय केंद्रीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री, श्री सर्बानंद सोनोवाल ने यूसीएसएल में पहली बार निर्मित एएसटीडीएस टग (ओशन ग्रेस) का उद्घाटन किया।

04 दिसंबर, 2023 को यूसीएसएल में मेसर्स विल्सन शिपाउनिंग एएस, नॉर्वे के लिए निर्मित किए जा रहे 3800 टन के 2 डाई कार्गो जलयानों के लिए स्टील कटिंग।

भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससीआई)

6.45 एससीआई पिछले 62 वर्षों में समुद्री परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करते हुए देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करता आ रहा है। 1961 में मात्र 0.19 मिलियन डेड वेट टनभार (डीडब्ल्यूटी) की क्षमता के 19 जलयानों के साथ एक लाइनर नौवहन कंपनी के रूप में शुरुआत करके, 01 अप्रैल, 2024 को एससीआई के पास 5.245 मिलियन डीडब्ल्यूटी, 2.89 मिलियन जीटी के 57 जलयानों का स्वामित्व है और भारतीय टनभार के लगभग 26% (डीडब्ल्यूटी के संदर्भ में) हिस्सेदारी है।

कच्चे तेल का परिवहन

6.46 भारत विश्व के सबसे तेज बढ़ने वाले ऊर्जा बाज़ारों में से एक है। ऊर्जा सुरक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्नति के लिए देश की विशाल ऊर्जा आवश्यकता को देखते हुए, 1964 में कच्चे तेल परिवहन के साथ एससीआई ने धीरे-धीरे अपना ध्यान लाइनर व्यापार से ऊर्जा परिवहन की तरफ केंद्रित करना शुरू किया तथा उसके पश्चात् अनन्य रूप से भारतीय तेल उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एससीआई ने 1970 में कच्चे तेल तथा उत्पाद के कई टैंकरों के लिए आदेश दिए।

सामग्री तथा उत्पाद का परिवहन

6.47 एससीआई ने 1980 की शुरुआत में नौवहन उद्योग में आयी मंदी का पूरी तरह से फायदा उठाया और देश के बढ़ते एक्जिम व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर बेड़े का अधिग्रहण (टैंकरों और साथ ही ड्राई बल्क जलयानों) किया। 1991 में एससीआई ने क्रायोजेनिक प्रचालनों में विविधीकरण किया। आज की तिथि में एससीआई के पास विभिन्न आकारों के 13 क्रूड कैरियर्स, 5 वीएलसीसी, 11 प्रोडेक्ट कैरियर्स, 1 गैस कैरियर, 15 ड्राई बल्क कैरियर्स, 2 लाइनर जलयानों का मिश्रित बेड़ा है तथा अलग-अलग टाइम चार्टर और वायज चार्टर पर नियोजित है तथा भारत केंद्रित व्यापार के साथ ही क्रॉस ट्रेड मार्किट में भाग ले रहे हैं। एससीआई के पास 10 अपतटीय आपूर्ति जलयान भी हैं।

एससीआई के थोक और टैंकर जलयान विश्व स्तर पर चलते हैं। औसतन, वे प्रति वर्ष पीओएल कार्गो का लगभग 35 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (एमएमटीपीए) परिवहन करते हैं। इसके अलावा, कभी-कभी माल ढुलाई अनुबंध (सीओए) के तहत कार्गो

उठाने के संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के लिए टन भार को चार्टर्ड किया जाता है। एससीआई के उत्पाद टैंकर ज्यादातर स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादों के तटीय परिवहन और क्रॉस ट्रेड में लगे हुए हैं। थोक वाहक अर्थात. सुप्रामैक्स, पैनामैक्स और कामसरमैक्स प्रति वर्ष कोयला, लौह अयस्क, यूरिया, अनाज, खनिज अयस्क आदि जैसे ड्राई बल्क कार्गो का लगभग 10 एमएमटी परिवहन करते हैं। ऊर्जा उद्योग देश की आर्थिक वृद्धि का एक व्यापक पहलू है और एससीआई पीएसयू की रिफाइनरियों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करता है। जलयानों को भारतीय तट के आसपास स्वदेशी व्यवसायों का समर्थन करने के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग में प्रमुख चार्टर्स के साथ काम करने में कच्चे तेल, स्वच्छ पेट्रोलियम उत्पादों, कोयला, लौह अयस्क, उर्वरक आदि के परिवहन में तैनात किया जाता है। एसटीएस/लाइटरेज ऑपरेशन और फ्लोटिंग स्टोरेज के लिए कच्चे तेल टैंकरों की तैनाती लॉजिस्टिक संचालन में लचीलापन सुनिश्चित करती है।

प्रबंधित जलयान

6.48 अपने स्वामित्व वाले जलयानों के संचालन के अलावा, एससीआई ने पिछले कुछ वर्षों में तेल उद्योग और विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों के लिए विशेष जलयानों के कार्मिक नियुक्ति, प्रबंधन और संचालन में भी विशेषज्ञता हासिल की है और यह भारत में एक प्रमुख पोत प्रबंधन कंपनी के रूप में उभरी है और वर्तमान में (31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार) विभिन्न संगठनों के कुल 37 जलयानों का प्रबंधन करता है। इसमें अंडमान और निकोबार प्रशासन (ए एंड एनए) के 27 जलयान, खान मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के 03 जलयान, ओएनजीसी के 02 जलयान, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप प्रशासन (यूटीएलए) का 01 जलयान और भारत एलएनजी परिवहन कंपनियों की ओर से 04 एलएनजी जलयान शामिल हैं। एससीआई विभिन्न संगठनों को उनकी टन भार संवर्धन परियोजनाओं के लिए तकनीकी परामर्शी सेवाएं भी प्रदान करता है।

भारत-मालदीव शिपिंग सेवा की सिफारिश

6.49 05 मई, 2023 को, वीओ चिदंबरनार पत्तन से एम.वी. एमएसएस गैलेना शुरू होने से भारत और मालदीव के बीच सीधी शिपिंग सेवा फिर से शुरू हुई। इस पहल से न केवल रसद और अन्य संबंधित लागत में कटौती होगी, बल्कि संपर्कता भी बढ़ेगी और दोनों देशों के बीच माल परिवहन में लगने वाले समय में कमी आएगी। इस सेवा के शुरू होने से हिंद महासागर क्षेत्र में दोनों देशों द्वारा की गई संपर्कता पहल में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस सेवा ने भारतीय और मालदीव के पत्तनों के बीच पोत परिवहन संपर्कता को भी बढ़ावा, विकसित और स्थिर किया है और यह भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ावा देगी।

श्री शांतनु ठाकुर ने **"एम.वी एमएसएस. गैलेना"** जलयान को हरी झंडी दिखाई

भारत-श्रीलंका यात्री नौका सेवा

6.50 भारत सरकार ने नागपट्टिनम (भारत) और कांकेसंथुराई (श्रीलंका) के बीच अंतर्राष्ट्रीय यात्री फेरी सेवा सफलतापूर्वक शुरू की है। इस सेवा को 14 अक्टूबर, 2023 को नागापट्टिनम, तमिलनाडु से हरी झंडी दिखाई गई थी। एससीआई ने सभी हितधारकों के साथ समन्वय किया और हाई स्पीड क्राफ्ट (एचएससी) पोत 'चेरियापानी' (यूटीएलए के स्वामित्व वाले) को 14 अक्टूबर, 2023 को सेवा में शामिल किया गया। एचएससी 'चेरियापानी' ने अक्टूबर, 2023 को नागपट्टिनम और कांकेसंथुराई के बीच चार दौर की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी की और दोनों देशों के यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा किया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) कार्यक्रम

6.51 एससीआई ने भुखमरी को समाप्त करने, अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास और धरती पर जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हुए लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कई पहलों को शुरू/समर्थित करके सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को अपने सीएसआर कार्यक्रम में शामिल किया है।

भारतीय नौवहन निगम भूमि एवं परिसम्पति लिमिटेड (एससीआईएलएएल)

6.52 एससीआईएलएएल, एक 'श्रेणी सी' सीपीएसई एक सरकारी कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के अर्थ में, 10 नवंबर, 2021 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत शामिल की गई, जिसका पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है।इसे कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा फरवरी, 2023 को अनुमोदित डीमर्जर की व्यवस्था की योजना के अनुसार शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य विनिवेश लेनदेन से अलग एससीआई की गैर-प्रमुख परिसंपत्तियों को धारण करना और उनका निपटान करना है।प्रारंभ में एससीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में गठित, एससीआईएलएएल ने 14 मार्च, 2023 से एक स्वतंत्र सीपीएसई के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। एससीआईएलएएल 19 मार्च, 2024 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध है।

प्रमुख स्थानों पर स्थित व्यापक रियल एस्टेट के साथ-साथ, एससीआईएलएएलके पास भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय नाविकों की सेवा करने वाला एक विश्व स्तरीय समुद्री प्रशिक्षण संस्थान भी है। समुद्री प्रशिक्षण संस्थान अब अपनी सुविधाओं को उन्नत करने के लिए कमर कस रहा है।

एससीआईएलएएल सूचीकरण समारोह

एससीआईएलएएल की संपत्तियों के मुख्य आँकड़े*

विवरण	क्षेत्रफल वर्गफुट में
मुंबई में 159 फ्लैट	140748.08
कोलकाता में 15 फ्लैट*	21022.00
शिपिंग हाउस, मुंबई (भवन)	141783.00
शिपिंग हाउस, कोलकाता (भूमि)*	11885.00
शिपिंग हाउस, कोलकाता (भवन)*	86510.00
विवरण	**क्षेत्र वर्ग मीटर में**
एमटीआई, पवई (भूमि)	178871.10
एमटीआई, पवई (फ्लैट को छोड़कर सभी इमारतें)	16243.46

*उपरोक्त संपत्तियों में से, कोलकाता स्थित संपत्तियों को 22 मार्च, 2024 को कानूनी रूप से एससीआई से एससीआईएलएएल के नाम हस्तांतरित कर दिया गया है। अन्य संपत्तियों के लिए कानूनी हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही है। उपरोक्त के अलावा, आज की तारीख में, एससीआईएलएएल के पास 1000 करोड़.रुपए से अधिक धनराशि है।

भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय (आईएमयू)

6.53 आईएमयू जिसका मुख्यालय चैन्ने है, एक शिक्षण-सह-संबद्ध विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को समुद्री विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, समुद्र विज्ञान, समुद्री इतिहास, समुद्री कानून, समुद्री सुरक्षा, खोज और बचाव, खतरनाक कार्गो की आवाजाही, पर्यावरण अध्ययन और अन्य संबंधित कार्यक्षेत्र के क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। समुद्री अध्ययन नीति अनुसंधान केंद्र (सी-पीआरआईएमईएस) की स्थापना समुद्री अध्ययन करने और समुद्री अर्थव्यवस्था के विकास के लिए एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। आईएमयू ने 10 जून, 2023 को अपने यूजी/पीजी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीईटी) आयोजित की और 87.57% के समग्र प्रवेश के साथ डीजीएस अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए 100% प्रवेश हासिल किया।

उपलब्धियां:

- ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट (जीएमआईएस)-2023 के दौरान आईएमयू ने शैक्षणिक सहयोग के लिए इरास्मस यूपीटी, नीदरलैंड, टीसीईयू, श्रीलंका, आईओआई, माल्टा, टीआईएसएस, मुंबई, जीएसवी, वडोदरा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- आईएमयू एक एसोसिएट सदस्य के रूप में आईएपीएच (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स) में शामिल हुआ। यूआर्कटिक के सदस्यों ने भारत की आर्कटिक नीति को आगे बढ़ाने के लिए आईएमयू को गैर-आर्कटिक सदस्य के रूप में स्वीकार करने के पक्ष में सर्वसम्मति से मतदान किया।

दिनांक 27 अक्तूबर 2023 को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय, चेन्नै के 8वें दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहीं

- आईएमयू का आठवां दीक्षांत समारोह 27 अक्टूबर, 2023 को आयोजित किया गया। भारत की माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर पर उपस्थित थीं। श्री. आर.एन. रवि, तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल, श्री सर्बानंद सोनोवाल, माननीय केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पीएसएंडडब्ल्यू, श्री श्रीपद नाइक, माननीय पीएसएंड डब्ल्यू राज्य मंत्री, तमिलनाडु सरकार के माननीय उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. के. पोनमुडी, दीक्षांत समारोह के सम्मानित अतिथि थे।
- दीक्षांत समारोह के लिए कुल 1944 छात्रों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 255 ने व्यक्तिगत रूप से डिग्री/डिप्लोमा प्राप्त किया। 10 छात्रों को स्वर्ण पदक और दस को रजत पदक से सम्मानित किया गया।

महापत्तनों के लिए टैरिफ प्राधिकरण (टीएएमपी)

6.54 महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण (टैम्प) की स्थापना महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करके वर्ष 1997 में की गई थी और भारत सरकार ने दिनांक 10 अप्रैल, 1997 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से इसका गठन किया था। इस प्राधिकरण में एक अध्यक्ष और दो सदस्य हैं। प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 36 है। दिनांक 03 नवंबर, 2021 से प्रभावी महापत्तन प्राधिकरण (एमपीए) अधिनियम, 2021 के अनुसार एमपीटी अधिनियम, 1993 को निरस्त किया गया है। इस प्रकार, टीएएमपी का टैरिफ निर्धारण अधिदेश वापस ले किया गया है जैसा कि एमपीए अधिनियम, 2021 में अधिदेशित है, टीएएमपी, न्याय निर्णयन बोर्ड के गठन तक न्याय निर्णयन बोर्ड का कार्य निष्पादन कर रहा है। एमओपीएसएंडडब्ल्यू ने 17 जनवरी, 2023 की अधिसूचना सं. 29 के द्वारा महापत्तन न्याय निर्णयन बोर्ड (एमपीएबी), 2023 अधिसूचित किए हैं। टैम्प ने एमपीएबी (व्यापार और प्रक्रिया सम्पादन) विनियम, 2024 एमएपीबी (शुल्क और फार्म) विनियम, 2024 तथा एमपीएबी (प्रशासनिक बैठक प्रक्रिया) विनियम, 2024 तैयार किए हैं।

अंडमान लक्षद्वीप पत्तन निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू)

6.55 अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहों और लक्षद्वीप द्वीपसमूहों में सेवाएं प्रदान करने हेतु मंत्रालय के अंतर्गत, एक अधीनस्थ कार्यालय अंडमान लक्षद्वीप पत्तन कार्य (एएलएचडब्ल्यू), की वर्ष 1965 में स्थापना की गई थी। अंडमान एवं निकोबार लक्षद्वीप समूह में पत्तन निर्माण कार्य (एएलएचडब्ल्यू) को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप द्वीपसमूह में पत्तन एवं बंदरगाह सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मंत्रालय के कार्यक्रम को तैयार करने और कार्यान्वित करने का कार्य सौंपा गया है। अपनी स्थापना से एएलएचडब्ल्यू तीसरी पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ करके केन्द्रीय क्षेत्रक योजना स्कीमों के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई निधि से पत्तन विकास योजनाओं को कार्यान्वित करता रहा है। पत्तन अवसंरचना सृजन के अलावा, एएलएचडब्ल्यू को अंडमान एवं निकोबार प्रशासन तथा लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा उपलपब्ध करवाए गए धन से पत्तन संरचनाओं और कार्गो संभलाई उपस्करों के रख-रखाव का कार्य भी सौंपा गया है।

ड्रेजिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई)

6.56 ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) का स्वामित्व चार महापत्तनों, विशाखापट्टनम पत्तन प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू पत्तन प्राधिकरण, पारादीप पत्तन प्राधिकरण और दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण के पास है। डीसीआई भारत में ड्रेजिंग और संबंद्ध कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट है। ड्रेजिंग परियोजनाओं के निष्पादन के अलावा, डीसीआई पत्तनों, अंतर्देशीय जलमार्गों, जलाशयों, बांधों और बाढ़ नियंत्रण प्रबंधन के विकास के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श के लिए समाधान भी प्रदान करता है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआई) राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र को विगत 48 वर्ष से सेवाएं प्रदान कर रहा है।

6.57 डीसीआई, महापत्तनों पर रखरखाव ड्रेजिंग की आवश्यकताओं को पूरा करने और अपनी ड्रेजिंग क्षमता को बढ़ाने और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जा रहे 12,000 एम3 क्षमता के टीएसएचडी की खरीद की प्रक्रिया में है। स्टील काटने का काम पूरा हो गया है और ब्लॉकों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वर्ष 2023-24 के दौरान, डीसीआई ने अपने ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, प्रौद्योगिकी भागीदारों आदि के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

माननीय केंद्रीय पीएस एंड डब्ल्यू मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में "ड्रेजिंग इंजीनियरिंग" पर राष्ट्रीय संयुक्त एम.टेक कार्यक्रम शुरू करने के लिए डीसीआई, आईआईटी-मद्रास और आईएमयू-चेन्नई के बीच समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया गया

डीसीआई और बीईएमएल ने ड्रेजर्स के लिए स्पेयर के स्वदेशी डिजाइन, विकास और विनिर्माण और ड्रेजर्स के विनिर्माण के संयुक्त विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

6.58 डीसीआई ड्रेजिंग में अपने विशाल अनुभव, अत्यधिक कुशल प्रोफेशनलों और 10 से अधिक ड्रेजर्स के बेड़े के साथ नेविगेशनल चैनलों और अन्य परिचालन वॉटर फ्रंट को बनाए रखने और देश के समुद्री/पत्तन क्षेत्र के विकास में योगदान देने का प्रयास करता है। डीसीआई टिकाऊ और पर्यावरण-अनुकूल भविष्य की दिशा में काम करता है और तटीय संरक्षण और ड्रेज्ड सामग्री और प्राकृतिक संसाधनों के लाभकारी उपयोग के लिए ड्रेजिंग में समाधान प्रदान करता है। समुद्री क्षेत्र में सहकारी और सतत विकास को बढ़ावा देने के एक ठोस प्रयास के रूप में मुंबई में जीएमआईएस 2023 के दौरान "भविष्य के पत्तन विकास हेतु ड्रेजिंग" पर सत्र आयोजित किया गया था। इस सत्र ने उद्योग के नेताओं, विशेषज्ञों और नवप्रवर्तकों को एक साथ लाया और पत्तन बुनियादी ढांचे के भविष्य को आकार देने में ड्रेजिंग की परिवर्तनकारी क्षमता पर चर्चा और विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित हुआ।

सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड

6.59 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सागरमाला कार्यक्रम, संकल्पना और कार्यान्वयन संबंधी मंत्रिमंडल टिप्पणी पर 25 मार्च 2015 को मंजूरी देने के बाद, 20 जुलाई, 2016 को निम्नलिखित निर्णयों के साथ सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) को निगमित करने की स्वीकृति दी:

- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत सागरमाला विकास कंपनी (एसडीसी) का गठन और निगमन, पदेन अध्यक्ष के रूप में सचिव, एमओपीएसडब्ल्यू को नियुक्त करना तथा निदेशक मंडल का गठन करना जिसमें प्रबंध निदेशक, दो कार्यकारी निदेशक, एक सरकारी निदेशक तथा दो गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशक शामिल हैं।
- अध्यक्ष, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड (पीईएसबी) की अध्यक्षता वाली सर्च-सह-चयन समिति, जिसमें सचिव (एमओपीएसडब्ल्यू), सचिव (डीओपीटी) तथा एक विशेषज्ञ (मंत्रालय द्वारा नामित) सदस्य के रूप में शामिल हैं, के माध्यम से कंपनी के प्रबंध निदेशक तथा दो कार्यकारी निदेशकों का प्रारंभिक चयन कंपनी बोर्ड में एक सरकारी निदेशक तथा दो गैर-सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति मंत्रालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने के बाद की जाएगी।
- 1,000 करोड़ रु की प्रारंभिक प्राधिकृत शेयर पूंजी और 90 करोड़ रूपये की सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी के साथ, जरूरत पड़ने पर भविष्य में इसे बढ़ाने के प्रावधान के साथ, एसडीसीएल स्थापित करना।
- वित्त वर्ष 2016 -17 के लिए 250 करोड़ रूपये का बजटीय आबंटन और बाद के 4 वर्षों में से प्रत्येक के लिए इतनी ही राशि का अनुरोध किया गया है।

- कंपनी की वर्तमान प्रदत्त शेयर पूंजी 1000/- करोड़ रुपए है।
- सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) को 31 अगस्त, 2016 को निगमित किया गया था जो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त संसाधनों का लाभ उठाते हुए तथा बहु-स्तरीय और द्विपक्षीय निधियन एजेंसियों से परियोजना आवश्यकता के अनुसार ऋण इक्विटी के रूप में (दीर्घ अवधि की पूंजी के रूप में) धन इकट्ठा करेगा। सागरमाला कार्यक्रम की अनुमोदित संरचना के अनुसार, एसडीसीएल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/ राज्य समुद्री बोर्डों (एसएमबी) द्वारा स्थापित एसपीवी को सहायता प्रदान करेगा। एसडीसीएल एक वित्तपोषण विंडो प्रदान करेगा और/ अथवा परियोजनाओं को लागू करेगा, जिन्हें किसी अन्य माध्यम/ मोड से वित्त पोषित नहीं किया जा सकता है।

6.60 एसडीसीएल भारतीय समुद्री क्षेत्र के एकीकृत विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा और वित्त पोषण प्रदान करने का प्रयास करता है। इनमें सागरमाला कार्यक्रम के तहत ग्रीन फील्ड पत्तन/ब्राउन फील्ड पत्तन विकास, पत्तनों तक अंतिम मील संपर्कता और अन्य संगत गतिविधियां शामिल हैं। एसडीसीएल इक्विटी निवेशक के साथ-साथ परियोजना विकास एजेंसी होने के कारण, यह विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय में प्रभावी ढंग से योगदान दे सकता है। एसडीसीएल व्यवहार्यता रिपोर्ट/डीपीआर जैसे पूर्व-विकास कार्यों सहित परियोजना विकास और संरचना गतिविधियां शुरू कर सकता है और अपेक्षित अनुमोदन और मंजूरी की सुविधा भी प्रदान कर सकता है।

6.61 अभी तक एसडीसीएल ने पांच परियोजना एसपीवी में लगभग 541.78 करोड रुपए का निवेश किया है, इसका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	परियोजना एसपीवी	एसडीसीएल द्वारा इक्विटी (करोड़ रुपए में)	निवेश का वर्ष	परियोजना की स्थिति
1	कृष्णापट्टणम रेल कंपनी लि.	125	2018-19	प्रचालनरत
2	इंडियन पोर्टर्स ग्लोबल लि.	10	2018-19	प्रचालनरत
3	कलकत्ता हल्दिया पोर्ट रोड कंपनी लि.	50	2019-20	प्रचालनरत
4	विशाखापट्टनम पोर्ट रोड कंपनी लि.*	20	2019-20	प्रचालनरत
5	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लि.	284.50	2019-20	प्रचालनरत
	-do-	52.28	2020-21	प्रचालनरत
एसडीसीएल द्वारा कुल इक्विटी निवेश		**541.78**		

*** वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (वीपीआरसीएल) से 4.30 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में प्राप्त किए गए।**

इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईपीआरसीएल)

6.62 महापत्तनों को कुशल रेल निकासी प्रणाली प्रदान करने के लिए और इसी तरह उनकी हैंडलिंग क्षमता और दक्षता को बढ़ाने के लिए कंपनी आधिनियम, 2013 के तहत मंत्रिमंडल के अनुमोदन सहित 10 जुलाई 2015 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) नामक भारतीय पत्तन रेल निगम लि. का गठन किया गया, जिसमें 11 महापत्तनों और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा 100 करोड़ रु. की सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी का योगदान किया गया। कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 500 करोड़ रु. है। कंपनी ने बाद में रोपवे में भी विविधता लाई और तदनुसार, इसका नाम ''इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड'' में परिवर्तित कर दिया गया।

आईपीआरसीएल के उद्देश्यः

- पत्तनों की अंतिम मील संपर्कता बनाने के माध्यम से भारत में पत्तनों को कुशल और प्रतिस्पर्धी रेल निकासी प्रणाली प्रदान करना
- पत्तनों पर रेल बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण, आंतरिक पत्तन रेलवे प्रणाली का निर्माण और प्रबंधन।
- सन्निहित पश्च-भूमि क्षेत्र संपर्कता में नई क्षमता का सृजन और इसकी क्षमता में वृद्धि करना।
- महापत्तनों और भूमि, भवन, लोकोमोटिव सहित अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों में रेलवे बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और उपर्युक्त मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रखरखाव सुविधाएं।
- रोपवे और अन्य आधुनिक पारगमन प्रणालियों का विकास, संचालन और रखरखाव कार्य करना।
- पत्तन अवसंरचना तथा साथ ही रेलवे, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और पत्तन, रेलवे साइडिंग, लोकोमोटिव, कन्वेयर बेल्ट, भूमि प्रबंधन आदि जैसे सभी पहलुओं पर डोमेन विशेषज्ञता से प्राप्त सभी मामलों में परामर्शी और प्रबंधन सेवाएं प्रदान करना।
- भारत में या भारत से बाहर रेलवे, ट्रामवे, जलमार्गों, सड़क के पुलो, वेयरहाऊस, फेक्टिरियों, संग्रहालयों, पोतो तथा उल्लिखित प्रत्येक किस्म के निर्माणों के डिजाइन, स्थापना, निर्माण, रखरखाव, फेरबदल, मरम्मत तथा उल्लिखित सभी के नवीनीकरण के लिए निविदा में (टर्न के आधार पर या अन्यथा) भारत में या विदेश में किसी अन्य कंपनियों या व्यक्तियों के साथ एकल या संयुक्त रूप से प्रवेश करना।

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर द्वारा
जेएनपीए प्रशासनिक कार्यालय के पास आरओबी के तृतीय चरण का उद्घाटन

आईपीआरसीएल संचालन

6.63 वर्ष 2022-23 के दौरान, आईपीआरसीएल 521.66 करोड़ रुपए का सबसे अधिक सकल राजस्व प्राप्त करने में सक्षम रहा है। कंपनी का सकल लाभ 44.26 करोड़ रुपए रहा, जिसमें 35.74 करोड़ रु. का कर पूर्व लाभ अब तक का सर्वाधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में 32.64% की वृद्धि हुई है, इस प्रकार निवल मूल्य पर 18.62% का रिटर्न प्राप्त हुआ है। सभी चल रहे कार्यों के लिए संतोषजनक वित्तीय निष्पादन और भौतिक प्रगति हासिल करने के अलावा, आईपीआरसीएल ने 330 करोड़ रुपए की लागत वाले आरओबी के निर्माण सहित जेएनपीए के डीएफसी कंप्लायंट कॉमन रेल यार्ड के प्रमुख कार्य, तथा 110.90 करोड़ रुपए जेएनपीए के जालना ड्राई पोर्ट तक रेल संपर्कता जिसमें आरओबी का निर्माण भी शामिल है को पूरा कर लिया है। कॉमन रेल यार्ड का उद्घाटन 15 मई, 2022 को माननीय केंद्रीय मंत्री पीएसएंडडब्ल्यू श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा किया गया था और जेएनपीए प्रशासन कार्यालय के पास आरओबी के तीसरे चरण का उद्घाटन माननीय राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर द्वारा 06 अप्रैल, 2023 को किया गया था। आईपीआरसीएल ने पारादीप पत्तन पर लोकोमोटिव के प्रचालन और रखरखाव के नए व्यापारिक आयाम, बोगीबील के आईडब्ल्यूएआई के लिए पर्यटक-सह-कार्गो टर्मिनल का विकास तथा आईडब्ल्यूएआई के लिए इच्छामती नदी पर कलांची-खेड़ापाड़ा और बांसझारी- हेमनगर जलखंड के लिए नौचालन व्यवहार्यता अध्ययन और बाथिमेट्री सर्वेक्षण, सीआईएल की कोयला खदानों में एसआईएलओ के तहत रिट्रैक्टेबल ओवर हेड इक्विपमेंट (ओएचई) का कार्यान्वयन, पीपीए, सीएचपीए और वीपीए में फिशिंग हार्बर का आधुनिकीकरण, डीपीए के पोर्ट रेल यार्ड (44 ईटीकेएम) का विद्युतीकरण आदि नए व्यापारिक क्षेत्र में प्रवेश किया।

राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर- राष्ट्रीय महत्व की एक परियोजना

6.64 लोथल, गुजरात में एक महत्वपूर्ण परियोजना, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) की योजना और कार्यान्वयन आईपीआरसीएल द्वारा किया जा रहा है। मेसर्स आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर पूरी परियोजना के प्रधान सलाहकार हैं और मेसर्स टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (टीपीएल) को चरण 1ए के लिए 573.12 करोड़ रुपए के अनुबंध मूल्य के साथ ईपीसी निविदाकार के रूप में नियुक्त किया गया था। माननीय प्रधान मंत्री ने 18 अक्तूबर, 2022 को ड्रोन के माध्यम से एनएमएचसी परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। काम पूरे जोरों पर है और टीपीएल द्वारा सभी 9 निविदा पैकेज गैलरी 1 से 6 के लिए कार्य सौंप दिया है। 02 जुलाई, 2023 को नौसेना गैलरी के निष्पादन के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल और आईपीआरसीएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके बाद, परियोजना के चरण 1ए का दायरा बढ़ा दिया गया है और चरण-1ए की संशोधित लागत 1,238 करोड़ रुपए है और कुल परियोजना लागत 4,282 करोड़ रुपए है। पीआईबी ने इसे मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए अनुशंसित किया है। परियोजना के लिए 400 एकड़ भूमि गुजरात सरकार द्वारा आवंटित की गई थी। गुजरात सरकार (जीओजी) द्वारा आंतरिक बुनियादी ढांचे के कार्य के लिए 150 करोड़ रुपए का वित्तपोषण किया जा रहा है। सरगवाला से एनएमएचसी साइट एप्रोच रोड (1.58 किमी) का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, गुंडी-सरगवाला (10 किमी) के बीच मौजूदा माल ढुलाई रास्ते (कैरिजवे) का चौड़ीकरण प्रगति पर है। गुजरात सरकार द्वारा 10 लाख लीटर की पानी की टंकी का निर्माण किया गया है और पानी की आपूर्ति शुरू हो गई है। परियोजना के लिए विद्युत आपूर्ति का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

नौसेना के लिए एनएमएचसी में गैलरी विकसित करने के लिए भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल ने आईपीआरसीएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

6.65 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान, भारतीय रेलवे की परियोजना से संबंधित आरओबी सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) / विस्तृत डिजाइन परामर्श (डीडीसी) के लिए परामर्श सेवाएं शुरू करने के लिए आईपीआरसीएल को भारतीय रेलवे की सूची में सम्मिलित किया गया है। इस पैनल में भारतीय रेलवे (आईआर) परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श सेवा भी शामिल है। इसके अलावा, आईपीआरसीएल, यातायात संभावित सर्वेक्षण/अध्ययन, यातायात संचलन, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, माल बाजार अध्ययन, गैर-प्रमुख राजस्व सृजन स्रोतों के संभावित सर्वेक्षण/अध्ययन, व्यवहार्यता अध्ययन और लॉजिस्टिक्स पार्कों और टर्मिनलों आदि के लिए डीपीआर तैयार करने के लिए कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (डीएफसीसीआईएल) के साथ भी सूचीबद्ध है। कंपनी ने अपनी खदानों और संयंत्रों तक रेलवे संपर्कता शुरू करने के लिए राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। इन व्यवसाय विकास प्रयासों के ठोस परिणाम मिले और 1,501.67 करोड़ रुपए के नए कार्य ऑर्डर प्राप्त हुए। इस तरह कंपनी का कुल कारोबार 31 मार्च, 2023 को 2,747.96 करोड़ रुपए हो गया। जो पिछले वर्ष की तुलना में 55.46% अधिक है।

रोपवे सेगमेंट में, जटाशंकर रोपवे परियोजना की पीएमसी, एमपी में सलकनपुर रोपवे परियोजना के लिए डीपीआर और बोली प्रक्रिया प्रबंधन, चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर पीआरटी प्रणाली के लिए डीपीआर, यूपी में 3 रोपवे परियोजनाएं और गोवा वास्को डी गामा से डोना पाउला रोपवे के लिए डीपीआर, कर्नाटक में अंजनाद्री रोपवे के लिए टीईएफआर, पर्वतमाला कार्यक्रम के तहत पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश में 6 रोपवे परियोजनाओं के लिए पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट और एमपी के जबलपुर और ग्वालियर में 2 रोपवे परियोजनाओं को आईपीआरसीएल को सौंपा गया है।

आईपीआरसीएल ने भारतीय मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स और अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में, विशेष रूप से पत्तन आधारित समुद्री विकास में कई व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाने की अपनी क्षमता विकसित की है। बदलते रुझानों को अपनाने, प्रौद्योगिकी को अपनाने और सार्वजनिक और निजी भागीदारों के साथ सहयोग करने की इसकी क्षमता इसकी भविष्य की सफलता को आकार देने और भारत की लॉजिस्टिक्स और व्यापार वृद्धि में योगदान करने में सहायक होगी। भारत के समुद्री और व्यापक भारतीय अवसंरचना और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों के भविष्य का विकास विभिन्न सरकारी योजनाओं और अवसरों द्वारा संचालित महत्वपूर्ण विस्तार पर टिका है। इसके अतिरिक्त, रोपवे, मत्स्यन पत्तन और रोलिंग स्टॉक, पी. वे और एस एंड टी रखरखाव जैसे उभरते कार्यक्षेत्र विकास के नए रास्ते बना रहे हैं। मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट पर जोर देने के साथ रेल, सड़क और जलमार्ग परिवहन का एकीकरण प्राथमिकता है। आईपीआरसीएल को निर्बाध लॉजिस्टिक्स समाधान प्रदान करने का यह वर्तमान अवसर, व्यवसायों के पारगमन समय और लागत को कम करता है। कंपनी आगामी घरेलू मेगा परियोजनाओं में भी संलग्न रहने का प्रयास करती है, विशेष रूप से मैरीटाइम इंडिया विजन-2030, व्यापक पत्तन संपर्कता योजना, औद्योगिक नोड्स तक पत्तनों की संपर्कता, पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान और समुद्री अमृतकाल विजन 2047 से उभर रही है।

माननीय मंत्री पीएसएंडडब्ल्यू ने 25 दिसंबर, 2023 को बोगीबील, असम में पर्यटक सह कार्गो जेट्टी के परियोजना स्थल का निरीक्षण किया

वर्ष 2022-23 के दौरान पूर्ण की गई महत्वपूर्ण परियोजनाएँ:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पत्तन
1	आरओबी भाग-I के साथ डीएफसी अनुपालक कॉमन रेल यार्ड (सीआरवाई) का विकास और परिवर्तन कार्य	जेएनपीए
2	आरओबी के निर्माण सहित जालना ड्राई पोर्ट तक रेल संपर्कता	जेएनपीए
3	एमएचसीपी क्षेत्र में आरआरएस-2	जेएनपीए

वर्ष 2022-23 के दौरान आईपीआरसीएल द्वारा कार्यान्वयन की जा रही महत्वपूर्ण परियोजनाएं:

क्रम सं.	परियोजना का नाम	पत्तन	परियेजना लागत करोड़ (रुपए में)
1	लोथल, गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास के लिए परियोजना विकास और परामर्शी कार्य।	एनएमएचसी	1238.05
2	आंध्र प्रदेश राज्य में सेतु-भारतम के तहत 183+700 किमी पर 170+400 पर 10+906 पर और 46+651 किमी पर आरओबी का निर्माण	एमओआरटीएच	344.46
3	गुजरात राज्य में कच्छ साल्ट जंक्शन पर इंटरचेंज-सह-आरओबी का निर्माण	डीपीए	284.00
4	पारादीप, वीपीए और चेन्नई में फिशिंग हार्बर	पीपीए/वीपीए/ सीएचपीए	185.25
5	जसाई और जेएनपीए के बीच तीसरी लाइन	जेएनपीए	126.02
6	एनएच से अतिरिक्त पत्तन संपर्कता के हिस्से के रूप में पारादीप पत्तन पर दूसरा निकास सड़क-सह-फ्लाईओवर	पीपीए	92.92
7	एमसीएचपी क्षेत्रों तक निर्बाध पहुंच के लिए बीओटी रेल पटरियों को पार करते हुए एक सड़क-सह-फ्लाईओवर का निर्माण	पीपीए	33.94
8	केपीएल से दक्षिणी संपर्कता का विस्तार/दोहरीकरण: चरण 1 और II: प्रमुख पुल कार्य और खुदाई कार्य और छोटे पुल और ट्रैक लिंकिंग कार्य	केपीएल	86.70
9	केपीएल में उन्नयन एवं संशोधन कार्य	केपीएल	33.52
10	वर्धा ड्राई पोर्ट तक रेल संपर्कता	जेएनपीए	73.00
11	केपीआरके यार्ड की रेलवे लाइन का विद्युतीकरण	डीपीए	45.00
12	बोगीबील में पर्यटक सह कार्गो जेट्टी (पीएच-I)	आईडब्ल्यूएआई	26.20
13	वीपीए रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण- 38 टीकेएम	वीपीए	22.57
14	ईस्ट यार्ड में ट्रैक का उन्नयन	वीडीए	18.86
15	केपीएल में 3 वर्षों के लिए एस एंड टी रखरखाव	केपीएल	24.35
16	मार्च, 2020 से एचडीसी में 5 वर्षों के लिए एस एंड टी रखरखाव	एसएमपीए	22.16
17	केडीएस में जून, 2021 से 3 सालों तक निरीक्षण, माप और मापदंडों को सही करना।	एसएमपीए	14.04
18	मई, 2022 से 3 वर्षों के लिए नवनिर्मित बीओटी लाइनों (कुल 84+30=114 किमी) सहित कोचिंग यार्ड के टेकऑफ़ बिंदु से रेलवे ट्रैक-पीपीए साइडिंग का रखरखाव।	पीपीए	52.67
19	नवंबर, 2022 से 3 वर्षों के लिए ट्रैक रखरखाव कार्य	वीओसीपीए	3.93
20	जनवरी, 2023 से 3 साल के लिए पीपीए पर 6 डीजल इंजनों की ओएंडएम वेट लीज	पीपीए	44.92
21	मार्च, 2023 से 3 वर्षों के लिए पीपीए के स्वामित्व वाले 6 इंजनों का लोको ओएंडएम	पीपीए	16.76

इंडियन पोर्ट ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड

6.66 अफगानिस्तान और अन्य मध्य एशियाई देशों के लिए विश्वसनीय समुद्री/भूमि पहुंच मार्ग प्राप्त करने के सामरिक हित को देखते हुए, विदेश मंत्रालय ने 5 सितंबर, 2014 को एक कैबिनेट नोट चलाया था। उक्त नोट के पैरा 12 के अनुसार, चाबहार पत्तन के प्रथम चरण के विकास में भाग लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू पत्तन (जेएनपीटी) और दीनदयाल (तत्कालीन कांडला) पत्तन (डीपीटी) की संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने का प्रस्ताव किया गया, जो ईरान के पत्तन और समुद्री संगठन (पीएंडएमओ) के साथ करार करेगी। मंत्रिमंडल ने दिनांक 18 अक्तूबर, 2014 को चाबहार पत्तन विकास में भारतीय भागीदारी को मंजूरी दी। तदनुसार, इंडिया पोर्टस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड (आईपीजीपीएल) को 22 जनवरी 2015 को निगमित किया गया। आईपीजीपीएल की प्राधिकृत पूंजी और प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रु. है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन और दीनदयाल पत्तन दो प्रवर्तक हैं जिनकी इक्विटी क्रमशः 60:40 के अनुपात में है।

6.67 भारत द्वारा चाबहार पत्तन के विकास के लिए 06 मई, 2015 को तेहरान में भारत और ईरान के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, इसके बाद 23 मई, 2016 को तेहरान (ईरान) में भारत के माननीय प्रधान मंत्री की ईरान यात्रा के दौरान इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। शाहिद बेहेश्ती-चाबहार पत्तन के विकास के पहले चरण में दो टर्मिनलों को सुसज्जित और संचालित करने के लिए ईरान और ईरान की अरिया बनादर ईरानियन पोर्ट एंड मैरीन सर्विसेज कंपनी (एबीआई) तथा इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड (आईपीजीएल) के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। पोर्टस एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान (पीएमओ) और पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार अनुबंध की पुष्टि करने वाले पक्ष थे।

6.68 चूंकि मुख्य अनुबंध की सक्रियता में चुनौतियां थीं, इसलिए फरवरी 2018 में नई दिल्ली में इस्लामी गणतंत्र ईरान के महामहिम राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान एक छोटी अवधि के अनुबंध की नींव रखी गई थी। परिणामस्वरूप, दोनों पक्षों के बीच औपचारिक रूप से एक संक्षिप्त पट्टा अनुबंध 6 मई 2018 को हस्ताक्षर किया गया था। इसके कार्यान्वयन के लिए, एक इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल चाबहार फ्री जोन (आईपीजीसीएफजी) की 98% शेयर होल्डिंग तथा जेएनपीटी और डीपीटी, प्रत्येक की 1% हिस्सेदारी के साथ ईरान में एक एसपीवी निगमित किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त व्यापक कार्रवाई योजना से हटने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स के संभावित प्रतिबंधों के प्रभाव से जेएनपीटी और डीपीटी को मुक्त रखने के लिए सागरमाला डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (एसडीसीएल) (पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण वाली कंपनी) द्वारा आईपीजीएल में जेएनपीटी और डीपीटी के 100% इक्विटी शेयर खरीदे गए हैं। वर्तमान में आईपीजीसीएफजेड के 100% शेयर आईपीजीएल द्वारा धारित हैं।

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडब्ल्यूटीसी)

6.69 केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडब्ल्यूटीसी) को 22 फरवरी, 1967 को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03 मई,1967 को अनुमोदित योजना के तहत तत्कालीन रिवर स्टीम नेविगेशन कंपनी लिमिटेड की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियां लेने के बाद भारत सरकार के एक उपक्रम के रूप में निगमित किया गया था। हालांकि, जल परिवहन क्षेत्र में निहित सीमाओं और अवसंरचना की बाधाओं के कारण, सीआईडब्ल्यूटीसी का संचालन कभी भी व्यवहार्य नहीं हो सका और कंपनी को अपनी स्थापना से ही प्रत्येक वित्तीय वर्ष में परिचालनात्मक घाटा हुआ और इसे अपने कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी और अन्य वैधानिक देयताओं के भुगतान के लिए भारत सरकार की सहायता/ अनुदान-सहायता पर निर्भर रहना पड़ा। मंत्रिमंडल ने दिनांक 31 अगस्त, 2016 को चल और अचल संपत्तियों के निपटान, अनिच्छुकता के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति (सीआर) के प्रावधान के साथ शेष पांच कर्मचारियों के लिए संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधान के अनुसार सीआईडब्ल्यूटीसी के समापन के साथ केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईडब्ल्यूटीसी) के विघटन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीआईडब्ल्यूटीसी के सभी भू-तल (लैंड पार्सल) को केंद्र सरकार, सीपीएसई आदि को हस्तांतरित/सौंप दिया गया है और सभी चल संपत्तियों का निपटान कर दिया गया है।

क्रम सं.	ब्यौरा	दिनांक	स्थिति
1	04 छंटनी किए गए कर्मचारी, जिन्होंने गुवाहाटी और कोलकाता उच्च न्यायालयों में छंटनी के खिलाफ कानूनी मामले दायर किए हैं, को छोड़कर शेष कर्मचारियों के बकाये का निपटान	छटनी किए गए 03 कर्मचारियों ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कानूनी मुकदमा दायर किया जिसकी सुनवाई 25 अप्रैल, 2024 को पूरी हो गई। आदेश की प्रति प्राप्त होनी है। कोलकाता उच्च न्यायालय में दायर एक कर्मचारी के मामले पर सुनवाई की जा रही है।	पूरा नहीं हुआ
2	चल और अचल संपत्ति का निपटान पूरा	(पूर्ण)	(पूर्ण)
3	वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लेखापरीक्षित लेखें सांविधिक लेखा परीक्षक और सीएंडजी द्वारा पूरे किए जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सांविधिक ऑडिट एवं सीएजी लेखापरीक्षा शुरू हो गई है और प्रगति पर है।	(पूर्ण) (प्रगति पर है) पूरा किया जाना है	(पूर्ण) पूरा किया जाना है
4	श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन प्राधिकरण (एसएमपीए) को संपत्ति और देनदारियों और अदालती मामलों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार की मंजूरी दे दी गई है।	पूर्ण	पूर्ण
5	एसएमपी ने सीआईडब्ल्यूटीसी की संपत्ति, देनदारियों और अदालती मामलों को लेने के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन किया है। हैंडओवर और टेकओवर की प्रक्रिया 30 मार्च, 2023 तक पूरी कर ली गई है।	30 मार्च, 2023	(पूर्ण)
6	एनसीएलटी, कोलकाता से स्वैच्छिक परिसमापन कार्यवाही को वापस लेने के लिए आवेदन किया गया। पहली सुनवाई हुई और एनसीएलटी द्वारा सुनवाई की अगली तारीख 10.02.2023 है। एनसीएलटी से वापसी का आदेश प्राप्त करने पर, सीआईडब्ल्यूटीसी की स्थिति को "सक्रिय" के रूप में बदलने के लिए आरओसी/एमसीए को आवेदन। सीआईडब्ल्यूटीसी की "सक्रिय" स्थिति के अनुमोदन पर एजीएम आयोजित करने में देरी की माफी के लिए आरओसी/एमसीए को तत्काल आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा और एमसीए की स्वीकृति प्राप्त होने पर अल्प सूचना पर वित्त वर्ष 2017-18 से 2021-22 के लिए एजीएमएस आयोजित किए जाएंगे।	पूर्ण	पूर्ण
7	सीएजी ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होने और एनसीएलटी द्वारा आईएंडबीसी के तहत स्वैच्छिक परिसमापन को वापस लेने और वैधानिक अनुपालन पूरा होने के बाद सीआईडब्ल्यूटीसी/एसएमपीए ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत समापन के लिए कंपनी रजिस्ट्रार से संपर्क किया। कंपनियों के रजिस्टर से नाम हटाने के लिए आरओसी के समक्ष आवेदन दाखिल किया।	पूर्ण 17 अक्टूबर, 2023 को आरओसी, एमसीए द्वारा सीआईडब्ल्यूटीसी का नाम हटा दिया गया है	पूर्ण

हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल)

6.70 कोलकाता में स्थित हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड (एचडीपीईएल) भारत के सबसे पुराने शिपयार्डों में से एक है। इसे वर्ष 1819 में हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ पोर्ट इंजीनियरिंग कार्य का विलय होने के बाद हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड का गठन "द हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1984" नामक संसद के अधिनियम द्वारा किया गया था। भारत सरकार ने घाटे पर चल रही कंपनी का राष्ट्रीयकरण किया, ताकि आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त निवेश के माध्यम से उपलब्ध बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सके और देश में पोत निर्माण और पोत मरम्मत के लिए क्षमता बढ़ाई जा सके। राष्ट्रीयकृत कंपनी दिनांक 27 जुलाई, 1986 तक उद्योग मंत्रालय के साथ बनी रही और उसके बाद उसे तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया और अब यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

एचडीपीईएल को बंद करना

6.71 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 03 अक्टूबर, 2019 को हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) के परिसमापन और पुनर्गठन के लिए तथा एचडीपीईएल के कर्मचारियों के लिए अद्दितत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के मद्देनजर एचडीपीईएल में संशोधित वीआरएस सफलतापूर्वक लागू किया गया है। एचडीपीईएल में 43 कर्मचारियों में से 42 कर्मचारियों ने संशोधित वीआरएस का विकल्प चुना है और 1 कर्मचारी की छंटनी कर दी गई है, जिसने संशोधित वीआरएस का विकल्प नहीं चुना। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) ने दिनांक 01 नवंबर, 2019 को एचडीपीईएल के द्वारा धारित हुगली कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड (एचसीएसएल) के 26% इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण के विचारार्थ एचडीपीईएल को बुक वैल्यू का हस्तांतरण किया और दिनांक 28 नवंबर, 2019 को यह राशि पीएओ, दीपम (डीआईएपीएम को) हस्तांतरित कर दी गई है जिससे एससीएसएल पूरी तरह से (100%) सीएसएल की अनुषंगी कंपनी बन गई है। दिनांक 14 जून, 2018 के सार्वजनिक उद्यम विभाग के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, एचडीपीईएल की भूमि परिसंपत्तियों का स्वामित्व मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है। कंपनी अधिनियम की धारा 248 के तहत बंद करने और आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एचडीपीईएल के संबंध में नीति आयोग और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए, एचडीपीईएल का एकमुश्त परिसमापन और समापन शुरू किया गया है। मंत्रालय ने 9 जून, 2021 को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, सीएमडी, एचडीपीईएल को निर्देश दिया है कि बकाया मामलों के निपटान के लिए सुलह और निपटान समिति (सीएससी), इंडियन पोर्ट एसोसिएशन (आईपीए) की सेवाएं ली जा सकती हैं और एचडीपीईएल को जल्दी बंद करने के लिए पक्षों के साथ समझौता करने के बाद इसके निपटान के प्रयास किए जा सकते हैं।

6.72 सीएससी ने हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद 'एचडीपीईएल को बंद करने के लिए आगे की रूपरेखा, अर्थात् श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन (एसएमपीके) को संपत्ति, देनदारियों, मुकदमों आदि का हस्तांतरण, प्रतिपादित किया है, जोकि आरओसी के रजिस्टर से कंपनी के नाम को हटाने के लिए कदम उठाने का आधार होगा और इसे मंत्रालय के सैद्धांतिक अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

6.73 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 13 मार्च, 2023 को एचडीपीईएल को बंद करने और वर्तमान संपत्तियों, देनदारियों और सभी बैंक खाते में जमा और मध्यस्थता सहित अदालती मामलों को एसएमपीके को हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी थी। हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (एचडीपीईएल) का नाम कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 04 अगस्त, 2023 के का.ज्ञा. नीति-17/26/2023-सीएल-वी-एमसीए-पीटी-I के तहत कंपनियों के रजिस्टर (आरओसी) से हटा दिया गया।

सेतुसमुद्रम निगम लिमिटेड (एससीएल)

6.74 सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एससीएल) सेतुसमुंद्रम शिप चैनल प्रोजेक्ट (एसएससीपी) को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल की मंजूरी के साथ वर्ष 2004 में कंपनी अधिनियम के तहत स्थापित एक एसपीवी है। एसएससीपी के विरुद्ध दायर किए गए विभिन्न मुकदमों के कारण अगस्त 2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय के एक आदेश से काम बंद हो गया और जुलाई 2009 से परियोजना स्थल पर सभी काम रोक दिए गए हैं।

राष्ट्रीय पत्तन,जलमार्गऔर तट प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी)

6.75 राष्ट्रीय पत्तन,जलमार्गऔर तट प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) की परिकल्पना पत्तन और समुद्री क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकीय नवाचारों और नए विचारों और सफलताओं के विकास के केंद्र के रूप में की गई है।यह पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की प्रौद्योगिकी शाखा के रूप में कार्य करता है तथा पत्तनों, आईडब्ल्यूएआई और अन्य संस्थानों को आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करता है।यह केंद्र वैज्ञानिक सहायता के माध्यम से उद्योग के सामने आने वाली समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए प्रभावी समाधान प्रदान करता है और स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समुद्री परिवहन में मूल्यवान शिक्षा, अनुप्रयुक्त अनुसंधान और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण भी प्रदान करता है।इस केंद्र की स्थापना 2018 के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (आईआईटीएम), चेन्नई में एक इनक्यूबेशन सेंटर के रूप में की गई थी और इसने चेन्नई के केलाम्बक्कम के थाईयूर में एक नए परिसर के अनुसंधान और विकास दोनों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया।एनटीसीपीडब्ल्यूसी ने अब तक 70 से अधिक शोध परियोजनाएं शुरू की हैं।

समुद्री और पोत निर्माण उत्कृष्टता केंद्र (सीईएमएस)

6.76 सीईएमएस की स्थापना मुंबई और वाइजैग में दो परिसरों और कुल 24 प्रयोगशालाओं के साथ की गई है।यह शिप डिटेल्ड डिज़ाइन, एमआरओ और उन्नत डिजिटल विनिर्माण अवधारणाओं में रोजगार योग्य इंजीनियरिंग और तकनीकी कौशल प्रदान करता है। अब तक, लगभग 6000 उम्मीदवारों को सीईएमएसवाइजैग और मुंबई में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अंतर्देशीय जल परिवहन

भारत और बांग्लादेश के बीच 18 से 20 दिसंबर, 2023 के दौरान ढाका में
आयोजित सचिव शिपिंग स्तर की वार्ता (एसएसएलटी)

प्रस्तावना

7.1 अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) साधन को विशेष रूप से थोक माल, बड़े आकार के कार्गो और जोखिम पूर्ण माल के लिए व्यापक रूप से ईंधन कुशल, पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी साधन माना गया है। इस साधन को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए प्राथमिक आवश्यकता आईडब्ल्यूटी अवसंरचना (फेयरवे, टर्मिनल और नौचालन सहायक उपकरण) का विकास करना और इसके साथ-साथ मुख्यतः निजी क्षेत्र द्वारा आईडब्ल्यूटी बेड़े को बढ़ाने के लिए समर्थनकारी वातावरण का सृजन करना है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत आईडब्ल्यूएआई के कार्यों का केन्द्र तकनीकी और आर्थिक रूप से व्यवहार्य राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान करना और उनका विकास करना है। इस प्रयास का उद्देश्य ऐसा व्यापक नेटवर्क स्थापित करना है जो भीड़-भाड़ वाले सड़को और रेल नेटवर्क का पूरक बन सकें, यातायात भीड़ में कमी, न्यूनतर लॉजिस्टिक्स लागतें और पर्यावरणीय सुविधाओं जैसे लाभ प्राप्त हो सकें।

7.2 भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना 27 अक्तूबर, 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के द्वारा नेविगेशन और नौचालन के प्रयोजनों से अंतर्देशीय जलमार्गों के विनियमन एवं विकास के लिए की गई थी और इसके साथ इसको राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) के विकास, रखरखाव और विनियमन का दायित्व सौंपा गया है। वे जलमार्ग जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित नहीं किया गया है, का विकास और विनियमन का दायित्व संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत बना रहेगा।

7.3 संसद ने 02 अगस्त, 2021 को अंतर्देशीय जलयान विधेयक, 2021 पारित किया, जिसका उद्देश्य 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 (1917 का 1) को बदलना और विधायी ढांचे को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत करना है। अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 (2021 का 24) 12 अगस्त, 2021 को अधिसूचित किया गया है, जिसमें अधिनियम की धारा 1 और 106 को दिनांक 16 फरवरी, 2022 से लागू किया गया और अधिनियम की धारा 2 से धारा 105 और धारा 107 से 114 तक, 7 जून, 2022 से लागू की गई। भारतीय जलयान अधिनियम, 2021 के तहत नौ (09) नियम तैयार किए गए और इन्हें पिछले अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के तहत राज्य-वार विनियमों के बजाए समग्र देश में अंतर्देशीय जलयानों के

पंजीकरण, प्रमाणन और विशिष्टताओं की एकीकृत प्रणाली द्वारा अधिसूचित किया गया।

7.4 राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो यातायात अप्रैल 2023-मार्च 2024 की अवधि में 133.03 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 की इसी अवधि में यह 126.15 एमएमटी था, अर्थात् 5.45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2013-14 की तुलना में यातायात 6.89 एमएमटी से लगभग 20 गुना बढ़ गया है।

7.5 पद्मा नदी पर इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग 5 और 6 पर मैया रिवराइन टर्मिनल का प्रचालन मैया (भारत) और सुल्तानगंज (बांग्लादेश) के बीच तीन ट्रायल रन करके किया गया। फरवरी, 2023 में आयोजित उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता माननीय पीएसएंडडब्ल्यू राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर द्वारा की गई।

7.6 भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के तहत सचिव, स्तर की वार्ता और 22वीं स्थायी समिति की बैठक दिसंबर, 2023 में ढाका में आयोजित की गई। सचिव, पीएसएंडडब्ल्यू द्वारा भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया।

7.7 अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद (आईडब्ल्यूडीसी) की बैठक का उद्घाटन सत्र जनवरी, 2024 में कोलकाता में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने की। उक्त कार्यक्रम के दौरान, नदी क्रूज पर्यटन पर एक विज़न दस्तावेज़ लॉन्च किया गया, जिसमें 2047 तक नदी क्रूज पर्यटन के विभिन्न लक्ष्यों की रूपरेखा दी गई है।

7.8 अक्तूबर, 2023 में मुंबई में आयोजित वैश्विक समुद्री भारत शिखर सम्मेलन (जीएमआईएस) के दौरान, आईडब्ल्यूएआई ने राष्ट्रीय जलमार्गों में कार्गो और यात्रियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ दस समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। पटना से कोलकाता तक एक ट्रायल मूवमेंट करने के पश्चात् ई-कॉमर्स एग्रीगेटर मेसर्स अमेज़न इंडिया लिमिटेड के साथ भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह पहली बार था जब भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों पर ई-कॉमर्स कार्गो को रवाना किया गया।

7.9 पश्चिम बंगाल राज्य में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर सागरदिघी अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल को अक्टूबर, 2023 में आयात-निर्यात और घरेलू माल की आवाजाही के लिए चालू कर दिया गया। यहाँ से फ्लाई ऐश की एक खेप बांग्लादेश के लिए रवाना हुई।

7.10 अंतर्देशीय जल परिवहन को परिवहन का एक टिकाऊ और व्यवहार्य माध्यम बनाने के लिए चल रहे प्रयास में, आईडब्ल्यूएआई ने मार्च, 2024 के महीने में कोलकाता और गुवाहाटी में हितधारक सम्मेलन आयोजित किए। इन आयोजनों में दोनों राज्यों के साथ-साथ निजी हितधारकों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। सम्मेलन के दौरान कई नई पहलों और संभावनाओं पर चर्चा की गई।

रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र) पर जलमार्गों का उपयोग करके कोलकाता से भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से नुमलीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार से संबंधित पहले ओवर डायमेंशनल कार्गो का परिवहन किया गया

7.11 वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.-1, रा.ज.-2, रा.ज.-31, रा.ज.-86, रा.ज.-97 और आईबीपी मार्ग) पर चौदह ओवर डायमेंशनल कार्गो (ओडीसी) खेपों का भी परिवहन किया गया। इन भारी-भरकम कार्गो को परिवहन के किसी अन्य माध्यम से परिवहन करना एक कठिन कार्य होता।

राष्ट्रीय जलमार्ग 1, 2, 3, 4 और 5

7.12 राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (इलाहाबाद से हल्दिया तक 1620 किमी. गंगा- भागीरथी- हुगली नदी प्रणाली), राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (धुबरी से सदिया तक ब्रह्मपुत्र नदी), तथा राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (उद्योगमंडल और चंपाकारा नहरों के साथ कोटट्पुरम से कोल्लम तक पश्चिम तट नहर) का फेयरवे, नौचालन सहायता, और कार्गो को चढ़ाने और उतारने के लिए यांत्रीकृत उपकरण संभलाई सुविधाओं वाले टर्मिनलों सहित पहले ही विकास किया गया है। ये जलमार्ग प्रचालनरत हैं और इन पर जलयान चल रहे हैं।

चरण-। के तहत फेयरवे विकास और 4 फ्लोटिंग जेट्टियों के निर्माण सहित रा.ज.-4 (कृष्णा नदी के विजयवाडा- मुक्त्याला जलखंड) के लिए विकासात्मक गतिविधियां पूरी की गई हैं।

रा.ज-5 के पंनकापल-धामरा पत्तन-मंगलगादी-पारादीप पत्तन जलखंडों में विकास कार्य शुरू किया गया है और ईआईए-ईएमपी सहित अध्ययनों के लिए परामर्श कार्य चल रहा है।

इसके अलावा, ओडिशा में रा.ज.-5 और रा.ज -64 के चुनिंदा जलखंडो के प्रचालन के लिए डिजाइन, निर्माण, वित्त, प्रंचालन और हस्तांतरण के आधार पर व्यावसायिक रूची की अभिव्यक्ति (ईओआई) बोलीदाताओं के भाग लेने के लिए प्रकाशित की गई थी।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1

7.13 वर्ष 1986 में हल्दिया (सागर) और इलाहाबाद (1620 कि.मी.) के बीच गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) के रूप में घोषित किया गया। तब से आईडब्ल्यूएआई उसके नौचालन को सुधारने के लिए जलमार्ग पर विभिन्न विकासात्मक कार्य कर रहा है तथा आईडब्ल्यूएआई अधिनियम, 1985 (1985 का 82) में दिए गए अन्य अवसंरचना जैसे कि नौचालन के लिए सहायताओं और टर्मिनल सुविधाओं का विकास एवं रखरखाव भी कर रहा है।

7.14 वित्तीय वर्ष 2022-2023 में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 की क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जैसे टर्मिनलों, सामुदायिक घाटों, नेविगेशन लॉक आदि के निर्माण में तेज़ी लाना। रा.ज.-1 में नौगम्य गहराई प्रदान करने के लिए ड्रेजिंग और बैंडलिंग जैसे नदी संरक्षण कार्य भी किए गए। इसके बाद, कार्गो और यात्रियों दोनों की आवाजाही के लिए मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में प्रयास किए गए।

जलमार्ग विकास परियोजना

7.15 विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और वित्तीय सहायता के साथ रा.ज.-1 हल्दिया से वाराणसी तक के 1390 कि.मी. जलखंड पर क्षमता संवर्धन के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जलमार्ग विकास प्राधिकरण कार्यान्वयन एजेंसी है।

7.16 राष्ट्रीय जलमार्ग -1 पर हल्दिया से वाराणसी तक जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) को सीसीईए द्वारा 3 जनवरी, 2018 को 5,369.18 करोड़ रुपए (800.00 मिलियन यूएस डॉलर) की लागत से अनुमोदित किया गया था। विश्व बैंक के साथ ऋण समझौते पर 2 फरवरी 2018 को हस्ताक्षर किए गए थे परियोजना लागत को संशोधित करके 4,633.81 करोड़ रुपए किया गया जिसे आगे 5,061.15 करोड़ रुपए तक संशोधित किया गया है। परियोजना को छह महीनों का विस्तार मिला है और इसकी समीक्षा अप्रैल, 2024 में की जाएगी। इस परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वयन कार्य चल रहे हैं और दिसंबर, 2025 में पूरा होने की संभावना है।

7.17 इस परियोजना के अंतर्गत, प्रमुख इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) अनुबंध पूरे होने वाले हैं। एमएमटी वाराणसी, एमएमटी साहिबगंज, एमएमटी हल्दिया और फरक्का में नए नेविगेशनल लॉक का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा क्रमशः 12 नवंबर, 2018, 12 सितंबर, 2019, 13 जनवरी, 2023 और 17 अक्टूबर, 2023 को किया गया था। हाल ही में, आईएमटी कालूघाट का उद्घाटन माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री द्वारा 15 फरवरी, 2024 को किया गया।

7.18 दुनिया ने जनवरी, 2023 में दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज एमवी गंगा विलास के सफल प्रक्षेपण को देखा है, जो भारत के समृद्ध नदी क्रूज पर्यटन के क्षेत्र में विशेष उपलब्धि रही है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक 3,200 किलोमीटर से अधिक की यह यात्रा भारत और बांग्लादेश के पांच राज्यों की 27 नदी प्रणालियों से होकर गुज़री। इस असाधारण अभियान ने विश्व का ध्यान आकर्षित किया और प्रतिष्ठित 'लिम्का बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स' में अपना स्थान सुरक्षित किया।

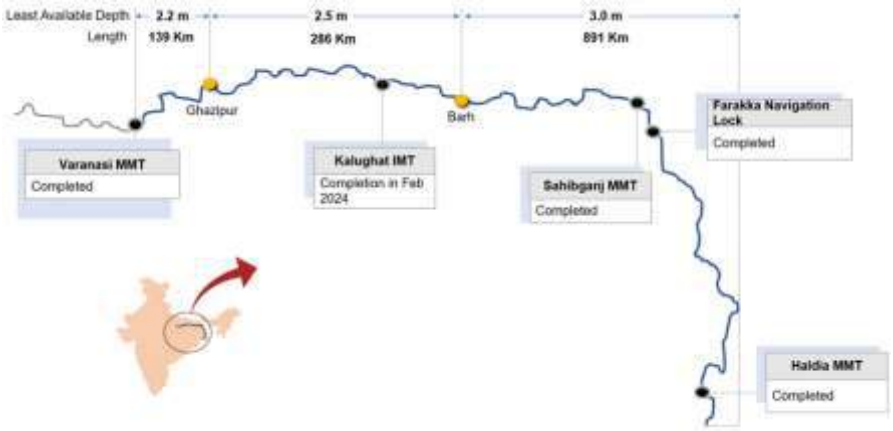

माननीय प्रधानमंत्री ने एम वी गंगा विलास, विश्व के लंबे नदी क्रूज को झंडी दिखाकर रवाना किया

वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल

7.19 मल्टीमॉडल टर्मिनल वाराणसी, (चरण-I) 1.26 एमएमटीपीए की टर्मिनल क्षमता के साथ, उत्तर प्रदेश के रामनगर, वाराणसी में बनाया गया था। इस टर्मिनल का उद्घाटन 12 नवंबर, 2018 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। यह टर्मिनल एनएच-7 के साथ दो लेन की सड़क से जुड़ा हुआ है और पूर्वी समर्पित मालवाहक गलियारे (ईडीएफसी) पर ज्योनाथपुर रेलवे स्टेशन से रेल संपर्कता की योजना बनाई गई है। एमएमटी वाराणसी के लिए रेल संपर्कता 2025-26 तक पूरा होने की उम्मीद है।

वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल का दृश्य

7.20 एमएमटी वाराणसी के प्रचालन के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पीपीपी आधार पर परियोजना को सौंपने के लिए बोली दस्तावेज (मसौदा रियायत समझौता (डीसीए) सहित) तैयार किए गए तथा एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित किए गए तथा बोली प्रक्रिया चल रही है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई, 2024 है।

साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल

7.21 3.03 एमटीपीए क्षमता वाले मल्टीमॉडल टर्मिनल का उद्घाटन 12 सितंबर, 2019 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया। यह टर्मिनल एनएच 80 से जुड़ा हुआ है और इस टर्मिनल के लिए सकरीगली रेलवे स्टेशन से रेल संपर्कता भी प्रस्तावित है। एमएमटी साहिबगंज के लिए रेल संपर्कता 2025-26 तक पूरा होने की उम्मीद है। एमएमटी साहिबगंज के प्रचालन के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। पीपीपी आधार पर परियोजना सौंपने के लिए बोली दस्तावेज (मसौदा रियायत समझौता) (डीसीए सहित) तैयार किए गए और एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा अनुमोदित किए गए तथा बोली प्रक्रिया चल रही है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई, 2024 है।

झारखंड के साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल का रात्रि दृश्य

हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल

7.22 हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल, जिसकी टर्मिनल क्षमता 3.08 एमएमटीपीए है, का निर्माण श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन, कोलकाता से लीज पर ली गई भूमि पर किया गया है। इस टर्मिनल का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने 13 जनवरी, 2023 को किया था और यह एनएच 41 से जुड़ा हुआ है। एमएमटी हल्दिया में रेल संपर्कता भी प्रस्तावित है, जिसके लिए संरेखण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और परामर्शदाता से व्यवहार्यता रिपोर्ट एवं डीपीआर प्रतीक्षित है। एमएमटी हल्दिया के लिए रेल संपर्कता 2025-26 तक पूरा होने की उम्मीद है।

हल्दिया में मल्टी मॉडल टर्मिनल का दृश्य

7.23 एमएमटी हल्दिया टर्मिनल को पीपीपी के सुसज्जन, प्रचालन और हस्तांतरण (ईओटी) मॉडल पर मैसर्स आईआरसी नेचुरल रिसोर्स प्रा.लि. को सौंप दिया गया है। दिनांक 21 जुलाई, 2023 को रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

फरक्का में नेविगेशनल लॉक

7.24 फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) द्वारा हस्तांतरित 14.86 हेक्टेयर भूमि पर 02 मार्च, 2016 को नया नेविगेशन लॉक बनाया गया है। इसका निर्माण पूरा हो चुका है और लॉक का उद्घाटन 17 अक्टूबर, 2023 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया। नए नेविगेशन लॉक का प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) एक एजेंसी के माध्यम से किया जा रहा है।

नया नेविगेशनल लॉक गेट, फरक्का, पश्चिम बंगाल

कंटेनर पोत आरएन टैगोर फरक्का लॉक गेट पार करता हुआ

कालूघाट, सारण, बिहार में इंटरमॉडल टर्मिनल का दृश्य

कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल

7.25 कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल का निर्माण 13.17 एकड़ भूमि पर किया गया है, जो बिहार के सारण जिले के कालूघाट में स्थित है। टर्मिनल को मुख्य रूप से नेपाल जाने वाले कंटेनर कार्गो को हैंडल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह टर्मिनल, रा.रा-19 से जुड़ा हुआ है। आईएमटी का निर्माण काफी हद तक पूरा हो चुका है और इसका उद्घाटन 15 फरवरी, 2024 को माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री द्वारा किया गया था।

जल मार्ग विकास परियोजना - II (अर्थ गंगा)

7.26 माननीय प्रधानमंत्री ने 14 दिसंबर, 2019 को कानपुर (उत्तर प्रदेश) में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक के दौरान एक समग्र सोच प्रक्रिया का आग्रह किया, जिसमें 'नमामि गंगे' को 'अर्थ गंगा' के रूप में विकसित किया जा सके। 'अर्थ गंगा' का तात्पर्य, गंगा नदी और उसके आसपास की आर्थिक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक सतत विकास मॉडल से संबंधित है।

7.27 जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) का उद्देश्य गंगा नदी को व्यावसायिक रूप से टिकाऊ और सुरक्षित नेविगेशन के साधन के रूप में विकसित करना है। जेएमवीपी के तहत जेएमवीपी-II के रूप में अर्थ गंगा कार्यक्रम विकसित किया जा रहा है और इसका ध्यान सतत विकास और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर है। चूंकि, कुशल रसद और परिवहन प्रणाली गंगा नदी के किनारे आर्थिक विकास को बनाए रखने और तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण सक्षमकर्ता है, इसलिए जेएमवीपी में गंगा नदी के किनारे आर्थिक गतिविधियों को काफी हद तक नियंत्रित करने की क्षमता है, इस प्रकार यह अर्थ गंगा कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ संरेखित है।

7.28 बड़े कार्गो की आवाजाही के लिए परिवहन का साधन होने के अलावा, गंगा नदी छोटे डेयरी किसानों को जलमार्गों के माध्यम से अपने उत्पादों को परिवहन करने का अवसर भी प्रदान करेगी जो लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल है। आईडब्ल्यूएआई के आंतरिक बाजार अध्ययनों से पता चला है कि वाराणसी के कैथी से मैरीगोल्ड, गाजीपुर और मुंगेर से सब्जियां, हाजीपुर से केला और पान तथा भागलपुर से फल जैसे उत्पाद आस-पास के शहरों में बहुतायत में परिवहन किए जाते हैं।

7.29 इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे छोटे-छोटे घाट बनाना है। गंगा के किनारे रहने वाले समुदाय भी आजीविका बढ़ाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का लाभ उठा रहे हैं, जिसे राज्य आजीविका मिशनों और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीन दयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना आदि जैसी अन्य योजनाओं के समन्वय से आईडब्ल्यूएआई द्वारा सुगम बनाया जा रहा है।

7.30 यह परियोजना अगले 5 वर्षों में स्थानीय लोगों, व्यापारियों, नाविकों, लघु उद्योगों, नौका प्रचालकों आदि को आर्थिक लाभ

पहुँचाने के लिए गंगा बेसिन में आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। यह परियोजना बड़े पैमाने पर कौशल संवर्धन और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की क्षमता विकास को भी सुनिश्चित करेगी।

7.31 यह परियोजना सतत विकास के सिद्धांतों पर आधारित दृष्टिकोण पर विकसित की जा रही है, जो स्थानीय समुदायों को जलमार्गों के माध्यम से अपने माल और यात्री (पर्यटकों सहित) की आवाजाही के लिए अवसर प्रदान करके रा.ज.-1 के भीतरी इलाकों में और इसके आसपास की आर्थिक गतिविधियों पर और साथ ही निम्नलिखित का समर्थन करने के लिए कौशल विकास और सार्वजनिक/निजी क्षेत्र की क्षमता के विकास पर ध्यान केंद्रित करती है:

जेएमवीपी-II (अर्थ गंगा) के इच्छित लाभ	
1.	गंगा के आसपास रहने वाले किसानों, व्यापारियों और आम जनता को आर्थिक लाभ
2.	लघु उद्योगों का विकास
3.	रोजगार के अवसर
4.	कार्गो का आसान, लागत प्रभावी और पर्यावरण अनुकूल परिवहन
5.	छोटे जेट्टी के माध्यम से बेहतर रसद
6.	कार्गो परिवहन के लिए रसद मोड का व्यापक विकल्प

7.32 अर्थ गंगा जेएमवीपी-II की अनुमानित लागत 746 करोड़ रुपए के आरंभिक अनुमान से संशोधित कर 607.71 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अर्थ गंगा कार्यक्रम के विभिन्न घटकों की प्रगति का सारांश नीचे उप-खंडों में दिया गया है।

फेयरवे विकास

7.33 इस घटक में नदी फेयरवे का सुधार और रखरखाव शामिल है जिसका उद्देश्य पारगमन समय को कम करना और जलमार्गों के उपयोग की विश्वसनीयता को बढ़ाने से है। फेयरवे विकास घटकों में जेएमवीपी-II के लिए व्यापक अध्ययन, नदी संरक्षण कार्य, जलयानों की तीव्र और टिकाऊ आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए पोंटून पुल खोलने के मशीनीकरण का डिज़ाइन और विकास शामिल है।

- नदी संरक्षण कार्यों में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (कोलकाता-फरक्का, कहलगांव-सुल्तानगंज, बार्ह-दीघा, दीघा-मझौआ, मझौआ-गाजीपुर और गाजीपुर-वाराणसी) के विभिन्न स्थानों पर बैंडलिंग और दिन में नेविगेशन सहायता उपकरणों का निर्माण और रखरखाव शामिल है।
- आईआईटी खड़गपुर के अंतर्देशीय और तटीय समुद्री प्रौद्योगिकी केंद्र (सीआईसीएमटी) ने पोंटून खोलने के मशीनीकरण के लिए एक विस्तृत तकनीकी अध्ययन किया, ताकि बार्जों के लिए आसान और त्वरित मार्ग हेतु मशीनीकृत पोंटून स्विंग ब्रिज की एक प्रणाली बनाई जा सके, जिसे क्विक पोंटून ओपनिंग मैकेनिज्म (क्यूपीओएम) कहा जाता है। पोंटून के मशीनीकरण से पारगमन समय कम हो जाएगा।
- त्वरित पोंटून उद्घाटन तंत्र (क्यूपीओएम) के निर्माण और निष्पादन का कार्य शुरू में 02 पायलट स्थानों पर किया जाएगा और शेष 08 स्थानों पर बाद में काम शुरू किया जाएगा।

सामुदायिक जेट्टियों का विकास और आधुनिकीकरण

7.34 इस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैले स्थानों पर सामुदायिक स्तर पर आर्थिक कार्यों को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के किनारे लगभग 60 सामुदायिक जेट्टियों का विकास और आधुनिकीकरण शामिल है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है:

राज्यों के नाम	सामुदायिक जेट्टी
उत्तर प्रदेश	15
बिहार और झारखंड	23
पश्चिम बंगाल	22
कुल	**60**

सामुदायिक जेट्टी के विकास में अपतटीय फ्लोटिंग जेट्टी और तटवर्ती टर्मिनल सुविधाएं शामिल होंगी। चार राज्यों में गंगा नदी के किनारे इस विकास से यात्रियों के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी और स्थानीय उपज की आवाजाही में किसानों के लिए रसद लागत में भी कमी आएगी।

- **अपतटीय फ्लोटिंग जेट्टी -** अपतटीय फ्लोटिंग जेट्टी नदी में स्थित होंगी और नदी के किनारे पर उपयुक्त व्यवस्था के साथ लंगर/बंधी होंगी। इनमें उपयुक्त सामग्री से बने फ्लोटिंग पोंटून और पोंटून को तटवर्ती क्षेत्र/टर्मिनल से जोड़ने वाला गैंगवे शामिल होगा। जलयानों को फ्लोटिंग जेट्टी पर बर्थ कर सकते हैं और यात्री सुरक्षित रूप से जलयान पर चढ़ सकते हैं या उतर सकते हैं और गैंगवे के माध्यम से तटवर्ती टर्मिनल क्षेत्र तक पहुँच सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 11 जेट्टियों, बिहार और झारखंड में 21 जेट्टियों, पश्चिम बंगाल में 9 जेट्टियों का निर्माण पूरा हो चुका है और उत्तर प्रदेश राज्य में 4 जेट्टी, बिहार और झारखंड राज्यों में 2 जेट्टियों और पश्चिम बंगाल राज्य में 13 जेट्टियों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- **ऑनशोर टर्मिनल सुविधाएं -** ऑनशोर सुविधाओं में अपतटीय फ्लोटिंग जेट्टी के समीप उपयुक्त भूमि पर विकसित टर्मिनल शामिल होगा। इसमें स्थान और साइट की आवश्यकताओं के आधार पर प्रतीक्षा क्षेत्र, टिकटिंग रूम, सुरक्षा कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय स्थान, पेंट्री स्थान, भंडारण स्थान, सार्वजनिक शौचालय, पार्किंग क्षेत्र जैसी सुविधाएं होंगी। टर्मिनल तक पर्याप्त सड़क, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति और अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली द्वारा पहुँचा जा सकेगा।

रा.ज.-1 पर चैनल स्थिरीकरण कार्य

7.35 जलयानों के सुगम नौचालन की सुविधा के लिए, इस परियोजना घटक के तहत नौगम्य चैनल के रखरखाव के लिए पर्यावरण अनुकूल चैनल स्थिरीकरण कार्य किए जाएंगे। नदी की ऊर्जा का उचित उपयोग करते हुए मुख्य चैनल को गहरा करने के लिए बांस की डूबी हुई छडियों और बल्ली स्क्रीन का सहारा लिया जाता है तथा कटाव से बचने और नदी के किनारों को और मजबूत करने के लिए वेटिवर घास का उपयोग किया जाता है।

यह कार्य दो चरणों में किया जाएगा, अर्थात चरण-I: 07 स्थानों पर और चरण-II: 17 स्थानों पर। स्थानों की पहचान, कार्य निष्पादन और निगरानी तथा निष्पादन के बाद कार्य के आउटपुट विश्लेषण हेतु, तकनीकी सहायता के लिए आईआईटी रुड़की को कार्य दिया गया है। इसके बाद, आईआईटी इंदौर ने 07 स्थानों पर चैनल स्थिरीकरण कार्यों के लिए ईआईए और ईएमपी को आगे बढ़ाया।

- **चरण I –** जून, 2022 में निम्नलिखित 07 स्थानों पर कार्यों का निष्पादन शुरू किया गया और आईआईटी इंदौर की देखरेख तथा निगरानी में इसे अगस्त, 2022 में पूरा किया गया:

क्रम सं.	स्थान (उत्तर प्रदेश)
1	मथारा डी/एस ज़मानिया
2	छतरपुर
3	रघुनाथपुर
4	गाजीपुर-खालिशपुर
5	अर्जुनपुर
6	श्रीरामपुर
7	हल्दी

- **चरण II –** आईआईटी रुड़की द्वारा 17 स्थानों की पहचान कर ली गई है और डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया है। इन डिजाइनों का निष्पादन अगले प्री- मानसून मौसम में किया जाना तय है और इसकी देखरेख और निगरानी आईआईटी रुड़की द्वारा की जाएगी।

रो-पैक्स टर्मिनल

7.36 अर्थ गंगा कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर रो-पैक्स टर्मिनलों की स्थापना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार, आर्थिक कार्यों को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदायों में रोजगार के अधिक अवसर पैदा करना है।

राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) और पोत स्टेशनों के लिए प्रचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) तथा व्यापक वार्षिक रखरखाव अनुबंध (सीएएमसी)।

7.37 इस परियोजना के उप-घटक के अंतर्गत कार्य में सीएएमसी, 07 आरआईएस स्टेशनों का प्रचालन और रखरखाव और 30 पोत स्टेशनों का व्यापक वार्षिक रखरखाव शामिल है। कार्यों को सौंप दिया गया है और व्यापक रखरखाव प्रगति पर है। इसके अलावा, नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) स्टेशन- चरण II (रा.ज.-1 का फरक्का-पटना खंड) के सीएएमसी और ओ एंड एम का कार्य भी सौंप दिया गया है और यह प्रगति पर है।

हाइड्रोग्राफिक उपकरण, स्वचालित ज्वार गेज, ईएनसी, आईडब्ल्यूएन और नदी पायलट एजेंसी के साथ सर्वेक्षण नौकाएँ

7.38 इस परियोजना घटक में जल स्तर निर्वहन और निगरानी स्टेशनों के लिए सेवाएँ, एफआरपी और निरीक्षण (वीआईपी) नौकाओं, सर्वेक्षण उपकरण, एआईएस उपकरण की खरीद और तट टू तट सर्वेक्षण करने जैसे विभिन्न कार्य शामिल हैं। तट- से-तट सर्वेक्षण, निरीक्षण (वीआईपी) नौकाओं, सर्वेक्षण उपकरण और एआईएस उपकरण के लिए अनुबंध सौंप दिए गए हैं और कार्य प्रगति पर हैं। एफआरपी नौकाओं की आपूर्ति पूरी हो गई है।

फरक्का में मौजूदा नेविगेशनल लॉक का आधुनिकीकरण और नवीनीकरण कार्य

7.39 फरक्का में मौजूदा नेविगेशनल लॉक के आधुनिकीकरण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है। ईपीसी ठेकेदार की नियुक्ति के लिए निविदा प्रक्रिया प्रगति पर है।

राष्ट्रीय जलमार्ग-2

7.40 राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में असम के राज्य में धूब्री से सदिया तक 891 कि.मी. की ब्रह्मपुत्र नदी शामिल है। आईडब्ल्यूएआई द्वारा न्यूनतम 45 मीटर चैड़ाई तथा 2.5 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) का एक नौगम्य फेयरवे, धूब्री-पाण्डु (255

राष्ट्रीय जलमार्ग - 2 का मानचित्र

रा.ज.-2 में हाइड्रोलिक सरफेस ड्रेजर तैनात किया गया

कि.मी.) और पाण्डु-नियमती (374 कि.मी.) जलखंड में बनाए रखा गया। नियमती-डिब्रूगढ़ जलखंड में 350 दिवसों के लिए 2.0 मीटर एलएडी बनाए रखा रखा गया। डिब्रूगढ़-सादिया (ओरिमघाट) जलखंड में 365 दिवसों के लिए 1.5 मीटर का एलएडी बनाए रखा रखा गया। धूब्री और सिलघाट के बीच रात्रि नौचालन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है।

7.41 पूर्वोत्तर में आईडब्ल्यूटी के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नए प्रयास के रूप में, सरकार ने रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र) के विकास के लिए 474 करोड़ रूपए, रा.ज.-16 (बराक) तथा भारत-बांग्लादेश प्रोटोकाल मार्गों के भारतीय हिस्से के लिए 148 करोड़ रूपए, पोत मरम्मत सुविधा के विकास के लिए 208 करोड.रूपए, तथा मल्टी मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) पांडु (गुवाहाटी) के लिए ऐलिवेटीड कनेक्टिंग रोड निर्माण हेतु 180 करोड. रूपए की संशोधित अनुमानित लागत अनुमोदित की है। मार्च 2025 के पहले पूरा करने के लक्ष्य के साथ सभी कार्य प्रारंभिक चरणों में कार्यान्वयन के अधीन है।

7.42 वर्तमान में, गुवाहटी, तेजपुर, सादिया में ब्रह्मपुत्र नदी पर तीन सड़क पुल हैं और असम के दक्षिणी और उत्तरी भागों के बीच संपर्कता के लिए जोगीघोपा, गुवाहटी और बोगीबील में तीन रेल सह सड़क पुल हैं। नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों के लिए विभिन्न स्थानों पर पारंपरिक नौका सेवा का उपयोग करके नदी पार करने की आवश्यकता होती है।

7.43 आईडब्ल्यूएआई ने 4 रो-पैक्स जलयानों (प्रत्येक 10.40 करोड़ रुपए की लागत से) की तैनाती के द्वारा रो - पैक्स सेवाओं की शुरुआत की, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ब्रह्मपुत्र (रा.ज.-2) के निम्नलिखित मार्गों पर किया गया था।:-

- धुबरी-हत्सिंगिमारी - एमवी बॉब खथिंग,
- दक्षिण गुवाहाटी - उत्तर गुवाहाटी - एमवी जेएफआर जैकब,
- नेमाती - कमलाबरी - एमवी रानी गाइदिन्ल्यू और एमवी सचिन देव बर्मन।

7.44 रो-रो टर्मिनल, (डिब्रूगढ़ से सेंगजन तक) गुइजन पर भी प्रस्तावित हैं, जिसके लिए डीपीआर तैयार किया जा चुका है। आईडब्ल्यूएआई ने रा.ज.-2 में 4 विभागीय ड्रेजर तथा 5 सर्वे लॉन्च तैनात किए हैं तथा रा.ज.-16 (बराक नदी) में एक सर्वे जलयान का प्रचालन किया जा रहा है।

एम.वी. रानी गाइदिन्ल्यू राष्ट्रीय जलमार्ग पर चलती हुई

- पांडु और धुबरी में आईडब्ल्यूटी टर्मिनलों को पांच वर्षों के लिए प्रचालन और प्रबंधन करने हेतु निजी ऑपरेटर को आउटसोर्स किया गया है और ऑपरेटर इन टर्मिनलों से कार्गो परिवहन को बढ़ाने के लिए इन टर्मिनलों से विपणन करेगा। इससे प्राधिकरण के रखरखाव व्यय में भी बचत होगी।

7.45 क. माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री ने निम्नलिखित परियोजनाओं का उद्घाटन किया: i) राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर बोगीबील आईडब्ल्यूटी टर्मिनल में पर्यटक सह कार्गो आरसीसी जेट्टी, ii) त्रिपुरा में गोमती नदी पर आईबीपी मार्ग 9 और 10 पर सोनामुरा में टर्मिनल।

ख. एनईआर में चल रही परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है: i) राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर पांडु पत्तन तक वैकल्पिक निर्माणाधीन सड़क, जिसकी स्वीकृत लागत 153.05 करोड़ रुपए (जीएसटी सहित) है। 55.0% से अधिक भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रगति हासिल की गई है, ii) राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर पांडु (गुवाहाटी) में पोत मरम्मत सुविधा का निर्माण,

जिसकी स्वीकृत लागत 145.49 करोड़ रुपए (जीएसटी सहित) है। इसकी भौतिक और वित्तीय प्रगति 26 % से अधिक है। (iii) राष्ट्रीय जलमार्ग -2 पर एमएमएलपी जोगीघोपा, असम में आईडब्ल्यूटी टर्मिनल का ईपीसी मोड पर 63.9 करोड़ रुपए (जीएसटी को छोड़कर) की लागत पर सौंपा गया है जिसकी भौतिक प्रगति 75% और वित्तीय प्रगति 67% है। (iv) 56 करोड़ रुपए (जीएसटी और पीएमसी सहित) की स्वीकृत लागत पर राष्ट्रीय जलमार्ग -2 पर बोगीबील में कार्गो टर्मिनल का निर्माण, जिसकी भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रगति क्रमश: 65% और 79% (v) 8.26 करोड़ रुपए (जीएसटी को छोड़कर) की स्वीकृत लागत पर राष्ट्रीय जलमार्ग-2 पर बोगीबील और पांडु में 2 फ्लोटिंग जेट्टियों का निर्माण, आपूर्ति, स्थापना हेतु सौंपी गई। इसकी भौतिक प्रगति 63% और वित्तीय प्रगति 55% है।

ग. उपरोक्त चालू परियोजनाओं के अलावा, अतिरिक्त परियोजनाएं अर्थात् I) 8.87 करोड़ रुपए की लागत से बोगीबील में सीमा शुल्क, आव्रजन, आईबीपी चालक दल हेतु ड्रॉपिंग सेंटर और गेस्ट हाउस कार्यालय परिसर का निर्माण, ii) 9.31 करोड़ रुपए की लागत पर सीमा शुल्क, आव्रजन, गेस्ट हाउस, सम्मेलन हॉल आदि के कार्यालयों के साथ धुबरी में कार्यालय परिसर का निर्माण, और iii) राष्ट्रीय जलमार्ग -2 में बोगीबील आईडब्ल्यूटी पर्यटक सह कार्गो टर्मिनल पर निर्माणाधीन जेट्टी के स्तर के समान रखते हुए जेट्टी (50 मीटर x 20 मीटर) का विस्तार; जिसे मार्च 2024 में 23.52 करोड़ रुपए की लागत के साथ आईपीआरसीएल को सौंपा गया है और परियोजना मार्च 2025 तक पूरी हो जाएगी।

रा.ज.-16 (बराक नदी) पर विकासात्मक कार्य

7.46 रा.ज.-16 और आईबीपी मार्ग पर 145 करोड़ रुपए की लागत (दिसंबर, 2022 में 148 करोड़ रुपए तक संशोधित किया गया) पर शुरू किया गया व्यापक विकास का कार्य जो अभी भी चल रहा है को मार्च, 2025 तक पूरा किया जाना है। इस परियोजना में (i) रा.ज.-16 और भारतीय हिस्से का आईबीपी मार्ग का फेयरवे विकास (ii) बदरपुर और करीमगंज टर्मिनलों का उन्नयन (iii) त्रिपुरा में गुमती नदी पर सोनमुरा में स्थायी टर्मिनल। सोनमुरा का निर्माण तथा करीमगंज और बदरपुर टर्मिनलों का उन्नयन पूरा किया जा चुका है।

राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) – 3

7.47 केरल में रा.ज.-3 पर, वित्त वर्ष 2023-24 (मार्च 2024 तक) के दौरान किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल हैं- चंपाकारा नहर के नेविगेशन चैनल और एडाप्पल्लीकोट्टा-कोल्लम के जल खंड में तट संरक्षण प्रदान करना और 2.0 मीटर की गहराई बनाए रखने के लिए संविदा ड्रेजिंग द्वारा चंपाकारा नहर जल खंड में अंबालामुगल और उद्योगमंडल नहर में एलूर में विभागीय रूप से ड्रेजिंग कार्य करना।

7.48 आईडब्ल्यूटी टर्मिनल- मरदु के पास सीएसडी चंपाकारा विभागीय ड्रेजरों के माध्यम से रखरखाव ड्रेजिंग कार्य किया गया, जिसमें चंपाकारा नहर – 4696 घन मीटर और चंपाकारा नहर में एफएटीसी अंबालामुगल – 2272 घन मीटर और चंपाकारा नहर में थेवरा में एडी मणिमाला – 240 घन मीटर, उद्योगमंडल नहर में रो-रो चैनल – 3045 घन मीटर और एफएटीसी अलुवा उद्योगमंडल नहर – 510 घन मीटर ड्रेजिंग कार्य हुआ।

रा.ज.-3 में डिपार्टमेंट ड्रेजर "सीएसडी चंपाकारा" सहित ड्रेजिंग रखरखाव

7.49 हालाँकि, 14 मार्च 2024 को एडाप्पल्लीकोट्टा - कोल्लम खंड में "पूंजीगत ड्रेजिंग, संकीर्ण नहरों को चौड़ा करने, बैंक संरक्षण और अवरोधों को हटाने और उपयोगिताओं के स्थानांतरण के लिए निविदा जारी की गई थी और निविदा को अंतिम रूप देने के बाद काम शुरू किया जाएगा।

रा.ज.-3 में रखरखाव ड्रेजिंग

7.50 रा.ज-3 पर कैपिटल ड्रेजिंग और संकरे खंडों को चौड़ा करने और रख-रखाव ड्रेजिंग के कार्य की प्रगति में विगत वर्षों में ड्रेज की गई सामग्री के निपटान, अतिरिक्त तट संरक्षण की मांग और ड्रेज किए गए अपशिष्टों, स्थानीय लोगों द्वारा बार-बार कार्य को बंद करने और मुकदमेबाजी तथा मछुआरों द्वारा आपत्ति से संबंधित विभिन्न स्थानीय कारणों से देरी देखी गई है। वेट लैंड के संरक्षण से संबंधित नए विनियमों आदि के कारण राष्ट्रीय जलमार्ग से ड्रेज की गई सामग्री के निपटान के स्थानों की पहचान करना अत्यधिक कठिन हो गया है। ऐसी समस्याओं का समाधान करने और कार्य को आगे बढाने के लिए, आईडब्ल्यूएआई नियमित रूप से राज्य सरकार के साथ संवाद कर रहा है, तथापि, डंपिंग स्थानों के आवंटन की लंबी प्रक्रिया के कारण राज-3 में ड्रेजिंग करने की आईडब्ल्यूएआई की क्षमता का काफी कम उपयोग हो रहा है।

7.51 केरल सरकार के सिंचाई विभाग को आईडब्ल्यूएआई द्वारा निक्षेप आधार पर 38 करोड. रू की लागत से तृक्कुन्नपुझा (61 मी लंबे, 14.75 मी चौड़े और 6 मी (एचएफएल के उपर) वर्टिकल क्लियरेंसेंस) के आयामों के साथ पर नए नौचालन लॉक के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया था। लॉकगेट के निर्माण की वास्तविक प्रगति 64% है और दिसंबर, 2025 तक पूरा होने की संभावना है।

7.52 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बार्जों द्वारा रा.ज.-3 में कुल 32.28 लाख मीट्रिक टन कार्गो ले जाया गया, जिसमें मुख्य रूप से कंटेनर, यात्री, ट्रक, रेत, तरलीकृत अमोनिया गैस सल्फर, फॉस्फोरिक एसिड, और रॉक फॉस्फेट शामिल हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कार्गो परिवहन बढ़कर 32.93 लाख मीट्रिक टन हो गया।

7.53 आईडब्ल्यूएआई द्वारा रा.ज.-3 के चंपाकारा और उद्योगमंडल नहरों और कोट्टापुरम -कोल्लम (पश्चिम तट नहर) जलखंड के साथ-साथ कुल 312 सौर ऊर्जा से चलने वाले एफआरपी बोया तथा 17 बीकन लैम्प पोस्ट का रखरखाव किया गया ताकि 24 घंटे सुरक्षित नौचालन की सुविधा प्रदान की जा सके।

05 अक्टूबर, 2023 को रा.ज.-3 में सौर ऊर्जा चालित एफआरपी बोया स्थापित किया गया

रा.ज.-3 में रखरखाव ड्रेजिंग

7.54 थायकोडम पुल के पास चंपकारा नहर में आरओ कोच्चि की पूर्वी सीमा से 250 मीटर लंबाई तक पाइल और स्लैब जैसे तट संरक्षण के कार्य भी प्रगति पर हैं। कार्य प्रगति पर है और जुलाई, 2024 तक पूरा होने की संभावना है।

चंपाकारा नहर में पाइल और स्लैब प्रकार के तट संरक्षण कार्य

7.55 राष्ट्रीय जलमार्ग-3, 8 और 9 के सभी जल खंडों में मासिक आधार पर हाइड्रोग्राफी, देशांतरीय सर्वेक्षण किया गया। विस्तृत सर्वेक्षण 10 स्थानों पर किया गया, जिनके नाम हैं- थेवेरा, सम्ब्रानिकोडी, चावरा, रो-रो चैनल, कायमकुलम समुद्र मुहाना, मुथुकुलम, मरदु, अंबामुगल चंपाकारा नहर, एफएटीसी उद्योगमंडल नहर, अमोनिया जेट्टी।

चंपाकारा नहर में विस्तृत सर्वेक्षण

कार्गो टर्मिनलों का निर्माण

7.56 कार्गो टर्मिनलों का निर्माण 9 स्थानों पर किया गया है (अर्थात कोट्टाप्पुरम, अलुवा, मराडु, वैक्कोम, थनीरमुक्कोम, अलाप्पुझा, थ्रिक्कुन्नापुझा, कायमकुलम और कोल्लम)। उपरोक्त टर्मिनल, मुख्य रूप से कंसाइनर्स और कंसाइनियों की ओर से आईडब्ल्यूटी मोड में एक मॉडल बदलाव को स्वीकार करने की अनिच्छा के कारण अपेक्षित कार्गो को आकर्षित नहीं कर रहे हैं। इसलिए 3 टर्मिनलों (कोट्टापुरम, अलुवा और कोल्लम) को लीज के आधार पर टर्मिनलों के उपयोग के लिए केरल स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन (केएसडब्ल्यूसी) को सौंप दिया गया। इसके अलावा, रा.ज.-3 में 3 आईडब्ल्यूटी टर्मिनलों नामतः अलुवा, मराडु और अल्लापुझा के लिए ओ एंड एम प्रचालकों के चयन हेतु लेनदेन संबंधी सलाह देने हेतु परामर्शदात्री सेवाओं पर एक अध्ययन, हेतु मेसर्स किटको, कोच्चि को कार्य सौंपा गया और आईडब्लूएआई द्वारा मसौदा रिपोर्ट स्वीकार की गई।

रा.ज.-3 में रखरखाव ड्रेजिंग

राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.-4)

7.57 कृष्णा नदी के विजयवाड़ा और मुक्तयाला जल खंड के बीच रा.ज.-4 पर 96 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य शुरू किया गया है। फेयरवे विकास और 4 फ्लोटिंग टर्मिनलों का निर्माण पूरा हो गया है। आईडब्ल्यूएआई ने रा.ज.-4 में हरिश्चंद्रपुरम, मुक्तयाला और इब्राहिमपट्टनम में रोल ऑन-रोल ऑफ (रो-रो) अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनलों के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया था। हरिश्चंद्रपुरम और मुक्तयाला की भूमि पहले ही आईडब्ल्यूएआई द्वारा अपने कब्जे में ले ली गई है। इब्राहिमपट्टनम में राज्य सरकार की भूमि भी आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अधिग्रहण के लिए प्रगति पर है।

7.58 15 टीईयू के परिवहन की क्षमता वाले दो रो-रो जलयान नामत: एम.वी. सीवी रमन और एम.वी. आदि शंकर को कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के माध्यम से 24.57 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है, जिन्हें 28 सितंबर, 2020 को अपने अधीन ले लिया गया और विलिंगटन द्वीप और बोलघट्टी के बीच रा.ज.-3 पर कंटेनर ट्रेलरों के साथ रो-रो सेवा के लिए तैनात किया गया। मेसर्स केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (केरल सरकार का उपक्रम) के साथ 24 अक्टूबर, 2020 को हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के तहत 15 वर्षों की अवधि के लिए 2 रो-रो जलयानों के प्रचालन और रखरखाव का काम सौंपा गया है। रो-रो सेवा फरवरी, 2021 से शुरू हुई, जिससे कोच्चि शहर की सड़कों से सड़क की भीड़/कंटेनर यातायात में कमी आई है और आईडब्ल्यूटी मोड के माध्यम से आईसीटीटी, वल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल पर गंतव्य तक पहुंचा सकती है।

राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज) -5

7.59 वर्ष 2016 में किए गए व्यवहार्यता अध्ययनों और प्रस्तुत किए गए डीपीआर के आधार पर और विभिन्न अध्ययनों के माध्यम से सामने आए कार्गो आवागमन की संभावना को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि शुरूआत में राष्ट्रीय जलमार्ग-5 के पारादीप/धामरा और तलचर के बीच 332 किमी. के आर्थिक और वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य जलखंड में निम्नलिखित दो चरणों में विकासात्मक कार्यों को शुरू किया जाए तथा धामरा से गियोनखली तक जलमार्ग की शेष लंबाई को विकास के लिए व्यवहार्य नहीं समझा गया है:

- चरण-I: पारादीप/ धामरा और पनकपल के बीच - 212 किमी
- चरण-II: पनकपल और तलचर - 120 किमी

7.60 पारादीप/धामरा और पनकपल के बीच 212 किमी को शामिल करते हुए चरण-I में विकास शुरू किया गया है, जैसे (i) मासिक थालवेग सर्वेक्षण एवं (ii) मौजूदा आर-पार के ढांचों/पुलों के आंशिक संशोधन पर अध्ययन-9 (अध्ययन पूरे किए गए और रिपोर्ट ओडिशा सरकार को सौंपी गई) (iii) वेयरों/बैराजो/ लॉक्स (एलएडी बनाने के लिए जल इकट्ठा करने के लिए वर्तमान कार्य, डिजाइन की संवीक्षा के लिए केन्द्रीय जल आयोग को सौंपा गया है) (iv) पनकपल से तलचर के बीच 120 किमी में चरण-II में जलीय सर्वेक्षण (अक्तूबर, 2020 में पूरा हो गया है) 45.08 करोड़ रुपए की लागत से जमा आधार पर एचटी/एलटी विद्युत लाइनों का स्थानांतरण/पुर्नस्थापन, ओडिशा सरकार को सौंपा गया है जो कि प्रगति पर है तथा तब से 95% कार्य पूरा हो चुका है और शेष शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

कोयला मंत्रालय (एमओसी) ने आरएसआर मूवमेंट पर दीर्घकालिक योजना तैयार करने के लिए एमओपीएसडब्ल्यू और आईडब्ल्यूएआई से संपर्क किया। रेल/सड़क की भीड़भाड़ में बाधा के कारण कोयला निकासी के लिए आईडब्ल्यूटी एक विकल्प है। इसके बाद, सीओएस के निर्देशों के अनुसार, प्रारंभिक कार्य चल रहे हैं। निम्नलिखित प्रमुख कार्य किए गए हैं: -

क) आईडब्ल्यूएआई ने पीपीए और ओडिशा सरकार के साथ मौजूदा एसपीवी आईडब्ल्यूसीओएल की पहचान की और उसे शामिल किया।

ख) चरण-1 के लिए क्रॉस संरचनाओं की जांच पूरी हो गई है।

ग) चरण-2 के लिए टीईएफआर/डीपीआर प्रगति पर है।

घ) अक्टूबर 2024 तक नेविगेशनल बोया स्थापित किए जाएंगे।

राष्ट्रीय जलमार्ग नं. 8

7.61 अलप्पुझा से चंगनासेरी तक 28 किमी के इस जलखंड में एक नियमित मासिक लांगिट्यूडनल सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि गहराई की निगरानी की जा सके और सुरक्षित नौचालन के लिए 15 (पंद्रह) प्रकार की नौचालन सहायताएं प्रदान की गई हैं।

राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 9

7.62 रा.ज.9 के अलप्पुझा से कोडीमाथा (कोट्टायम) तक 28 किमी के इस जलखंड में एक नियमित मासिक लांगिट्यूडनल सर्वेक्षण किया जा रहा है ताकि गहराई की निगरानी की जा सके और सुरक्षित नौचालन के लिए 25 (पच्चीस) प्रकार की नौचालन सहायताएं प्रदान की गई हैं।

पटना में नेशनल इनलैंड नैविगेशन इंस्टीट्यूट (एनआईएनआई)

7.63 अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए मानव संसाधन विकसित करने की दृष्टि से फरवरी 2004 में पटना, बिहार में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा नेशनल इनलैंड नैविगेशन इंस्टीट्यूट (एनआईएनआई) की स्थापना की गई थी। मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) द्वारा इस संस्थान का प्रबंधन द्वारा किया जाता है। जनवरी 2023 से मार्च, 2024 के दौरान प्रमुख उपलब्धियां इस प्रकार थीं:-

(I) निम्नलिखित प्रशिक्षण गतिविधियाँ आयोजित की गईं:

- इंडक्शन ट्रेनिंग जीपी रेटिंग कोर्स (39वां बैच)
- जीपी रेटिंग (अंतर्देशीय पोत) प्रशिक्षुओं को ऑन बोर्ड प्रशिक्षण पोत एचएसडी सोन पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
- एमएसडीसी गुवाहाटी, असम में नागालैंड सरकार के कार्मिकों के लिए जलयान प्रचालन और सुरक्षा पाठ्यक्रम का आयोजन
- सीआरपीएफ कार्मिकों के लिए 12 सप्ताह का जल विंग पाठ्यक्रम।

(ii) अंतर्देशीय जलयानों के लिए बुनियादी सुरक्षा पाठ्यक्रम

- अंतर्देशीय जलयान के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी
- अंतर्देशीय जलयान के लिए व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीक
- अंतर्देशीय जलयान के लिए अग्नि निवारण और अग्निशमन
- अंतर्देशीय जलयान के लिए मौलिक प्राथमिक चिकित्सा
- अंतर्देशीय जलयान के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण

(iii) अंतर्देशीय पोत योग्यता प्रमाण पत्र के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम।

- सेरांग
- मास्टर वर्ग II
- मास्टर वर्ग I
- द्वितीय श्रेणी इंजन चालक
- प्रथम श्रेणी इंजन चालक
- आईवीएमएस पाठ्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

भारत-बांग्लादेश अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटीटी)

7.64 भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल (पीआईडब्ल्यूटीटी) करार मौजूद

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर चलता कार्गो जलयान
एमवी बेकी और एएआई

है जिसके अंतर्गत दोनों सरकारों ने परस्पर लाभदायक व्यवस्थाएं की है ताकि प्रत्येक देश के नियमों और विनियमों के अनुसार दोनों देशों के बीच कार्गो के आवागमन के लिए उनके जलमार्गों का उपयोग किया जा सके यह प्रोटोकॉल जून 2025 तक वैध है। इस प्रोटोकॉल के तहत, दोनों देशों के अंतर्देशीय जलयान निर्दिष्ट प्रोटोकॉल मार्ग पर आवागमन कर सकते हैं और प्रत्येक देश में माल की लोडिंग / अनलोडिंग के लिए अधिसूचित पोर्ट्स ऑफ कॉल पर डॉक कर सकते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए पारगमन कार्गो और इसके विपरीत और बांग्लादेश को आयात -निर्यात-कार्गो दोनों को ले जाने वाले प्रोटोकॉल मार्ग पर एक संगठित तरीके से कार्गो जलयानों की आवाजाही में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भारतीय पारगमन कार्गो मुख्यतः एनई क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के लिए फ्लाई-ऐश, कोयला, खाद्य सामग्री और ओडीसी है। आवागमन के लिए अन्य संभावित कार्गो गेहू, चावल, स्पंज, आयरन, मक्का और स्टोन चिप आदि हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान आईबीपी मार्ग पर लगभग 4.68 एमएमटी यातायात की आवाजाही हुई।

भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर सिराजगंज से दायखोवा तक और आशुगंज से जाकीगंज तक फेयरवे का विकास

7.65 भारत और बांग्लादेश के बीच सिराजगंज से दायखोवा (175 किमी) तक फेयरवे के विकास तथा भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर आशुगंज से ज़ाकीगंज (295 किमी) तक ड्रेजिंग तथा 07 साल के लिए 2.5 मीटर गहराई और 30 मीटर चैड़ाई के फेयरवे विकास और रखरखाव हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार, भारत और बांग्लादेश के बीच ड्रेजिंग की लागत 80:20 के अनुपात में वहन की जाएगी। परियोजना की अनुमानित लागत 305.84 करोड़ रूपए है जिसमें से 244.67 करोड़ रूपए भारत द्वारा वहन किया जाना है। प्रारंभिक ड्रेजिंग पूरी हो गई है और रख-रखाव ड्रेजिंग मार्च/ अप्रैल, 2026 तक जारी रहेगी।

भूटान से बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट कार्गो का परिवहन

7.66 रा.ज.-2 और आईबीपी मार्गों के माध्यम से बांग्लादेश के लिए भूटानी बल्क कार्गो (स्टोन एग्रीगेट्स) का पारगमन परिवहन 11 जुलाई 2019 को शुरू हुआ। पत्थरों के ढेर को ले जाने वाले आईडब्ल्यूआई के जलयान "एएआई" को तत्कालीन माननीय पोत परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा रा.ज.-2 पर धुबरी से डिजिटल रूप से हरी झंडी दिखाई गई थी। इस मार्ग में भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार के लिए एक लोकप्रिय विकल्प बनने की क्षमता है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान दिसंबर तक 908 जलयानों की आवाजाही धुबरी (भारत) - चिलमारी (बांग्लादेश) के बीच हुई और कुल माल ढुलाई 1.92 लाख मीट्रिक टन हुई। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1109 जलयानों द्वारा 2.3 लाख एमटी का कार्गो आवागमन इसी मार्ग पर किया गया।

कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट परिवहन परियोजना (म्यांमार)

7.67 कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना (केएमटीटीपी) की संकल्पना म्यांमार में कलादान नदी के माध्यम से हल्दिया / कोलकाता पत्तनों के साथ मिजोरम की एक वैकल्पिक संपर्कता प्रदान करने के लिए विदेश मंत्रालय (एमईए) द्वारा की गई थी। यह परियोजना मिजोरम से पलेटवा (म्यांमार) तक सड़क परिवहन, तत्पश्चात् पलेटवा से सितवे (म्यांमार) तक आईडब्ल्यूटी द्वारा और सितवे से हल्दिया/भारतीय पत्तनों तक समुद्री पोत परिवहन द्वारा यात्रा की परिकल्पना करती है। इस परियोजना की शुरूआत और वित्तपोषण विदेश मंत्रालय द्वारा किया गया, जिसने परियोजना के पत्तन एवं आईडब्ल्यूटी घटकों के लिए आईडब्ल्यूएआई को परियोजना विकास परामर्शदाता (पीडीसी) के रूप में नियुक्त किया। केएमटीटीपी में पत्तन तथा आईडब्ल्यूटी घटक का चरण-। का कार्य पूरा हो गया है। केएमटीटीपी के पत्तन एवं आईडब्ल्यूटी घटकों के चरण-। के प्रचालन और रखरखाव का प्रारंभ दिनांक 01 फरवरी, 2020 से शुरू हुआ। इस परियोजना के तहत निर्मित सितवे पत्तन को 29 नवंबर, 2022 को म्यांमार की सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मल्टी-मोडल सीमा शुल्क ट्रांजिट जेट्टी के रूप में नामित किया गया है। यह ऑपरेशन के लिए तैयार है।

हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण गतिविधियाँ-नदी सूचना प्रणाली: -

7.68 अंतर्देशीय नौचालन जलयानों की ट्रैकिंग और ट्रेसिंग के लिए नदी सूचना सेवा (आरआईएस) हल्दिया से वाराणसी तक 3 चरणों में स्थापित की गई है। यह जहाज पर चालन, तट-आधारित यातायात निगरानी और आपदा निवारण जैसे अन्य कार्यों का समर्थन करती है। तीन चरणों अर्थात हल्दिया-फरक्का, फरक्का-पटना और पटना-वाराणसी का विवरण इस प्रकार है:

	चरण -I:	**चरण -II:**	**चरण -III:**
	हल्दिया- फरक्का	**फरक्का- पटना**	**पटना- वाराणसी**
कवरेज	545 कि.मी	410 कि.मी	353 कि.मी
नियंत्रण स्टेशन	बीआईएसएन जेट्टी (कोलकाता) और फरक्का	पटना	रामनगर
बेस स्टेशन	1. हल्दिया 2. त्रिवेणी 3. स्वरूपगंज 4. बलिया 5. कुमारपुर	1. मणिहारी 2. भागलपुर 3. मुंगेर 4. हातीदाह 5. बार्ह	1. मौजमपुर 2. गोविंदपुर खास (बल्या) 3. जमानिया

ई-नेविगेशन सॉफ्टवेयर

7.69 ई-नेविगेशन सॉफ्टवेयर, एनटीसीपीडब्ल्यूसी के माध्यम से आईडब्ल्यूएआई द्वारा विकसित एक स्वदेशी सॉफ्टवेयर है। यह सॉफ्टवेयर अधिकांश यात्री/रो-रो जलयानों के लिए नेविगेशन की आसानी बढ़ाने में सहायक है। हालांकि नदी सूचना प्रणाली मौजूद है, लेकिन किसी भी जलयान को ट्रैक करने के लिए एआईएस की बुनियादी आवश्यकता अनिवार्य है और एआईएस के लिए खरीद और वार्षिक लाइसेंस शुल्क को ध्यान में रखते हुए, छोटे समय के प्रचालक लागत वहन करने में असमर्थ थे। तदनुसार यह महसूस किया गया कि हम एक और सॉफ्टवेयर विकसित कर सकते हैं जो सुरक्षित नेविगेशन के लिए आईडब्ल्यूएआई के जनादेश के रूप में समाज के सभी वर्गों में स्मार्ट फोन और इंटरनेट की पहुंच को ध्यान में रखते हुए समान दिशा-निर्देश प्रदान कर सकता है। ई-नेविगेशन एप्लिकेशन को शुरू में रा.ज.-1 में लागू किया गया था और धीरे-धीरे अन्य जलमार्गों में विस्तारित किया गया था। क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए हैं और सॉफ्टवेयर को आईडब्ल्यूटी वाहकों के उपयोग के लिए कई लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है।

ई- नेविगेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले अंतिम उपयोगकर्ता को जलयान को दर्शाने वाली जलयान ट्रैक लॉग तालिका

परिवहन अनुसंधान एवं विकास स्कंध

परिवहन अनुसंधान

8.1 परिवहन अनुसंधान स्कंध (टीआरडब्ल्यू) पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को प्रभावी नियोजन और नीति निर्माण के लिए आवश्यक आंकड़े, विश्लेषणात्मक एवं अनुसंधान सहायता प्रदान करता है। राष्ट्रीय स्तर पर पत्तनों, नौवहन, पोत-निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योगों तथा अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) पर आंकड़े एकत्र करने, उनका संकलन करने और उनका प्रसार करने के प्रयोजन हेतु केन्द्रीय निकाय होने के नाते, टीआरडब्ल्यू, महापत्तनों, गैर-महापत्तनों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत निकायों, राज्य समुद्री बोर्डों एवं अन्य में से राज्य पत्तन निदेशालयों आदि से जानकारी इकट्ठा करता है। यह सावधानी पूर्वक अनुकूलता और तुलनात्मकता से मंत्रालय के लिए डेटा संग्राहक के रूप में कार्य करने को सुनिश्चित करने के लिए प्राथमिक/द्वितीयक स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की छानबीन और पुष्टि करता है। टीआरडब्ल्यू आवश्यकतानुसार मंत्रालय के विभिन्न स्कंधों को तथा अन्य एजेंसियों अथवा कार्यालयों को आंकड़े प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, टीआरडब्ल्यू मंत्रालय के पत्तन, नौवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन उप-क्षेत्रों से संबंधित नीतियों के निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया में भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है।

8.2 टीआरडब्ल्यू वित्त मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, नीति आयोग, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) जैसी विभिन्न अन्य एजेंसियों/कार्यालयों/मंत्रालयों/भारत सरकार के विभागों/राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित अन्य एजेंसियों के साथ नियमित रूप से समन्वय करता है।

8.3 टीआरडब्ल्यू समय-सारिणी के अनुसार वार्षिक, अर्धवार्षिक एवं मासिक प्रकाशन निकालता है तथा वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए गए हैं:-

- भारत की बुनियादी पत्तन सांख्यिकी, 2021-22
- भारतीय नौवहन सांख्यिकी, 2022
- भारत के पोत-निर्माण एवं पोत-मरम्मत उद्योग की सांख्यिकी, 2022-23
- अंतर्देशीय जल परिवहन की सांख्यिकी, 2022-23
- 30 सितंबर, 2022 और 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुई अवधि के भारतीय पत्तन क्षेत्र पर छमाही अपडेट
- मार्च, 2023 से फरवरी, 2024 के दौरान महापत्तनों पर हैंडल किए गए मासिक कार्गो यातायात
- मार्च, 2023 से फरवरी, 2024 के दौरान गैर-महापत्तनों पर हैंडल किए गए मासिक कार्गो यातायात

8.4 आंकड़े और प्रकाशन इस मंत्रालय की वेबसाइटः www.shipmin.gov.in पर "परिवहन अनुसंधान स्कंध" शीर्ष के अतंर्गत दिए गए हैं।

8.5 उपयुक्त के अलावा, टीआरडब्ल्यू, मंत्रालय के तहत 150 करोड़ रुपए और उससे अधिक की लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्रक अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट तैयार करता है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओसीएमएस (ऑनलाइन कम्प्यूटराइज्ड मॉनीटरिंग सिस्टम) पर सूचना को अद्यतन (अपडेट) करता है। इसके अतिरिक्त टीआरडब्ल्यू, पत्तन क्षेत्र के लिए सेवा मूल्य सूचकांक भी समेकित करता है तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय को लाइनर शिपिंग कनेक्टिविटी इंडेक्स जैसे ग्लोबल इंडेक्सों के संकलन हेतु डेटा प्रदान करता है।

विकास स्कंध

8.6 विकास स्कंध मंत्रालय का सर्वोच्च तकनीकी संगठन है जिसके अध्यक्ष विकास सलाहकार (पत्तन) है। यह स्कंध पत्तन विकास के लिए उत्तरदायी है तथा महापत्तन परियोजनाओं, अंडमान एवं लक्षद्वीप बंदरगाह कार्य (एएलएचडब्ल्यू) और ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) के विकास से संबंधित मामलों पर तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, विकास स्कंध फिशिंग हार्बर से संबधित मामलों में अन्य मंत्रालयों तथा गैर-महापत्तनों द्वारा अनुरोध पर समुद्री राज्य सरकारों को तकनीकी सलाह देता है। यह आवश्यकता अनुसार पत्तनों एवं संविदा फर्मों के मध्य तकनीकी-वाणिज्य विवाद पर भी सलाह प्रदान करता है। यह स्कंध, पत्तन एवं हार्बर इंजिनियरिंग के साथ-साथ उपकरणों एवं फ्लोटिंग क्राफ्ट के संबंध में भी भारतीय मानकों को तैयार/अपग्रेड करने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) का सहयोग करता है।

8.7 विकास स्कंध, भारतीय राष्ट्रीय विषय - नौचालन कांग्रेस हेतु स्थायी अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएनए-पीआईएएनसी) से संबंधित मामलों को देखता है, जिसमें भारत सरकार एक सदस्य देश है। यह स्कंध, महापत्तनों पर "राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना" के कार्यान्वयन हेतु भारतीय तट रक्षक की सहायता भी करता है। इसके अतिरिक्त, यह स्कंध मंत्रालय के पत्तन क्षेत्र से संबंधित अनुसंधान समिति के कार्यों के साथ भी समन्वय करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री रूस के व्लादिवोस्तोक की अपनी यात्रा के दौरान रूसी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते हुए

उच्च स्तरीय दौरे

9.1 माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री ने 10-13 सितंबर, 2023 तक आयोजित 8वें पूर्वी आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए रूस का दौरा किया। 13 सितंबर 2023 को माननीय मंत्री ने रूसी संघ के सुदूर पूर्व और आर्कटिक विकास मंत्री श्री एलेक्सी चेकुनकोव से मुलाकात की। बैठक में द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों जैसे गैर-परमाणु आइसब्रेकर सहित संयुक्त पोत निर्माण, पूर्वी समुद्री कॉरीडोर का संचालन, उत्तरी समुद्री मार्ग के विकास में सहयोग और भारतीय नाविकों के प्रशिक्षण संबंधी समझौता ज्ञापन पर चर्चा की गई। माननीय मंत्री ने रूसी मंत्री को चेन्नै में "चेन्नै-व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर का संचालन" पर होने वाली कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद, रूसी प्रतिनिधिमंडल ने 24-26 जनवरी, 2024 के दौरान आयोजित "पूर्वी समुद्री कॉरीडोर" कार्यशाला में भाग लेने के लिए चेन्नई का दौरा किया।

9.2 माननीय पीएसएंडडब्ल्यू राज्य मंत्री श्री शांतनु ठाकुर ने 8-11 अक्टूबर, 2023 को लिमासोल में आयोजित समुद्री साइप्रस सम्मेलन में भाग लिया। साइप्रस पोतों का रजिस्टर अंतर्राष्ट्रीय बेड़ों में 11वें स्थान पर तथा यूरोपीय संघ में तीसरे स्थान पर है। साइप्रस गणराज्य और भारत के बीच नौवहन क्षेत्र में सहयोग की व्यापक संभावनाएं हैं तथा यह यूरोपीय संघ के लिए आधार के रूप में भारतीय नौवहन कंपनियों के लिए लाभकारी है। वर्तमान में, बड़ी संख्या में भारतीय, साइप्रस गणराज्य में नौवहन कंपनियों के लिए काम करते हैं।

बहुपक्षीय संगठनों के साथ सहयोग

9.3 भारत 1959 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) का सदस्य बना, जो नौवहन की सुरक्षा, संरक्षा और पर्यावरणीय निष्पादन के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने का प्राधिकरण है और यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मानक निष्पक्ष और प्रभावी हों और सार्वभौमिक रूप से अपनाए और कार्यान्वित किए जाएं। भारत आई एम ओ में एक सक्रिय भागीदार रहा है। वास्तव में, आईएमओ के कामकाज में भारत की भागीदारी ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री समुदाय के समक्ष अपनी विकास संबंधी चिंताओं को व्यक्त करने में मदद की है। भारत आईएमओ परिषद का सदस्य रहा है।

9.4 भारत को आईएमओ मुख्यालय, लंदन में 01 दिसंबर, 2023 को आईएमओ सभा के 33 वें नियमित सत्र के दौरान आयोजित आईएमओ परिषद के चुनाव के दौरान द्विवार्षिक 2024-2025 के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में सबसे अधिक रुचि वाले देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रेणी 'ख' के तहत आईएमओ परिषद के सदस्य के रूप में पुन: निर्वाचित किया गया है। आईएमओ का अगला चुनाव दिसंबर 2025 में होना निर्धारित है।

9.5 आईएमओ कन्वेंशनों/प्रोटोकॉल के रूप में विभिन्न संधियों को अपनाता और क्रियान्वित करता है। समय-समय पर, हमारे राष्ट्रीय हितों और आईएमओ द्वारा अपनी संधियों के माध्यम से विकसित अंतर्राष्ट्रीय मानकों को ध्यान में रखते हुए, भारत आईएमओ द्वारा अपनाई गई संधियों का पक्षकार बनता रहा है। आज तक, आईएमओ ने 59 संधियों को अपनाया है, जिनमें देश भागीदार बन सकते हैं। इन 59 संधियों में से भारत 35 संधियों (कन्वेंशन/प्रोटोकॉल) का पक्षकार है, जिन्हें भारतीय घरेलू कानून अर्थात् व्यापारिक नौवहन अधिनियम, 1958 और नियम आदि में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के 2 सम्मेलनों का भी पक्षकार है।

9.6 भारत ने ऐतिहासिक पोतों का पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 पारित किया है। नए अधिनियम में हांगकांग कन्वेंशन के प्रावधानों के कार्यान्वयन संबंधी विधायी ढांचे का प्रवधान है। इसमें कन्वेंशन के वे प्रावधान भी शामिल है जो पोत भंजन संहिता (संशोधित), 2013 में शामिल नहीं है। इस अधिनियम के अधिनियमित होने के साथ ही, जून 2025 के बाद पोतों के पुनर्चक्रण की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जब कन्वेंशन और अधिनियम लागू हो जाएंगे। इसके अलावा, इस अधिनियम के तहत पोत पुनर्चक्रण नियमावली, 2021 को अधिसूचित किया गया है। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए भारत सरकार के नौवहन महानिदेशक को राष्ट्रीय प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है।

9.7 भारत ने सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल पोतों के पुनर्चक्रण हेतु नवंबर 2019 में आईएमओ के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन का भी अनुसमर्थन किया है। आईएमओ के हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन के अनुसमर्थन से भारत, जो कि दुनिया के पांच मुख्य पोत पुनर्चक्रण देशों में से एक है, में घरेलू पोत पुनर्चक्रण उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। वर्ष 2023, में भारत ने आईएमओ की समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति (एमईपीसी) में विभिन्न विषयों पर 17 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं (एमईपीसी के 79वें सत्र में 8 दस्तावेज और एमईपीसी के 80वें सत्र में अन्य 8 दस्तावेज)।

9.8 भारत, समुद्रकर्मियों के कल्याण के लिए बने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के दो महत्वपूर्ण कन्वेंशनों, नामतः समुद्री श्रम कन्वेंशन और समुद्रकर्मियों की पहचान दस्तावेज कन्वेंशन का भी एक पक्षकार है। भारत पोत परिवहन उद्योग में कुल कार्यबल के लगभग 12 प्रतिशत का योगदान देता है। फिलीपींस के बाद भारत समुद्रकर्मियों का दूसरा सबसे बड़ा देश है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने समुद्री उद्योग के लिए भी मानकों को अनिवार्य किया है। समुद्री श्रम कन्वेंशन एक एकल, सुसंगत दस्तावेज है, जो 1920 के बाद अपनाये गये 37 अलग-अलग आईएलओ समुद्री श्रम कन्वेंशनों को प्रतिस्थापित और समेकित करता है।

9.9 आईएमओ के अलावा, भारत अन्य बहुपक्षीय संगठनों/समझौतों जैसे कि आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन); बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक); भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए); क्षेत्रीय सहयोग के लिए हिंद महासागर रिम-एसोसिएशन (आईओआरए); अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन

गलियारा (आईएनएसटीसी), हिंद प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई), दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क), भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (आईएमईसी) आदि में महत्वपूर्ण सहयोग देता आ रहा है।

पोत परिवहन पर द्विपक्षीय सहयोग समझौते

9.10 भारत ने भारतीय समुद्री क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए समझौतों या समझौता ज्ञापनों के माध्यम से निम्नलिखित 32 समुद्री देशों और क्षेत्रीय समूहों के साथ सहयोग तंत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं: -

स्वीडन	जॉर्डन	चीन
मालदीव	ईरान	रूसी संघ
डेनमार्क	वियतनाम	सिंगापुर
माल्टा	ऑस्ट्रिया	तुर्की
कोरिया गणराज्य	श्रीलंका	जर्मनी
साइप्रस	स्पेन	फिनलैंड
बांग्लादेश	पाकिस्तान	पोलैंड
संयुक्त अरब अमीरात	दक्षिण अफ्रीका	ईरान और आफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय पारगमन परिवहन करार (चाबहार करार)
मिस्र	संयुक्त राज्य अमेरिका	आईबीएसए (ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के साथ त्रिपक्षीय करार)
बेल्जियम	मोरक्को	पुर्तगाल
ओमान	नीदरलैंड	

नाविकों के प्रमाणपत्रों की मान्यता पर पारस्परिक और एकपक्षीय करार

9.11 भारत ने नाविकों के सक्षमता प्रमाणपत्र (सीओसी) की पारस्परिक मान्यता के लिए मलेशिया, ब्रिटेन, स्वीडन, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और कोरिया गणराज्य के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत का सीओसी निम्नलिखित 34 देशों द्वारा एकपक्षीय रूप से मान्यता प्राप्त है:-

1	सेंट विंसेंट/ ग्रेनेडाइंस	18	लक्जमबर्ग
2	डोमिनिका	19	साइप्रस
3	हेलनिक रिपब्लिक	20	माल्टा
4	जॉर्जिया	21	नॉर्वे
5	वानुआतू	22	फ्रांस
6	थाईलैंड	23	डेनमार्क
7	लाइबेरिया	24	आयरलैंड
8	मार्शल द्वीपसमूह	25	बांग्लादेश
9	कुवैत	26	घाना
10	बहामास	27	लात्विया
11	कतर	28	एन्टीगुआ और बारबुडा
12	बारबाडोस	29	वियतनाम

13 नीदरलैंड	30 आस्ट्रेलिया
14 जापान	31 सिंगापुर
15 बेलीज	32 हांगकांग
16 जमैका	33 पनामा
17 आइजल ऑफ मैन	34 कुक द्वीपसमूह

वर्ष 2023 के दौरान आयोजित संयुक्त बैठकें

- भारत-रूस तीसरा संयुक्त समुद्री आयोग 11 मई, 2023 को मास्को, रूस में आयोजित किया गया।
- भारत श्रीलंका जेडब्ल्यूजी की बैठकें 14 जुलाई, 2023, 29 सितंबर, 2023 और 21 मार्च, 2024 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गईं।
- भारत-नीदरलैंड की पहली जेडब्ल्यूजी बैठक 20 अक्तूबर, 2023 को मुंबई में आयोजित की गई।

समुद्री अर्थव्यवस्था और संपर्कता केंद्र

9.12 19 जनवरी, 2023 को मंत्रालय में माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री की उपस्थिति में समुद्री अर्थव्यवस्था और संपर्कता केंद्र (सीएमईसी) की स्थापना के लिए भारतीय पत्तन संघ (आईपीए) और विकासशील देशों की अनुसंधान एवं सूचना प्रणाली (आरआईएस) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते से आरआईएस में सीएमईसी का शुभारंभ हुआ - जो भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं और विभिन्न संबद्ध आयामों को आकार देने वाला एक थिंक टैंक है।

माननीय मंत्री, पीएसएंडडब्ल्यू की उपस्थिति में आईपीए और आरआईएस के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

9.13 इस पहल का उद्देश्य ऐसे कार्यान्वयन योग्य विचारों को एकत्रित करना है जिन्हें निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर क्रियान्वित किया जा सके। सीएमईसी का प्राथमिक उद्देश्य भारत के समुद्री क्षेत्र के व्यवस्थित विकास और विविधीकरण के लिए एक व्यापक और एकीकृत ढांचा विकसित करना है। इसका उद्देश्य नियामक ढांचे की स्थापना में योगदान देना भी है जो इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करेगा, जिसमें हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग और सहभागिता के लिए एक सार्वजनिक ढांचे का विकास भी शामिल है। क्षेत्र में सभी अनुसंधान और नीति संस्थानों के साथ गहन सहयोग को बढ़ावा देकर, सीएमईसी समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

भारत में संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत के साथ बैठक

9.14 दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों पर चर्चा करने के लिए माननीय मंत्री, पीएसएंडडब्ल्यू और भारत में यूएई के राजदूत डॉ. अब्दुल नासिर जमाल हुसैन मोहम्मद के बीच एक बैठक आयोजित की गई। संयुक्त अरब अमीरात के राजदूत ने भारत आने और मंत्री

माननीय मंत्री, पीएसएंडडब्ल्यू ने भारत में यूएई के राजदूत के साथ बैठक की

से मुलाकात के लिए अपना आभार व्यक्त किया। माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री ने स्पष्ट किया कि यूएई के साथ व्यापार, वाणिज्य और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक हैं और आगे बताया कि यूएई और भारतीय पत्तनों जैसे डीपी वर्ल्ड और जेएनपीए के बीच कई समझौते हुए हैं, जिनका अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो सकता है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति और भविष्य की योजनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।

लिथुआनियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक

माननीय राज्य मंत्री, पीएसएंडडब्ल्यू ने लिथुआनियाई प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की

9.15 पीएसएंडडब्ल्यू राज्य मंत्री, श्री शांतनु ठाकुर और लिथुआनिया गणराज्य के विदेश मंत्रालय में उप मंत्री, श्री एजिडिजस मेलुनस ने 23 नवंबर, 2023 को मुलाकात की। बैठक में भारत और लिथुआनिया के बीच समुद्री द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। दोनों मंत्रियों ने भारत और लिथुआनिया के बीच मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंधों की सराहना की तथा क्लेपेडा पत्तन के अनुकूल परिस्थिति पर चर्चा की, जहां वर्ष भर बर्फ नहीं रहती। इसके अलावा, उन्होंने पत्तन अवसंरचना विकास में भारत की विशेषज्ञता और पूर्वी यूरोप के महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों के गेटवे के रूप में लिथुआनिया की रणनीतिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में आपसी सहयोग के अवसर पर प्रकाश डाला। भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को मजबूत करने, व्यापार दक्षता बढ़ाने और वैश्विक समुद्री उद्योग में एक प्रमुख प्रतिभागी के रूप में उभरने का प्रयास कर रहा है।

9.16 भारत लिथुआनिया के लिए विभिन्न उप-क्षेत्रों में निवेश के अनेक अवसर प्रदान करता है। इसके दायरे में पत्तन आधुनिकीकरण (पीपीपी), पत्तन संपर्कता, तटीय नौवहन, समुद्री प्रौद्योगिकी, विभिन्न सागरमाला परियोजनाएं और डीकार्बोनाइजेशन पहलें शामिल हैं।

भारत-श्रीलंका यात्री फेरी सेवा

9.17 माननीय विदेश मंत्री और माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री ने 14 अक्टूबर, 2023 को भारत में नागपट्टिनम से श्रीलंका में कांकेसंथुराई के बीच यात्री फेरी सेवा को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। इस महत्वपूर्ण अवसर ने भारत और श्रीलंका के बीच संपर्कता और आर्थिक विकास के एक नए युग की शुरुआत की।

माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री और माननीय विदेश मंत्री द्वारा यात्री नौका सेवा को हरी झंडी दिखाई गई

9.18 भारत और श्रीलंका के बीच दीर्घकालिक एवं ऐतिहासिक बौद्धिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई संबंध रहे हैं। फेरी सेवाएं पारंपरिक रूप से दोनों देशों के बीच संपर्कता का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही हैं, जिससे सदियों से लोगों, व्यापार और वस्तुओं की आवाजाही में सुविधा हुई है।

9.19 जुलाई, 2023 में श्रीलंका के माननीय राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान, दोनों देशों द्वारा जारी संयुक्त विज़न दस्तावेज़ के हिस्से के रूप में तमिलनाडु, भारत और श्रीलंका के बीच फेरी सेवा शुरू करने के निर्णय को रेखांकित किया गया था। समुद्री परिस्थितियों के आधार पर, तमिलनाडु के नागपट्टिनम से श्रीलंका के कांकेसंतुराई के बीच की दूरी लगभग 3-4 घंटे में तय की जाएगी।

9.20 नागपट्टिनम पत्तन के उन्नयन के लिए तमिलनाडु समुद्री बोर्ड (टीएनएमबी) को विदेश मंत्रालय द्वारा आरंभ में 8 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी। टीएनएमबी ने नागपट्टिनम पत्तन पर चैनल ड्रेजिंग का कार्य किया है, सुविधाओं को उन्नत किया है तथा यात्री टर्मिनल, बर्थ और सड़क का नवीनीकरण किया है। यात्री फेरी सेवा की शुरुआत दिन में चलने वाले जलयान "चेरियापानी" से की गई है। यह जलयान दैनिक आधार पर एक ही दिन में भारत-श्रीलंका-भारत की यात्रा करेगा।

9.21 यह सेवा यात्रा और पर्यटन के लिए दक्षिणी भारत और श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच संपर्कता को बढ़ाएगी। तूतीकोरिन और कोलंबो के बीच पहले की नौका सेवाओं की तुलना में यात्रा का समय 3-4 घंटे कम तथा किराया भी कम है। भारी सामान लेकर जाने वाले यात्री आसानी से 3-4 घंटे में श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी भागों की यात्रा कर सकते हैं, जबकि उन्हें कोलंबो तक हवाई मार्ग से लंबी यात्रा करनी पड़ती है और उसके बाद श्रीलंका के उत्तरी भाग तक 8-10 घंटे की सड़क यात्रा करनी पड़ती है।भारत आने वाले तीर्थयात्री आसानी से मंदिर (तिरुनल्लर में शनिश्वरम मंदिर, रामेश्वरम, मदुरै और तंजौर), चर्च (वेलनकन्नी) और मस्जिद (नागोर) की यात्रा कर सकते हैं।

उद्घाटन समारोह के दौरान नागपट्टिनम पत्तन पर हाई सी क्राफ्ट जलयान चेरियापानी

प्रशासन और वित्त

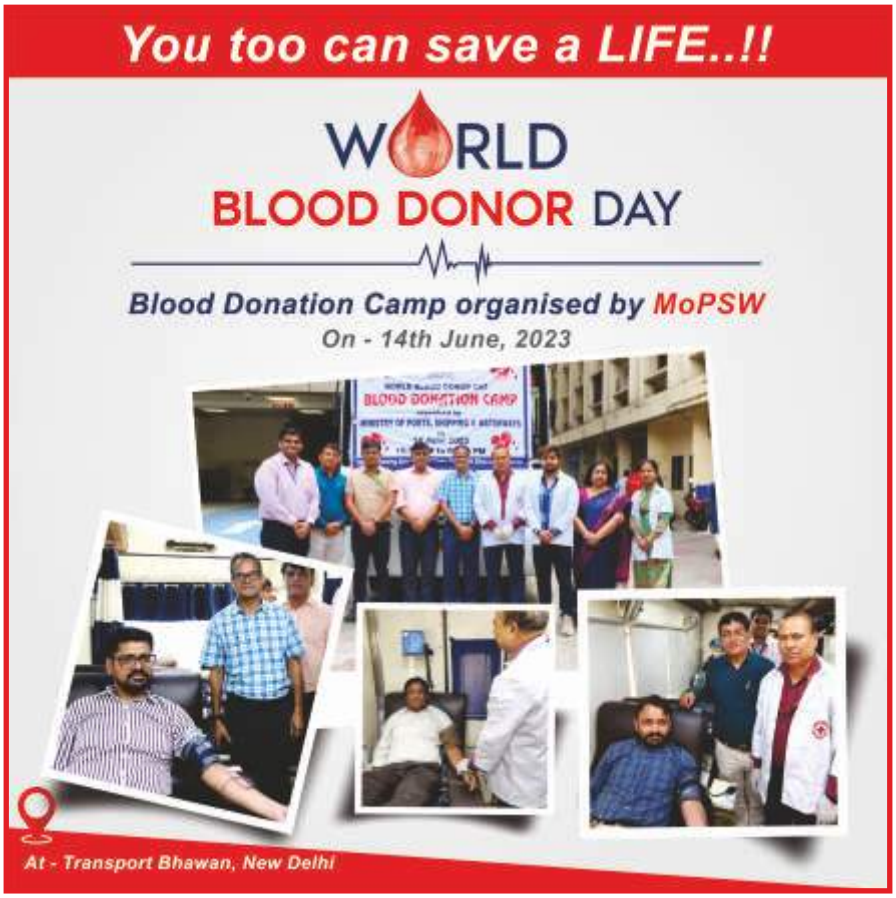

मंत्रालय में दिनांक 14 जून, 2023 को विश्व रक्तदान दिवस आयोजित किया गया

प्रशासन

10.1 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रशासन स्कंध के प्रमुख संयुक्त सचिव (प्रशासन) और संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) हैं, जिनकी सहायता के लिए उप सचिव (प्रशासन), अवर सचिव (प्रशासन) हैं, जो स्थापना अनुभाग, सामान्य अनुभाग और रोकड़ अनुभाग के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। स्थापना अनुभाग को इस मंत्रालय के 280 नियमित कर्मचारियों (समूह क, ख और ग) (स्वीकृत पदसंख्या) के सेवा और प्रशासनिक मामलों का कार्य सौंपा गया है। इसमें विभिन्न संवर्ग जैसे कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस), केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा (सीएससीएस) और विकास स्कंध के प्रबंधन शामिल हैं। स्थापना अनुभाग कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग, वित्त मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आदि द्वारा जारी किए गए सभी प्रशासनिक आदेशों को क्रियान्वित करता है।

10.2 मंत्रालय में रिक्त पदों को भरने में अ.ज., अ.ज.जा. और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय द्वारा विशेष प्रयास किए जाते रहे हैं। मंत्रालय के सरकारी कर्मचारियों की

कुल संख्या से संबंधित सूचना, सचिवालयीन तथा गैर सचिवालयीन कर्मचारियों की अलग-अलग (समूहवार) तथा मंत्रालय में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के ब्यौरे **अनुबंध-III** में दिए गए हैं।

कल्याण

10.3 मंत्रालय के महिला कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपाय किए गए। मंत्रालय में यौन/लिंग आधारित उत्पीड़न के संबंध में महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर गौर करने के लिए यौन उत्पीड़न संबंधी आंतरिक शिकायत समिति है। इसके अलावा, मंत्रालय में कर्मचारियों के कल्याणकारी उपाय के रूप में, कर्मचारियों को उनके जन्म दिवस पर एक कार्ड, पुष्पगुच्छ और उपहार के साथ शुभकामनाएं देने की नई पहल शुरू की गई है, ताकि उनका मनोबल ऊंचा रहे और वे प्रेरित हों।

10.4 केन्द्र सरकार के कार्यालयों/ भवनों में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का प्रतिबंध नियमावली, 2008 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए मंत्रालय ने मंत्रालय परिसर में औचक जांच के लिए एक समिति गठित की है। मंत्रालय ऐसे कुछ मंत्रालयों में से है, जिसने स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (SPARROW) के माध्यम से मंत्रालय के सभी अधिकारियों के ऑनलाइन वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (एपीएआर) का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। मंत्रालय में बायोमिट्रिक उपस्थिति प्रणाली भी कार्यान्वित की गई है।

10.5 राष्ट्रीय महत्व वाले महत्वपूर्ण दिवसों अर्थात् आतंकवाद विरोधी दिवस, सांप्रदायिक सद्भावना दिवस, सद्भावना दिवस, स्वच्छता दिवस, संविधान दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सतर्कता जागरुकता सप्ताह, रेड क्रास दिवस, रेडक्रास रेफल ड्रा आदि आयोजित किए गए और मंत्रालय के कर्मचारियों द्वारा "शपथ" ली गई। "झंडा दिवस" के मौके पर सहयोग राशि एकत्रित और संग्रहीत की गई। सांप्रदायिक सदभाव सप्ताह/सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इन कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सहभागियों को पुरस्कृत किया गया।

ई-ऑफिस

10.6 मंत्रालय में सभी अधिकारियों तथा उनके सहायक स्टाफ के लिए ई-आफिस प्रणाली पूरी तरह लागू कर दी गई है। इस मंत्रालय में पूरी तरह से 01 जनवरी, 2017 से ई-फाइल प्रणाली लागू कर दी गई है तथा यह उन मंत्रालयों में से एक है, जो पूरी तरह ई-फाइलिंग प्रणाली पर स्विच ओवर हो गये हैं। सभी मौजूदा भौतिक फाइलों/रिकार्डों को डिजिटल कर दिया गया है। दैनिक दिनचर्या के कागजों/प्राप्तियों/डाक आदि की स्कैनिंग के लिए सभी अनुभागों/अधिकारियों को स्कैनर उपलब्ध करवाये गये हैं।

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

- सूचना का अधिकार अधिनियम (मैनुअलों का प्रकाशन) की धारा 4 में सूचीबद्ध किए गए दायित्वों से संबंधित विस्तृत जानकारी को संबंधित संगठनों की वेबसाइटों पर अपलोड/होस्ट कर दिया गया है।
- सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय ने व्यक्तिगत रूप से आने वाले लोगों की सुविधा के लिए स्वागत कक्ष में अनन्य रूप से एक सेल और एक सूचना एवं सुविधा केन्द्र (आईएफसी) का सृजन किया है।

- मंत्रालय में प्रभागों के आधार पर 18 केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओएस) और 13 अपीलीय प्राधिकारियों को नियुक्त/पदनामित किया गया है, जो कि, क्रमशः अवर सचिव और उप सचिव/ निदेशक और समकक्ष पद पर हैं। अधिनियम के अंतर्गत सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति को इंगित करने वाली अधिसूचनाओं/आदेशों को प्रकाशित किया गया है, और मंत्रालय की वेबसाईट अर्थात www.shipmin.gov.in पर अपलोड/होस्ट किया गया है।
- जब कभी सीपीआईओ/आईएफसी द्वारा जनता/नागरिक से कोई अनुरोध प्राप्त होता है, तो उसे आरटीआई सेल को भेज दिया जाता है, जहां आवेदन शुल्क जमा सुनिश्चित करने के बाद इसको पंजीकृत किया जाता है। तत्पश्चात्, प्रथम अपील के निपटान हेतु इस अनुरोध को संबंधित सीपीआईओ/ अपीलीय प्राधिकारियों के पास आवेदनकर्ता(ओं) को मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने हेतु भेजा जाता है। इस संबंध में एक मासिक विवरण कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) को भेजा जाता है।
- सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रतियों और सूचना के अधिकार से संबंधित डीओपीएंडटी से प्राप्त परिपत्रों को सभी संगठनों को अनुपालन हेतु शीघ्रता से परिचालित किया जाता है।
- सभी सीपीआईओ/अपीलीय प्राधिकारियों को उपयोगी मार्गदर्शी सामग्री/अनुदेश भी परिचालित किए जाते हैं।
- सभी उपयोगी रिकॉर्डों का उचित रख-रखाव किया जाता है।
- 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक की अवधि के दौरान इस मंत्रालय द्वारा प्राप्त और निपटान किए गए आरटीआई आवेदनों और आरटीआई अपीलों का त्रैमासिक विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	अवधि	प्राप्त और निपटान किए गए आरटीआई आवेदन	प्राप्त और निपटान की गई आरटीआई अपील
1	जनवरी – मार्च	147	5
2	अप्रैल – जून	140	5
3	जुलाई – सितंबर	154	7
4	अक्तूबर – दिसंबर	110	4
5	दिसंबर – मार्च	146	14
	कुल	**697**	**35**

लेखा और बजट

10.7 सचिव, मंत्रालय के प्रधान लेखा प्राधिकारी हैं। वे वित्तीय सलाहकार और प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान सीसीए) के माध्यम से अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मंत्रालय के लेखा एवं बजट स्कंध, प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के अधीन कार्य कर रहे हैं।

10.8 प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक का कार्यालय अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय के सभी प्राधिकृत भुगतान किए जाने, मासिक और वार्षिक लेखों का संकलन करने, निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अधीन सभी एककों की आंतरिक लेखा-परीक्षा करने, प्राप्ति बजट, केन्द्रीय लेन-देन विवरण, वित्त लेखा और विनियोजन लेखाओं को तैयार करने, बिलों का भुगतान करने, व्यय की मॉनीटरिंग, एजेंसी स्तर तक पीएफएमएस के कार्यान्वयन आदि के लिए उत्तरदायी है। प्रधान सीसीए, मंत्रालय को वित्तीय और लेखा संबंधी मामलों, नकदी प्रबंधन पर तकनीकी सलाह भी प्रदान करते हैं तथा लेखांकन एवं पेंशन से संबंधित कार्य के लिए महालेखा नियंत्रक, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, वित्त मंत्रालय तथा अन्य संबंधित एजेन्सियों के साथ समन्वय स्थापित करते हैं।

10.9 प्रधान सीसीए के कार्यालय में प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, एक लेखानियंत्रक और एक उपलेखा नियंत्रक तथा दो सहायक लेखानियंत्रक शामिल हैं। बजट अनुभाग में एक उप सचिव (बजट) है। प्रधान सीसीए के प्रशासनिक नियंत्रण में नई दिल्ली में (दो), नोएडा, मुंबई, कोलकाता और पोर्ट ब्लेयर में स्थित कार्यालयों में 6 पीएओ/आरपीएओ हैं। मंत्रालय के प्रधान सीसीए कार्यालय तथा इनके कार्यालयों को सौंपे गए दायित्वों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

भुगतान

- अनुमोदित बजट के अनुसार प्रस्तुत किए गए बिलों की पूर्व जांच करने के पश्चात मंत्रालय की ओर से भुगतान करना।
- अधीनस्थ संबद्ध कार्यालयों, स्वायत्त निकायों, सोसाइटियों संघों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा राज्य सरकारों को भुगतान करना।
- मंत्रालय की तरफ से व्यय किए जाने के लिए अन्य मंत्रालय को प्राधिकार जारी करना।

प्राप्तियां

- मंत्रालय की प्राप्तियों को स्वीकार करना, बजट करना एवं लेखांकन।
- राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त ऋण और उस पर ब्याज के पुनर्भुगतान की मॉनीटरिंग करना।
- नई पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान।
- लेखाओं और विवरणों का प्रस्तुतीकरण।
- मंत्रालय के मासिक लेखा, केन्द्रीय लेन-देन का विवरण, वित्तीय लेखाओं का विवरण, विनियोजन लेखा को शीर्ष -वार एवं चरण-वार तैयार करना तथा महालेखाकार नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग तथा निदेशक लेखा परीक्षा, केन्द्रीय राजस्व को प्रस्तुत करना।
- आउटकम बजट सहित वार्षिक बजट को तैयार करना तथा वित्तीय वर्ष के दौरान बजट प्रक्रिया में वित्त मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित करना।
- आंतरिक अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आईईबीआर) की मॉनीटरिंग करना तथा सीजीए के कार्यालय को इसे प्रस्तुत करना।
- राजकोषीय जिम्मेदारी एवं बजट प्रंबधन (एफआरबीएम) अधिनियम और नियमों के अनुसार अनिवार्य सूचना की मॉनीटरिंग करना एवं इसे प्रस्तुत करना।
- विभिन्न प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने हेतु लेखांकन, बजट एवं लेखापरीक्षा डेटा के आधार पर प्रबंधन सूचना रिपोर्ट तैयार करना।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्राप्तियों एवं व्यय के संबंध में मासिक आधार पर वित्तीय सांख्यिकी तैयार करना।
- बजट अनुमान/संशोधित अनुमान के आधार पर मासिक व्यय/साप्ताहिक व्यय को तैयार करना तथा व्यय की मॉनीटरिंग के लिए एएसएंडएफए, सचिव आदि जैसे विभिन्न प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना।
- मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने हेतु वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री तैयार करना, व्यय के फ्लैश आंकड़े प्रस्तुत करना तथा इसे सीजीए को प्रस्तुत करना और अंनतिम लेखा तैयार करना व इसे मंत्रालय को प्रस्तुत करना।

बजट

- मंत्रालय के वार्षिक बजट अनुमान एवं संशोधित अनुमान, पुनर्विनियोजन प्रस्ताव तथा अनुपूरक अनुदान मांगो को तैयार करना एवं प्रस्तुत करना तथा सभी बजटीय मामलों में वित्त मंत्रालय और अन्य विभागों के साथ समन्वय स्थापित करना।
- मंत्रालय के वास्तविक व्यय को शामिल करने के बाद अनुदान मांगो का वार्षिक पुनरीक्षण करना तथा विस्तृत अनुदान मांगों की तैयारी एवं मुद्रण करना।
- वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए राजस्व प्राप्तियों, ब्याज प्राप्ति एवं सार्वजनिक लेखा के वार्षिक प्राक्कलनों को तैयार करना।

आंतरिक लेखा परीक्षा

10.10 मंत्रालय के प्रधान सीसीए संगठन के आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध को मंत्रालय में विभिन्न विभागों के काम-काज में प्रणालीगत गलतियों/चूकों की व्यवस्थित रूप से पहचान करने और आवश्यक कार्रवाई/सुधार के लिए प्रबंधन को परामर्श देने के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में स्थापित किया गया है। यह विवेकपूर्ण वित्तीय व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन के कामकाज में निष्पक्षता और वित्तीय औचित्य लाने के संबंध में एक प्रबल प्रबंधन साधन साबित हुआ है। आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध के अधिकारियों को विगत में आंतरिक लेखा परीक्षा टूल के प्रयोग के संबंध में विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किए गए हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र के प्रभावी उपयोग के परिणामस्वरूप मंत्रालय के सभी कार्यालयों में लेखों के रख-रखाव में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आंतरिक लेखा परीक्षा पैराग्राफों तथा सीजीए के लेखापरीक्षा पैराग्राफों, जिसमें प्रमुख अनियमितताएं/कमियां शामिल होती हैं, की सचिव द्वारा स्थायी लेखा परीक्षा समिति (एसएसी) के माध्यम से समीक्षा की जाती है जिसमें अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार और प्रधान सीसीए सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। आईएडब्ल्यू द्वारा उठाए गए बकाया पैराओं के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

	वर्ष के आरंभ में बकाया पैरा की सं.	वर्ष के दौरान निपटाए गए पैरा की सं.	वर्ष के दौरान उठाए गए पैरा की सं.	वर्ष के अंत में बकाया पैरा की सं.
आंतरिक लेखा परीक्षा	543	175	99	467

10.11 हाल ही की लेखापरीक्षा रिपोर्टों के दौरान किए गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार अनुबंध-IV पर संलग्न है।

लेखा का कंप्यूटरीकरण

ई-लेखा

10.12 ई-लेखा लेखांकन सूचना की दैनिक/मासिक एमआईएस/व्यय निकालने के लिए एक वेब पर आधारित अनुप्रयोग/एप्लीकेशन है। सभी पीएओ/आरपीएओ को व्यय लेखांकन पोर्टल ई-लेखा के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। इस पोर्टल में उन्हें अपने दैनिक लेन-देन को अपलोड करने की आवश्यकता होती है ताकि व्यय और प्राप्ति के आंकड़ें दैनिक आधार पर उपलब्ध हो सके। इससे व्यय और प्राप्ति के बारे में वास्तविक समय के आंकडों की उपलब्धता सुनिश्चिता होगी, जो व्यय/प्राप्तियों और बजटीय नियंत्रणों के प्रभावी निगरानी के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस पोर्टल की प्रबंधन सूचना प्रणाली से उत्पन्न रिपोर्टें, महत्वपूर्ण प्रबंधकीय उपकरण हैं तथा मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा इनका उपयोग किया जा रहा है।

पीएफएमएस

10.13 प्रारंभ में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) को भारत सरकार की योजना स्कीमों के लिए निधियों को जारी करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। अब पीएफएमएस के दायरे को बढ़ाया गया है जिससे कि सभी प्रकार के व्यय की स्वीकृतियों, बिलों और भुगतानों की ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए डीडीओ और पीएओ द्वारा उपयोग की जा रही विभिन्न मौजूदा स्टैंडअलोन प्रणालियों को एकीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। पीएफएमएस के सभी मॉड्यूलों को मंत्रालय के सभी पीएओ और डीडीओ में सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर दिया गया है।

अनुदान सं. 78 - पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

10.14 वर्ष 2023-24 के ऊपर उल्लिखित अनुदान-सं.78 के संबंध में बचत/आधिक्य की स्थिति और वर्ष 2023-24 (31 मार्च, 2024 तक) के वास्तविक व्यय की स्थिति **अनुबंध-V** में दर्शाई गई है। पिछले तीन वर्षों के केन्द्रीय लेन-देन (एससीटी) के विवरण के अनुसार, प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्यौरा, **अनुबंध-VI** पर है। वर्ष 2021-22 से 2023-24 (31 मार्च, 2024 तक) के व्यय का शीर्षवार विवरण **अनुबंध-VII** पर है। वर्ष 2023-24 (31 मार्च, 2024 तक) वास्तविक व्यय का प्रोफाइल **अनुबंध-VIII** पर है। मंत्रालय देश में यातायात सुविधाओं के विकास में आवश्यक कतिपय सेवाएं प्रदान करने के लिये मूल्यह्रास आरक्षित निधि और सामान्य आरक्षित निधि जैसी दो निधियों का अनुरक्षण करता है। विवरण **अनुबंध-IX** पर है।

सतर्कता

10.15 मंत्रालय का सतर्कता स्कन्ध, मंत्रालय में और मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय और पर्यवेक्षण करता है। इस स्कन्ध की अध्यक्षता अपर सचिव स्तर के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) द्वारा की जाती है जिनकी नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के अनुमोदन से की जाती है।

10.16 मंत्रालय के नियंत्रणाधीन प्रत्येक संगठन में या तो अंशकालिक या फिर पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग के साथ परामर्श करके/ उसकी सहमति से संबंधित संगठनों के अधिकारियों में से की जाती है । सी वी ओ के पूर्णकालिक पदों पर भर्ती, जहां कहीं इस प्रकार के पद हैं, का. एवं प्र. विभाग के माध्यम से संगठित सेवाओं के अधिकारियों में से की जाती है।

10.17 तत्काल प्रशासनिक कार्रवाई करने तथा प्रक्रियाओं के सरलीकरण एवं ई-प्रौद्योगिकी आदि का प्रयोग करने के साथ पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए निवारक सतर्कता की भूमिका पर जोर दिया गया है। मंत्रालय के विभिन्न संगठनों, विशेष तौर पर पत्तन न्यासों में सतर्कता तंत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से, जहां भी आवश्यक हुआ, दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की गई है।

10.18 सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान मंत्रालय के सभी कर्मचारियों तथा अधिकारियों को शपथ दिलायी गयी। मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले संगठनों में सर्तकता जागरूकता सप्ताह मनाया गया।

10.19 मंत्रालय के विभिन्न संगठनों की सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा आवधिक रूप से मुख्य सतर्कता अधिकारियों/विभिन्न संगठनों के अध्यक्षों से प्राप्त रिपोर्टों/विवरणियों से तथा आवधिक बैठकों के दौरान उनसे बातचीत करके भी की जा रही है।

राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

दिनांक 29 जुलाई, 2023 को आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति के दौरान फोटो सेशन

11.1 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय में हिन्दी अनुभाग कार्यरत है। मंत्रालय में राजभाषा (हिन्दी) नीति के कार्यान्वयन के साथ-साथ हिन्दी अनुभाग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों में भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को भी सुगम बनाता है। यह केवल मंत्रालय में ही नहीं अपितु मंत्रालय के अन्य कार्यालयों में भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की नियमित मॉनीटरिंग करता है। हिन्दी अनुभाग आर्थिक सलाहकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और पांच (05) स्वीकृत पद है, जिनमें एक संयुक्त निदेशक (रा.भा.), एक सहायक निदेशक (रा.भा.) (वर्तमान में पद रिक्त है), दो वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी और एक कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी के पद हैं। उप निदेशक (रा.भा.) ने संयुक्त निदेशक (रा.भा.) के पद के एवज में दिनांक 01 जनवरी, 2024 को मंत्रालय में कार्यभार ग्रहण किया है।

11.2 संघ सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसरण में मंत्रालय सतत रूप से सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करने के लिए प्रयास कर रहा है।

राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3(3) का अनुपालन

11.3 भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, रिपोर्टिंग अवधि के दौरान मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम 1963 (यथासंशोधित, 1967) की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी दस्तावेज हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए गए हैं।

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक

11.4 मंत्रालय की पुर्नगठित हिन्दी सलाहकार समिति की पहली बैठक का आयोजन माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री, श्री सर्बानंद सोणोवाल की अध्यक्षता में 29 जुलाई, 2023 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में किया गया था। इस बैठक में, समिति के माननीय सदस्यों द्वारा मंत्रालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे, जिन्हें अनुपालन हेतु मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों में परिचालित किया गया था। इस बैठक के दौरान मंत्री जी द्वारा मंत्रालय की गृह पत्रिका "नौतरणी" के छठे अंक का भी अनावरण किया गया। मंत्री जी द्वारा हिन्दी प्रोत्साहन योजनाओं संबंधी कई पुरस्कार भी दिए गए थे।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (रा.भा.का.स.)

11.5 मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित है। समिति मंत्रालय में तिमाही आधार पर हिन्दी में किए गए कार्य की प्रगति की समीक्षा करती है। यह समिति मंत्रालय के कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के संबंध में सुझाव देती है और उपायों की सिफारिश करती है। दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान 31 दिसंबर, 2022, 31 मार्च, 2023, 30 जून, 2023 और 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाहियों के लिए समिति की चार (04) बैठकें आयोजित की गई थी।

हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करने संबंधी निरीक्षण

11.6 दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा अधिकारिक कार्य में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए तेरह (13) अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

संसदीय समिति के निरीक्षण

11.7 मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्यालयों में संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति द्वारा निरीक्षण करने के दौरान हिन्दी अनुभाग उनकी निरीक्षण प्रश्नावलियों की समीक्षा करता है और उन्हें आवश्यक मार्ग-दर्शन प्रदान करता है। दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 के अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा (05 जनवरी, 2023); दीपस्तंभ और दीपपोत महानिदेशालय, नोएडा के नियंत्रणाधीन कार्यालय दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, मुंबई (15 जुलाई, 2023); नाविक भविष्य निधि संगठन, मुंबई (18 जनवरी, 2024) और मुंबई पत्तन प्राधिकरण, मुंबई (19 जनवरी, 2024) का निरीक्षण किया।

हिन्दी पखवाड़ा

11.8 मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने तथा हिन्दी को प्रसारित करने के उद्देश्य से दिनांक 14 से 29 सितंबर, 2023 तक हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस वर्ष हिन्दी पखवाडे के दौरान 07 प्रतियोगिताओं में कुल 91 अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया और इन प्रतिभागियों ने कुल 49 पुरस्कार प्राप्त किए।

मंत्रालय में हिन्दी पखवाड़ा, 2023 समापन समारोह की कुछ झलकियां

हिन्दी कार्यशालाएं

11.9 दिनांक 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 की अवधि के दौरान मंत्रालय में कुल तीन (03) कार्यशालाओं (दिनांक 24 फरवरी, 2023, 30 मई, 2023 और 24 अगस्त, 2023) का आयोजन किया गया। दिनांक 24 फरवरी, 2023 को आयोजित ''सरकारी कामकाज में हिन्दी का व्यवहारिक प्रयोग'' में कुल 12 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया, दिनांक 30 मई, 2023 को आयोजित ''कंप्यूटर/मोबाइल पर हिन्दी टाइपिंग/अनुवाद'' में कुल 15 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया तथा दिनांक 24 अगस्त, 2023 को आयोजित ''कंठस्थ 2.0'' में कुल 07 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया था।

हिन्दी में पुस्तक लेखन के लिए पुरस्कार योजना

11.10 राजभाषा विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, हिन्दी अनुभाग ने भारतीय पत्तनों, पोत परिवहन एवं अंतर्देशीय जल परिवहन विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन तथा इन्हीं विषयों में अन्य भाषाओं से हिन्दी में अनूदित की गई पुस्तकों के लिए पुरस्कार योजना चलाई गई थी। वर्ष 2019-2020 के लिए, श्री अरविंद कुमार सिंह (लेखक) को उनकी हिन्दी में मौलिक पुस्तक ''भारत में जल परिवहन'' के लिए माननीय पीएसएंडडब्ल्यू मंत्री जी द्वारा 29 जुलाई, 2023 को आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में नगद पुरस्कार दिया गया।

माननीय मंत्री पीएसएंडडब्ल्यू श्री सर्बानंद सोणोवाल श्री अरविंद कुमार सिंह, मौलिक पुस्तक लेखन योजना के पुरस्कार विजेता को ट्रॉफी प्रदान करते हुए

राजभाषा शील्ड योजना

11.11 मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, वार्षिक आधार पर राजभाषा शील्ड योजना चलाई जा रही है, जिसमें विजेता कार्यालयों को क्षेत्रवार शील्ड और प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। दिनांक 29 जुलाई, 2023 को आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक की अवधि के दौरान के राजभाषा शील्ड पुरस्कार प्रदान किए गए।

सरकारी कामकाज हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना

11.12 कार्मिकों को अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मंत्रालय, राजभाषा विभाग की नकद पुरस्कार योजना को वार्षिक आधार पर लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, दस पुरस्कार (नकद पुरस्कार) दिए जाते हैं नामतः, दो प्रथम पुरस्कार 5000/- रुपए प्रत्येक, तीन द्वितीय पुरस्कार 3000/- रुपए प्रत्येक और पांच तृतीय पुरस्कार 2000/- रुपए प्रत्येक। वित्त वर्ष के दौरान अपने सरकारी कामकाज में न्यूनतम 20,000 या इससे अधिक हिन्दी शब्दों को लिखने वाला कोई भी अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र है। हिन्दीतर भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए न्यूनतम शब्द सीमा 10,000 शब्द प्रतिवर्ष रखी गई है और इन्हें शब्दों की संख्या में 20 प्रतिशत की वेटेज दी जाती है। वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय के 02 कार्मिकों ने इस योजना में भाग लिया है।

हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए त्रैमासिक पुरस्कार योजना

11.13 मंत्रालय में दिनांक 20 जुलाई, 2021 को आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में तथा मंत्रालय के विभिन्न अनुभागों/ प्रभागों में हिन्दी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत मंत्रालय के अनुभागों/प्रभागों को अपना अधिक से अधिक सरकारी कामकाज हिन्दी में करने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक तिमाही उनके हिन्दी कामकाज की मात्रा के आधार पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिया जाता है जिसमें क्रमशः 5,000/- रुपए, 3,000/- रुपए और 2,000/- रुपए की नगद राशि प्रदान की जाती है। रिपोर्टिंग अवधि (01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक) के दौरान पात्र अनुभागों/प्रभागों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

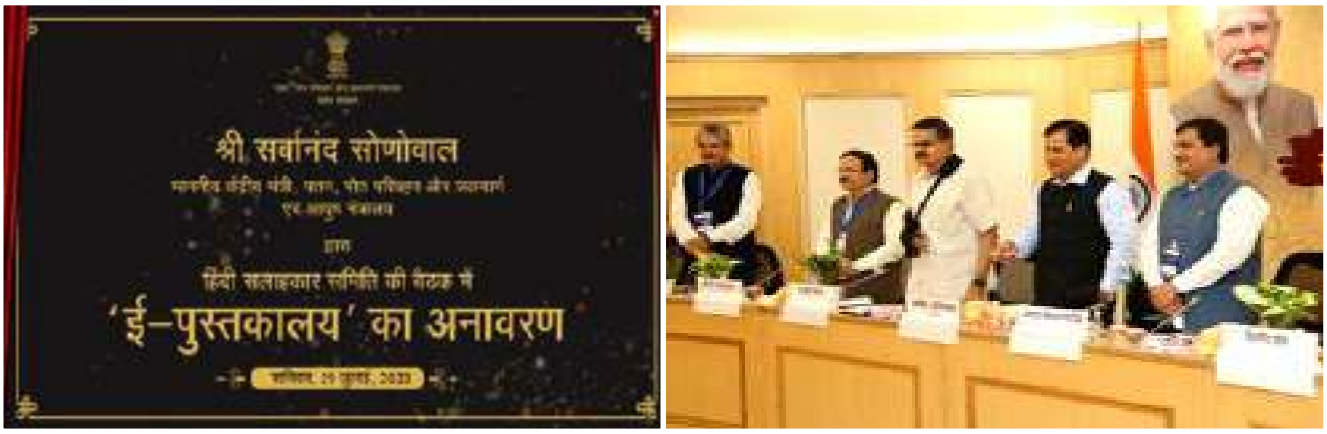

माननीय मंत्री पीएसएंडडब्ल्यू द्वारा मंत्रालय की वेबसाइट में ई-पुस्तकालय का अनावरण

मंत्रालय की वेबसाइट में ई-पुस्तकालय का अनावरण

11.14 मंत्रालय की वेबसाइट पर ई-पुस्तकालय का अनावरण किया गया और यह अनावरण माननीय मंत्री जी द्वारा 29 जुलाई, 2023 को आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान किया गया। ई-पुस्तकालय में मंत्रालय की वेबसाइट पर लिंक के साथ चयनित प्रसिद्ध हिन्दी ई-पुस्तकें अपलोड की गई है। ई-पुस्तकों की संख्या आवधिक आधार पर बढ़ाई जा रही है।

मंत्रालय में मिनी पुस्तकालय

11.15 वरिष्ठ अधिकारियों के मार्ग-दर्शन और हिन्दी अनुभाग के अथक प्रयासों के साथ मंत्रालय के हिन्दी अनुभाग में एक मिनी पुस्तकालय की भी स्थापना की गई है। हिन्दी अनुभाग के नियमित कार्य के अलावा हिन्दी अनुभाग के कर्मचारी मिनी पुस्तकालय का कार्य भी संभालते हैं। प्रसिद्ध लेखकों की हिन्दी पुस्तकें इस पुस्तकालय में उपलब्ध कराई गई है। मंत्रालय के अधिकारीगण और कर्मचारी इसका लाभ उठा रहे हैं। त्रैमासिक/अर्धवार्षिक आधार पर और पुस्तकें शामिल करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

अनुबंधों की सूची

अनुबंध-I
(पैरा 1.5 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

I. **निम्नलिखित विषय, जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-1 के अन्तर्गत आते हैं:**

1. समुद्री नौवहन और नौचालन; शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रावधान, वाणिज्यिक नौ सैनिकों के लिए प्रशिक्षण
2. दीपस्तंभ और दीपपोत
3. भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15) और महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 01) तथा पत्तन जिन्हें महापत्तनों के रुप में घोषित किया गया है।
4. जहां तक यांत्रिक रुप से चालित जलयानों का संबंध है संसद द्वारा विधि के माध्यम से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए जाने वाले अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल की ढुलाई सहित पोत परिवहन और नौचालन, ऐसे जलमार्गों पर सडक का नियम।
5. पोत निर्माण और पोत-मरम्मत उद्योग
6. मत्स्यन जलयान उद्योग
7. फ्लोटिंग क्राफ्ट उद्योग

II. **संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में:**

8. अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात

III. **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के संदर्भ में:**

9. मुख्य भूमि, द्वीपों और अंतर-द्वीप की नौवहन सेवाओं का संगठन और रखरखाव

IV. **अन्य विषय जो पूर्ववर्ती भागों में शामिल नहीं किए गए हैं:**

10. यांत्रिक रुप से चालित जलयानों के संबंध में अंतर्देशीय जलमार्गों पर नौवहन और नौचालन और अंतर्देशीय जलमार्गों पर यात्रियों और माल की ढुलाई के संबंध में विधान
11. छोटे और बड़े पत्तनों के विकास से संबंधित विधान और समन्वय
12. डॉक कार्यकार (रोजगार का विनियमन) अधिनियम, 1948 (1948 का 9) का प्रशासन तथा डॉक कर्मकार (सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण) योजना, 1961 के अलावा इसके अन्तर्गत तैयार की गई योजनाएं
13. एफओबी /एफएएस के आधार पर कार्गो के आयात और सीएंडएफ/सीआईएफ के आधार पर माल के निर्यात के संदर्भ में भारत सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/राज्य सरकारों/राज्य सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के लिए और उनकी ओर से पोत परिवहन संबंधी प्रबंध करना

14. पत्तनों, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जल के अवसंरचना क्षेत्रों में निजीकरण नीति का प्रतिपादन

15. अंतर्देशीय जल परिवहन की योजना बनाना।

16. पत्तन, पोत परिवहन और अंतर्देशीय जलमार्ग के अवसंरचनात्मक क्षेत्रों में निजीकरण नीति का निर्माण।

17. गांधीधाम के टाउनशिप का विकास।

18. प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम: 1

(क) पत्तन क्षेत्रों सहित, पोतों, समुद्र में पोतों के अवशेष और परित्यक्त जलयानों से होने वाले प्रदूषण का नियंत्रण और रोकथाम;

(ख) पोतों से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और प्रतिरोध से संबंधित अधिनियमन और कानूनी व्यवस्था करना: और

(ग) पत्तन क्षेत्रों में तेल प्रदूषण की मॉनीटरिंग और प्रतिरोध करना।

V. **अधिनियम (समय समय पर यथासंशोधित)**

- भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 (1908 का 15)
- भारतीय समुद्र द्वारा माल वहन अधिनियम, 1925 (1925 का 26)
- डॉक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948
- वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44)
- नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966 (1966 का 4)
- हुगली डॉकिंग एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1984 (1984 का 55)
- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82)
- माल का बहुविध परिवहन अधिनियम, 1993 (1993 का 28)
- डॉक कर्मकार (नियोजन और विनियमन) (महापत्तनों को लागू न होना) अधिनियम, 1997 (1977 का 31)
- समुद्री नौवहन की सुरक्षा और महाद्वीपीय शेल्फ अधिनियम, 2002 पर स्थिर प्लेटफार्मों के खिलाफ गैरकानूनी कृत्यों का दमन अधिनियम, 2002 (2002 का 69)
- भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (2008 का 22)
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 का 17)
- नावधिकरण (समुद्री दावों का क्षेत्राधिकार और निपटान) अधिनियम, 2017 (2017 का 22)
- पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 (2019 का 49)
- महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 (2021 का 1)
- नौचालन के लिए समुद्री सहायता विधेयक, 2021
- अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021
- भारतीय वहन पत्र अधिनियम, 1826
- तटीय जलयान अधिनियम, 1838

अनुबंध-।।
(पैरा 1.12 देखें)

संगठन चार्ट: पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अनुबंध-III

(पैरा 10.2 देखें)

31 मार्च, 2024 को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व तथा 01 जनवरी, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक के दौरान की गई नियुक्तियों का वार्षिक विवरण:

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (मुख्य सचिवालय)

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) का प्रतिनिधित्व (31.03.2024 को)

समूह	कुल कर्मचारी	अ.जा.	अ.ज.जा.	ओ.बी.सी.	ई.डब्ल्यू.एस.	कुल
क	58	08	02	10	-	20
ख	98	29	12	25	-	66
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	45	09	05	12	1	27
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-	-
कुल	**201**	**46**	**19**	**47**	**1**	**113**

01.01.2023 से 31.03.2024 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या

सीधी भर्ती द्वारा					
समूह	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**ओ.बी.सी.**	**ई.डब्ल्यू.एस.**	**कुल**
क	-	-	-	-	-
ख	-	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	1	1	2
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**1**	**1**	**2**

पदोन्नति द्वारा				
समूह	**अ.जा.**	**अ.ज.जा.**	**ओ.बी.सी.**	**कुल**
क	-	-	-	-
ख	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

प्रतिनियुक्ति द्वारा				
समूह	**वीएच**	**एचएच**	**ओएच**	**कुल**
क	-	-	-	-
ख	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	-	-	-	-
ग (सफाई कर्मचारी)	-	-	-	-
कुल	**-**	**-**	**-**	**-**

अनुबंध-IV
(पैरा 10.11 देखें)

(आंतरिक लेखा-परीक्षा पैरा की संक्षिप्त रिपोर्ट)

(योजनाओं/बैंकों/पीएसयू/गारंटी संस्थानों सहित)

क्र.सं.	अनियमितताओं की प्रकृति	पैराओं की सं.	कुल राशि सहित (लाख रु. में)
1.	केन्द्र सरकार के विभागों/ राज्य सरकार/ निजी पक्षकारों से सरकारी देयताओं की गैर-वसूली	-	-
2.	अधिक भुगतान	2	0.56
3.	अग्रिमों का गैर-समायोजन- आकस्मिकता अग्रिम - यात्रा भत्ता अग्रिम एल.टी.सी अग्रिम दीर्घ अवधि के अग्रिम	 3 3 14.31	 5 35.67 5.29
4.	सरकारी धन की ब्लार्किंग	-	-
5.	मंहगे भंडारों/सरकारी धन का गैर-लेखांकन	-	-
6.	विशेष स्वरुप की मदें	-	-
	कुल	**13**	**55.83**

अनुबंध-V

(पैरा 10.14 देखें)

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का अनुदान

(करोड़ रु. में) निवल

अनुदान सं. और नाम		मूल	पूरक	कुल बजट	31.03.2024 तक वास्तविक व्यय	बचत
अनुदान सं. 78	राजस्व लेखा	1150.53	96.85	1247.38	1166.93	लागू नहीं
	पूंजीगत लेखा	1068.21	95.97	1164.18	1149.54	
कुल		**2218.74**	**192.82**	**2411.56**	**2316.47**	

स्रोतः ई-लेखा

अनुबंध-VI
(पैरा 10.14 देखें)

विगत 3 वर्षों के लिए केन्द्रीय लेन-देन के विवरण (एससीटी) के अनुसार प्राप्तियों का शीर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

राजस्व प्राप्तियां

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	2021-22	2022-23	2023-24 (31-03-2024 तक)
1.	0021- निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर	22.03	24.47	25.03
2.	0045- वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	0.00	0.00	0.00
3.	0049- ब्याज प्राप्तियां	9.01	5.67	37.39
4.	0050-लाभांश और लाभ	155.98	179 .98	185.58
5.	0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	0.00	0.00	0.00
6.	0071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूलियां	13.03	13.10	13.18
7.	0075 विविध सामान्य सेवाएं	0.00	0.00	0.00
8.	0210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	0.40	0.39	0.42
9.	0216-आवास	0.55	0.73	0.64
10.	1051-पत्तन तथा दीप स्तंभ	371.30	401.19	441.35
11.	1052-पोत परिवहन	86.71	98.31	105.13
12.	1054-सड़क और पुल	0.00	0.00	0.00
13.	1056-अंतर्देशीय जल परिवहन	19.50	11.82	13.90
14.	1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.00	0.00	0.02
क	**राजस्व प्राप्तियां***	**678.51**	**735.66**	**822.64**

पूंजीगत प्राप्तियां

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	2021 -22	2022 -23	2023-24 (31-03-2024 तक)
1.	4000 विविध पूंजीगत प्राप्तियां	0.00	0.00	0.00
2.	6858-अभियांत्रिकी उद्योग के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
3.	7051-पत्तन और दीपस्तंभ के लिए ऋण	15.67	0.00	0.00
4.	7056-अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
5.	7601-राज्य सरकारों को ऋण तथा अग्रिम	0.00	0.00	0.00
6.	7610- सरकारी कर्मचारियो को ऋण	0.19	0.39	0.09
	पूंजीगत प्राप्तियां **	**15.86**	**0.39**	**0.09**

अनुबंध-VII

(पैरा 10.14 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय
विगत 3 वर्षों अर्थात् 2021-22 से 2023-24 (31/03/2024 तक) के लिए
व्यय का शीर्ष-वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

विवरण	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24 (31.12.2024 तक)**
2049-ब्याज भुगतान	10.63	10.22	0.35
2071-पेंशन भुगतान	35.12	37.22	35.34
2235-सामाजिक, सुरक्षा और कल्याण	0.08	0.04	0.04
2801-विदयुत	0.00	0.00	0.00
2852-उद्योग	106.38	59.21	99.12
3051-पत्तन और दीपस्तंभ (मांग सं. 78)	921.82	1008.46	1088.94
3051-पत्तन और दीपस्तंभ अंडमान और निकोबार प्रशासन लक्षद्वीप	07.64 2.45	4.87 0.65	3.68 0.00
3052-पोत परिवहन	97.89	188.96	212.08
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	23.50	76.33	76.50
3451-आर्थिक सेवाएं	46.97	48.40	60.75
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	00	00	0.00
3601-राज्य सरकार को अनुदान सहायता	39.63	4.91	-4.84
3605- अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	0.00	100.00	100.00
कुल (राजस्व व्यय)	**1292.11**	**1539.27**	**1671.96**

(करोड़ रु. में)

विवरण	2021-22	2022-23	2023-24 (31.12.2024 तक)
4405- मत्स्यपालन पर पूंजीगत परिव्यय	2.21	0.98	0.18
4406-वन एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00
4801- ऊर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	00	00	0.00
5051-पत्तन और दीपस्तंभ पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 78)	137.81	124.12	122.09
5051-पत्तन और दीपस्तंभ पर पूंजीगत परिव्यय अंडमान और निकोबार प्रशासन	5.50	1.35	3.45
5052- नौवहन पर पूंजीगत परिव्यय अंडमान और निकोबार प्रशासन लक्षद्वीप	1.09 0.00	0.34 0.01	0.00 0.00
5052-नौवहन पर पूंजीगत परिव्यय (मांग सं. 78)	4.18	2.20	0.64
5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	0.00	0.00	0.00
5056- अंतर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	467.54	544.31	1010.50
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	47.82	99.08	54.75
5075-अन्य परिवहन सेवाएं	0.00	00	0.00
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय अंडमान और निकोबार प्रशासन	00.00	0.99	0.00
6858- अभियांत्रिकी उद्योगों के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
7051-पत्तनों एवं दीपस्तंभों के लिए ऋण	0.00	0.00	0.00
7610- सरकारी कर्मचारियों के लिए ऋण	0.38	0.39	0.09
योग (पूंजीगत व्यय)	**666.53**	**773.77**	**1191.7**
कुल योग (राजस्व + पूंजीगत)	**1958.64**	**2313.04**	**2863.66**

अनुबंध-VIII

(पैरा 10.14 देखें)

वर्ष 2023-24 में वास्तविक व्यय (निवल) का प्रोफाईल
(31/03/2024 तक)

(करोड़ रु. में)

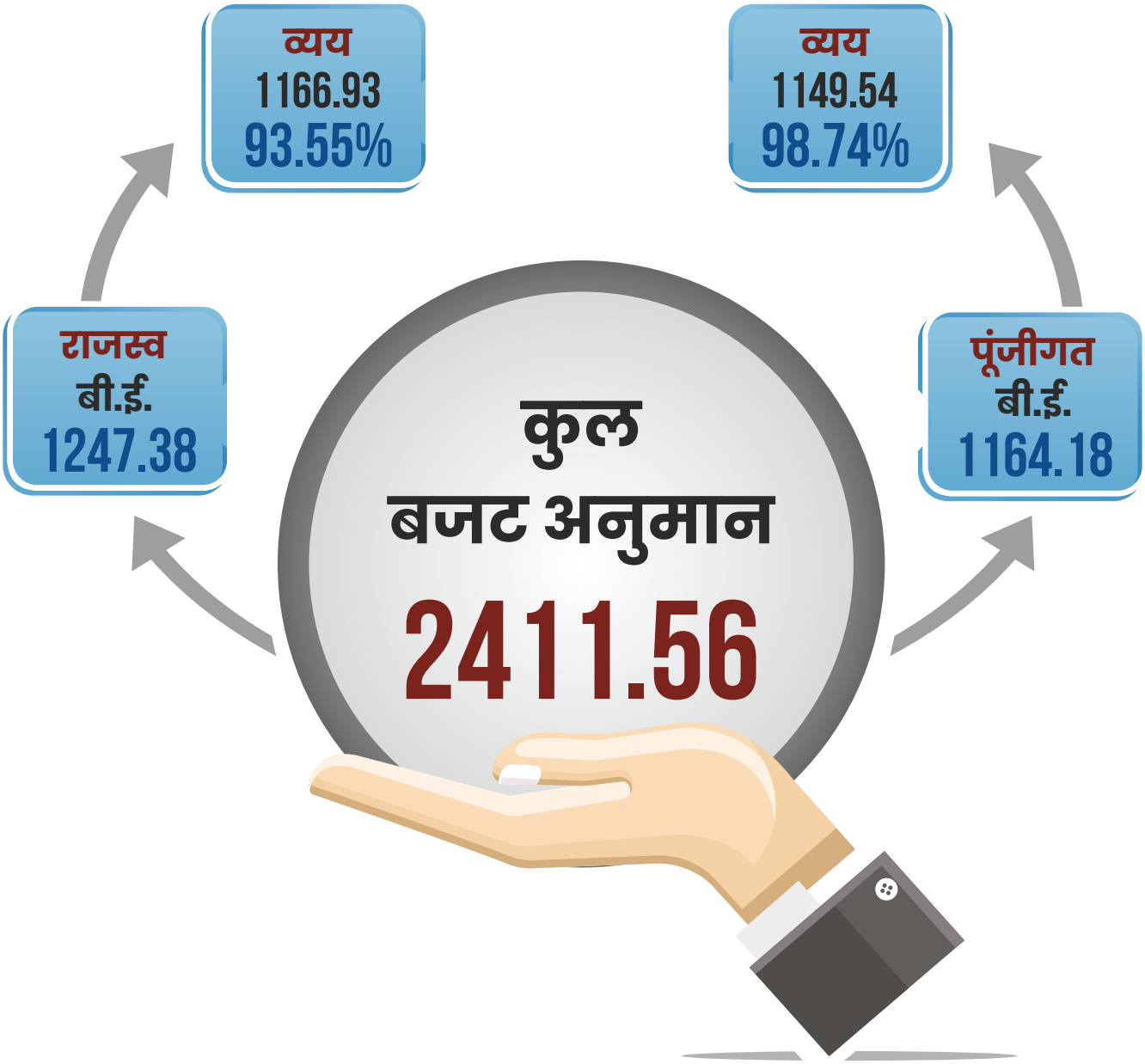

स्रोत: समेकित वर्गीकृत सार

अनुबंध-IX

(पैरा 10.14 देखें)

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मूल्यह्रास आरक्षित निधि (8115)	**(करोड़ रु)**
01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	309.42
अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान प्राप्तियां	25.02
अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान भुगतान	4.26
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	330.18
सामान्य आरक्षित निधि (8121)	
01.04.2023 को प्रारंभिक शेष	1149.23
अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान प्राप्तियां	146.47
अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 के दौरान भुगतान	95.63
31 मार्च, 2024 को अंत शेष	1200.07

स्रोत: वर्गीकृत समेकित संक्षिप्त खाता

एससीआई मुंबई
SCI MUMBAI

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

1, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

www.shipmin.gov.in

Design & layout by MoPSW Media Hub